राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 58 वां दिवस संख्या 33

मंगलवार,

दिनांक 11 मई, 1971

विधान सभा की बैठक म0 पू0 11 : 2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, यातायात, परिवार नियोजन, पंचायत, वित्त, आयुर्वेद, सिंचाई, वन, खाद्य, पुनर्वास, देवस्थान, शिक्षा, विद्युत् विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री बालसिंह सोढा।

जैसलमेर जिले के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

709. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में करीब 124 गांव अभाव ग्रस्त हैं जिनमें आधे से अधिक गांवों में पेयजल का भारी संकट है और राज्य सरकार पेयजल की व्यवस्था नहीं कर रही है, क्योंकि केन्द्र सरकार की सहायता नहीं मिली है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल सहायता विभाग द्वारा जैसलमेर व बाड़मेर के जिलाधीशों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि अभावग्रस्त होते हुए भी पेय जल की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सरकार के पास धन का अभाव है ? अगर हां, तो भविष्य में सरकार जिन गांवों में पानी का अभाव है वहां व्यवस्था करेगी ? यदि हां, कब तक गांव में पानी पहुंचाना प्रारम्भ कर देगी ?

उपमन्त्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। जैसलमेर जिले के जिन गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु जिलाधीश के प्रस्ताव आये हैं उन पर विचार किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है। केन्द्र सरकार की सहायता मिलने या न मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधीश के और प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री बालसिंह सोढा : जैसा मन्त्री महोदय ने कहा, व्यवस्था कर दी गई है तो कितने गांवों में और किस प्रकार व्यवस्था की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जैसलमेर जिले में अब तक 14 पी. आई. के कार्य चल रहे हैं और 11 नलकूप और 2 टैंकरों की व्यवस्था हो गई है। कुल 27 स्थानों पर कर दिया गया है।

श्री बालसिंह सोढा : मन्त्री महोदय ने कहा कि सेंट्रल एड का कोई सवाल नहीं उठता। मैं आपका ध्यान अकाल सलाहकार समिति के 27 मार्च के प्रस्ताव की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें जिलाधीश ने बताया है कि इस वर्ष केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलने की कोई संभावना नहीं है। सारा व्यय राज्य सरकार ही वहन करेगी एवं राज्य-सरकार के वित्तीय साधन असीमित नहीं हैं अतः पेयजल की पूर्ति उन स्थानों में, जहां अभाव है, करना असंभव है। यह जिलाधीश ने बताया है। जिलाधीश के पास में 22–3–71 को एक लेटर अकाल सहायता कमिश्नर का जाता है, उसमें साफ बताया है कि पी. आई. की व्यवस्था अकाल होते हुए भी नहीं करेंगे, क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी कोई हिदायत राज्य सरकार के ध्यान में नहीं है केन्द्रीय सरकार की सहायता मिले या न मिले आवश्यकतानुसार राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था कर दी गई है और की जा रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : (कोटा) जैसलमेर जिले में कुल कितने गांव हैं जो अभाव ग्रस्त हैं और आपने जो टैंक्स की व्यवस्था बताई है, वह कितने गांवों को कवर कर लेगी ?

अकाल सहायता मंत्री : (श्री परसराम मदेरणा) जैसलमेर में कुल 131 गांव अभाव ग्रस्त हैं उनमें से अभी 58 गांवों की व्यवस्था की है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बाकी के लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। और भी यदि कलेक्टर के प्रस्ताव आयेंगे, वह जहां आवश्यकता समझेंगे, तो उनके प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने कहा 131 गांव अभावग्रस्त हैं और 58 को कवर किया जा चुका है। बाकी अभावग्रस्त होते हुए भी वहां पानी की समस्या नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : पिछले साल 512 गांव अभावग्रस्त थे। 1960 में हमने व्यवस्था की थी कि पास के गांव में अगर आबादी कम है, पानी का सोर्स है कहीं पर तो पी. आई. की व्यवस्था से हम पानी खींचने के लिए कहीं पर टैंक्स की व्यवस्था करते हैं कहीं पर नलकूप चल रहे हैं। और टैंकस नहीं जा सकते तो वहां पर पखाल चलाकर पानी पहुंचाया जाता है। अलग अलग गांवों की जैसी परिस्थिति है, उसको देखकर व्यवस्था की जाती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका तात्पर्य यह है कि 131 गांवों जो अभावग्रस्त हैं वहां किसी प्रकार का पानी राज्य सरकार द्वारा नही पहुंचाया जा रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : सभी गांवों में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती। जहां आवश्यकता होती है और गांव के लोग पानी की व्यवस्था स्वयं करने में असमर्थ हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था की जाती है।

श्री बालसिंह सोढा : गुडी, तेजापाला इस प्रकार 30 गांव उस प्रस्ताव में हैं जो जिलाधीश ने सरकार को भेजे हैं आज तक टैंक्स द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है और पीने का पानी 5–5, 10–10 मील से लाते हैं, उनके पास नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां पर पानी है पास में जिलाधीश द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उन पर राज्य सरकार विचार करके हमेशा निर्णय लेते रहे है। मैं पार्टीक्यूलर गांवों का कुछ नहीं कह सकता हालांकि मेरे पास लिस्ट है। उसमें से टिकमार्क करना मुश्किल है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर वहां पर ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है तो फौरन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।

श्री बालसिंह सोढा : ऐसे कई गांव हैं जहां दो टैंकस अपर्याप्त हैं तो और टैंक्स भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : उप मन्त्री ने बताया है उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा 28 गांवों की और स्वीकृति हो गई है। इसलिए कुल मिलाकर टैंक्स द्वारा गांवों में पहुंचाया जा रहा है।

श्री **उपाध्यक्ष :** श्री नाथूराम (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 710

श्री **परसराम गंगाराम।** (अनुपस्थित; कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 711

श्री वृद्धिचन्द जैन

निःशुल्क प्लाटों का आवंटन

712. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाडमेर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सभी सदस्य, नांव के छोटे कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन बनाने हेतु निःशुल्क प्लाट देने का निश्चय किया है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने क्या यह भी जानकारी प्राप्त की है कि विभिन्न जिलों में कितनी कितनी जमीन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क प्लाटों के द्वारा दे सकेगी ?

(3) उक्त प्लाटों को देने की कार्यवाह के बारे में राज्य सरकार ने जो विभिन्न जिलों में भी कदम उठाए हैं, उनकी प्रगति क्या रही है ?

उप मंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(1) जी हां। नियमों में ऐसा प्रावधान है।

(2) ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गए हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार पंचायतों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वृद्धिचंद जैन : आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गए हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न यही तो है। आंकड़े इकट्ठे करके, पोजीशन मालूम करके बतायें ताकि राज्य सरकार क्या कर रही है, इसकी सही स्थिति का पता लग सके।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आंकड़े नहीं इकट्ठे किए गए हैं लेकिन नियमानुसार सब जगह कार्य चल रहा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): राज्य सरकार को यह पता नहीं है कि कितने परिवारों को प्लाट्स देने हैं, कितने दिये जा

(श्री दौलतराम सारण)
चुके हैं तो प्रगति का और कार्यवाही का क्या पता ?

श्रीमती प्रभामिश्रा : जो जिलाधीशों और विकास अधिकारियों को पत्र लिखा है उसमें इनको आदेश दिए गए हैं कि जो कुछ प्रगति हुई है आवंटन में उसकी राज्य सरकार के पास सूचना भेज दें, सूचना आती रहेगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार आवश्यक नहीं समझती कि आवास के लिये आवश्यकता वाले परिवारों का सर्वे कराया जाए, जानकारी कराई जाए ताकि उनको ठीक प्रकार से आवंटन कराया जा सके ?

श्री रामचन्द्र आर्य : (नोहर) कितने एरिया के प्लाट्स देने का प्रावधान है ? सरकार ने क्या तय किया है ?

श्रीमती प्रभामिश्रा : 150 वर्ग गज तक भूमि.....

श्री रामचन्द्र आर्य : 150 वर्गगज काश्त का काम करने वाले मवेशी भी रखते हैं..

श्रीमती प्रभामिश्रा: यह आवास का है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके पास बकरी भेड़, गाय, ऊंट सभी होते हैं, 150 वर्ग गज में कैसे रखेंगे, इतनी जगह अपर्याप्त है। आप तो जयपुर शहर में रहती हैं, लेकिन देहातों में पशुधन है, गाय-भैंस हैं चारा फूस रखना पड़ता है तो कहां रखेंगे 150 गज में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह व्यवस्था आवास के लिये की गयी है बाड़ों के लिये नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आवास की तो है लेकिन गावों में जो रहते हैं उनको सब कुछ चाहिये। वह कैसे 150 वर्ग गज में रह सकते हैं। आपका यह सोचने का तरीका भी गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो परिवार बसते हैं उनके आवास के साथ ही साथ पशुओं के आवास के लिये भी चाहिये, चारे के लिये भी चाहिये। आवास से भिन्न व्यवस्था थोड़े ही की जा सकती है, आवास के साथ ही पशुओं के आवास के लिए और चारे आदि रखने के लिये जगह की आवश्यकता होती है। क्या राज्य सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अब तक जो व्यवस्था की गई है उसको बता दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या इसके लिये सरकार सोचने के लिये तैयार है कि आवास के लिए, पशुओं के आवास के लिये और चारे आदि रखने के लिये व्यवस्था की जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले इतनी तो मिल जाये फिर बढ़ोतरी की बात कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह नीति का सवाल है कि इस 150 वर्ग गज जमीन

(श्री रामचन्द्र आर्य)

में कैसे आवास करेंगे। कोई जयपुर शहर में थोड़े ही रहना है, यह सोचने की बात है। आप तो शहर में कोठियों में बैठकर सोचते हो और देहातों की बात नहीं सोचते हो आपको कम से कम 150 वर्ग गज के बजाय 500 वर्ग गज जमीन उनके लिये रखना चाहिये। अब उनको यदि यह जमीन मिल गयी तो बाद में और जमीन नहीं मिल पायेगी और फिर वही समस्या उनके सामने रहेगी। इसलिये इसके उपर पुनः विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष ; अगला प्रश्न !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय प्रश्नकर्ता ने पूछा है उसी तरह से माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि 150 वर्ग गज है और अधिकतर किसानों का धंधा मवेशियों के ऊपर रहता है....

श्री उपाध्यक्ष : ये सब प्रश्न आ चुके हैं माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : आ तो चुके हैं लेकिन शंका का समाधान नहीं हुआ। या तो मंत्री महोदया आश्वासन दें कि आगे कोई कार्य-वाही करेंगे।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): राजस्थान टैनेन्सी एक्ट में जैसा कि मेरा ख्याल है बाड़ों के लिए दूसरों के लिये अलग से प्रावीजन है। यह तो आजादी जमीन का प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को 150 वर्ग गज जमीन दी जानी चाहिए। साथ ही प्रश्न राज्य सरकार के विचार करने का भी है कि 150 वर्ग गज में खुद भी रहना है और मवेशियों को भी रखना है वह नहीं रह सकते हैं और राज्य सरकार इसको पर्याप्त नहीं समझती है। और टैनेन्सी एक्ट में अलग से प्रावधान नहीं है और उनको जमीन नहीं मिल रही है तो बाडों के लिये आप जानते हैं कि वह होते हैं और गांवों से दूर भी होते हैं–अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इस मामले को मंत्रि-मंडल में भी रखूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषकर दिक्कत राजस्थान केनाल क्षेत्र में है वहा पंचायत समितियों को जमीन देने का अधिकार नहीं है और यहां से आदेश 150 वर्ग गज के दिये गये हैं। इस जमीन से काम नहीं चलता और मजबूरी है कि सरकार ऐसा निर्णय लेती है और पंचायत समिति दे नहीं सकती। इसमें आपको कुछ संशोधन करना चाहिये और जमीन ज्यादा बढानी चाहिये आप तो देहातों में रहते हैं और आप तो उनकी तकलीफों को समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

12 वर्ष की सेवा काल पूरा करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि

713. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां), **श्री विजयसिंह** (मकराना), **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 9 (17) एफ.डी. (रूल्स)। 70 दिनांक 20-10-1970 द्वारा उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों

Page No 6

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को जो 1500 रुपये माहवार से कम वेतन पाते हैं जिन्होंने 31–3–1970 को 12 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवाकाल पूर्ण कर लिया हैं नवीन वेतनमान नियम 1969 के नियम 12 के अन्तर्गत पूर्व में अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं मिली है, एक समय में पदोन्नति अथवा वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रुपये 100 अथवा उससे अधिक फायदा (1–4–1958 से 31–3–1970 के बीच) नहीं पहुंचा है, एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो उनका मूलभूत आधार क्या है ? आंकड़े 12 किस आधार पर सुनिश्चित किया गया है कृपया स्पष्ट किया जाये।

(2) इस अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को लाभ मिलेगा ? क्या कुछ कर्मचारियों को लाभ दिया जाना अन्य कर्मचारियों में मनोमालिन्य उत्पन्न होने की स्थिति पैदा नहीं करता ? और क्या वह सरकार का भेदभाव पूर्ण व्यवहार का द्योतक नहीं है ?

(3) क्या उन कर्मचारियों को, जो, 1–4–1970 के पश्चात् 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करेंगे, उस लाभ से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अग्रिम वेतन वृद्धि की तिथि 1–4–1970 किस आधार पर तय की गयी है, यह भी बताया जाय ? क्या इससे बहुत सी असंगतियां उत्पन्न नहीं होंगी और अन्य बातों के अलावा एक जूनियर कर्मचारी द्वारा सीनियर कर्मचारी से अधिक वेतन उठाने विषयक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस सम्बन्ध में पुनर्विचार कर एक युक्तियुक्त नीति निर्धारित करने का विचार रखती है और 12 वर्ष के स्थान पर 8 या 10 वर्ष की अवधि उक्त प्रयोजनार्थ निश्चित करने पर विचार करेगी ताकि अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके ? क्या विभिन्न सेवा संघों ने राज्य सरकार को समय समय पर प्रति निवेदन कर इस विषयक निवेदन किया है ?

(5) उपर्युक्त प्रश्न में निवेदित कार्यवाही में आर्थिक अथवा अन्य कोई अड़चन आती हो तो क्या सरकार यह विचार करेगी कि राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी जब कभी 12 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करले उसे अन्य शर्तों के आधीन एक अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय जिससे न केवल कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष ही दूर होगा बल्कि संभावत असंगतियां भी दूर होंगी और भेद-भाव युक्त कार्यवाही से एक न्यायोचित नीति भी कायम होने में सहायता मिलेगी।

राज्य मंत्री, वित्त (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां, 12 वर्ष की सेवा पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने का आदेश राणावत आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है।

(2) कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन जब निर्णय लिया गया था तो इनकी संख्या 65 हजार का अनुमान लगाया गया था। इससे असंतोष का कोई कारण नहीं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

है। अधिकांश कर्मचारियों को जिनकी कम सेवायें हैं उनको नवीन वेतन श्रृंखलाओं में वेतन के न्यूनतम, अधिकतम एवं वार्षिक अच्छी वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए यह अनुभव किया है कि ऐसे कर्मचारियों को जिनकी सेवाकाल अधिक है और जो पुराने वेतन श्रृंखलाओं में जिनका न्यूनतम कम था वेतन पाते थे उन्हें कुछ क्षति पूर्ति लाभ दिया जाय और इसलिए उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। यह वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप थी। जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी नहीं की है उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्होंने नवीन वेतन श्रृंखला का लाभ कम सेवा काल होते हुए भी प्राप्त कर लिया है।

(3) अधिक कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में लाभ मिल सके इसलिए 1–4–70 से ही आज्ञा लागू की गई।

(4) नहीं।

(5) नहीं।

श्री विजयसिंह : राज्य सरकार की जो भेदभाव पूर्ण नीति है इससे 8–10 साल के जो लोग काम करने वाले हैं उनको क्या नुकसान नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है, माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि जो पे रिवाइज हुई है उसमें 8 और 10 साल के काफी लोग हैं और 12 साल से जो पहले के कर्मचारी हैं उनको वेतन में वृद्धि से लाभ अधिकतर नहीं मिल पाया और उनकी सेवायें ज्यादा हैं इसलिए 12 साल से जिनकी सेवायें ज्यादा हैं उनको एक इन्क्रीमेन्ट दिया है।

श्री गंगासहाय : क्या यह सही है कि इस तरह से एक, दो या तीन महीने की कम सेवाकालों को लाभ इससे नहीं मिल सकेगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई न कोई तो सीमा निर्धारण करनी पड़ेगी इसलिए 12 साल किया है और यह बात ठीक है कि जिनकी सेवायें 12 साल से कम होंगी उनको लाभ नहीं मिलेगा।

श्री गंगासहाय : 12 साल कम्पलीट कर लेंगे फिर उनको वेतन वृद्धि मिल जाय ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : फिर 8 साल वाले भी 4 साल बाद 12 साल की सेवाकाल पूरी कर लेंगे उनको भी देना होगा। जिन लोगों ने 12 साल पूरे कर लिये हैं वेतन आयोग बैठा था उस वेतन आयोग ने सिफारिस यही की कि जिन्होंने 12 साल की सेवा पूरी करली है उनको लाभ मिल जाय।

श्री गंगासहाय : कीड़ी और हाथी की हत्या बराबर नहीं होती है। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो 12 साल कम्पलीट कर लेंगे आइन्दा उन व्यक्तियों को भी लाभ दिया जाना चाहिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने तो बता दिया कि 12 साल पूरा करने वालों को ही यह लाभ दिया गया है।

Page No 8

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

प्रश्न संख्या 714

श्री नाथूलाल ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता !

कोठारी नदी पर बांध

715. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है बीगोद कस्बे के खेतों की सिंचाई कोठारी नदी में बोहरी माता के पास बांध बंधने से ही हो सकती है ?

(2) क्या इस बांध को बांधने की योजना राज्य के विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि कोठारी नदी का मेजा के बाद लगभग 40 माइल का पानी व्यर्थ ही जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि इस बांध के बंधने पर हजारों बीघा भूमि सिंचित हो सकती है ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज):(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां

(4) जी हां, अनुमानित 700 एकड़ भूमि इस योजना के पूर्ण हो जाने पर सिंचित हो सकेगी ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : किस परिस्थिति में चल रही है ? कब तक बांध बनना शुरू होगा किस स्टेज पर है ?

श्री जसराज : इस योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्वेक्षण पूरा होने पर ही इसका तखमीना तैयार कराके काम कराया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सन् 72 की अप्रेल के बाद ?

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक समझ गये ।

अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 716

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये ।)

प्रश्न संख्या 717

श्री भैरोंसिंह ! (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल !

कोटा नगर में शरणार्थियों को बसाने की योजना

718. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में सिंधी परिवार (शरणार्थी) अभी तक एक गाड़ीखाने में रह रहे हैं ? अगर हां, तो कितने परिवार किन शर्तों पर रह रहे हैं ?

Page No 9

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(2) उक्त गाड़ी खाना विभाग ने किस संस्था अथवा व्यक्ति से किन शर्तों पर प्राप्त किया था ?

(3) क्या इन शरणार्थी परिवारों को स्थाई रूप से बसाने की सरकार की कोई योजना है ?

राज्य मंत्री, पुनर्वास (श्री जयकृष्ण शर्मा): (1) जी हां। 115 परिवार रह रहे हैं

(2) यह भवन सरकारी हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अस्थाई तौर पर शरणार्थियों को अस्थाई रूप से बसाने हेतु लिया गया था।

(3) इस समय कोई योजना नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि आज जो शरणार्थी परिवार पार्टीशन के बाद से सन् 48 से अभी तक बेघरबार बसे हुए हैं उनको स्थाई रूप से बसाया जाये ? इसके लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुदान लेकर उनको बसाने का क्या विचार नहीं रखती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : उनके बसाने का जहां तक सवाल है शरणार्थी परिवार उसमें बसे हुए हैं और उनको कोई बेदखल नहीं कर रहा है इसलिए इस सम्बन्ध में और विचार कर लिया जायेगा कि उन्हें किस प्रकार से ये सुविधायें दी जा सकती हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार को इस प्रकर की जानकारी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उस मिल्कियत को स्वीकार नहीं करता बल्कि उसके विपरीत नगर परिषद् व दूसरे विभाग हैं वे उनको बेदखल करने के लिए नोटिस दे रहे हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है राज्य सरकार के पास। अगर ऐसी कोई कार्यवाही उनको बेदखल करने के लिए की जा रही है तो राज्य सरकार उसके ऊपर पूर्णतया गौर करेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती है कि जो दूसरे निकाय हैं चाहे वह यू. आई. टी हो या म्युनिसिपल कौंसिल हो उनको इस प्रकार के निर्देश दिये जायें कि जो शरणार्थी परिवार हैं उनको बसाने के कन्सेशनल रेट्स पर प्लाट्स एलाट किये जायें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : शरणार्थियों को कन्सेशनल रेट्स पर प्लाट्स देने का तो अब प्रश्न पैदा नहीं होता लेकिन जहां तक इस बिल्डिंग का सवाल है मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं कि इसी प्रकार बीकानेर में भी एक बिल्डिंग शरणार्थियों के पास थी और उन्होंने एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था और शरणार्थियों को रहने के लिए वह बिल्डिंग उनको अलाट कर दो। इसी प्रकार से आपका सवाल आया है। ऐसा मामला अभी तक हमारे पास विचाराधीन नहीं था अभी आपने इसको उठाया है तो इसको भी देखकर तय करवा दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बन्सोली बांध

719. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि बन्सोली बांध की डूब में ग्राम गाडरिया की भूमि आती है? यदि हां तो किस किस काश्तकार की कितनी कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि सहायक अधिशासी अभियन्ता, बून्दी ने गाडरिया के काश्तकारों को डूब में आने वाली जमीन का नोटिस ही नहीं दिया है और इसी कारण तहसील द्वारा उसका लगान बराबर वसूल होता आ रहा है।

(3) क्या यह सत्य है कि सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जमीन का लगान वसूल नहीं होगा और अगर किया गया होगा तो दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जावेगा ?

(4) क्या यह सत्य है कि ग्राम गाड़रिया के काश्तकारों को बसने के लिये कोई दूसरा स्थान अभी तक नहीं बताया गया है और मकानों का मुआवजा भी अभी तय नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सत्य है कि जो मुआवजा घरों का व कुओं का दिया गया है वह आज की मंहगाई में नहीं के समान है? दिये गये मुआवजे की सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, यह कहा गया था कि डूब में आने वाली जमीन का लगान वसूल नहीं किया जायेगा तथा जिससे वसूल हो गया है उन्हें वापिस लौटाया जावेगा।

(4) जी नहीं, ग्राम गाडरिया के डूब में आने वाले काश्तकारों को बसोली बावड़ी में जमीन दे दी गई है। मकानों का मुआवजा तय कर चुकारा कर दिया गया है।

(5) मकानों व कुओं का मुआवजा आपसी समझौते के आधार पर चुका दिया गया है। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण-विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रकम तहसील के जरिये ग्राम गाडरिया के किसानों से वसूल हो चुकी है और जिस जमीन पर काश्त नहीं की है और बंसौली बांध में आ गयी है क्या उसका लगान वापिस कर दिया जावेगा?

श्री जसराज : जहां तक मुझे सूचना उपलब्ध है, वापिस नहीं किया गया है। कार्यवाही चल रही है।

श्री केसरीसिंह : किस स्टेज में कार्यवाही चल रही है ? वापिस नहीं कराया गया। 20 मार्च, 70 को प्रश्न के जबाब में में यह कहा था कि रकम वापिस करदी जावेगी। एक साल से ऊपर हो गया है। काश्तकारों से फिर पूरा लगान लिया गया है जो सरासर अनुचित है।

श्री जसराज : मैं भी यह उचित नहीं समझता हूं। यह अनुचित है। सम्बन्धित अधिकारी हैं उनसे बात करके इस समस्या का हल निकालेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : 66 से इस बांध का काम शुरू हुआ। नोटिसेज नहीं इश्यू हुए। जमीन अवाप्त कर ली गयी। काम शुरू हो गया और लगान बदस्तूर जारी है। कब विचार किया ?

श्री जसराज : वे कहते हैं कि कुछ जमीनों पर अभी तक काश्त करते आ रहे हैं। बांध का निर्माण कहीं हुआ है। जहां से मिट्टी उठाई गई है वहां पर काश्त नहीं हो रही है। पर जहां पर पानी नहीं भरा है और मिट्टी नहीं उठी है वहां पर काश्तकार खेती कर रहे हैं और लगान लिया ही जावेगा। काश्त नहीं कर रहे हैं और लगान वापिस लौटा दिया जाय यह कार्यवाही की जावेगी।

श्री केसरीसिंह हाडा : कब तक लौटा दी जावेगी ?

श्री जसराज : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री केसरीसिंह हाडा : शीघ्रतिशीघ्र कब तक ?

श्री जसराज : मैं स्वयम् बूंदी आऊंगा सेसन के पश्चात्। आप और हम बैठकर तय कर देंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : जानकारी आप टेलीफोन पर हजारों रुपया खर्च करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने आश्वासन दे दिया है आपको भी साथ ले लेंगे।

मन्दिरों की भूमि

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया था कि मन्दिरों की भूमि जो पुजारियों द्वारा बेच दी गई है वह वापस मन्दिरों के नाम दर्ज की जावे ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबन्ध में समस्त तहसीलदारों व जिलाधीशों को आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसा करने में कानूनी अड़चनें आ रही हैं ? यदि हां, तो वे मुख्यतया क्या क्या हैं ?

उपमन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) राज्य सरकार ने जागीर पुनर्ग्रहण के उपरान्त, मन्दिरों की जमीन, पुजारियों द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व उसे बेचने के संबंध में राजस्थान लेण्ड रैवेन्यू अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निर्णय दिया था।

(2) जी हां, समस्त जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं।

(3) इस राज्यादेश की पालना में मुख्य तथा निम्न अड़चने आ रही हैं :—

1. पुजारियों द्वारा खातेदारी अपने नाम दर्ज करा लेने के मामले हजारों की

(श्री गंगाराम चौधरी)

संख्या में हैं। इसलिये प्रत्येक मामले में अलग अलग कार्यवाही उपरोक्त धारा के अन्तर्गत करना सम्भव नहीं हो रहा है।

2. कहीं कहीं पुजारियों अथवा जमीन के खरीददारों ने धारा 82 की कार्यवाही में यह आपत्ति उठाई है कि उनको खातेदारी अधिकार से तभी वंचित किया जा सकता है कि जब उनके विरुद्ध राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया कि राज्य सरकार ने उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। माफी की जमीन पुजारियों के नाम है और उन्होंने इसको अपने खाते में लेकर बेच दी इसलिए मंदिरों की सेवा पूजा नहीं होती है। मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि कार्यवाही कर ली जावेगी और मन्दिरों के नाम जमीन रेस्टोर कर दी जावेगी।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, नामान्तरण के मामले ज्युडिशियल मामले हैं। पंचायत समिति या तहसील ने एक दफा निर्णय ले लिया उसको बदलने के लिए कानूनी प्रावधान हैं और उनके अन्तर्गत ही विभाग को चलाना पड़ता है। इसलिये रेवेन्यू बोर्ड में रिवीजन किया जाकर म्युटेशन का करके उसमें यानी राजस्व मंडल में पुनः विचार करें। कानूनी कठिनाईयां बढ़ रही हैं। उनको सुलझाने के लिये विभाग सतर्क है। संशोधन हेतु भी मामला हाथ में लिया है। ताकि संशोधन किया जाकर ऐसे मामलों को निपटाया जा सके।

श्री दिग्विजयसिंह : साल भर से ऊपर हो गया है। संशोधन एक्ट में कब तक कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो विचार किया जा रहा है कि किया जाय या नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : साल भर से विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : साल भर से नहीं कर रहे हैं प्रश्न आया तब से कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : प्रश्न आये साल भर हो गया। मंत्री महोदय ने कहा कि विचार चल रहा है। स्थिति यह है कि एक्शन कुछ हुआ नहीं और पुजारियों ने अपने नाम पर करा ली अलांट और उसको बेचते चले जा रहे हैं। इससे न तो ठाकुरजी की सेवा होती है और न कुछ। गांव वाले एस. डी. एम. की कोर्ट में ठाकुरजी को ही लेकर आ गये कि उनकी सेवा-पूजा आप करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह राज सेवा पूजा में ही डूब जायगा।

श्री दिग्विजय सिंह : पृष्ठों में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ठाकुरजी के नाम माफी दी गयी है। पुजारियों ने किस कारण से अपने नाम करवा ली ? तहसीलदार ने नामान्तरण कर दिया उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह सही है कि पुजारियों को काफी पैसा खर्च करना पड़ा है अपने नाम कराने में ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न का उत्तर देने दीजिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : सब एक साथ आ जावेगा ।

जहां सेटलमेन्ट हो रहा है और पट्टे इश्यू नहीं हुए वहां मन्दिरों के नाम जमीन थी उसको पुजारियों के अपने नाम दर्ज करवा ली । सेटलमेन्ट हो रहा है उसमें तो आप संशोधन कर सकते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : सेटलमेन्ट के अन्तर्गत जितने मामले हैं उनके लिये अर्ज किया कि राज्य सरकार सतर्क है और उन पर विचार किया जा रहा है। आवश्यक संशोधन नियमों और कानून में कर दिया जावेगा ताकि इस प्रकार के म्युटेशन को गैर करार घोषित कर दिये जायं। कानून विभाग में विचार चल रहा है । बन्दोबस्त का जहां तक सवाल है, पूर्णतया बन्दोबस्त समाप्त नहीं किया गया है वहां आवश्यक कार्यवाही कर दी जावेगी ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : खेतों की जमीन को भी बेच दिया है। पानी मिलता नहीं । कोटा जिले में ऐसी समस्या है ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पुजारियों ने बेच दी, इस तरह का सवाल है । धर्म का सवाल है ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, हाईकोर्ट में फैसला हुआ था राज्य सरकार के विरुद्ध। ठाकुरजी को माइनर माना है । उनके नाम की जमीन को कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : वारिस पुजारी होता है ।

श्री दिग्विजयसिंह : वे तो मौजूद हैं।

How can they be called Khudkasht. They cannot be entered as khudkasht tents:

श्री केसरी सिंह : खुदकाश्त की जमीन है, सिंचाई की जाती है और हाईकोर्ट का जो डिसीजन है क्या उसके ऊपर भी आप विचार करेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिन पुजारियों की खातेदारी रिकार्ड कर दी गई है उनकी खातेदारी समाप्त करने का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य ।

श्री गंगासहाय ।

गालाखेड़ा बांध की नहरें

721. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गालाखेड़ा बांध से जो नहर निकलती है वह सारी टूट फूट गई है ? जिसके कारण बांध के बरसाती पानी का सही उपयोग नहीं हो पाता ?

(श्री गंगासहाय)

(1) क्या यह भी सही है कि नहर पर राज्य सरकार पहले ही मरम्मत पर सोलह रुपये खर्च कर चुकी है ?

उपमंत्री सिंचाई (श्री जसराज) : जी नहीं।

(2) जी हां।

श्री गंगासहाय : में देख कर आया हूं वह टूटा हुआ है। बांध में पानी आता है और वह खड़ी फसल को नष्ट कर देता है। इसकी मरम्मत पर सोलह हजार रुपये खर्च किये गये हैं उसके बाद भी यह स्थिति है। क्या इस पर सरकार ध्यान देगी ?

श्री जसराज : जहां तक सिंचाई की नहर है वह सवा मील लम्बी है और उस पर बहुत कुछ खर्च किया जा चुका है। अगर इस प्रकार से नहर खराब है और वह ऐसी है जैसी कि आप बता रहे हैं तो उसकी मरम्मत करवा दी जायेगी।

श्री गंगा सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 67 से बराबर कह रहा हुं सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। अब आप ध्यान देकर तुरन्त इसको ठीक करवालें। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह !

भीलवाड़ा जिले में मिडिल स्कूल

722. **श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जनवरी 71 में पंचायत समिति कोटड़ी द्वारा तीन वर्षों से चलाये जा रहे मिडिल स्कूल भवन के लिए तीन हजार रुपये स्वीकार हुए थे ?

(2) यदि हां, तो मार्च के महीने में सवाई पुर स्कूल को रकम न देने का क्यों निर्णय लिया गया ?

(3) पंचायत समितियों द्वारा भीलवाड़ा में जितने भी मिडिल स्कूल चलाये जा रहे हैं वे कब से और किन आदेश से चल रहे हैं ? स्कूल की फहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त तीन हजार रुपये केवल सवाईपुर को ही दिये गये थे या कोटड़ी तहसील में चलने वाले अन्य मिडिल स्कूलों को भी दिये गये हैं ? यदि अन्य स्कूलों को भी दिये गये हैं तो कोटडी तहसील के किस किस मिडिल स्कूल को दिये गये हैं ?

(5) कोटडी तहसील के ये सब मिडिल स्कूल सरकारी हैं या पंचायत समिति के अधीन हैं ? यदि पंचायत समिति के हैं तो शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें कब कब मान्यता दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) पंचायत समिति कोटडी द्वारा जिस मिडिल स्कूल भवन के लिये मदद दी हो उसकी फहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह)

(1) जी हां।

(राव श्री धीरसिंह)

(2) यह सही नहीं है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19-3-71 के द्वारा सवाईपुर को स्वीकृत हुई तीन हजार रुपये की राशि निरस्त कर यह राशि उच्च प्राथमिक विद्यालय, दांतड़ा के लिये स्वीकृत की गई परन्तु इसके पश्चात् पुनः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-3-71 को सवाईपुर को तीन हजार रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) कोटड़ी तहसील के निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु यह राशि अनुदान के रूप में दी गई थी।

(1) आकोला (2) नन्दराम (3) बनकाखेड़ा (4) सवाईपुर (5) दांतरा (6) विसनी (7) आभा (8) रेसड़

(5) सिर्फ दो विद्यालय बनकाकेड़ा व सवाईपुर पंचायत समिति द्वारा चलायी जा रही है। शेष विभाग द्वारा संचालित है। मान्यता सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:–सवाईपुर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 1-8-69 एवं निदेशक, शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 3-9-69 के अनुसार इस विद्यालय को मान्यता दी गई। बनका का केड़ा– राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12-9-70 के द्वारा क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी गई है।

(6) पंचायत समिति कोटड़ी द्वारा चालू सत्र में अनुदान सम्बन्धी मदद किसी भी विद्यालय को नहीं दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह जो आपने तीन हजार रुपये स्वीकार किये हैं उसके लिए धन्यवाद। यह बताने की कृपा करें कि तीन साल जो मिडिल स्कूलें पंचायत समिति द्वारा चलाई जा रही है उनको आप कब शिक्षा विभाग में ले रहे हो ?

राव श्री धीरसिंह : यह अलग से प्रश्न है। वैसे कोशिश की जायगी कि जुलाई के अन्दर पंचायत समितियों के अन्दर जो स्कूलें मिडिल स्कूलें हैं उनको टेक ओवर कर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोरधन सोनी।

ग्राम बीजाथल में रपटों के अधूरे कार्य

723. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीनाथाल तहसील मेड़ता की काला भाटा, अडवानी एवं रानी तीनों रपटों का कार्य अधूरा पड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि अडवानी रपट एवं अन्य दोनों रपटों का कार्य पूरा नहीं किया गया तो ये रपटे बारिश के दिनों वापिस टूट कर बेकार हो जायेगी ?

उप मंत्री सिंचाई (श्री जसराज) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कार्य पंचायत समितियों द्वारा कराया

(श्री गोरधन सोनी)
गया था और बारिश जैसे ही आ जायेगी तो ये रपटें टूट जायेगी। आजू बाजू के किनारों को टूटा हुआ तो मैने स्वयं ने देखा है।

श्री जसराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह जवाब दिया है कि यह सिंचाई विभाग के द्वारा नहीं कराया गया है और माननीय सदस्य स्वयं ही यह बात कह रहे हैं। अगर पंचायत समिति के द्वारा यह कार्य कराया गया है तो उसके लिये उनकी टेक्नीकल सर्वे करवा लिया जायेगा और उसको एग्जामिन करवा कर यह समझा जायेगा कि और कहीं पर एनीकट वगैरह बनाना है तो उसका मास्टर प्लान बनाकर एक कमेटी के अ जो एडवाइजरी कमेटी है और जिसके माननीय सदस्य भी सदस्य हैं उसमें रखा जायेगा और उसकी रिपोर्ट के बाद आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : इसका मतलब यह है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। यह मिसलीडिंग है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इसका मतलब इधर से उधर जाना।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है और आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बारिश के पहले ही यह काम पूरा होना चाहिये वरना सरकार को दो तीन लाख का घाटा हो जायेगा।

श्री जसराज : ये रपटे छोटी है और विकास विभाग द्वारा. पंचायत समिति के द्वारा कराई जाती है। और भविष्य में भी उनके द्वारा ही कार्य कराया जायगा। सिंचाई विभाग द्वारा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह काम क्या पूरा हो चुका है या अधूरा है। आपको पूरी जानकारी नहीं है तो यह कह दीजिये कि आपको जानकारी उपलब्ध नहीं है। और यदि इससे आपका सम्बन्ध नहीं है तो कह दीजिये कि इस प्रश्न से हमारे विभाग का सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न संख्या 724

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नन्दलाल : प्रश्न संख्या 734

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

कन्या पाठशाला मेड़ता

726. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर में एक कन्या पाठशाला है एवं वहां छात्राओं की संख्या करीब 500 है ?

(2) या यह सही है कि इस कन्या पाठशाला में सिर्फ 8 वीं क्लास तक की पढ़ाई की व्यवस्था है ?

(3) या यह सही है कि नगर की 20 हजार कि आबादी, बड़ी व्यापारिक मण्डी, सेशन कोर्ट, सब-डिवीजन हैड वाटर होने से इस कन्या पाठशाला को शीघ्र हायर सेकन्ड्री में परिणित करना आवश्यक है ?

(श्री गोरधन सोनी)

(4) क्या सरकार इस स्कूल को इसी साल उन्नत करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह) : (1) जी हां, छात्राओं की संख्या करीब 462 है।

(2) जी हां।

(3) विभागीय नियमानुसार किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीधा उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है।

(4) अन्य प्रस्तावों के साथ साथ इस शाला को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने हेतु गुणावगुण के आधार पर इस वर्ष विचार किया जायेगा।

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं राज्य सरकार से निरन्तर चार साल से प्रार्थना कर रहा हूं। मेड़ता शहर एक बड़ा कस्बा है, वहां सेशन्स कोर्ट है, सिविल कोर्ट है···

राव श्री धीर सिंह : यह सभी कुछ हमारे सामने है।

श्री गोरधन सोनी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वहां कम से कम 500 छात्राएं पढ़ रही हैं, तो आप इस साल उस को कम से कम सेकेण्डरी स्कूल में तो क्रमोन्नत कर दें।

राव श्री धीर सिंह : इस वर्ष हायर सेकेण्डरी के लिए 10 गर्ल्स स्कूल्स का प्रावधान है और सैकेण्डरी के लिये 50 स्कूलों का इन 50 में लड़कों और लड़कियों के, दोनों स्कूल्स शामिल हैं, उसका भी हिसाब देखना पड़ेगा कि कितने तो लड़कों के करने हैं और कितने लड़कियों के।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जुझार सिंह व श्री राम प्रसाद बोहरा।

बान्या खेड़ी बांध

77. श्री जुझारसिंह (रामगंज मन्डी) व श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बान्या खेड़ी ऐनीकट (बांध) पंचायत समिति पिड़ावा, जिला झालावाड़ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? इस पर कुल खर्चा कितना हुआ है ? स्वीकृति कितनी थी ?

(2) यह बांध कितने बार टूटा और इस पर मरम्मत करने में कितना खर्चा कब कब हुआ ? बांध टूटने का क्या कारण है ?

(3) क्या बांध को बने लगभग 2 साल हो चुके हैं ? यदि हां, तो दोनों सालों में अलग अलग कितनी कितनी भूमि सिंचित हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस बांध का सर्वे किया जाकर प्लान तैयार किया गया था और पंचायत समिति द्वारा इस बांध को बनाये जाने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो कब की गई ? सिफारिश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इस बांध से कितनी भूमि सिंचित होने का अनुमान है ?

(5) इस बांध को बनाने का प्रयोजन क्या था ?

Page No 18

उप मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) जी नहीं, अभी इसका कार्य चालू है। इस ऐनिकट को सर्व प्रथम अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 40733 रुपये की स्वीकृति दी गई थी जिसके अनुपात में खर्चा 99039 रुपये किया गया था। अब यह कार्य विभागीय राशि में से करवाया जा रहा है तथा इस वर्ष इसके लिए 20,000 रुपये का प्रावधान एम. एण्ड. आर. के तहत रखा गया है।

(2) यह ऐनिकट कभी भी टूटा नहीं है परन्तु 1969-70 में होने वाली अतिवृष्टि के कारण साइड की मिट्टी कुछ बह गई थी जिसे बाढ़ सहायता के मद में से 861717.28 रुपये खर्च कर ठीक करवाया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, इसका सर्वे करवाया जा चुका है। इस ऐनीकट के बनाने की सिफारिश अकाल राहत सलाहकार समिति ने की थी उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। इस ऐनिकट के बनाने से लगभग 200 एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है।

(5) इस बांध को बनाने का प्रयोजन नाले के पानी को रोक कर ऊपर से लिफ्ट करके ग्राम बान्या खेड़ी एवं पास को भूमि से सिंचाई करने का है। इसके अतिरिक्त आस पास के गांवों के कुओं के पानी का स्तर भी ऊंचा होगा।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : नम्बर 3 में यह पूछा था अब तक कितनी सिंचाई होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं फरमाया।

श्री जसराज : जहां तक सूचना उपलब्ध है यह तालाब पूरा बना नहीं है इसलिये···

श्री रामप्रसाद बोहरा : यह तालाब कहां है, नाले पर ऐनीकट बनाया गया है। मैंने यह पूछा है दो जगह टूट चुका है जिस के लिए ना किया है। यह बन चुका है और एक लाख लगभग इसमें खर्च हो चुका है। आजकल कितनी सिंचाई हुई ? टेक्निकल सर्वे हुआ तो पंचायत समिति की सिफारिश आई थी क्या ?

श्री जसराज : जहां तक मेरे पास सूचना उपलब्ध है सिंचाई···

श्री रामप्रसाद बोहरा : सूचना उपलब्ध होने से क्या मतलब है ? क्या यह सही है कि इस ब्रान्च पर एक लाख रुपया खर्च हुआ है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! केवल प्रश्नकर्ता । प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिये।

श्री जसराज : इसके पहले करीब 99 हजार रुपया खर्च हुआ है···

एक माननीय सदस्य : इसके अलावा 8 हजार रुपये वाला मामला···

श्री जसराज : इसके अलावा जो बात है वह यह है कि अति वृष्टि के कारण टूटा नहीं है केवल··

श्री उपाध्यक्ष : मिट्टी बह गई है।

श्री जसराज : मिट्टी बह गई है। ऐनीकट नहीं टूटा है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय · · ·

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : एक ही बात है उपाध्यक्ष महोदय-एक ही क्षेत्र के हैं हम तो। क्या यह सही है कि इस बांध से केवल एक ही व्यक्ति विशेष के खेत की सिंचाई के अलावा दूसरे काश्तकारों की भूमि की सिंचाई नहीं होती है ?

श्री प्रेमसिंह : कौन है वह व्यक्ति ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : श्री कन्हैयालाल पटेल के लिए एक लाख रुपया खर्च किया गया है। क्या यह सत्य है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जैसे यह है वैसे ही पटेल हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इस अनावश्यक व्यय के बारे में राज्य सरकार की पिटीशन कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह कमेटी उस स्थान के स्थल निरीक्षण के लिये गई थी। उसने सिफारिश की है कि राजस्थान सरकार का अनावश्यक एक लाख रुपया खर्च किया गया है।

श्री जसराज : इसकी रिपोर्ट मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पटेल भी इकसार और आप भी इकसार।

एक माननीय सदस्य : चोर चोर मौसेरे भाई।

श्री जसराज : यहां ऐनीकट का सवाल है। इसकी क्या रिपोर्ट आई है वह उपलब्ध नहीं है। किन्तु इससे 200 एकड़ की सिंचाई होगी और इसके अलावा आसपास के जितने कुए हैं उनके पानी का स्तर ऊँचा उठेगा।

श्री राम प्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि फेमीन एडवाईजरी कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की ? आप पढ़कर सुना दीजिये किन किन मेम्बरों ने सिफारिश की है ?

श्री जसराज : इसकी प्रतिलिपि है। जिला अकाल सलाहकार समिति की बैठक 14-4-69 को हुई थी।

श्री राम प्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि जिले की फेमिन एडवाईजरी कमेटी ने सिफारिश की है ?

श्री जसराज : झालावाड़ कलेक्टर ने····

श्री रामप्रसाद बोहरा : मुझे उससे मतलब नहीं वह चाहे खर्च करने की इज़ाजत दे दे। मेरा प्रश्न तो है फेमिन कमेटी के कितने मेम्बर्स थे या अकेले झालावाड़ कलेक्टर ने मीटिंग कर ली।

श्री जसराज : यह सूचना मेरे पास आज उपलब्ध नहीं है कितने कमेटी के मेम्बर्स थे।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यह सही है कि उक्त बांध के अन्तर्गत उप

(श्री देवीदत्त गाडिया)

मन्त्री कन्हैया लाल पटेल की भूमि आती है?

श्री जसराज : यह अलग से प्रश्न है।

श्री राम प्रसाद बोहरा : उनके अलावा किसी की भूमि नहीं आ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सही हो सकती है लेकिन अभी सूचना नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : तथ्य यह है कि इस बात को दो साल हो चुके है। टूटने के बाद इसकी मरमत भी हो चुकी है। एक बीघा भूमि की भी सिंचाई नहीं हुई है। न टेकनिकल सर्वे हुआ है, न कमेटी की सिफारिश है केवल उप मन्त्री महोदय के कहने से बांध बनाया है। इसकी जांच होनी चाहिये। एक लाख खर्च किस प्रकार से किया है। एक भी बूंद पानी की नहीं मिलती है। मन्त्री महोदय ने जो लिखा है वे पढ़ देते हैं। उनका कुआ, उनका गांव इस तरह का...

श्री उपाध्यक्ष : जिस उद्देश्य से बनाया गया था वह पूरा हुआ या नहीं हुआ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्या मन्त्री महोदय इसके लिये.....

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : केवल मन्त्री महोदय के कुए का पानी लेने के लिये है। उनके कुए का पानी का लेवल ऊंचा हो गया।

श्री प्रेमसिंह : और उनका भी लेवल ऊंचा हो गया।

श्री मनोहर सिंह मेहता : क्या इसके लिये जांच बैठाने के लिये तैयार हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें यह है कि प्रश्न में संकेत नहीं दिया गया है-व्यक्ति विशेष के लिये बनाया या नहीं। जो सूचना आपने चाही है वह उपलब्ध करा दी गई है। इसको अन्य किसी तरीके से आप उठा सकते हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप उसकी जांच करवायें और टेक्निकली दिखायें, लाभकारी योजना थी या नहीं? राजस्थान का पैसा एक व्यक्ति विशेष के लिए बहाया गया है।

श्री जसराज : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां अभिव्यक्त किये हैं और मैंने डिटेल में बता दिया है। यह अकाल राहत कमेटी की 14-4-69 की मीटिंग में तय हुआ था उसमें यह प्रस्ताव रखा था अगर आप प्रश्न में और पूछ लेते किन किन सदस्यों ने तय किया और कौन कौन सदस्य उपस्थित थे तो मै और बता देता।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि 14-4-69 को कोई अकाल राहत कमेटी की मीटिंग नहीं हुई?

श्री जसराज : हुई है।

श्री दौलतराम सारण : डेफिनिट हैं आप?

श्री जसराज : मेरे पास जो सूचना है।

श्री दौलतराम सारण : यह केवल कलक्टर ने पत्र लिखा है। जो विवरण दिया गया है उसमें केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिसर्स की ही मीटिंग हुई थी न कि अकाल राहत कार्यों की मीटिंग हुई थी।

श्री जसराज : जैसी मेरे पास सूचना थी, वह मैंने बता दी।

श्री दौलतराम सारण : यह केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग थी ?

श्री जसराज : इसकी जांच फिर कर ली जायगी कि जिला अकाल राहत कमेटी की मीटिंग थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग थी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जो ऐनीकट बनाये गये हैं उन ऐनीकट्स की टेक्निकल अप्रूवल जिस आथोरिटी से लेनी चाहिये थी उस सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई ?

श्री जसराज : इसकी टेक्निकल जांच करा ली गई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : किसने टेक्निकल रिपोर्ट बनाई थी ?

श्री जसराज : असिसटेन्ट इंजीनियर, इरिगेशन ने।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कितने का तखमीना था ?

श्री उपाध्यक्ष : वह आ चुका है।

श्री जसराज : 40 हजार 733 उसमें सेंक्शन हुई थी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सवाल यह नहीं है तखमीना–एस्टीमेट कितना था और कितना खर्चा हुआ ?

श्री जसराज : एग्जेक्ट तखमीना कितना है, यह मालूम नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, न प्रोपर तरीके से सर्वे की गई है, न किसी तरह का एस्टीमेट बनाया गया है। मनमाने तरीके से तखमीना बना लिया और मनमाने तरीके से खर्च कर दिया गया।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, और बड़ा अहम प्रश्न है। जब इस प्रकार का डाउट पैदा हो रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये है। खैर, वह प्रश्न भी है किंतु सवाल यह है कि जब फेमिन एडवाईजरी कमेटी में यह सवाल आया, पहले कोई टेक्निकल एडवाइस ली गई। मूल प्रश्न यह है बाद में टेक्निकल एडवाइस और एस्टीमेट की बात आती है, फेमिन में वर्क के लिये पैसा था या नहीं था ?

श्री जसराज : मैंने शुरू से बताया फेमिन एडवाईजरी कमेटी, जैसी मेरे पास सूचना है कि मीटिंग में रखा गया है। टेक्निकल रिपोर्ट में उसने यह रिपोर्ट दी है कि ऐनीकट बनाने लायक है और इससे 200 बीघा भूमि की सिंचाई होगी। आस पास के कुओं का जो पानी है उनका स्तर भी ऊंचा उठेगा। इस एडवाइस के आधार पर आदेश दिये गये थे और

(श्री जसराज)
उसी आधार पर यह ऐनीकट बनाया गया है?

श्री जसराज : इसके अलावा मेरा कहना है कि वह भी एक माननीय सदस्य हैं इस सदन के और वह भी एक ऐडवाइस देते हैं तो इस पर मैं नहीं सोचूँ यह कैसे हो सकता है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल मंत्री, उपमंत्री का नहीं है। सवाल इसमें टेक्निकल एडवाइस का है। टेक्निकल एडवाइस के पश्चात् एस्टीमेट कितने का बनाया गया था और अब उस एस्टीमेट के मुताबिक फेमिन कमेटी के सामने यह केस आया और उतना प्रावधान करना पडा तो क्या उतना फण्ड उस कमेटी के पास में था या नहीं था यहां पर प्रोवाइड किया गया तो वहां पर क्यों किया गया ? यह सीधा सवाल है।

श्री जसराज : फेमिन एडवाइजरी कमेटी के पास में पैसा नहीं होता है। वह तो रिकमण्ड करती है।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में स्वीकृत किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय यह विश्वास दिला सकते हैं कि यह एनीकट जो बंधा है यह भविष्य में जाकर लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी एक बीघा जमीन को पानी पिलाने के लिए पर्याप्त होगा ? जो कुछ हो चुका वह हो चुका लेकिन आगे की यह बात है कि इस एनीकट के पूर्ण होने के पश्चात् यह किसी प्रकार भी सिंचाई के काम में आ सकता है क्या आज आपकी ऐसी मान्यता है ?

श्री जसराज : यह अलग से प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : 200 एकड़ का कह रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : न तो इसमें एस्टीमेट है...

श्री लादूराम सुलानिया : एक बीघा सिंचाई नहीं हो सकी है दो साल हो गये हैं इसको बने हुए।

श्री दौलतराम सारण : न तो यह पता है कि एस्टीमेट कितने का सैंक्शन हुआ था न यह पता है कि उस समय कितना था, न यह पता है कि जमीन सिंचित की जा सकेगी या नहीं, तो प्रश्न यह है कि यही तो बात है जो संदेह पैदा करती है। तो इसकी विभाग जांच कराये कि यह टेक्निकली ठीक है ?

श्री जसराज : माननीय सदस्य जैसा प्रकट कर रहे हैं तो मैं इसकी जांच करवा दूंगा और टेक्निकली भी इसको एक्जामिन करवा दूंगा और उसकी रिपोर्ट जो है मैं माननीय सदस्य को पेश कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायतें

728. श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(i) क्या यह सही है कि अचलप्रसाद इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर के विरुद्ध कन्जूमर्स ने यह शिकायत की थी कि वह जैतारण से रायपुर जाने वाली लाइन का

(श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री केदारनाथ) स्विच जानबूझ कर काट दिया करता था और इस प्रकार वहां की जनता को नुकसान पहुंचाता था ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, पाली ने इस शिकायत की जांच की और श्री अचल प्रसाद को दोषी ठहराया गया ? यदि हां, तो यह जांच कब की गई ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि गत 14-2-71 को रायपुर को बिजली श्री अचल प्रसाद ने फिर बन्द कर दी थी और जनता द्वारा शिकायत करने पर उसकी जांच अधिशासी अभियन्ता, श्री दलीपसिंह ने की—जिसमें अचलप्रसाद को दोषी पाया गया ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने अपनी रिपोर्ट मण्डल के टेक्निकल मेम्बर के पास भेज दी ? यदि हां, तो रिपोर्ट टेक्निकल मेम्बर को कब मिली और आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि श्री अचल प्रसाद के विरुद्ध वर्कचार्ज फिटर होने के समय भी बहुत से आरोप थे ? यदि हां, तो क्या क्या ? क्या उनकी जांच कराई गई थी ? उन जांचों का क्या परिणाम निकला ?

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत् मंत्रीजी !

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : सदस्य उपस्थित नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : उनको ऑथोरिटी है ।

श्री केदारनाथ : मैंने कन्वे कर दी है आथोरिटी ।

श्री विजयसिंह : आथोरिटी भी कई की होती है ।

श्री खेतसिंह : (1) जी नहीं ।

(2) जब इस प्रकार की शिकायत ही नहीं प्राप्त हुई तो जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि यह सही है कि 11 फरवरी से 15 फरवरी के बीच जब रायपुर क्षेत्र की बिजली बार-बार बन्द होने की शिकायत अधिशासी अभियन्ता, जोधपुर के पास आई तो उन्होंने सहायक अभियन्ता पाली व बिलाड़ा को दिनांक 12-2-71 को तार द्वारा इस लाइन को ठीक करने के लिए आदेश दिये और उनसे रिपोर्ट मांगी ।

(3) व (4) श्री दलीपसिंह नाम के अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् मण्डल में नहीं हैं, बल्कि श्री जीतसिंह अधिशासी अभियन्ता अवश्य हैं । रायपुर क्षेत्र में बिजली बन्द होने के सम्बन्ध में जब मण्डल के तकनीकी सदस्य को शिकायत मिली तो उन्होंने श्री जीतसिंह को आदेश दिया कि वे शीघ्र जाकर देखें कि किस प्रकार इस क्षेत्र में बिजली बन्द कर रखी है । श्री जीतसिंह ने तकनीकी सदस्य को फोन द्वारा सूचित किया कि ओवर-लोडिंग के कारण लाइन होल्ड नहीं कर रही थी ।

(श्री खेतसिंह)

(5) श्री अचल प्रसाद के विरुद्ध एक शिकायत उपलब्ध थी जिसमें उनके विरुद्ध कनेक्शन फार्म लेते समय पैसे मांगने, अपने हैल्पर की सहायता से पैसे खाने तथा जैतारण में बिजली उनकी लापरवाही के कारण बन्द रहने आदि के मुख्य आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों की जांच अधिशासी अभियन्ता, जोधपुर द्वारा की गई, परन्तु आरोप साबित नहीं हो सके।

श्री केदारनाथ : इनका प्रमोशन कब किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : ज्योंही शिकायत आई।

श्री खेतसिंह : शिकायत हुई और शिकायत की जांच हुई उस वक्त किसी ने सबूत नहीं दिया और सबूत नहीं आने के फलस्वरूप निश्चित तौर से शिकायत खारिज होती है।

श्री केदारनाथ : इनका प्रमोशन कब किया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : प्रमोट हो गये तभी तो जांच नहीं होने दी।

श्री केदारनाथ : प्रमोशन इसके साथ-साथ ही हुआ होगा।

श्री खेतसिंह : प्रमोशन कौन सी तारीख को हुआ, यह मेरे पास नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : रिश्वत से हुआ क्या प्रमोशन ?

श्री खेतसिंह : कतई नहीं।

श्री उपाध्यक्ष ; स्थगित प्रश्न। श्री केदारनाथ

स्थगित प्रश्न
(4-5-71)

स्वाधीनता संग्राम का इतिहास

601. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को लिखने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) स्वाधीनता संग्राम के इतिहास लिखने के लिए सम्बन्धित घटनाओं, व्यक्तियों तथा स्थानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किन किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सहयोग लिया जा रहा है ?

(3) इतिहास लिखने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब और उसमें कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(4) क्या स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों, घटनाओं तथा स्थानों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समिति ने कुछ कार्य किया है ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ?

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एज्यूकेशन डिपार्टमेंट को ट्रान्सफर किया गया था, लेकिन एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में इस सम्बन्ध

(श्री धीरसिंह)

में कोई जानकारी नहीं है। उसकी इत्तिला दी गई है कि इसको वापिस जी. ए.डी. में भेजा जाय और इसको स्थगित किया जाय।

श्री केदारनाथ : पहले जब स्थगित करवाया था तो उस वक्त नहीं कहा आपने यह।

राव श्री धीरसिंह : उस वक्त हम समझते थे कि जानकारी हमारे पास है लेकिन हमने बीकानेर में भी तलाश करवा लिया कि सेक्रेटेरियेट से जारी हुआ था तो वह एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हुआ था। यह जी. ए. डी. से हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा

स्थगित प्रश्न

4-5-71

झालावाड स्टेट बैंक की लोगों में बकाया

607. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ स्टेट बैंक की लोगों में रकम बकाया है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि किन्हीं व्यक्तियों को कर्जे से मुस्तस्ना भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यह भी बताने का कष्ट करें कि किन किन व्यक्तियों को सूद की रकम छोड़ दी गई और किश्तों से रकम वसूल की जा रही है, इसकी भी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) बकाया रकम वसूल क्यों नहीं की जा रही है ?

राज्य मन्त्री, वित्त (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : (1) जी हां, कुल रकम रुपये 7,66,545-15 पैसे बकाया।

(2) कर्ज की अदायगी से मुस्तसना किसी को नहीं किया गया है। केवल एक पार्टी श्री मन्नालाल रामगोपाल को, जिनसे लम्बे अर्से तक हाईकोर्ट तक मुकद्दमेबाजी के बावजूद वसूली नहीं हो पा रही थी, अदायगी में कुछ रियायतें जरूर दी गई थीं। जिसके पश्चात् समय पर किश्तों की अदायगी भी होती रही व अब अन्दर मियाद 6 माह 1 लाख रुपया नकद अदा करने का इकरारनामा भी हस्बजाब्ता तहरीर कर दिया है।

जिन व्यक्तियों को सूद की रकम छोड़ दी गई है उनके नाम सूची पर हैं तथा जिन व्यक्तियों से किश्तों में वसूली की जा रही है उनके नाम सूची 'ख' में है।

(3) बकाया रकम की वसूली की कार्यवाही जारी है।

सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामप्रसाद बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो बाकी है 7 लाख केसेज फाइनल नहीं कर सकते हैं सूद छोड़कर ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी : जैसा कि आपको पता होगा कि एक बार राज्य सरकार ने एक आज्ञा प्रसारित करके सहूलियत दी थी कि जो 6 माह के अन्दर अगर असल जमा करा देगा तो सारा सूद छोड़ देंगे। तीन मर्तबा उसको एक्स्टेन्ड किया है। तीन सितम्बर 1966 तक सहूलियत जारी रखी है। बाकी 16-27 रुपये हरेक में बाकी हैं तो उनकी वसूली में बहुत बड़ा खर्चा होता है। मैं भी एक बार झालावाड़ गया था, तो मैंने देखा था कि पेन्सनर्स बड़े गरीब हैं। तो आपने सुझाव दिया है उसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर विचार करके सम्भव हो सका तो एक मौका और देंगे और एक निश्चित अवधि में जमा करा देंगे तो उनको सूद छोड़ दिया जायगा।

श्री उपाध्याय : श्री श्रवणलाल !

जिला बोर्ड के वैद्यों व कम्पाउण्डरों को पेन्शन

610. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि पहले आयुर्वेदिक वैद्य व कम्पाउन्डर जिला बोर्ड के तहत कार्य करते थे? यदि हां, तो उनको राज्य सरकार ने आयुर्वेद विभाग में कितनों को शामिल किया था? वैद्यों व कम्पाउन्डरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वैद्यों व कम्पाउन्डरों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् पेन्शन दिलाने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है? कब तक उनको पेन्शन दिला दी जावेगी?

उपमंत्री, आयुर्वेद (श्री समरथलाल) : (1) जी हां। 232 वैद्य और 196 उपवैद्य विभाग में लिये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पेन्शन सम्बन्धी निर्णय लिया जा चुका है और इस निर्णय के अनुसार पेन्शन मिल रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रवणलाल : यह निर्णय आपने कब लिया?

श्री समरथलाल : यह निर्णय 30-1-69 को लिया गया।

श्री श्रवणलाल : यह सूची जो मुझे दी गई है उसमें करीब 10 जिलों के वैद्य और उपवैद्यों का विवरण है बाकी के जिलों में जो वैद्य और उपवैद्य और कम्पाउन्डर कार्य करते थे उनका क्या हुआ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : माननीय सदस्य को शायद जानकारी नहीं है। उन्होंने जिला बोर्ड को पूछा है।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें वैद्य 232 और उपवैद्य एक सौ और कुछ बतलाये हैं लेकिन जो सूची दी है उसमें उपवैद्य 50 ही हैं तो और कहां गये?

Page No 27

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो सूची दी है उसका योग 196 आयेगा।

श्री श्रवणलाल : सूची अलग से जिलेवार मैंने देखी और जोड़ भी लगाया और अगर वे चाहें तो एक एक जिले के पूरे वैद्य और उप वैद्यों के आंकड़े उनके सामने रख दूं, लेकिन इन्होंने जो वैद्यों की संख्या बताई वह तो बिल्कुल सही है 232 लेकिन उप वैद्यों के जो आंकड़े बताये हैं तो वह लिस्ट के अनुसार 50 ही आते हैं। तो यह लिस्ट गलत है जो कि मुझे दी गई है।

श्री समरथलाल : ये 31 वैद्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये। माननीय सदस्य।

श्री जयकृष्ण शर्मा : 31 केवल सवाई माधोपुर में हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, वैद्यों को रिटायर होने के बाद आज तक पेंशन नहीं मिल रही है। काफी समय से वह रिटायर हुये हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा कोई प्रश्न पेण्डिग नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बांसवाड़ा जिले के विभिन्न मार्गों पर बसों के परमिट

710. **श्री नाथूराम (फलासिया) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले से सम्बद्ध किन किन मार्गों पर किस किस मालिक को कितने कितने मोटर-परिवहन परमिट दिये गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन मालिकों पर रोड टैक्स, यात्री टैक्स, आदि की कितनी कितनी राशि शेष है और कब से? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि एक ही मालिक तथा उसके विभिन्न सम्बन्धियों के नाम से बांसवाड़ा जिले में परमिट दिए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो बांसवाड़ा—गलियाकोट, बांसवाड़ा—डूंगरपुर, घांटोल-कुशलगढ़ लाइनों पर चलने वाली बसों में से श्री मणिलाल सुनार की कितनी बसें चल रही हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री मणिलाल ने इन बसों पर अपने रिश्तेदारों को लगा रक्खा है-तथा पुलिस की सांठ-गांठ से इन मार्गों पर चलने वाली बसों की सेवाओं से जनता परेशान है–सरकार से शिकायत की गई है किन्तु उसकी कोई रोकथाम नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो दिनांक 18–19 मार्च, 1971 को श्री मणिलाल सेठ के रिश्तेदार श्री महीपाल के अभद्रतापूर्ण व्यवहार तथा गढ़ी थानेदार के दुष्कृत्य के सम्बन्ध में जो शिकायत की गई थी उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

(श्री नाथूराम)

(5) क्या सरकार जांच करने के पश्चात् यह विचार रखती है कि एक व्यक्ति को अपने परिवार के व्यक्तियों आदि के नाम से अधिक परमिट नहीं मिल सकें? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में बस परमिटों व किसके नाम हैं की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) रोड टैक्स की बकाया की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। यात्री टैक्स का सम्बन्ध वाणिज्यकर विभाग से है।

(3) बसों के परमिट आर.टी.ए. द्वारा निर्णय लेकर दिये जाते हैं जिसमें किसी एक ही व्यक्ति विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता है। वर्णित मार्गों पर मणिलाल व इसके सम्बन्धी के नाम के परमिट की सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इसका संबंध पुलिस विभाग से है।

(5) एस. टी. ए. व आर. टी. ए. क्वासीज्यूडीशियल प्राधिकरण है और वे अपने सम्मुख प्रस्तुत आवेदन-पत्रों को, प्रार्थियों की योग्यता के आधार पर ही निर्णय करती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम बड्डू परिवार नियोजन केन्द्र

711. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पी. एच. सी. ग्राम बड्डू में है? यदि हां, तो कितने समय से?

(3) बड्डू ग्राम की जनसंख्या कितनी है जिसके आधार पर पी. एच. सी. व परिवार नियोजन केन्द्र खोला गया है।

(4) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन केन्द्र ग्राम बड्डू, तहसील परबतसर में खोला जा रहा है? यदि हां, तो किस आधार पर।

उत्तर

(1) 16 सितम्बर, 1970 को सन् 1970-71 में खोले जाने वाले ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों में ग्राम बाजावास (पी. एच. सी. बड्डू) में निर्मित करने की स्वीकृति जारी की गई है। जी हां, तहसील परबतसर का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम बड्डू में दिनांक 22-1-64 से है।

(2) ग्राम बड्डू की सन् 1961 की जनगणना के आधार पर 2696 आबादी थी।

(3) प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र स्थापित करने का आधार जनसंख्या न होकर सम्बन्धित पंचायत समिति के निर्णयानुसार ही स्थापित किये गये हैं। तत्कालीन पंचायत समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड्डू में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था और उसी के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां स्थापित किया गया था।

उप वैद्य का स्थानान्तरण

714. श्री नाथूलाल करोल (जमवा-रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उप वैद्य श्री किशनलाल का स्थानान्तरण ग्राम खोरा लाढखानी, तहत पंचायत समिति शाहपुरा, जिला जयपुर से ग्राम देवीपुरा के औषधालय में नवम्बर 1970 में किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री किशनलाल उप वैद्य का स्थानान्तरण फिर वापिस ही खोरा लाढखानी, देवीपुरा से 16 फरवरी 1971 को कर दिया गया। यदि हां, तो इतने कम समय में ही उसका स्थानान्तरण वापिस खोरा लाढखानी क्यों किया गया? और चुनाव टाईम पर जब कि स्थानान्तरण नहीं किये जा रहे थे।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्थानान्तरण नहीं किया गया था। केवल प्रतिनियुक्ति अन्य औषधालय में की थी वह समाप्त कर वापिस मूल कार्य स्थान पर कार्यरत कराया गया था।

वनों की कटाई

716. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वनों की सुरक्षा और वृक्षों की बढ़ोतरी वन विभाग की प्रमुख जिम्मेवारी है ?

(2) पिछले दो वर्षों में कौन कौन से वनों की कटाई की आज्ञा दी गई है ?

(3) क्या पाली जिले के वनों की कटाई आजकल हो रही है ? यदि हां, तो उसकी आज्ञा कब दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूचियां संलग्न हैं।

(3) पाली जिले में जो भी कटाई हो रही है वह स्वीकृत कार्यकारिणी योजना के अन्तर्गत बताए गए क्षेत्रों में विभागीय (स्टेट ट्रेनिंग) आधार पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक कूप जिसका क्षेत्रफल 130 एकड़ है धाणेराव वन खण्ड में आज्ञा दिनांक 14-10-70 के अन्तर्गत काटा गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

खाद्य निगम द्वारा बाजरे की खरीद

717. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन-पोल, जयपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) खाद्य निगम द्वारा सन् 1970 की खरीफ की फसल (बाजरा) का अब तक किस किस केन्द्र पर कितना कितना क्रय किया गया है ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें।

(ख) दिसम्बर सन् 1970 से अब

(श्री भैरोंसिंह)

तक प्रति सप्ताह बाजरे का कहां कहां क्या क्या भाव रहा ?

(ग) खाद्य निगम द्वारा कितना बाजरा खरीदने का लक्ष्य है ?

उत्तर

(क) तालिका सदन की मेज पर है।

(ख) विभिन्न जिलों में प्रचलित गांवों की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(ग) खाद्य निगम द्वारा बाजरे की खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला झुन्झुनूं के अभावग्रस्त ग्राम

724. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष झुन्झुनूं जिले में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? इन गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं जो चार, तीन और दो साल से लगातार अकालग्रस्त घोषित होते आ रहे हैं ?

(2) जिन गांवों में 3 और 4 सालों से लगातार अकाल पड़ रहा है उनमें वहां के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

(3) जिन गांवों में अकाल घोषित हो चुका है उनमें से कितने गांवों से लगान लिया गया है ? क्या वसूल शुदा रकम किसानों को वापिस दी जावेगी ?

(4) क्या अकालग्रस्त गांवों से तकावी ऋण वसूल नहीं करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं और उन पर अमल हो रहा है ?

(5) जिन गांवों में तीन और चार वर्षों से लगातार अकाल है वहां के किसानों के लड़कों को जो कालेजों तथा मान्यता प्राप्त छात्रावासों में रह कर शिक्षा ले रहे हैं छात्रवृत्ति देने का इरादा सरकार रखती है यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष झुन्झुनूं जिले में 28 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये। इन गांवों में से 18 ग्राम 4 वर्ष से 9 ग्राम 3 वर्ष से और एक ग्राम एक वर्ष से अभावग्रस्त घोषित होते आ रहे हैं।

(2) जिले में अन्य गांवों की स्थिति सामान्य होने के कारण फिलहाल कोई सहायता कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(3) अभाव ग्रस्त घोषित गांवों में से तहसील झुन्झुनूं के 19 ग्रामों में लगान की वसूली की गई है। अभाव की स्थिति घोषित होने के बाद कोई लगान की वसूली नहीं की गई।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

कवाई गांव में बिजली

725. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अटरू तहसील में कवाई गांव एक बहुत बड़ा गांव है, पंचायत हैडक्वार्टर है, और वहां से छीपा बड़ौद की ओर जाने वाली बिजली की लाईन निकल रही है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त गांव में कृषि कार्य हेतु बिजली देने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव में लगभग 100 कुए हैं? जिन पर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध है? यदि हां, तो राज्य सरकार को बिजली देने में क्या रूकावट आ रही है?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम का विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना नहीं है।

(1) कुओं में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धि की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है। इस ग्राम का सर्वेक्षण कुछ अन्य ग्रामों के साथ सन् 1969-70 में किया गया था लेकिन योजना लाभप्रद नहीं पाई गई थी। अतः विद्युतिकरण नहीं किया जा सका।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति लाडनूं के कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा यात्राएं

664. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के कृषि प्रसार अधिकारी ने 1 अप्रेल 1969 से लेकर अब तक समिति क्षेत्र में और क्षेत्र के बाहर कहां कहां की यात्राएं किस किस कार्य हेतु की और कितना यात्रा भत्ता लिया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त यात्राएं करने से पूर्व किस किस अधिकारी से स्वीकृति ली गई?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

पंचायत समिति लाडनूं में अस्थाई तौर पर नियुक्त किये गये कर्मचारी

665. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में कोई अस्थायी तौर पर नियुक्ति किये गये कर्मचारी भी कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन कौन कर्मचारी किस किस पद पर कब कब से कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अस्थायी नियुक्तियों के संबंध में क्या प्रकिया अपनाई जानी चाहिए थी और क्या अपनाई गई?

Page No 32

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अस्थाई नियुक्ति हेतु नियोजन कार्यालय से प्रत्याशियों के नाम मांगे जाने की प्रक्रिया का प्रावधान है व यही प्रक्रिया अपनाई जाना बताया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत अवार के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

666. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अवार के सरपंच श्री दरबारी के विरुद्ध जिलाधीश भरतपुर को श्री श्याम लाल जाटव व श्री लक्ष्मी पंच ग्राम पंचायत अवार पं. समिति कुम्हेर द्वारा इस प्रकार की दरख्वास्त दी गई कि रास्ता साफ करने व मंजूरी देने के बहाने कुछ कागजात पर दस्तखत करा लिये हैं और उनमें अन्देशा है कि उन्हें उनकी पंचायत से पृथक करने के लिए उनके त्याग-पत्र व गलत नोटिस बनाये जा रहे हैं?

(2) क्या यह सही है कि श्री चिन्ता मणि ग्राम सेवक एवं सचिव, ग्राम पंचायत अवार ने जिलाधीश एवं विकास अधिकारी को यह शिकायत की कि न्याय पंचायत के चुनाव के कारण उपरोक्त पंचान को पृथक करने की जाली कार्यवाही पिछली तारीखों में पांच बैठकों की कार्यवाही मुझसे जबरदस्ती धमकी देकर जाली लिखवायी गयी है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचान को उक्त जाली कार्यवाही के आधार पर पंचायत से पृथक करने की कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत-अवार द्वारा करदी गयी है? यदि हां, तो उक्त सरपंच के खिलाफ जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच को उक्त जिलाधीश पंचायत द्वारा बार बार तलब करने पर भी रिकार्ड अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और जिलाधीश द्वारा रिकार्ड मंगवाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है?

(5) क्या यह सही है कि राजनतिक दबाव के आधार पर इस सारे मामले को दबाने की कोशिश जारी हैं?

(6) क्या यह सही है कि प्रधान पंचायत समिति कुम्हेर द्वारा भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, जिलाधीश एवं जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गयी हैं? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई माधोपुर

667. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(1) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र सवाई माधोपुर पंचायत विभाग के अधीन कब आया? इस फार्म का कुल कितना एरिया है?

(2) जबसे उक्त फार्म विभाग के अधीन आया तब से 31 मार्च 71 तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ और उक्त तारीख तक उत्पादन से कितनी आय हुई है?

(3) क्या यह सही है कि इस फार्म में से कुछ भूमि शिक्षा विभाग ने कालेज निर्माण हेतु मांगी है? यदि हां तो कितनी और इसे दिए जाने में क्या विभाग को कोई आपत्ति है? यदि नहीं, तो आदेश कब तक प्रसारित कर दिए जायेंगे?

उत्तर

(1) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, सवाईमाधोपुर वर्ष 1953 से सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के अधीन है यह फार्म प्रशिक्षण केन्द्र के अधीन वर्ष 1960–61 में आया। कुल क्षेत्रफल 70 एकड़ है।

(2) कुल खर्चा 3,2 ,440) रुपये हुआ है व आय 1,96,698) रुपये की हुई है?

(3) जी हां 62 बीघा 9 बिस्वा भूमि दिये जाने के आदेश दिनांक 27-1-71 को जारी कर दिये गये।

विकास अधिकारी द्वारा खेलकूद के सामान की खरीद

688. श्री हरीवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 70–71 में विकास अधिकारी पंचायत समिति सवाई माधोपुर ने शालाओं के गेम्स का सामान खरीदा? यदि हां, तो यह सामान कुल कितनी कीमत का क्या क्या किस किस रेट से खरीदा गया? यदि हां तो यह सामान किस फर्म से खरीदा गया?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर की प्रशासनिक स्टेंडिग कमेटी को सामान की ऊंची रेटों के कारण संदेह हो गया और उसने इसका पेमेन्ट रोक कर इसकी जांच प्रारम्भ कर दी? यदि हां, तो स्टेंडिग कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंची और उसने विकास अधिकारी के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) सामान की खरीद की गई थी। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) स्थाई समिति द्वारा आगामी आदेश होने तक भुगतान न करने का निर्णय लिया जाकर एक जांच कमेटी का गठन किया गया। स्थाई समिति के निर्णय के अनुसार एक फर्म का भुगतान करा दिया गया है। शेष दो के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न स्थाई समिति का अंतिम निर्णय होने पर उत्पन्न होगा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

Page No 34

निगम द्वारा मनाया गया सद्भावना सप्ताह

श्री जगन्नाथ सलोदिया : (निवाई) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज कारपोरेशन ने फरवरी सन् 71 में सद्भावना सप्ताह मनाया था ? यदि हां, तो प्रचार सामग्री पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) क्या यह भी सच है कि इस सप्ताह में एक इनामी योजना भी रखी गई थी ? यदि हां, तो किस किस रूट की और उससे आमद में व उक्त सप्ताह के मनाने पर कुल खर्च कितना किया गया ?

(3) इस सप्ताह के मनाने का क्या अभिप्राय था और उसकी कितनी पूर्ति हुई ?

(4) निगम ने अपनी कौन सी बैठक में सद्भावना सप्ताह मनाने का प्रस्ताव पास किया था व खर्चे के लिये कितना धन स्वीकार किया था ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रचार सामग्री पर 11,559.76 रुपये व्यय किये गए।

(2) जी हां, इस सप्ताह जयपुर–अजमेर मार्ग के बीच सीधी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इनामी योजना चालू की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अन्य सप्ताहों की अपेक्षा 11,996 रुपयों से आय में वृद्धि हुई। सप्ताह को मनाने पर कुल खर्च 12,000 रु. हुआ है।

(3) इस सप्ताह को मनाने का अभिप्राय यात्रियों को मिष्ट व्यवहार के साथ निश्चित बस सेवाएं व निर्बाध परिवहन व्यवस्था प्रदान करना एवं निगम के प्रयत्नों के बारे में जनता को जानकारी देकर उनकी सद्भावना अर्जित करना था।

(4) निगम से सद्भावना सप्ताह मनाने की पूर्व स्वीकृति नहीं ली। खर्च के लिए निगम ने अलग से कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की।

सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत कुओं पर बिजली

670. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सवाई माधोपुर जिले को क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत गई साल से ही ले लिया है और इस जिले की समस्त पंचायत समितियों में सघन कृषि कार्यक्रम लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुओं से सिंचाई हो सके इस हेतु पंचायत समिति वाइज कितने कितने कुओं पर किस किस ग्राम में पंचायत समिति सवाई माधोपुर में इस हेतु विद्युत् व्यवस्था कर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष के बजट में पंचायत समिति सवाईमाधोपुर में लघु सिंचाई योजना हेतु लगभग 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें 328 बिजली की मोटरें किसानों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो कृषि कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कृषि एवं विद्युत् विभागों में

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
तालमेल के लिए राज्य सरकार की क्या निर्धारित रीति है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के खिलचीपुर शेरपुर से श्यामपुरा तक एवं करमोदा से पचोपडया गुडासोरामडो से कुन्तला विद्युत् लाइन डाली जाने के लिये जिला कृषि उत्पादन समिति सवाईमाधोपुर ने 68–69 तथा 69–70 दोनों वर्षों में सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस उद्देश्य से कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर में सघन कृषि कार्यक्रम सफल हो, यह लाइनें क्यों नहीं स्वीकृति की गई ? यदि नहीं तो जिला कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष की गई सिफारिशें एस. ई. कोटा को भेजे जाने के बावजूद मुख्य कार्यालय जयपुर में अब तक उपलब्ध क्यों नहीं हुई है ?

उत्तर

(1) जहां तक विद्युत् मण्डल का सम्बन्ध है कोई क्रेश प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। सवाई माधोपुर जिले के ग्रामों में वर्ष 1970–71 के अन्त तक जितने कुओं को विद्युत् दी जा चुकी है उसकी सूची 'ए' तहसील वाइज सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न विद्युत् मण्डल से सम्बन्धित नहीं है। जिन गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है, वहां कुओं को कनेक्शन देने में कोई रुकावट नहीं है।

(3) जी हां। जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा मई 1969 में भेजे गये प्रस्ताव में यह सब ग्राम शामिल थे। इन ग्रामों में से ग्राम पचोपला का विद्युतीकरण दिनांक 28-2-70 को हो चुका है। शेष ग्रामों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है जिसकी वजह से इन्हें अभी तक विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं किया जा सका। जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिश मण्डल कार्यालय में उपलब्ध थी।

जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा वर्ष 69-70 व 70-71 में 330 व 348 ग्रामों के प्रस्ताव पास हुए थे जिनमें से क्रमशः 21 व 19 को स्वीकृत कर दिया गया। इनके अतिरिक्त 11 ग्राम ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में स्वीकृत हुए है। इस प्रकार जिले के कुल 1524 गांवों में से 113 गावों का विद्युतिकरण स्वीकृत हो चुका है जो कि 9.1 प्रतिशत है।

जिला जालोर में विद्युत् विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने की मांग

671. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में बिजली विभाग का खंड आफिस खोलने के बारे में स्थानीय जनता की मांग काफी अर्से से की जा रही है? अगर हां तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि जालोर में बिजली विभाग का खण्ड दफ्तर खोलने के

Page No 36

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पूरे आधार उपलब्ध हैं ? अगर हां, तो खण्ड कब तक खोल दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्या कमियां हैं ?

(3) क्या बिजली विकास की दृष्टि से व प्रशासनिक दृष्टि से जिला जालोर में बिजली विभाग का खंड खोलना बहुत जरूरी है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं किया जा सका है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। उपलब्ध कार्यभार के अनुसार वर्तमान में जालोर में अलग से खण्ड खोलना उपयुक्त नहीं है।

(3) खंड कार्यालय न होने से बिजली विकास में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत तहसील सांचोर में बांधों पर कार्य

672. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में अकाल राहत कार्यों में सिंचाई विभाग द्वारा सूंतड़ी बांध, सुराचन्द बांध, गलीफा बांध, व गुढ़ा हेमा बांध बंधाए गये थे ? अगर हां, तो कब कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बांध पिछली वर्षा में पानी से टूट गए हैं ? अगर हां, तो कितने कितने ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त टूटे हुए बंधों की मरम्मत शीघ्र कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या उपरोक्त बंधों का पिचिंग भी कराया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह बांध निम्नलिखित वर्षों में शुरू कर दिये गये थे :–

1.	सूतड़ी बांध	सन् 1966
2.	सूराचंद बांध	1968
3.	गलीफा बांध	1965
4	हेमागुढ़ा बांध	1970

(2) जी हां।

1	सूतड़ी	30 फीट
2	सूराचन्द	28 फीट
3.	गलीफा	50 फीट
4.	हेमागुढ़ा	11 फीट

(3) जी हां। दरल वर्क्स कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बांधों की मरम्मत कराने के लिये प्रावधान रखा है। सूतड़ी व गलीफा बांध में मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। बचे हुए कार्य भी शीघ्र शुरू हो जावेंगे। और जुलाई 1971 तक पूर्ण कर दिये जावेंगे जिससे इसी वर्ष सेवज सिंचाई हो सके।

(4) जी हां। पिचिंग का कार्य इसी वर्षा के पहले पूर्ण कर दिया जावेगा। गलीफा व सूतड़ी में कार्य चल रहा है।

Page No 37

बिलासी प्रोजेक्ट

673. श्री देवीदत्त गाडियह (बारां): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम भंवरगढ़ के पास बिलासी प्रोजेक्ट स्कीम है ?

(2) यदि हां, तो यह योजना कब तक बनकर तैयार हो जावेगी और इस पर कुल कितना रुपया व्यय होगा तथा कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

(3) यह योजना कब से लागू हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सन् 1966 में बनाई गई थी एवं पुनः संशोधन का कार्य किया जा रहा है, योजना की रिपोर्ट शीघ्र बन जाने की सम्भावना है। इस योजना पर कुल 61.54 लाख रु. लगने की सम्भावना है इससे लगभग 7450 एकड़ में सिंचाई हो सकेगी।

(3) योजना बनने तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धि के पश्चात् ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

काजलढ़ा तालाब का सर्वे

674. श्री नन्द लाल : (किशनगंज) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या तालाब काजलढ़ा तहसील शाहबाद की सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके निर्माण के सम्बन्ध में क्या योजना बनाई ?

उत्तर

जी नहीं, इस विभाग द्वारा इस गांव के किसी तालाब का सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

गुडगांवा कैनाल तथा उससे निकाली गई माइनर्स के लिये अवाप्त की गई भूमि

श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि गुडगांवा केनाल तथा उससे निकाली गई माइनर्स में जो भूमि अवाप्त की गई है उसका किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन गांव के कितने किसान हैं और उनको कितना मुआवजा देना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जुहरडी की अधिकतर कृषि भूमि गुडगांवा केनाल के उत्तर में आगई है और उसकी काश्त करने के लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम वासियों को 4 माइल से भी अधिक घूम कर उक्त भूमि की काश्त के लिए जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त कठिनाई को दूर किये जाने के लिए ग्राम वासियों के एज फूट ब्रिज

Page No 38

(श्री मजलिस खां)

निर्माण के लिये विभाग से मांग की है। यदि हां तो उक्त पुल का निमाण कब तक करा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि गुड़गावां केनाल का पिचिंग वर्क काफी समय से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जगह जगह कई पाटों पर थोड़ी पिचिंग कराके अधूरा छोड़ दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि कई ठेकेदार ओवर पेमेन्ट लेकर काम छोड़ गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त केनाल पर पत्थरों से पिचिंग कराई गई है क्या यह भी सही है कि थोड़े से हिस्से में पुख्ता ईंटों से पिचिंग कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या कारण था कि ईंटों की पिचिंग बन्द कराकर पत्थरों से कराया जाना मन्जूर किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि गुड़गांव केनाल पर नौगावा और नौनहरा पर जो पुल निर्माण कराये गये हैं वह फट गये हैं ? यदि हां, तो विभाग ने उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जिन्होंने उक्त पुलों को बनाया था ?

उत्तर

1. जी हां, सूची संलग्न है।

2. जी हां, गांव वालों को अपने खेतों में जाने के लिऐ 1½ मील का चक्कर काटना पड़ता है इस कठिनाई को दूर करने के लिए फुट ब्रिज का निर्माण दो या तीन माह के अन्दर पूरा होने की सम्भावना।

(3) जी हां, इसमें कुछ अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच जारी है। तत्पश्चात ही इसी बारे में कुछ बतलाया जा सकेगा।

(4) जी हां, तकनीकी दृष्टि से दोनों प्रकार की पिचिंग ठीक है।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम राणासर बीकानेर में बिजली की व्यवस्था

676. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या विद्युत मन्त्री बताने यह की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि राणासर बीकानेर तहसील सरदार शहर, जो रतनगढ़-सरदारशहर सड़क पर स्थित है. के ग्राम वासियों ने बिजली की मांग काफी समय से कर रखी है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस गांव का विद्युत सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? कृपया सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस गांव में दो गांवाई कुए और कुछ सिंचाई के कुए भी हैं जिन में बिजली लेने की मांग है और गांव में दो आटे को चक्कियों में भी बिजली लेने की मांग है तथा घरों में कनेक्शन लेने की भी मांग है ?

Page No 39

(श्री दौलतराम सारण)

(4) क्या यह भी सही है कि राणासर से तीन मील दुलरासर में और चार मील महेरासर चाचरों में जो राणासर से सड़क से सम्बन्धित है बिजली पंहुची हुई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि राणासर रेगिस्तान में स्थित है और यहां आये दिन अकाल रहते हैं और इस गांव की भूमि में मीठा तथा पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है ?

(6) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस गांव को प्राथमिकता से विद्युत् देना क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती ? यदि समझती है तो कब तक विद्युत् दे दी जाएगी ?

(7) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ तहसील सुरजनसर उदासर चारणान, विद्युत् कृत ग्राम आडसर की विद्युत् लाइन से केवल एक मील पर बसे हुए हैं ? और सुरजनसर में एक गांवांई कुआ तीन सिंचाई के कुए और उदासर चारणान में दो सिंचाई कुए और एक गांवांई कुआ विद्युत् लेने के लिए तैयार हैं ? घरों में विद्युत् लेने की भी मांग इन गांवों में है ?

(8) क्या इन गांवों में मीठा एवं पर्याप्त पानी सिंचाई के लिए काफी कम गहराई पर उपलब्ध है ? जिससे सिंचाई करके इन गांवों को हरा भरा बनाकर अकाल से सदा के लिए मुक्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो इन गांवों को विद्युत् कब तक पहुंचाई जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां ! इस ग्राम को जिला कृषि उत्पादन समिति विद्युतिकरण के लिए 69-70 में प्रस्तावित किया था।

(2) जी हां, वर्ष 1969-70 में। स्कीम रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, सर्वे रिपोर्ट में यही मांग अंकित की गई है।

(4) जी हां ?

(5) रेगिस्तान में स्थित अवश्य है। अकाल की स्थिति व मीठे पानी की उपलब्धि की जानकारी विद्युत्, मण्डल को नहीं है।

(6) वर्ष 1969-70 में ग्राम राणासर की बीकान की स्कीम रिपोर्ट बनाई गई जो लाभप्रद नहीं पाई गई। अभी विद्युतिकरण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(7) जी हां। कुओं व घरों में बिजली लेने हेतु आवेदन-पत्र सम्बन्धित कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। इन ग्रामों का विद्युतिकरण इसलिए नहीं किया जा सका कि स्कीम रिपोर्ट लाभप्रद नहीं पाई गई।

(8) गावों में मीठा एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी औ अकाल के सम्बन्ध में जानकारी विद्युत मण्डल को नहीं है। विद्युतिकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 40

शिक्षा पर खर्च

677. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान निर्माण से लेकर अब तक राज्य के किन किन जिलों में कितना कितना खर्चा शिक्षा पर हुआ है ? वर्षवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किस किस वर्ष में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में प्रति व्यक्ति कितना खर्च शिक्षा पर हुआ है और जिलेवार कितना कितना खर्चा प्रति व्यक्ति हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. निदेशालय में जिलेवार सूचना नहीं आई वर्षवार सूचना संलग्न है।

(2) जिलेवार सूचना का निदेशालय में प्राप्त विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	प्रति विवरण
1950—51	1.7
1955—56	2.7
1960—61	6.6
1965—66	9.1
	11.5

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जयपुर जिले की शिक्षण संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान

678. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

जयपुर जिले में किन किन शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा विभाग द्वारा कितना कितना अनुदान दिया जा रहा है। जो संस्था के कुल खर्च का कितना प्रतिशत है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

राजस्व कर वसूली

679. श्री रामकिशन (बैर) श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) — क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत 5 वर्षों में राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से प्रति वर्ष कितने राजस्व कर की वसूली हुई है ? सूची सविवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

इस विभाग से कर वसूली सम्बन्धित निम्नलिखित लेखा शीर्षक है :—

1. बिक्री कर
2. यात्री व माल कर
3. मनोरंजन कर

(वित्त मंत्री)

4. विद्युत् कर एवं महसूल
5. अन्तर परिवहन कर
6. कृषि आय कर

अतः उपरोक्त लेखों की वांछित जिलेवार राजस्व कर वसूली के मानचित्र वर्ष 1965-66 से 69-70 तक के इसके साथ संलग्न है।

चालू वित्तीय वर्ष में नये औषधालय

680. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने औषधालय खोले जायेंगे और किन आधारों पर ?

(2) क्या औषधालय खोलने में रेगिस्तानी पिछड़े क्षेत्र के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, जिलों का विशेष ध्यान रखा जाएगा ?

(3) क्या ग्रामीणों द्वारा औषधालय भवन देने और आवागमन की पर्याप्त सुविधा वाले ऐसे ग्रामों को जहां दूर दूर तक औषधालय नहीं है औषधालय खोलने में प्राथमिकता दी जायगी ?

(4) यदि हां, तो सरदारशहर तहसील के ग्राम बुलरासर में जहां मिडिल स्कूल छात्रावास और रेल्वे स्टेशन भी है और जहां के ग्रामीण औषधालय भवन देने के लिये तैयार हैं जिसके समीप दूर दूर तक औषधालय भी नहीं है, इस वर्ष औषधालय खोल दिया जायगा ?

उत्तर

(1) 100 औषधालय निःशुल्क उपयुक्त भवन व्यवस्था, यातायात के साधन, पोस्ट आॅफिस की सुविधा, कम से कम 5 मील के क्षेत्र में किसी भी चिकित्सा सुविधा की अनुपलब्धी, जनसंख्या आदि के आधार पर।

(2) इन जिलों से जिला परिषदों के प्रस्ताव पर ध्यान रखा जावेगा।

(3) नये औषधालय खोलते समय यह बातें ध्यान में रखी जाती है।

(4) जिला परिषद् द्वारा प्रस्ताव आने पर विचार किया जावेगा।

भगवान दास खेतान अस्पताल झुन्झुनू सम्बंधी शिकायतें

681. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू नगर सुधार समिति व अन्य नागरिकों द्वारा भगवानदास खेतान अस्पताल सम्बन्धी कोई लिखित शिकायतें आई है ?

यदि हां, तो कब कब व क्या क्या शिकायतें आई और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि झुंझुनू अस्पताल में एक लम्बे अर्से से एम. एस. डाक्टर का स्थान रिक्त पड़ा है ?

यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति करदी जायेगी ?

Page No 42

(स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त हुई शिकायक की प्रतिलिपि संलग्न है। जिस पर जिला चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सीकर की रिपोर्ट प्राप्त हो गई उसका अध्ययन करने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। झुंझुनू के एम एस. सर्जन की पदोन्नति होने के कारण उक्त पद पर डा के. बी. सक्सेना दिनांक 1-2-71 से कार्य कर रहे है। इस वर्ष झुंझुनू में एक जुनियर स्पेशलिस्ट का पद सृजन करने की कार्यवाही चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

ग्राम बरावदा में कम्पाउण्डर डिस्पेंसरी

682. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बारां के प्रमुख ग्राम बरावदा के नागरिकों ने कम्पाउडर डिस्पेन्सरी हेतु भवन निर्माण का कार्य आधे से अधिक पूरा करा लिया है? यदि हां तो बरावदा में कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी कब तक चालू हो जावेगी?

(2) क्या यह सही है कि बरावदा ग्राम बारां से आठ मील दूरी पर स्थित होने के कारण बरावदा व आस-पास के ग्रामों के किसानों को बीमारी का इलाज कराने हेतु इतनी दूरी से आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?

उत्तर

(1) जी नहीं। इसकी कोई जानकारी निदेशालय को नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं। यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मामला का एक उप केन्द्र कार्यरत है जहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

स्थगित प्रश्न

(4-5-71)

ग्राम चाणोद (पाली) को खरीफ की फसल

589. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चाणोद (जिला पाली) 5-6 वर्षों से अकाल पीड़ित रहा है।

(2) गत वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा हुई परन्तु क्या यह सही है कि-

(1) इस चाणोद ग्राम के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रायः 150 परिवार इस अच्छी वर्षा का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि उनके पास बैल नहीं होने से (क्योंकि गत अकाल वर्षों में बैल प्रायः सभी के मर चुके थे) वे खरीफ की फसल बो भी नहीं सके?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(2) यदि हां तो सरकार ने ऐसी सावधानी क्यों नहीं बरती कि सबको बैलजोड़ियां दिलवाई जाती जिससे अन्नोत्पादन बढ़ता और साथ ही इन गरीबों का भी गुजारा हो जाता ?

(3) उपर्युक्त असावधानी का दोष किसका है और उस क्रम में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सम्वत् 2024 में समस्त पाली जिले में फसल बहुत अच्छी थी और कहीं अभाव की स्थिति नहीं थी । इसलिए ग्राम चाणोद का 5-6 वर्षों से अकाल पीड़ित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं । ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) सम्वत् 2025 व 2026 में अभाव स्थिति से प्रभावित कृषकों को ऊंट, बैल गाड़ी आदि खरीद करने के लिए तकाबी दी गई है और उसमें प्राथमिकता अनुसूचित या जन जाति के लोगों को दी गई है । क्योंकि तकाबी देते समय सीमित साधनों तथा उच्च प्राथमिकता वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है । अतः सब लोगों की मांग की पूर्ति करना सम्भव नहीं था ।

(4) असावधानी का प्रश्न ही नहीं उठता और इस क्रम में कोई कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं । ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:–

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जयपुर नगर परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राज्य सरकार द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री श्रवणलाल, श्री किशनलाल शाह, श्री केशरीसिंह हाड़ा व श्री लक्ष्मण तानीवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कोटा ओरियण्टल पावर केबिल्स फैक्ट्री के व्यवस्थापकों द्वारा इस माह में 50 से अधिक मजदूरों की नियम विरुद्ध छटनी कर देने, मजदूरों की छटनी करने का क्रम जारी रहने तथा मजदूरों के विरुद्ध पुलिस में मौखिक रिपोर्ट करके मजदूर कर्मचारियों की पिटाई करवाने का उल्लेख किया गया है ।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही हैं । जानकारी मिलने पर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा । इनके अतिरिक्त बीकानेर वूलन मिल के मजदूरों द्वारा 7 मई से हड़ताल करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई

(श्री उपाध्यक्ष)

थी । राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो गई है जिसमें कहा गया है कि 7 मई, 1971 से होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई है । अतः इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने मैं असमर्थ हूं ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री दौलतराम सारण : कल जिन प्रस्तावों पर सूचना प्राप्त करने के लिए कहा गया था, उस सम्बन्ध में क्या हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तक सूचनाएं प्राप्त नहीं हैं । प्राप्त होते ही सदन के सामने रख दी जायेंगी ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : रेजगी के सम्बन्ध में विवेचन सदन में उठाया जा चुका है । रेजगी का संकट बहुत बढ़ गया है । न सब्जी ले सकते हैं न बस में बैठ सकते हैं । क्योंकि ये तो मोटरों में आते जाते हैं, इनको क्या पता है ।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा सु.) : इस पर सूचना प्राप्त करने के लिए कहा गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय, हैं नहीं वित्तमन्त्री जी भी नहीं हैं ।

श्री दौलतराम सारण : वित्तमन्त्री जी ने कहा था कि मैं वक्तव्य दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में जानकारी ले लेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : सरकार तो विलम्ब से जानकारी देती है । तब तक तो स्थगन प्रस्तावों का महत्व ही समाप्त हो जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित जानकारी करेंगे । श्री हरजी राम बुरड़क ।

याचिका का उपस्थापन

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सिघाना, आजवा, भांमासी, पादूवासनी आदि को रीजनल जल प्रदाय योजना केराय जिला नागौर में सम्मिलित करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

पंचायत मन्त्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा (पचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. अधिसूचना संख्या एफ 4 एल. पी. एस.। ए. आर.।70-71।830-39, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा (नये वेतन क्रम) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये है ।

2. अधिसूचना एफ. 4।एल.।पी.एस.।ए.आर.।170।18।4-49, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचा-

(श्री परसराम मदेरणा)

यत समिति एवं जिला परिषद् सेवा (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

3. अधिसूचना एफ. 4/एल. पी. एस./ ए. आर. 1 -70/1 8 0-7, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अभिदायी भविष्यनिधि) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल.पी.एस. ए.आर. 12-70/1860-69 दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (सहयोगी सदस्यों का चुनाव) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

5. अधिसूचना संख्या एफ. 4.एल. पी. एस. ए. आर.12-70/1850-59, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (स्थायी समितियों का गठन) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्वमन्त्री जी।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्रीजी जो अधिसूचनाएं रख रहे हैं। वह काफी पुरानी है। 5 साल पहले की हैं। यहां पर प्रश्न उठाये जाते हैं कि राज्य सरकार उपेक्षा बरतती है। यह पिमसेशन ग्राफ सीलिंग ग्रोन लैण्ड, इसको सदन में रखाना आवश्यक था। लेकिन यह सदन में रखे नहीं गई हैं जब कि एक्ट में प्रोविजन था। यह सब अनियमित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): एक बार सदन में ही यह तय हुआ था कि बची खुची जो अधिसूचनाएं रह गई हों, वह रख दें ये बची खुची रख दी गई हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : राजस्व मन्त्रीजी, कोई और भी रह गई हो तो देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : वह यही कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी बची हुई थी वह रख दी गई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री रामकिशोर व्यास : बात तो सुन लें।

यह देरी जो हुई है, इसके लिए मैं सदन से माफी चाहता हूं। मगर देरी से ये रखी गयी हैं, इसलिए ये अनियमित नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी कोई आपत्ति की बात होती है तो सदन में शासन की ओर से ताड़ना होती है। लेकिन हर बार खड़े होकर खेद प्रकट कर देते हैं। लेकिन जो अधिकारी समय पर सूचनाएं पेश करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में नहीं लाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? आप केवल खेद प्रकट कर देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री दौलतराम सारण)
ये आप ही देखें ये 3 अधिसूचनाएं राजस्व की हैं । 18 उपनिवेशन की हैं। इतनी पुरानी अधिसूचनाएं है ।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक सवाल मंत्री जी कह रहे हैं, इसमें अनियमितता की बात नहीं है जब की एक्ट के अनुसार 'जो पावर डेली गेट की गई, नियम बनाने की, उसमें क्लीअर है कि जल्दी से जल्दी हाउस के सामने रखे जायं । पांच साल तक नियमों के अनुसार कार्यवाही करते रहे, और कहते हैं नियम विरुद्ध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी प्रश्न है । माननीय सदस्य । यह अलग प्रश्न है । अब प्रश्न यह है कि कुछ अधिसूचनायें देरी से प्रस्तुत हुई हैं, जैसा सदन में पहले भी होता रहा है इसलिए आसन ने बार बार सरकार को इस बात के लिए आगाह किया और मंत्री महोदय ने भी खेद प्रकट किया है, और साथ में यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस बात की ताकीद की है कि जितनी बची खुची है, जो अधिसूचनायें रह गई हैं, उनके लिए भी । यह पर्याप्त है, सरकार को मौका देना चाहिए कि जो और रह गई है उनको भी रख दें ।

श्री हरजीराम बुरड़क : मौका दे दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसका असर भी हुआ है ।

श्री श्रवण लाल : ऐसी कार्यवाही करते है, इसके लिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार से जो अधिसूचनायें देरी से रखते हैं, जो भी मंत्री हैं उनको ताड़ना दें · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आपके विचारों का ध्यान करके ही कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री श्रवणलाल : जिससे हमको पता लगे इस बात के लिए ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बाद में रखने का मतलब क्या है ? क्या फायदा है देरी से रखने से ? कार्यवाही तो सरकार उसके तहत करती रही है फिर आज रखने का क्या मतलब है । तीन चार साल तक तो पड़ी रही ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसी समय रख देनी चाहिए थी ।

श्री हरजीराम बुरड़क : मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जो अधिकारी दोषी होंगे, जिनकी गलती से देरी हुई होगी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे--

उसके सम्बन्ध में क्या कहना है ।

श्री रामकिशोर व्यास : सही स्थिति मैंने आपको बताई । इस बात के लिए सावधान हो गये हैं । उसके बाद में देरी हो गई, उसके रीजन्स बतायें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जो तरीका हो सकता है, उस पर बहस मुबाहिसा हो सकता है । अब भूल से जो रह जाती हैं वह रह जाती हैं ।

Page No 47

श्री हरजीराम बुरड़क : भूल से रह क्यों जाती है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भूल सब कर सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी गलती नहीं है तो पहले वालों की गलती होगी ।

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी गलती को मैं मान रहा हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपके माध्यम से राज्य सरकार से जानकारी जानना चाहूंगा कि यह तथ्य है, देरी से अधिसूचनायें सदन पटल पर रखने की परम्परा बन गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुधार हो रहा है। सभी आ रही हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुख्य मंत्रीजी ने वायदा किया था, उसके बाद में अब जानकारी दे दें कि राज्य सरकार की ओर से राजस्व मंत्री के नाते आपसे नहीं पूछ रहा हूं, जो पैंडिग अधिसूचनायें हैं, जो सदन पटल पर नहीं रखी गई हैं उनकी यह लास्ट लिस्ट है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह लास्ट नहीं है और भी हो सकती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पता लगाकर इस प्रकार का ?

श्री रामकिशोर व्यास : पता लगता तो सामने आ जाती । पता नहीं लगा इसलिए ही पड़ी रह गई।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पता नहीं है तो क्या इस प्रकार का सैल बनाया है कि जिसके द्वारा पता लग जाय कि कौन कौनसी अधिसूचनायें हैं, जो सदन पटल पर नहीं रखी गई हैं । यह करने की कोशिश की गई है ? क्या जानकारी इकट्ठी हो गई है ? क्या इसकी जानकारी करली है ।

श्री उपाध्यक्ष : अलग अलग विभागों को रख रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है सरकार ने ताकीद कर दी है सब अधिसूचनायें जा रही हैं । बची खुची और हो सकती हैं वह भी आ जायेंगी ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जो अधिसूचनायें सदन पटल पर नहीं रखी गई हैं, उनके लिए एक सैल कायम करके इस काम को कम्पलीट करेंगे। इसके लिए ओ. एण्ड एम. को जिम्मेदारी सौंपी है, और वह डिपार्टमेंट्स की, जो यहां पर अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखी गई है। और नहीं रखी गई हैं उनका कम्पेरीजन कर रहे हैं यह बात सही है, कुछ विभागों की अधिसूचनायें यहां रखी नहीं जा सकी, अब उनका ब्यौरा बनाया जा रहा है । जो नहीं रखी गई हैं बहुत कम ऐसी हैं जो सदन की मेज पर नहीं रखी हैं और उसके लिए कारण हैं जिन कारणों से वह नहीं रखी जा सकीं । या जो गल्ती से रह गई हैं रखने में, वह सब रख दी जायेंगी ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री ।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं ।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 6(9) रेवे. । बी. । 64, दिनांक 26 अप्रेल, 1966 जिसके द्वारा राजस्थान टीनेन्सी (फिक्सेशन आफ सीलिंग आन लेंड) (गवर्नमेंट) 1963 में संशोधन किये गये हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्रमशः बोल दे, एक से लेकर इतने तक

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ पेश कर दीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं एक दो तीन सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : उपनिवेशन मंत्री जी !

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप भी कह दीजिये, एक दो तीन !

श्री उपाध्यक्ष : 1 से 18 ।

श्री सोमाराम (उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं एक से लेकर 18 तक ।

निम्नलिखित अधिसूचनाएँ सदन की मेज पर रखी गई ।

(क) पंचायत मन्त्री सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखीं :-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल. पी.एस./ए.आर./7/70/1830-39, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा (नये वेतन क्रम) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं ।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 1 एल./पी. एस./ए आर./7/70/1840-49, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं ।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल./पी.एस./ए. आर/6/70/1870-79, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अभिदायी भविष्य निधि) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं ।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल.पी. एस./ए आर/12/70/1860-69, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति (सहयोगी सदस्यों का चुनाव) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं ।

(5) अधिसूचना संख्या एफ 4.एल.7पी. एस.ए. आर./2/70/1850-59, दिनांक 29 अप्रेल, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (स्थाई समितियों का गठन) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं ।

(श्री शोभाराम)

(ख) राजस्व मन्त्री राजस्व (ख) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:–

1. अधिसूचना संख्या एफ. 6 (9) रे. वे. बी.।64 दिनांक 26 अप्रेल, 1966 जिसके द्वारा राजस्थान टीनेन्सी (फिक्सेशन आफ सीलिंग आन (लैण्ड) (गवर्नमेन्ट) रूल्स, 1963 में संशोधन किये गये हैं।

2. अधिसूचना संख्या एफ. 7 (6) रेवा।ख।67 दिनांक 24 जुलाई, 1967 जिसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी संशोधन) नियम, 1967 जारी किये गये हैं।

3. अधिसूचना संख्या एफ. 7 (3) रेवा।बी।69 दिनांक 17 जनवरी, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान टीनेन्सी (गवर्नमेंट संशोधन) रूल्स, 1970 जारी किये गये हैं।

(ग) उपनिवेशन मन्त्री राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:–

1. अधिसूचना संख्या एफ. 22 (40) रेवा।कालो।65 दिनांक 20 अक्टूबर, 1970 जिसके द्वारा हनुमानगढ के अतिरिक्त जिलाधीश को गंगानगर जिले के भाखड़ा परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र के सम्बन्ध में जिलाधीश के समस्त कृत्य करने व समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (ब) (2) रेवा।कोल।68 दिनांक 22 अक्टूबर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल सिंचाई परियोजना क्षेत्र में मंडियों में भूमि का विक्रय) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

अधिसूचना संख्या एफ. 22 (54) रेवा कोल।64 दिनांक 2 जून, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना-सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ. 4(13) रेवा।कोलो।67 दिनांक 1 फरवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना 1955 से पूर्व के अस्थायी आसामियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तें 1971 जारी की गई हैं।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ए) (3) रेवा।कालो।70 दिनांक 28 जनवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दाखिलकार आसामियों को सरकारी भूमि का आवंटन) (संशोधन) शर्तें, 1971 जारी की गई हैं।

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (ए) (3) रेवा।कालो।68, दिनांक 6 फरवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनायें सरकारी भूमि का आवंटन) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 22(30) रेवा।कालो।65, दिनांक 28 जनवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमियों का आवंटन तथा विक्रय) (संशोधन) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

(श्री शोभाराम)

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ए)रेवा कालो।68 दिनांक 28 जनवरी, 1971 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर क्षेत्र की चक आबादी में निवास स्थान के लिए भूमि अनुदत्त करना) नियम, 1971 जारी किये गये हैं।

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 22(30) रेवा।कालो। 69 दिनांक 28 नवम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग-नहर भूमि स्थायी आवंटन) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

(10) अधिसूचना संख्या एस. ओ. 125, दिनांक 1 सितम्बर, 1969।

(11) अधिसूचना संख्या एस. ओ. 30 दिनांक 21 फरवरी, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन चक आबादी में निवास स्थान के निमित्त भूमि की स्वीकृति नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(12) अधिसूचना संख्या एस. ओ. 65 दिनांक 5 अगस्त 1969 (संख्या प. 24(4)राजा।उप।68)।

(13) अधिसूचना संख्या एस. ओ. 166 दिनांक 5 अगस्त, 1969 (संख्या एफ. 24(4) राजा।उप।68)।

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 22(9) राजा।उप।65 दिनांक 10 अक्टूबर, 196: जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी काश्त पट्टे) शर्तें, 1955 मे और संशोधन किया गया है।

(15) अधिसूचना संख्या एफ 4(3) (सी) राजा।उप।67 दिनांक 17 अप्रेल, 1967

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 22 (30)रेवा।कालो।65 दिनांक 26 फरवरी, 1971 जिसके द्वारा भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध छोटे भूखण्डों के आवन्टन के लिये मूल्य विहित किया गया है।

(17) अधिसूचना संख्या एफ. 22(30) रेवा।कालो।65 दिनांक 28 नवम्बर, 1970 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) (संशोधन) नियम, 1970 जारी किये गये हैं।

(18) अधिसूचना संख्या एफ 22(33) रेवे।कोल।65 दिनांक 7 फरवरी, 1966 जिसके द्वारा राजस्थान नहर परियोजना विकास क्षेत्रों में सरकारी भूमि के अनाधिकृत आधिपत्य की बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिये सचिव, भाखड़ा मण्डी विकास समिति को तहसीलदार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

न्याय पंचायत के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ! न्याय पंचायत के कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर श्री मुन्नालाल चौधरी पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सुआलाल चौधरी (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय पंचायत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि न्याय पंचायत के पहले ग्राम पंचायत, जो दीवानी और फौजदारी के कैसेज सुनती थी और विकास के जितने भी काम पंचायत के मार्फत होते थे, उस समय तक ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को वेतन या भत्ता आसानी से मिलता था। मैं अब मानकर चलता हूं, जब से न्याय पंचायत का काम अलग से हुआ है, उस समय से न्याय पंचायत के कार्यालय में जितने भी कार्य होने चाहिए, वह कर्मचारियों की मार्फत से नहीं हो रहे हैं, और जिस मंशा से न्याय पंचायतों को अलग बनाया गया था और उसका जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, सस्ता न्याय मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। उसका खास कारण यह है कि कर्मचारी उसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है भत्ता नहीं मिलता है। मैंने न्याय पंचायत मौजमाबाद का उदाहरण दिया है, 1969 से लेकर आज तक वहां जो क्लर्क हैं, जो दूसरे कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलने की वजह से, आप सोच सकते हैं, इतने समय से उनको पेट पालन का साधन नहीं है, केवल नौकरी ही उनके पेट पालन का साधन था, इसलिए उनके सामने बड़ी परेशानी आ रही है। मैं यह मानकर चलता हूं कि न्याय पंचायत के पास अपने कार्यालय का खर्च चलाने को, स्टेशनरी के सामान के लिए और कोर्ट चलाने के लिए कोई पैसा या बजट राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। वहां जो दीवानी के कैसेज से इन्कम होती है, या जुर्माने से जो पैसा वसूल होता है, वही होता है या फिर ग्राम पंचायत की ओर से जो पैसा न्याय पंचायतों को देना चाहिए वह होता है। उससे न्याय पंचायत को अपना कार्यालय चलाना पड़ता है। मेरी मान्यता है और मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि न्याय पंचायत के बजट का जहां तक सवाल है, वह अलग से हो, जैसे मजिस्ट्रेट अपील सुनता है, उसका अलग खर्चा होता है, वैसा ही प्रशासन उसका है, इसलिए कर्मचारियों की तनख्वाह का अलग तरीके से सारा प्रबन्ध ग्राम पंचायत से अलग होना चाहिए। अभी ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत अलग होने की वजह से उस तरफ उनको अंश दान देने की तरफ, मदद देने की तरफ ध्यान नहीं देती है. इसलिए न्याय पंचायत के द्वारा जो सस्ता न्याय दिलाना चाहते थे, वह सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मैं पंचायत मंत्री के सामने उदाहरण पेश करूं, वहां एक क्लर्क है और एक चपरासी है, लेकिन 1969 से लेकर आज तक उनको तनख्वाह नहीं मिली है। क्या आप आशा कर सकते हैं, जो लोग दीवानी के केस, फौजदारी के केस लेकर जाते हैं उनको सस्ता न्याय मिल सकता है जबकि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिले। एक बात दूसरी है कि न्याय पंचायत का अपनी इन्कम का साधन जुर्माना, कोर्ट फीस की वसूली है। मेरी मान्यता है कि जो न्याय पंचायत के मेम्बर हैं वह गांव के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जब मीटिंग होती है तो उसमें जाते हैं। अधिकतर कर्मचारी कार्यालय में रहते हैं।

Page No 52

(श्री मुन्नालाल चौधरी)

अगर उनको वेतन नहीं मिले तो वह ठीक ढंग से कार्यालय नहीं खोलेंगे। वैसे आपने ढाई से लेकर पांच सौ तक के दीवानी मामलों के अधिकार दिये हैं, लेकिन अधिकार देनी ही काफी नहीं है, क्योंकि कार्यालय का काम कैसे चलेगा जब कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिले। इसकी आप जांच करिये। इसकी वजह से काफी परेशान हैं लोग। मेरी राय में जिस प्रकार मजिस्ट्रेट का हाई कोर्ट से सीधा सम्बन्ध होता है, ऐसा नहीं करें तो राज्य सरकार को पंचायत से न्याय पंचायत को अलग करने की व्यवस्था करनी चाहिए और पैसे का प्रावधान करना चाहिए ताकि न्याय पचायत के कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन भत्ता मिलता रहे। इतना कहकर मैं पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए यह चाहता हूं कि मौजमाबाद के न्याय पंचायत के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वह जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। राजस्थान की अन्य न्याय पंचायतों में भी इस प्रकार की गड़बड़ी है, उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार को विशेष से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ग्राम पंचायत को ही दीवानी और फौजदारी के मामले सुनने का अधिकार दे दें, मेरे ख्याल में इससे कोई बाधा नहीं आने वाली है। पहले भी ग्राम पंचायत दीवानी और फौजदारी के केस करती थी, उसमें उसी तरह के चुने हुए लोग होते हैं, प्रतिनिधि मेम्बर होते हैं और न्याय पंचायत में भी चुने हुए लोग होते हैं, इसलिए इससे कोई विशेष फर्क नहीं होगा···

जो ग्राम पंचायतों को और जिला परिषदों को अंशदान मिलता था वह भी मिलता रहेगा और आपकी न्याय पंचायतों का काम चलेगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के पास विकास का काम जिम्मे कर रखा है। मेरे खयाल से जिला परिषद् अलग हैं, पंचायत समिति अलग हैं। अपील सुनने का अधिकार न्यायालय के जिम्मे है। मैं मानता हूं अपील सुनने का अधिकार न्यालय को होना चाहिए, यह ठीक है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से न्याय पंचायतें बिल्कुल अपंग हैं, साधनहीन हैं इसलिए जिस मन्शा से न्याय पंचायत अलग से गठन की गई थी, वह पूरी नहीं हुई। इसलिए राजस्थान की तमाम न्याय पंचायतों के द्वारा लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिला है। इसलिए इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाये हैं, वह स्थिति सही है, दूदू की न्याय पंचायत मौजमाद के दो कर्मचारियों का वेतन 2259) अभी भी चुकाना शेष है। न्याय पचायत के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और न्याय पंचायत मौजमाबाद के सचिव दोनों कर्मचारियों की तनख्वाह वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो सितम्बर 68 से है और सचिव की जुलाई 1969 से बकाया है, दोनों को नहीं दे पाए हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम 53, धारा 63, के अनुसार न्याय पंचायतों का धनराशि का अनुदान ग्राम पंचायतों को देने का प्रावधान है। केलकुलेट करने का तरीका यह है, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत नियमों के नियम 292,

(श्री परसराम मदेरणा)

उपनियम 5, के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है कि जो कुछ टोटल बनता हो न्याय पंचायत का और जो ग्राम पंचायत की आबादी हो उसको मल्टीप्लाई करके न्याय पंचायत सर्किल की जो आबादी है उससे भाग दे देना चाहिए । अंशदान जो बनता है वह पंचायत को देना चाहिये। जो सूचना विकास अधिकारी ने राज्य सरकार के पास भेजी है उसमें उन्होंने बताया है कि इन पंचायतों को 4211 अनुदान मिलना चाहिए, जो वह नहीं दे सकें । उनके पास में अर्थाभाव है और खुद की आमदनी नहीं क्योंकि यह न्याय पंचायत का निजी मामला है, हमने जीलाधीश और विकास अधिकारी को इस बात का परामर्श दिया है कि न्याय पंचायतों को यह तनख्वाह देनी चाहिये।

माननीय सदस्य ने पूरी न्याय पंचायतों के लिए कहा है कि उनके निजी साधन नहीं है, कुछ पंचायत समितियों में जहां पर ग्रूप सचिव की योजना लागू की गई, उसके फलस्वरूप जो ग्रप सचिव की तनख्वाह पंचायतों को मिलने वाले रेवेन्यु के अंशदान से दी जाती है, उनको वह पैसा नहीं मिला। बाकी पंचायतें अपने साधन बनाने में असफल रही हैं हालांकि टैक्स लगाने का प्रावधान है, वह अपने साधनों के स्त्रोत बसा सकते हैं लेकिन ग्राम पंचायतें ऐसा नहीं कर रही हैं। यह ऐसा प्रश्न है जो पूरे राजस्थान में जितनी न्याय पंचायतें हैं उनके सामने है। जैसा शुरू में निवेदन कर चुका हूं, न्याय पंचायत और पंचायत का किस तरह से समन्वय होना चाहिए और उसके साथ ही साथ इनकी आय के क्या साधन होने चाहिए ये मुद्दे जो कमेटी हमने बिठाई है उसके सामने हैं ।

भुगतान के सम्बंध में हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि न्याय पंचायतों के पास में कुछ साधन जो उनके हैं, उसमें से कुछ पैसा न्याय पंचायतों को दे ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान कर सकें। जहां तक कर्मचारियों को रखने का और उनको तनख्वाह देने की जिम्मेदारी है, वह न्याय पंचायत की है । आज पंचायत पैसा नहीं दे सकती, यह स्थिति मौजमाबाद न्याय पंचायत की भी है और राजस्थान की दूसरी पंचायतों की भी है और कमेटी के सामने ये मुद्दे रखे गए हैं। कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो राज्य स्तर पर निर्णय लेंगे। वर्तमान में अर्थाभाव के कारण राज्य सरकार न्याय पंचायतों को कोई राज्य कोष से पैसा दे सके, ऐसी स्थिति राज्य सरकार की नहीं है ।

श्री चुन्नीलाल चोधरी : आप मानकर चलते हैं कि दो कर्मचारियों को 1969 से आज तक तनख्वाह नहीं मिली है। दो हजार रुपये बकाया हैं तो आपने विकास अधिकारी और जिलाधीश को लिख दिया, क्या लिख देने से ही उनको तनख्वाह मिल जायगी ? एक तरफ तो आप बेकारी की समस्या हल करने को कहते हैं और मानते हैं कि इतने समय से तनख्वाह नहीं मिली तो क्या आपके विकास अधिकारी और जिलाधीश को लिखने से ही तनख्वाह मिल जायगी ? आप यह भी मानते हैं कि पंचायतों के पा[illegible]धनाभाव है इसलिये

(श्री सुन्नालाल चौधरी)

पंचायतें अंशदान नहीं दे सकतीं। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आप पंचायती राज में जो कर्मचारी हैं, जो गरीब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको दो साल तक तनख्वाह न मिले और आप यह कह कर संतोष दिलाना चाहते हैं कि जिलाधीश या विकास अधिकारी तनख्वाह दिला देंगे। गांवों के अन्दर पंचायती क्षेत्र में रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की हालत आपको अच्छी तरह से मालुम है। में आश्वासन चाहूँगा जिन दो कर्मचारियों को इतने समय से पैसा नहीं मिल रहा है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, राज्य सरकार किसी तरह से दिलाये, चाहे विकास विभाग द्वारा या किसी अनुदान से कहीं से उनको पैसा मिलना चाहिए नहीं तो उनके बच्चे भूखे मरेंगे और आपके आगे धरना देंगे। आपके धोखे में आकर झीकेंगे तो क्या हालत होगी ?

श्री श्रवणलाल : जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, न्याय पंचायत...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, प्रश्न पूछें स्पष्टीकरण के तौर पर।

श्री श्रवणलाल : मैं खाली उसी के तहत दो प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री यशवन्त सिंह नाहरा (बनेड़ा) : सदस्य कहते हैं कि में खाली यूं ही बोलूंगा तो खाली बोलना और भाषण के अन्दर अन्तर क्या है ?

श्री श्रवण लाल : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री श्रवण लाल : मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने बताया न्याय पंचायत के बारे में तो वह स्वंय यह मानते हैं कि दूदू पंचायत समिति की मौजमाबाद न्याय पंचायत सेक्रेटरी और दूसरे कर्मचारी का वेतन बकाया ढाई हजार के आसपास है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रकाश डाला की यह स्थिति करीब करीब सब जगह पर है। मैं जानकारी चाहूंगा कि आपने ग्राम पंचायत को जो वेतन चुकाने के लिए बताया है, क्या ग्राम पंचायतों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं उनके सेक्रेटरी की जो पूरे राजस्थान में करीब 6 लाख की बकाया है, ऐसी हालत में ग्राम पंचायतों में बकाया का चुकारा के लिए किसी प्रकार का उनके पास में कोई जरिया नहीं है तो एसी स्थिति में वे ग्राम पंचायत न्याय पंचायतों को किस प्रकार अंशदान दे सकेंगी। जो स्थिति ग्राम पंचायत की है वह ही न्याय पंचायतों की है। आप के स्पष्टीकरण के अनुसार ही 68 से लेकर आज तक उनकी बकाया चलती आ रही है। न्याय सचिव और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की एक एक व्यक्ति के 3।।-3।। हजार की बकाया है। मैं आपको लिस्ट पेश कर सकता हूं क्या उस बकाया का चुकारा करने के लिये पंचायत समिति के फन्ड से या दूसरे फन्ड से पैसा देकर इसका हल निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री श्रवणलाल : एक मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : पंचायतों की डिमान्ड के समय तो माननीय सदस्य ने यह बात

Page No 55

(श्री उपाध्यक्ष)
रखी नहीं और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से ये मुद्दे हल करना चाहे तो हल नहीं कर सकेंगे।

श्री श्रवणलाल : मैं इसको वार बार रख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मोजमाबाद के विषय में कुछ करना चाहें तो कहें।

श्री श्रवणलाल : उन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी की नियुक्ति की और कब तक पूरे राजस्थान का सर्वे करवा कर राज्य सरकार को वह सिफारिश करेगी जिससे चुकारा जल्दी से जल्दी हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि पंचायत और न्याय पंचायत के सामान्य नियमों में यह है कि पंचायत का सेक्रेटरी होगा वह न्याय पंचायत का भी काम करेगा ? वही चपरासी दोनों का करेगा ? अलग अलग नियुक्ति के कारण भार पड़ रहा है उसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं ? पंचायात अंशदान न्याय पंचायत को दें, साथ ही साथ न्याय पंचायत से फ़ीस वहां जमा करायें तो क्या हर्ज है ?

श्री दिग्विजय सिंह : मोजमाबाद का खास तौर से प्रश्न है। न्याय पंचायत की बकाया है और कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला हैं। आपने फरमाया कि जिलाधीश को लिखा है। जिलाधीश कोष से फन्ड से चुका देगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ध्यान से सुना नहीं चुकादें के लिये देते तो चुका देते।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय पंचायत मंत्रीजी उचित नहीं समझते हैं कि न्याय पंचायतों के कार्य को सुचारुरूप से चलाने के लिये पंचायत विभाग से जो अनुदान दिया जाता है और भू-राजस्व की रकम में ... लेते हैं यह दोनों ही दिया जाय। ... यह न्यायोचित नहीं है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : जितने मुकदमें न्याय पंचायतों में दर्ज होते हैं, पंचायत में पहले दर्ज होने चाहिये और फीस पंचायत में जमा होनी चाहिये। पंचायत और न्याय पंचायत में तालमेल नहीं है इसलिये पंचायतों द्वारा अंशदान नहीं दिया जा रहा है। न्याय पंचायत का सुचारु रूप से प्रबन्ध करना चाहते हैं तो फीस पंचायतों में जमा हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह!

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : न्याय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव नहीं होता है और अधिक संख्या में न्याय पचायतें काम नहीं कर रही हैं क्योंकि उनके सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव का जहां तक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

मंत्री महोदय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि पंचायती राज को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
स्थापना प्रदेश में की है वह सुचारु रूप से चले । और किस प्रकार की खामियां, जैसे स्पैसिफिक केस मोजमाबाद का आया है, 68 से अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को और सचिव को वेतन नहीं मिला है, 2।। हजार की रकम बकाया है, तो कितना ही आर्थिक संकट हो राज्य सरकार को स्वयम् को जिम्मेदारी लेकर उनका भुगतान करना चाहिये जिससे कि पंचायती राज जिस प्रकार से लड़खड़ा रहा है उसमें जीवन दिया जा सके । यह नहीं करते हैं तो क्या आपकी घोषणा सफल होगी ? आपके यह कह देने से कि हाई पावर कमेटी का निर्माण किया है, कर्मचारियों का पेट नहीं भरने वाला है । दोनों स्थिति को सरकार को लेकर नहीं चलना चाहिये । या तो सरकार यह घोषणा करे कि न्याय पचोंयतों में उसका विश्वास नहीं है और यह स्थिति नहीं है तो चाहे अंशदान दें या न दें, ग्रान्ट इन एड देते हैं काट कर दे देंगे, उसमें टाइम लगेगा सर्वे सारे राजस्थान का करवाकर कितना पैसा बकाया है, उसका राज्य सरकार को अपने ऊपर भार लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दूदू से आने वाले माननीय सदस्य को संतोष दिलाने का प्रयत्न किया और वस्तु स्थिति को सामने रखा । यह कहा गया कि न्याय पंचायतें फीस नहीं देतीं हैं और इस लिये तालमेल नहीं बैठता है दोनों में । वह उसको जमा करानी चाहिये । उनकी आय अपने पास रखते हैं , और पंचायतों से अंशदान मांगती हैं तो वे देती नहीं हैं । जैतारण से आये माननीय सदस्य ने और दूसरों ने एक प्रश्न उठाया । जो राजस्व का अंशदान दिया जाता है ग्राम पंचायतों को उसमें से कुछ हिस्सा न्याय पंचायतों को भी देना चाहिये । यह प्रश्न विचार करने लायक है और इस पर विचार करने किया जावेगा ।

रहा जहां तक शाहबाद का प्रश्न । कलेक्टर को आदेश नही दिये हैं । कलेक्टर को परामर्श दिया है कि भुगतान कराये । राज्य सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले सकती है । राज्य सरकार के सामने अभाव का प्रश्न है । जो अंशदान हम देते हैं उसका प्रावधान पंचायत एक्ट में है । सीधा डायरेक्टली उनको दे दिया जाय । जो अवरोध खड़ा हो गया है पंचायत और न्याय पंचायत में उसमें कमी आ सकती है और इस समस्या का समाधान हो सकता है । पंचायत और न्याय पंचायतों की कितनी बकाया है और कितनी नहीं डिबेट के समय भी यह प्रश्न उठाया था उस वक्त मैं आफ हैंड नहीं कह सकता था । इसका मुख्य कारण यही है कि न्याय पंचायतें अपनी आय पंचायतों में जमा नहीं कराती हैं और जो अंशदान मिलना चाहिये वह पंचायतों को नहीं दे रहे हैं । इसके समाधान के लिये राज्य सरकार से कमेटी की रिपोर्ट आवेगी, उस पर विचार करती रहेगी यह नहीं है । लेकिन न्याय पंचायतों के पास साधन नहीं हैं और ग्राम पंचायते भी अंशदान नहीं दे रही हैं जो आमदनी

(श्री परसराम मदेरणा)

होती हैं अपने पास रखती हैं। वह पंचायत में जमा करा दें। इधर पंचायत की खुद की निजी आय कम है और कम होने के साथ ही साथ उनके काम में अवरोध आया है। वह जमा नहीं कराते हैं तो उनको जो अनुदान मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। लैन्ड रेवेन्यू का कुछ पोरशन शेयर उनको मिलना चाहिये, यह मामला केबिनेट के विचार के लिये रखूंगा। और कोई निर्णय किया जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : न्याय पंचायते काम नहीं कर रही लेकिन पंचायतों के सेक्रेटरी हैं वे भी काम नहीं कर रहे हैं। दोनों में अलग से रख रहे हैं और इसी वजह से काम बिगड़ रहा है मैं दोनों पंचायतों के पास इतना काम भी नहीं हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो सेक्रेट्री है वह दोनों का ही काम करे।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या यह सही नहीं हैं कि पंचायतें छोटी बनी हैं इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है 8।10 ग्राम पंचायतों की एक पंचायत कर दें तो यह समस्या अपने आप हल हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में अलग अलग राय है। आप इनको छोटी पंचायतें मानते हैं और नोहर से आने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि पंचायतें बड़ी हो गई हैं। जब बनाई गई थी तो पापुलेशन कम थी और पापुलेशन उनकी बढ़ गई है। अलग अलग राजस्थान का एरिया है। कुछ एरिया तो ऐसा है जो थिकली पापुलेटेड है और कुछ कम है। इसलिये यह कारण है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक निवेदन करना चाहता हूं। जब तक राजस्व का हिस्सा पंचायतों को नहीं मिलेगा तब तक न्याय पंचायत और विकास पंचायत की जो असन्तोषजनक स्थिति है वह सुधार नहीं कर सकती। राजस्व का आधा हिस्सा उनको मिलना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो पंचायतों का सचिव है वह न्याय पंचायतों का भी काम करे तो हालत सुधर सकती है।

श्री फूलचन्द बाफणा : कहीं कहीं तो चार–पांच हजार तक की आबादी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह एक हजार दो हजार की आबादी पर हो। इसके लिये आबादी की कोई सीमा निश्चित कर देनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि दोनों में एक ही सेक्रेटरी काम करे तो खर्चा कम हो सकता है। परन्तु एक अपना क्षेत्र अलग मानती है और दूसरी भी अपना क्षेत्र अलग मानती है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है और इसलिये दोनों अलग अलग सेक्रेटरी रखना चाहती हैं। इससे उनका बजट बढ़ जाता है और आमदनी न्याय पंचायत को कुछ नहीं है। स्टाम्प वगैरह के जरिये जो कुछ भी होती है। यह काफी कम है और उससे उनका खर्चा नहीं चल सकता। जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी खुद

Page No 58

(श्री परसराम मदेरणा)

की इनकम कम है। कहीं सेक्रेटरी नहीं है और कहीं है कहीं पार्ट-टाईम रख रखा है। ग्रुप सचिव की योजना है। कई पंचायतें सेक्रेटरी नहीं रखती हैं और खुद ही अपना काम चला लेती हैं। सभी जगह सेक्रेटरी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों–यह सभी ग्राम पंचायतों में नहीं हैं इसलिये डिफिकल्टी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप 8 पंचायतों को मिलाकर एक न्याय पंचायत बना दीजिये। दोनों पंचायतों में कोआपरेशन नहीं है और इसलिये सारा काम बिगड़ रहा है और जो सेक्रेटरी हो वह दोनों पंचायतों का काम करे।

राजस्थान नगरीय भूमि (संशोधन) विधेयक, 1968 प्रवर समिति में रिक्त स्थानों पर सदस्यों का मनोनयन

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, श्री शीशराम पूनिया तथा श्री मूलचन्द डागा राजस्थान नागरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के सदस्य नियुक्त किये गये थे। श्री पूनिया का स्वर्गवास हो जाने और श्री डागा के लोक सभा सदस्य निर्वाचित हो जाने के फलस्वरूप प्रवर समिति में दो स्थान रिक्त हो गये हैं। अतः मैं प्रक्रिया के नियम 180 (3) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि इन दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए श्री गोकुल प्रसाद शर्मा तथा श्री शंकरसिंह रावत को प्रवर समिति का सदस्य नियुक्त किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृति प्रदान की गई)

विधायी कार्य

राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक 1971 का पुरःस्थापन

विधि मन्त्री जी।

उप-मंत्री (श्रीमति प्रभा मिश्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

उपाध्यक्ष : यह है कि विधेयक को पुनःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती प्रभा मिश्रा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक 1971 को पुरःस्थापित करती हूं।

राजस्थान ग्रामदान विधेयक 1971 को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी। अनुपस्थित।

श्री हरिबल्लभ शर्मा। अनुपस्थित।

श्री भगवानदास शास्त्री। अनुपस्थित।

श्री शंकरलाल। विभाजन संख्या 154।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने राजस्थान ग्रामदान विधेयक 1971 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान ग्राम दान विधेयक वास्तव में अपने प्रकार का एक अनूठा विधेयक है और जैसा कि सब को विदित है आचार्य विनोबा भावे की रीति नीति के अनुसार और उनके द्वारा दर्शाये गये सर्वोदय, भूदान और ग्राम दान, इन नीतियों को लेकर अपने देश के अन्दर जो एक हवा चली और अलग अलग प्रान्तों के अन्दर जो भूदान हुए ग्रामदान हुए उसको लेकर के एक विधिवत विधेयक पहले भी राजस्थान विधान सभा में लाया गया था और इसको उचित समझते हुए यह ग्रामदान विधेयक 1971 माननीय मन्त्री महोदय ने, राजस्व मन्त्री महोदय ने, सदन के समक्ष रखा है और इसके लिये फरवरी, 71 में एक अध्यादेश भी जारी किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो उचित है कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की सर्वोदय की नीति के अनुसार ग्रामों के अन्दर ग्राम सभाओं के द्वारा एक स्वतः स्वशासन की प्रणाली का संचार हो, अभ्युदय हो लेकिन जो ग्रामदान विधेयक मौजूदा हमारे सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसको देखने से विदित होता है कि राज्य सरकार ने या उससे सम्बन्धित महानुभावों ने उसके ऊपर गहरा विचार करके इस विधेयक को हमारे समक्ष नहीं रखा है। और इसके अन्दर ध्यान देने की जरूरत है। राजस्थान के अन्दर 84 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और गांव की जनता का ही इससे अधिकतर सम्बन्ध है। आप यह चाहते हैं कि गांव की जनता इस ग्रामदान विधेयक के जरिये कुछ प्रेरणा ले, गांवों के अन्दर ग्राम सभाओं का गठन करे और गांव के अन्दर वह भूमि का दान करे, उसकी तरफ आकर्षित हो और उसका प्रभाव बढ़े तो आपका इसके लिए गांव के लोगों की सलाह लेना पड़ेगी। गांव के लोग इस सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं। यह ध्यान में रखना होगा। हमारी एक प्रकार की प्रणाली होती है, एक विचारधारा होती है, आप ऊपर से को विचारधारा नीचे थोपते हैं चाहे वह कोई योजना हो, वर्क हो और आने वाला विधेयक भी इसी तरह से बनाया जा रहा है। जिन लोगों के लिए आप यह ला रहे हैं वे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं ? क्या आप यह समझते हैं कि यह ग्रामदान विधेयक जिसकी हिन्दी की भाषा क्लिष्ट है और जिस प्रकार का पेचीदा कानून आप बना रहे हैं, क्या गांव के लोग उसको ग्रहण कर सकेंगे ? क्या राजस्थान की ग्रामीण जनता इस कानून के तहत ग्राम दान की तरफ अग्रसर हो सकेगी ? आप अगर इस ग्रामदान विधेयक के अन्दर प्रारम्भ से लेकर अन्त तक देखेंगे तो पायेंगे कि यह अपने आप में स्पष्ट नहीं है।

(श्री शंकलाल)

जहां कहीं भी बात है यह कहा गया है इस विषय के अन्दर गवर्नमेंट विचार करेगी, कुछ करेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्व प्रथम इसके अन्दर ग्राम सभा के गठन का सवाल है, ग्राम दान का सवाल है तो गांवों की घोषणा कौन करेगा ? वह घोषणा करने का अधिकार आपने कलेक्टर को दिया है। वह कलेक्टर ग्रामदान की घोषणा करेगा और उसके बाद ग्रामदान की घोषणा उपयुक्त नहीं है तो अपील सरकार को की जा सकती हैं और सरकार वापिस कलेक्टर को निर्देश देगी कि इसमें घोषणा करनी चाहिये। इसके अन्दर बीच में एक जो भूदान का बोर्ड है उसका भी जिक्र आया हैं। कई जगह कलेक्टर का जिक्र आया है, कहीं भूदान बोर्ड का जिक्र आया है लेकिन न तो इसमें भूदान बोर्ड को पूर्ण तरह से सक्षम बनाया गया है और न उसको जिम्मेवार बनाया गया हैं। और न सरकार को जिम्मेवार बनाया गया है। कहीं तो आपने ग्रामदान के लिए भूदान बोर्ड को और कहीं कलेक्टर को लेकर कहा है और कहीं यह भी कहा गया है कि कलेक्टर अपनी पावर तहसीलदार को डेलीगेट कर सकता है। क्या आप यह उचित समझते हैं कि गांवों की यूनिट्स को नये प्रकार से कायम करना चाहते हैं तो वहां का अधिकार तहसीलदार को दे दिये जायें ? क्या यह उपयुक्त है ?

क्या आप ग्रामदान बोर्ड के प्रति इतना विश्वास नहीं रखते कि आप उसकी पावर को कलेक्टर को देना चाहते हैं ? आप ग्रामदान बोर्ड को इस पावर के लिये रिकोगनाइज क्यों नहीं कर देते ? आपने आगे तहसीलदार और कलेक्टर को भी इसमें डालने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इस तरह से राज्य सरकार के उद्देश्य इसमें पूरे नहीं होंगे, और गांव के लोग उल्टे इस कानून को न समझ कर इसकी विचार धारा में उलझ जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में आपने रिगार्डिंग डेलीगेशन आफ पावर के हिसाब से कुछ और ही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधयेक के क्लाज 7 में कहा है कि ग्राम दान बोर्ड की बैठक, तथा ग्रामदान बोर्ड की सभा के समय और उसके कार्य आदि में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया संबंधी लेजिसलेशन बनाने की शक्ति इसमें होगी। इसी तरह क्लाज आठ में डिक्लेरेशन के बारे में कहा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोर्ड को एमपावर किया है कि बोर्ड इनके रूल्स और रेग्यूलेशन बना सकेगा। और इसके साथ ही यह भी बताया है कि किस तरह से प्रेसक्राइब्ड मैनर के अन्दर रूल्स पब्लिश होंगे। इस तरह से आगे इस विधेयक के खण्ड 22 में बताया गया है। ग्रामदान की घोषणा के पश्चात् किये गये दान के बारे में, एक तरफ तो आप उसे इमीडियेट इफेक्ट से लागू करते हैं दूसरी तरफ उसमें यह समझ लिया जाय कि जो प्रेसक्राइब्ड रूल्स बनेंगे उसके अनुसार नियमन होगा। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जब तक पूरा नहीं हो, जब तक इस एक्ट धारा में जो खामियां हैं उन्हें दूर नहीं किया जाय तब तक मैं तो समझता हूं कि आपका इस

(श्री शंकरलाल)

काम तो चलेगा नहीं इसका तात्पर्य मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह लेता हूं कि यह विधेयक अपने आप में पूर्ण विधेयक नहीं है। इस विधेयक की अलग अलग धाराओं का अलग अलग मतलब निकलता है। इससे तो बहुतसी पेचीदगियां होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में ग्राम सभा का जो गठन होगा। उसमें बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा अपनी स्वयं की एक कार्यपालिका समिति गठित करेगी और उसके डिसीजन सर्वसम्मति से होंगे या ग्राम सभा के 90 प्रतिशत सदस्यों की सम्मति से होंगे। यह मतदान से होगा। इसमें आगे यह और कहा गया है कि जहां गठन होगा उसमें 51 प्रतिशत जो टोटल लैण्ड सेक्शन 11 (ए) के अनुसार होगी, और उसमें से 75 प्रतिशत टोटल नम्बर आफ परसनस होल्डिंग लैण्ड होना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अगर इसमें एक भी जगह एक प्रतिशत भी कम हुआ तो वह ग्राम दान में नहीं आयेगा। आप भी इसमें सोचें कि इसमें 90 प्रतिशत कैसे सम्भव हो सकता है। इस प्रकार ग्राम सभा के अधिकारों में बताया है कि उनको वह सारे अधिकार वैसे ही होंगे जो कि ग्राम पंचायत को होंगे। इसके बारे में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ग्राम सभा को जितने अधिकार प्राप्त होंगे वे ग्राम पंचायत को जो अधिकार प्राप्त हैं पंचायत एक्ट के तहत वह स्वतः ही प्राप्त हो जावेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि गांव पंचायत का काम ग्राम सभा करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान में जहां कि पंचायत जैसी स्वायत्त शासन संस्थायें काम करती हैं उनके पैरेलल या समानान्तर यह ग्राम सभायें भी उन्हीं क्षेत्रों में काम करेंगी। इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ग्राम सभायें और ग्राम पंचायत अपना अपना उत्तरदायित्व निभाने में सफल नहीं होंगी। इसके लिये यह क्लीयर हो जाना चाहिये-ग्राम पंचायत के और ग्राम सभाओं के फंक्शन क्या क्या होंगे। ग्राम सभाओं के कर्तव्य क्या होंगे। ग्राम सभा किसके कण्ट्रोल में रहेगी। क्या ग्राम सभायें जिला परिषद् के कन्ट्रोल में रहेंगी ? क्या ग्राम सभाओं पर पूरा कन्ट्रोल ग्रामदान बोर्ड का रहेगा। इसमें आपको स्पष्ठ नीति अपनानी चाहिये। सरकार को अपनी स्पष्ट नीति की घोषणा कर देनी चाहिये कि वास्तव में आचार्य विनोबा भावे ने जो बताया है उसके अनुसार ग्राम सभायें कार्य करेंगी। राजस्थान के अन्दर ग्राम सभाओं की कार्य प्रणाली में और ग्राम पंचायत में भेद होना चाहिये। इसके नहीं होने से उल्टी पेचीदगियां बढ़ जायेंगी। मेरी राय तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिये कि इन स्वायत्त शासन संस्थाओं में पेचीदगिया नहीं बढ़ने पावें। उसके लिये बढ़ने पावे। उसके लिये पहले इसको पूरे राजस्थान में लागू न करके सिर्फ राजस्थान के एक दो जिलों में ही लागू किया जाना चाहिये। इसको राजस्थान में एक दो जिलो में एज ए टेस्ट केस ले लिया जाय। आप इसको एक दो साल देखिये कि इसमें क्या प्रगति होती है और फिर बाद में अगर वहां ठीक तरह से काम चल जाये तो बाद में सब जगह इसको लागू किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय

(श्री शंकरलाल)

मेरी विचारधारा के अनुसार यह कानून बहुत ही कन्फ्यूजड है। राजस्थान के गांवों की जनता पढ़ी-लिखी नहीं है इस लिये मेरा प्रस्ताव यह है कि इस कानून को पारित करने से पहले इस राजस्थान ग्रामदान विधेयक 1971 को जनमत हेतु परिचालित किया जाये। उपाध्यक्षजी, इसको गांवों में जनमत जानने हेतु परिचालित करना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि लोगों की इच्छा का पता चल सके वरना बिना लोगों की इच्छा जाने आप इस कानून को लागू कर देंगे तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभापति महोदया, मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह यह बात है कि ग्राम सभा को जो भूमि ग्राम दान के तहत प्राप्त होगी उसका अलाटमेन्ट किस प्रकार होगा। इसमें आगे यह कहा गया है ग्राम सभा के पास जो जमीन आयेगी उस जमीन को 19/20 वह अपने पास रख लेगी और एक बटा बीस भाग की जमीन को, जो गांव में पुल बनाया जायेगा, उसमें दे देंगे। इस तरह से यह जमीन अलाट होगी। जमीन के अलोटमेन्ट के बारे में आगे दिया हुआ है–

"(3) The Gram Sabha may in accordance with the regulations made in that behalf, allot any land forming part of the land pool to any landless person or group of landless persons perferably to a co-operative farming society of such landless persons."

इस तरह जमीन ग्राम सभा कोआपरेटिव सोसाइटी को अलाट करेगी। इसमें आगे, सभापति महोदया, यह भी कहा गया है कि पूरी ग्राम सभा ही कोपरेटिव सोसाइटी की होगी। यह सब मिसलेनियस धारा 41 में दिया हुआ है।

41. "Registration of Gram Sabha as co-operative society. Any Gram Sabha may register itself as a co-operative society under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Rajasthan Act 13 of 1965)"

तो फिर सभापति महोदया, ग्राम सभा न रह कर सोसाइटी हो गयी। इस तरह से आप इसमें कनफ्यूजन डालते जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो सहकारिता की नीति अपने राजस्थान में असफल रही है। क्योंकि उसमें पेचिदगियां बहुत हैं। आज तक अपनी राजस्थान जनता इसे समझ नहीं पाई। कौन इसका हिसाब किताब रखेगा इसमें ही आगे जाकर अलाटमेंट की पावर ग्राम दान बोर्ड को दे दी है। इसमें लिखा है

"(4) Any person agrieved by any allotment under this section may make an application to the Gram Sabha to that effect and the Gram Sabha, shall, on receipt of such application, refer the matter for decision to the Gramdan Board."

(श्री शंकरलाल)

फिर, सभापति महोदया, इसमें जो अधिकार आपने अलोटमेंट के ग्रामदान बोर्ड को दिये हैं उसमें आगे सरकार ने अपने पास पावर रख ली है। कि राज्य सरकार चाहे तो ग्रामदान बोर्ड के द्वारा अलोट की हुई जमीन को केन्सल कर सकती है। इस प्रकार सभापति महोदया, मेरा निवेदन यह है कि यह कानून बहुत ही जटिल हो गया है और लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करेगा। इस ग्रामदान विधेयक के अन्दर बहुत सी धारायें हैं वह ऐसी हैं जो कि राजस्थान टिनेन्सी विधेयक की धाराओं पर आधारित हैं, उसमें जो धारायें हैं वह इसमें भी हैं। कई धारायें इसमें कोपरेटिव एक्ट में हैं वह इसमें भी हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पहले लोगों को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का अध्ययन करना पड़ेगी, और फिर कोपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा और इन सब कानूनों के अध्ययन करने के बाद ही ग्राम सभा अपना कार्य कर सकेगी। और ग्राम सभा सफलतापूर्वक चल सकेगी। गांवों के लिये एक छोटा सा कानून रखें, जो पंचायत समिति के कानून से दूर हो जो कोआपरेटिव सोसायटीज के कानून से दूर हो और निश्चित प्रक्रिया से एक कानून लाने की व्यवस्था करें। मुझे पता नहीं कौन ने और किन महानुभावों ने आपको यह कानून बनाने की सलाह दी है। क्या आप इससे विचारते हैं कि आचार्य विनोबा भावे के उद्देश्यों की पूर्ति होगी? कदापि नहीं होगी। जल्दी में कानून बना कर चाहे आप खुश हो जायं और सोचलें कि हमने कानून बना दिया लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। जो आपने पहले एक कानून बनाया उसको भी वापिस लिया, इसी तरह इस कानून को भी आपको वापिस लेना पड़ेगा। इसलिये अच्छा है आप पहले से ही स्वीकार न करें, पहले से ही उसे जनमत जानने हेतु प्रसारित कर दें। गांवों में पब्लिसिटी करें, प्रचार-प्रसार करें और फिर इस कानून को लायें तो अच्छा होगा। आज आपने वह तो कह दिया वकीलों के लिये कि अदालतों में विवाद के लिये ग्राम सभा को सील होगी, गांव का अधिकार होगा। रेन्ट रियलाइज कर देने का अधिकार होगा किन्तु आप पंचायतों की एजेन्सी की तरह अब ग्राम सभाओं को ऐजेन्ट बनाना चाहते है। आप उसको पूरी एक इन्डिपेन्डेन्ट बाडी के रूप में नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है अगर इस विधेयक के द्वारा ग्राम सभा गठित कर दो तो उस उद्देश्य को धक्का लगेगा जिसमें विनोवा भावे की विचारधारा दी है। वह सफल नहीं होगी। विचारधारा सही है लेकिन कानून के रूप में जिस प्रकार राज्य सरकार करना चाहती है उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं मिलने वाली है गांवों में विवाद बढ़ेगा। गांवों में झगड़े बढ़ेंगे, गांवों में एक तरफ की मिक्स्ड इकनोमी होगी और कई प्रकार की दुविधायें और झगड़े पैदा हो जायेंगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री को निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दें जिससे लोगों की राय आ जाय और उसके बाद एक छोटा सा कानून राजस्थानी भाषा में लायें इस

(श्री शंकरलाल)

प्रकार की भाषा में नहीं जिस में लिखा गया है उदाहरण के तौर पर लिखा है "भूमियों को ग्रामदान के रूप में स्वेच्छ या अन्तरित करने की घोषणा" इसमें गांव के लोग क्या समझ पायेंगे । इसको गांव की भाषा में बतायें, राजस्थानी भाषा में बतायें । इसलिये अगर आप आचार्य विनोबा भावे की विचारधारा को गांवों की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो गांव की जनता की राय लें और फिर एक छोटा सा कानून और सरल कानून बनाया जाय ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

श्री फूलचन्द बाफणा : आपका अमेन्डमेंट तो नहीं है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अमेन्डमेंट वाले बोल लिये ।

श्रीमती सभानेत्री ; अभी तो जनरल बोल रहे हैं···

श्री रामकिशोर व्यास : क्लाजेज बाद में आयेंगे । चार माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिये नाम दिये थे···

श्री फूलचन्द बाफना : वाद-विवाद तो अमेन्डमेंट से ही शुरू हुआ है । अमेन्डमेंट की संख्या आप देख लीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदया, ग्रामदान विधेयक जो आज सदन के सामने है, मैं उसका स्वागत करता हूं । सभानेत्री जी मुझे इस बात में बड़ी शंका है कि आज हमारे देश में कितने आदमी ऐसे हैं जो ग्रामदान के मूवमेंट को, जो देश में चला हुआ है, जिस महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर विनोबा भावे ने चलाया था, समझने वाले हैं? वे उस पर कितना विश्वास करते हैं ? और कितने आदमी ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं? और कितने आदमी ऐसे हैं जो विश्वास करके उस पर अमल करते हैं? इसलिये यह एक विचारणीय प्रश्न है । सभानेत्री जी, मेरा यह नम्र निवेदन है कि ग्रामदान···

श्री मनोहरसिंह मेहता (श्री किशन लाल वर्मा से) : आप तो विराजो चार ही रह जायेंगे । मैं कह रहा हूं इधर केवल चार ही रह जायेंगे । पंच परमेश्वर तो रहने चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्रामदान की इम्पार्टेन्स कितनी है और इस सदन के माननीय सदस्य कितनी इम्पार्टेन्स देते हैं वह इससे मालूम हो जायगा ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी उपस्थिति तो सही मानते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आजादी आ जाने के बाद हम लोग यह महसूस करते थे कि देश में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति आयेगी और अहिंसा के तरीके से आयेगी । ऐसे बहुत से देश हैं जिनको आर्थिक और सामाजिक क्रांति हिंसा के जरिये आई है लेकिन मैं समझता हूं वहां पर वे लोग भी कामयाब नहीं हुये हैं । हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने अहिंसात्मक तरीके से तरक्की की

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और कदम उठाया है। आज इस स्थिति में सरकार द्वारा जिन कामों में देश का उद्धार हुआ है, आर्थिक क्रांति लाने में जितना प्रयास हुआ है उसका नतीजा यह हुआ अभी हाल में जो आम चुनाव हुए उसमें नये तौर से नया नारा देश में दिया कि हम बेकारी हटाना चाहते हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं। उससे ऐसा लगता है अब कोई नया रास्ता अपनाया है पहले तो हम इस काम को भूले हुये थे। इसका मूल कारण क्या है? आप मुझे क्षमा करेंगे कि देश में जो मूल समस्या है इसको दृष्टि में रख कर देश में आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, उसका मार्ग क्या होना चाहिये, वह किस तरह से लानी चाहिये? वह नया तरीका लागू हुआ है और उस तरीके से देश में आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते है। आज तो देश में गरीब बढ़ गये, अमीर बढ़ गये, अज्ञान बढ गये, अगर सही मायने में यह बात चाहते है देश में गरीबी मिटे, अज्ञान मिटे, अन्याय मिटे तो सबसे पहले गांव की दशा सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये लेकिन उसके सम्बन्ध में अमेरिका और इंगलेंड में जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के नाम हैं वह लेकर हमने यह विचार नहीं किया कि गांवों में कोई कम्युनिटी नहीं है। गांवों में जमीदार, मालिक और मजदूर सभी तरह के लोग हैं। इसी तरह से गांवों में साहूकार और मजदूर भी बसते हैं और आज भी बसे हुए हुये हैं। उनका कनफिलक्ट है। जमीदार गांव की जमीन का मालिक है। साहूकार के पास पैसा है। ८० प्रतिशत गांव में शोषण होता है इस तरह गांवों को समझ लिया, गांवों में इकाई है और इस तरह कम्युनिटी प्रोजेक्ट हुआ और जब यह फेल होने लगा तो पंचायत राज कायम हुआ और गांवों में सहकारी आन्दोलन पैदा हुआ। इस तरह का नया मोड आया और सोचा कि आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति आ जायगी। इसलिये पहले कम्युनिटी प्रोजेक्ट के रूप में आया और उसके बाद में पंचायत समितियां आई और अब फिर ये दल दल में फंस गये या यो कहिये फेल हो गये। इस नाकामयाबी का क्या कारण है। इस बारे में सादिक अली कमेटी को बैठाया उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और अभी दो दिन पहले ऐलान किया गया नई कमेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों की जो समस्या हैं गांवों में उनको हल करने का और गांवों में नया रास्ता बनाने का जो मार्ग है हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। मेरी ऐसी मान्यता है और मैं ईमानदारी से बात करता हूं खाली भाषण नही देता हूं कि ग्रामदान का जो मूवमेंट विनोबा भावे ने चलाया है उसको हम चलायेंगे वह अहिंसक सामाजिक क्रांति का मार्ग है। खाली यह नहीं है कि गोकुलभाई भट्ट यहां पर बैठे हैं इसलिए मैं ऐसी बात करता हूं लेकिन उस पर मेरा विश्वास है है और यदि सरकार और सब राजनैतिक पार्टियां उस पर विश्वास करके इस बात की कोशिश करें कि ग्रामदान कामयाब हो तो मेरा विश्वास है कि सामाजिक क्रांति लाने के काम को वह बहुत हद तक पूरा कर सकेगा हम सामाजिक क्रान्ति

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अहिंसा से करना चाहते हैं। हमने स्वराज्य अहिंसा से लिया है, और गांधीजी के मार्ग पर चले तो उसमें कामयाब हुए और दुनियां ने उस पर आश्चर्य किया तो यह भी एक दुनियां के लिये अजीब बात होगी और आज तक दुनियां के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हो तब जब कि हम समस्या को समझें और उसका हल निकालें, और उसमें पार्टीबाजी न हो और सब मिल कर उसको करें। एक बात मुझे याद है कि पंडित जवाहरलालजी जब जिन्दा थे तो उस समय उन्होंने विनोबा भावे के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने दुनियां के बड़े बड़े आदमी देखे, लेकिन विनोबा भावे के बराबर विचारक और सुधारक आज तक मैंने नहीं देखा। वे खुद भी बहुत बड़े आदमी थे और दुनियां उनको मानती थी उनका पंडित जवाहरलालजी ने प्रशंसा की थी लेकिन अफसोस की बात है कि गांधीजी और विनोबाजी की बातों से हम निकल गये और पार्टीबाजी और चुनावों के दलदल में फंस गये, और कुर्सियों पर बैठने का शौक लग गया। मैं किसी एक पार्टी के लिये नहीं कहता, मैं सभी के लिये कह रहा हूं, और गांवों की समस्याओं को मिटाने और गांवों की सेवा का मार्ग जो था उसको हम सब भूल गये। इसलिये हमारे देश के अन्दर जो समस्याएं हमारे सामने आई उनका हल हम नहीं निकाल पाये। जब तक सहकारिता गांवों में नहीं होगी तब तक उनकी प्रोग्रेस होगी नहीं। गांवों में, हम कहते हैं, पहले शोषण और दमन था, लेकिन आज भी गांवों में सरकारी अधिकारी दमन के जरिये से पैसा वसूल करते हैं। आज भी गांवों में सेठों, जमीदारों और जागीरदारों का वही शोषण चला आता है। मैं खुद गांव से आता हूं इसलिये मैं उनकी परिस्थिति से वाकिफ हूं। पहले के मुकाबले में आज सरकारी अधिकारियों द्वारा, सरकार की ओर जो एजेन्सियां हैं उनसे मिलकर गांवों का शोषण और दमन ज्यादा बढ़ गया है लेकिन हमारी सरकार मानती है कि गांवों में खुशहाली फैल रही है।

अब यह सरकार इस चक्कर में है कि फेज प्रोग्राम लागू किया गया है जिसके जरिये वे कहते हैं कि गांवों की और देश की बेकारी दूर होगी। पिछली बार कुछ दिन पहले मैं यहां सदन में बोला था एक एक डिमाण्ड के सिलसिले में, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की डिमाण्ड चल रही थी तो मैंने एक स्कीम रखी थी और अलवर जिले का उदाहरण देकर मैंने यह बताया था कि अलवर जिले की आबादी 22 लाख की है और उसमें कपड़े की खपत 30 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष माना जाय और उसका हिसाब लगाया जाय तो साल भर में 360 लाख रुपये की कीमत का कपड़ा अलवर जिले को चाहिये यानी अलवर जिला 1 लाख रुपये रोज का कपड़ा कनज्यूम करता है तो अगर कपड़े की ही व्यवस्था ऐसी बैठाई जाय कि वह वहां पर ही तैयार हो तो हम अलवर जिले में 20 हजार आदमियों को कपड़ा पैदा करने में लगाकर रोजगार दे सकते हैं। मैंने पिछली बार सारे फिगर्स दिये थे, लेकिन इस बात पर ध्यान दे कौन? बेकारी के लिए फेज प्रोग्राम चालू

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किया है उसमें तीन रुपया रोज देंगे तो तीन रुपया रोज में मजदूर तो मिलता नहीं है गांवों में। इस तरह से गांवों में जो लोग रहते हैं उनकी मूल समस्या को नहीं समझेंगे और इधर-उधर की कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे कभी पंचायत समिति की ओर कभी पंचायत की ओर इसी तरह से अन्य प्रोग्राम्स पर विचार करते हैं लेकिन इसकी मूल समस्या को हल नहीं करते हैं। यह बात गांधीजी ने बताई थी कि गांव को एक इकाई समझें यानी गांव के अन्दर जो कुछ भी हो वह गांव वालों का हो और गांव पर गांव वालों का राज्य हो गांव की पैदावार का मालिक गांव हो और गांवों के अन्दर जितनी प्रोडयूस हो वह गांव के अन्दर ही काम आये और गांवों की जो जरूरत की चीजें हों वे गांवों के अन्दर ही पैदा की जायं मैंने अपनी जिन्दगी में देखा है कि हमारे यहां कपास पैदा होता था तो कपास से रूई बनाकर औरतें कातती थीं और जुलाहे कपडा पैदा करते थे। मेरे गांव की आबादी 7 हजार की है और प्रति वर्ष एक आदमी 30 रुपये का कपडा कन्जूम करे तो 2 लाख रुपया वहां से कपड़े के लिए बाहर जाता है। अब वह व्यवस्था खत्म हो गई और गांव गरीब हो गये। आज 365 लाख रुपये का कपड़ा अलवर जिले में कन्जूम होता है वह पैसा कहां जाता है ? गांवों की जो पैदावार होती है और गांव के जो खेत पैदा करते हैं अनाज वगैरह तो वह 365 लाख रुपया बम्बई और अहमदाबाद की मिलों को जाता है तो हम गरीब नहीं होंगे तो क्या अमीर होंगे ? वहां पर कोई धन्धा नहीं रहा। जो चीजें हम गांवों में कन्जूम करते हैं उसका धन्धा गांवों में होना चाहिए सरसों गांवों में पैदा होती है, लेकिन उसका तेल बाहर जाकर मिलों में निकलता है और वही तेल वापस गांवों में आता है। एक रोटी ही ऐसी चीज रही है जिसको गांवों के लोग हाथों से बनाते हैं। और पढ़ाई ज्यादा होगी तो गांवों में भी होटल खुल जायेंगे।

हमें गांवों की गरीबी का मूल कारण जो है उसको समझना चाहिए। गांवों में जो चीजें कन्जूम होती हैं और जो कि गांवों में बाहर से आती हैं उन चीजों को अपने गांवों में ही पैदा करें, चाहे वह तेल हो, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे और चीज हो। यह काम गांवों में तब चल सकता है जब कि गांवों को सहकारिता के आधार पर आयोजित करें। अभी कोई सदस्य भाषण दे रहे थे तो ग्रामदान के बारे में बात कह रहे थे। ग्रामदान के मूवमेंट का बेसिस ही यही है कि गांव के आदमियों को समझाएं और इस बात के लिए तैयार करें कि वे लोग अपनी जमीन को सबकी समझें और गांव को दे दें। उस सारी जमीन का मालिक गांव हो जायगा, और उसकी एक गांवसभा बन जायगी और उसका मेम्बर हरेक एडल्ट आदमी होगा। इसमें सरकार का कुछ नहीं है। सरकार उसको रिकगनाइज करेगी। इस तरह की व्यवस्था गांव वाले चाहते हैं और उससे यह काम होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्रामदानी गांव बनने से गांव के जितने भी सेक्शन के लोग हैं चाहे मजदूर हों, चाहे साहूकार हों, चाहे बढ़ई हो और चाहे कोई भी बेकार हों उन सबको धन्धा मिल जायगा, उनको जमीन मिल जायगी और सारा गांव उस जमीन का मालिक हो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

जायगा और इस ढंग से वह उसकी हो जायगी, और उस गांव की जमीन पर हरेक आदमी को काश्त करने का अधिकार होगा। अगर वह काश्त करेगा तो गांव की परमिशन से करेगा। गांवों में सहयोग से काम करने का और गांव की तरक्की करने का यह मार्ग है इसके अलावा इसको और कोई आधार नहीं हैं।

विनोबा और गांधीजी जैसे महापुरुष बहुत कम पैदा होते हैं। उनका बताया हुआ मार्ग अगर कोई है तो वह ग्रामदान का रास्ता है। यह जो आज अन्याय का राज्य चल रहा है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ग्राम दान अमेण्डमेण्ट से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि कानून बना देने से कुछ नहीं होता हैं। 'घर का जोगी जोगना' कहलाता है। दुनिया में विनोबा और गांधी को सबसे बड़ा आदमी माना जाता है। हम यह मानकर चलें कि यह बात ठीक है। आज आप को वोट तो मिल गये हैं, लेकिन बेकारी से आदमी को मुक्ति नहीं मिली है। आज सहकारिता के नाम से क्या क्या होता है। आज ग्रामों के लिए दो ही मार्ग हैं। सर्वोदय और सहकारिता आज सहकारिता से गावों का संकट ज्यादा बढ़ गया है। गरीब और ज्यादा परेशान हो गया है। हमारे गांव आज बरबाद हो रहे हैं। इसलिए गांवों को आबाद करना है। ग्राम क्रान्ति लानी है। तो फिर ग्रामदान के अमेण्डमेण्ट को बिना भेदभाव के पास करें। इसमें विश्वास करके इसको कायम करना चाहिए। यही हमारी मान्यता है। अगर कोई सर्वोदय के बारे में बात करना चाहता है तो वह मेरे से बात कर सकते हैं। जब बिनोबा जी राजस्थान में आये थे तो मैं उनके साथ रहा हूं। मैंने उनके साथ में पदयात्रा भी की है। यदि कोई सर्वोदय के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास पुस्तकें भी हैं। मैं पुस्तकें उनको दे सकता हूं। यहां गोकुल भाई भट्ट भी बैठे हैं वे तो इस विषय के आचार्य हैं। सर्वोदय देश की एक अनोखी नायाब चीज है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) हमें भी इसका ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि ग्रामदान अमेण्डमेण्ट कानून बनाकर, इसको खाली कानून बनाकर ही कुछ नहीं होगा बल्कि सब को सहयोग देना चाहिए। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : सभानेत्री जी, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज सदन में ग्रामदान विधेयक प्रस्तुत हुआ है। पिछले साल भी एक बार चर्चा की थी कि ग्रामदान विधेयक आ रहा है। परन्तु जाने किन कारणों से ग्रामदान विधेयक पिछले साल पास नहीं हो सका और इसीलिए रास्ते में कई रुकावटें भी आईं और जो कुछ भी ग्रामदान के सम्बन्ध में प्रगति होने वाली थी वह प्रगति नहीं हो सकी। वास्तव में मुझसे पहले जो माननीय सदस्य ने विचार रखे हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि ग्रामदान विधेयक हमारी ग्राम समस्याओं का हल है। यह एक मौलिक प्रश्न है। और एक मौलिक विचारधारा है। सत्य और अहिंसा पर आधारित हैं। यह विचारधारा केवल हमारे देश में रखी जा सकती थी। और इस विचारधारा को रखने वाले सन्त बिनोबा ही हो सकते थे। दूसरा कोई भी संसार महापुरुष इस मूल विचारधारा को रख नहीं सकता था। इसका एक इतिहास

(श्री आदित्येन्द्र)

है। यह एक ही दिन में ग्रामदान की विचारधारा नहीं आई। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जिस समय दक्षिण में और हैदराबाद में हिंसा और हत्यायें कर रहे थे। उस समय एक विचार पैदा हुआ। विनोबा जी को सबसे पहले यह विचार पैदा हुआ कि वह दक्षिण में जाकर यात्रा करें। यात्रा उन्होंने की। एक नई विचारधारा उन्होंने वहां दी। वहां के युनिटों ने भी माना कि यह एक अच्छी विचारधारा है। इसका ठीक तरह से प्रचार किया जाये तो निश्चित रूप से हमारे देश में ग्राम की समस्या, भूमि की समस्या हल हो सकती है। यह ठीक है कि हमने सत्ता के बारे में तो सोचा लेकिन इस पर विचार किया ही नहीं। हमारी सरकार पर जब इधर उधर से दबाव आते हैं तो इस विधेयक को ले आती है। लेकिन कानून बनाकर अमल में लाने को अभी तक शायद उसकी मन्शा नहीं होगी। अगर हमारी सरकार ठीक तरह से विचार करना चाहे तो यह तभी हो सकता है, जब कि आस्था हो, निष्ठा हो। इस प्रकार से अमल में लायें। जनमत जानने के लिए प्रसारित करने से कोई नई बात सामने नहीं आयेंगी। बल्कि ऐसी बातें आयेंगी जो एक तरह से इसे झगड़े में डाल दें और यह विधेयक पास भी न हो सके। क्योंकि काफी विचार हो चुका है, जनमत भी प्राप्त हो चुका है फिर दुबारा जनमत के लिए परिचालित करने की बात नहीं है। हां, यह बात ठीक है कि अमल में कोई कमियां सामने आती हों तो 4-6 महीने के बाद देखा जा सकता है। उस समय विचार किया जा सकता है कि कौन कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से हम जितनी प्रगति करना चाहते हैं, उतनी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रामदान के महत्व को समझें। यह खाली भूमि को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे को देना ही नहीं है। ग्रामदान एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। अभी हमारे अलवर से आये माननीय सदस्य ने बताया है कि अगर हम बेकारी और बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते हैं इसको तुरन्त अमल में लाना चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम इस विचारधारा के साथ हैं। इस विचारधारा के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो उस गांव का रहने वाला है वह अपनी, जो कुछ भी उसके पास भूमि है, उस भूमि का एक बटा बीस हिस्सा गांव वालों के लिए सौंपेगा। मतलब, एक गांव की आबादी पांच सौ है और उसमें सौ घर हैं तो वह सौ घर अपने अपने पास से एक बटे बीस हिस्सा जमीन का पूरे गांव के लिए देंगे और गांव में मान लें, एक हजार एकड़ जमीन है तो एक बटे बीस के हिसाब से पचास एकड़ जमीन उन भाइयों के काम आयेगी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। यह ठीक बात है कि उस जमीन को किस प्रकार काम में लायें, ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार उस जमीन से पैदा करें जिससे उन लोगों का गुजारा हो सके। वह चीज स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है लेकिन उसको उस गांव वालों के ऊपर छोड़ा गया है कि वह गांव वाले स्वयं विचार करेंगे, आपस में बैठकर सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा उपयोग इस जमीन का कैसे हो सकता है। साथ में जो स्वराज

(श्री आदित्येन्द्र)

ग्राम दान के जरिये आयेगा, उस ग्राम स्वराज्य को ठीक प्रकार से चलाने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं है, लेकिन जो कुछ उत्पादन होगा, उस उत्पादन में से प्रत्येक किसान एक मन में से एक किलो एक तरह से ग्राम कोष के लिए देगा, चालीस वां हिस्सा, जो किसान नहीं हैं, जो दूसरे काम करते हैं वह अपनी आमदनी से तीसवां हिस्सा उसमें देंगे और उसकी व्यवस्था के लिए एक सभा होगी, इस सभा में आज की जो वोट प्रणाली है, जो चुनाव पद्धति है, वह चुनाव पद्धति काम में नहीं ली जायगी। चुनाव पद्धति की जगह एक चीज इस प्रकार से होगी, सब लोग वयस्क होंगे, स्त्री पुरुष, वह एक जगह पर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होकर सर्व सम्मति से या सर्वसम्मति से पूरे तौर से नहीं हो सके, इक्के दुक्के आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनकी सम्मति नहीं हो तो उन्हें बाद में समझा दिया जायगा, लेकिन प्रबल बहुमत से 95 पर्सेन्ट या 90 पर्सेन्ट के बहुमत से फैसला करेंगे कि अमुक आदमी हमारा अध्यक्ष हो, और इस तरह से जो और दूसरे पंच होंगे उनको इस प्रकार से बनायेंगे। इनकी सभा होगी, वह सभा समय समय पर बैठेगी और अपना फैसला सर्वसम्मति से करेगी, वहां यह नहीं होगा कि पांच आदमी एक तरफ, तीन आदमी एक तरफ इस तरह का फैसला नहीं होगा। तो इस तरह फैसला करने से एक नया वातावरण बनेगा, देश में नई प्रेम की भावना पैदा होगी। आज हो गया है द्वेष और हिंसा का वातावरण वह वातावरण दूर होगा, जिसकी कि आज बड़ी भारी आवश्यकता है। आज न केवल अपने देश में, बल्कि तमाम दुनिया में, अपने देश के बाहर हम यह देख रहे हैं कि एक प्रकार का वातावरण बनता चला जा रहा है, कि हम एक दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। सत्ता और रुपये की होड़ है इससे हमें बड़ा भारी नुकसान पहुँच रहा है। तो आज सबसे बड़ा लाभ होने वाला है, वह लाभ यह होगा कि हम एक दूसरे से प्रेम के आधार पर, एक दूसरे की एकता के आधार पर चलेंगे, उस एकता के आधार पर चल कर हम अपनी समस्या को हल करेंगे। आज अगर हम एक एक गांव को एक एक इकाई मानकर चलें तो यह जो कुछ भी बेकारी, बेरोजगारी की समस्या है जिस पर अरबों रुपया खर्च करना चाहते हैं, वह अरबों रुपया उस पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह उससे बहुत कम खर्च में हल हो सकेगी। आज मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से, साथियों से अपील करता हूं, इस विधेयक पर हम लम्बी चौड़ी बहस में न पड़ें क्योंकि यह विधेयक इस प्रकार का है जिसकी कि विचारधारा स्वयं विनोबा जी ने एक रूप से दी है, इसकी रूप रेखा उन्होंने दी है और उनके अलावा इस प्रकार विचार विनोबा जी के पक्के अनुयायियों के हैं, जिन्होंने इस काम को किया है, जो गांवों में गये हैं और जो अभी तक सेवा कर रहे हैं उन्होंने इस विचार धारा को दिया है। छोटी मोटी अनेक बात हैं, वह अमेंडमेंट के जरिये इसमें सुधार करने के लिए हो सकती है। वह सुधार भी इस प्रकार का हो जिससे कि हमारे यहां लाभ हो, और इस विधेयक के द्वारा ठीक प्रकार से काम हो सके। इसलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी...

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : आप बाद में बोलें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं बाद में निवेदन कर लूंगा। आप बोलिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभानेत्रीजी, ग्राम दान विधेयक के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, इस सम्बन्ध में मैं भी दो बातें कह देना चाहता हूं। ग्रामदान के सम्बन्ध में काफी दिनों से हम सुनते आ रहे हैं विनोबा जी के बारे में कि इस प्रकार की यह भूदान प्रणाली काफी इलाकों में उन्होंने कायम की। राजस्थान में तो हम सुन ही रहे हैं कि भूदान के सम्बन्ध में भी कोई महा कार्यवाही हो रही है। लेकिन सही रूप में राजस्थान में आज तक हमारे सामने इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं आई है। पिछले दिनों हमने यह भी सुना कि बीकानेर जिले को, समस्त जिले को भूदान आन्दोलन में शामिल कर दिया गया है, और उस जिले में समस्त गांवों में फार्म वगैरह भरवा दिये गये हैं, अपने अपने गांवों का दान कर दिया गया है। बड़े अचम्भे की बात है, आप लोगों को मालूम नहीं है, क्या भूदान है, किस प्रकार की प्रणाली हैं। आप लोगों को हमने इस प्रकार की न कोई ट्रेनिंग दी है, न इस बात को वह समझते हैं। एक गांव के लोगों के द्वारा यह सम्पत्ति अपने विचार के द्वारा दान कर दी गई है। इस आधार को लेकर यह आज भूदान के सम्बन्ध में विधेयक पारित किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से सरकार के दारा विनोबा द्वारा चलाये आन्दोलन को सही रूप में गांवों में लागू किया जा सकता है। बात करते हैं विनोबा जी की, गांधी जी की काम करते हैं शैतान जैसा। आज बात तो गरीब को ऊंचा उठाने की करते हैं, और चारों तरफ हम देखते हैं इनकी गतिविधियां और इनके कार्यक्रम, तो हमें बडा अचम्भा होता है। अभी आज सदन खाली है, थोड़े सदस्य क्यों हैं कांग्रेस के क्योंकि चारों तरफ आज शादियां हो रही हैं गांवों में जाकर देखें, चाहे मन्त्री की लड़की की शादी हो, चाहे विधायक के लड़के या लड़की की शादी हो, हजारों की तादाद में लोगों का जमघट लगा हुआ होगा। अनेक मन्त्री वहां पहुंचते हैं, अनेक अधिकारी वहां पहुंचते हैं सत्ता का दुरुपयोग होता है। लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। दूसरी तरफ गरीब भूख से तड़फ रहे हैं, उनके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यहां विधान सभा में बैठकर भूदान के सम्बन्ध में बातें करते हैं और भूदान के लिए यहां विधेयक पारित करवाना चाहते हैं। क्या करेंगे इस ग्रामदान विधेयक से, क्या आपके अन्दर यह विचार है, क्या आपकी सरकार इस विचार को मानती है? आज तक आपने इस प्रकार की कार्यवाही गांवों में की है? सिवाय लूट खसोट के, सिवाय निजी लाभ उठाने के आज तक कोई उदाहरण इतने सालों में पेश नहीं किया गया है। गांधीजी ने जो आपको बताया, गांधीजी ने जो इस देश को मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार आज कोई भी सरकार हिन्दुस्तान में उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए कोशिश नहीं करती। सिर्फ वोट बटोरने के लिए कुर्सी कायम रखने के लिए जनता में भ्रम पैदा करने के लिए इस प्रकार के कानून लाए जाते हैं सही माइने में इन कानूनों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

का कोई अमल नहीं होता। कुछ आदमी ऐसे हैं जो विनोबा जी के साथ लगे हुए हैं सही रूप से काम नहीं कर सकते और इसकी ओट में नम्बरदारी कायम रखना चाहते हैं आज गांवों को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है। किस प्रकार से गांवों के लोगों को समझाया? एक भी उदाहरण पेश करें। राजस्थान में इतने गांव हैं एक गांव के बारे में जानकारी दें यदि आपने कुछ काम किया है तो मेरे साथ चलें और बतायें कि इस गांव की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है। खाली कागजी घोड़े दौड़ाने से प्रगति नहीं हो सकती गांवों में यदि इस प्रकार की ग्रामदान प्रवृति पनपे, लोगों के अन्दर भाईचारा पनपे, बैरभाव खतम हो यह तभी हो सकता है जब कोई ऐसा शासन आगे बढावा देने के लिए तैयार हो लेकिन शासन में बैठने वाले लोग, शासन का समर्थन करने वाले विधायक और शासन के साथ चलने वाले लोग इस बात को कतई पसन्द नहीं करते हैं. निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिए और प्रवृति को पनपाने के लिए इस बात को स्वीकार करें कि यह विनोबा जी के द्वारा चलाया हुआ भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन है, इसके द्वारा राज्य सरकार बहुत कुछ कर रही है। अखबारों में आ जाय। रेडियो पर प्रचार हो जाए और दुनिया और दूसरे प्रांतों में भी इस राजस्थान सरकार का यह प्रचार हो कि राजस्थान में काफी गांव ऐसे हैं जहां कई ग्रामदान हुए हैं, वहां विनोबाजी के चलाए हुए आन्दोलन में काफी गांव जिले के जिले [illegible] न हो गए हैं। इस प्रकार हवा बना देना चाहते हैं। सही मायने में मैं समझता हूं राजस्थान में एक भी गांव में आज तक आप लोगों ने विनोबा के विचारों के अनुसार लोगों को नहीं समझाया। और कौन आदमी ऐसा होगा जो इस प्रकार की प्रवृति में शामिल होगा? आप खुद नहीं होते हैं। किसी मन्त्री ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दानकिया? तो फिर कैसे एक गरीब अनपढ़ आदमी इस बात को समझ सकेगा? यह तो आप लोग ही उदाहरण पेश कर सकते है सरकार में बैठने वाले समाज की मुख्याई करने वाले व्यक्ति समाज के नीचे वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए इस प्रकार का वातावरण गांवों में पैदा कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है. खाली कानून पास करना है। इतना बड़ा पोथा बनाया है। न मालूम कितने जिला स्तर के अधिकारियों और नौकरशाही का बोलबाला इसके अंदर है। गांव के प्रतिनिधियों पर छोड़ें। यदि आपको ग्रामदान की प्रवृत्ति को पनपाना है तो स्वतन्त्र रूप से गांव के लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तब तो समझेंगे कि सही मायने में आप लोग विनोबाजी के द्वारा चलाए हुए इस आंदोलन में लोगों को लेना चाहते हैं। नहीं तो आप खाली वाहवाही लेना चाहते हैं। केवल कानून पास करने से कोई लाभ नहीं। मुझे तो भरोसा नहीं। आज तक इस सरकार ने जनता का शोषण किया है और करोड़ों रुपये इकट्ठे किये हैं और अब ये ही जाकर वहां गांवों में यह कहेंगे। अब तो बाबाजी कातरा मारें, दूसरों को प्रमोद बतावें। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक साधु

(श्री रामचन्द्र आर्य)
था जंगल में। तालाब से सांडा निकाल कर खा रहा था, एक लड़की उसको देख रही थी। दूसरे दिन वही आदमी साधू जोगी बनकर गांव में आया। लड़की ने देखा कि यह तो वही आदमी है जिसको मैंने कल सांडा मारते हुए देखा था। जब लड़की ने उससे यह बात कही तो साधू बोला : बालकी ए बालकी, तू बात करे है साल की, साधू किसका सांडा मारे, सैल करे है ताल की।

इस प्रकार एक तरफ आप लोग इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को प्रबोध बना रहे हैं, इस प्रकार का कानून पास कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं। आप यदि सही मायने में राजस्थान ग्रामदान विधेयक पास कराना चाहते हैं तो पहले जितने मंत्री हैं उनको एक हिस्सा संपत्ति का जमा करवाना चाहिए तब तो समझेंगे आप सही मायने में····

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विधायकों को नहीं कराना चाहिए ?

श्री रामचन्द्र आर्य : वह तो अपने लड़के लड़कियों की शादी में थोड़ा धन बटोर लेते हैं बाकी सारा माल तो इन्हीं लोगों के कब्जे में है। कुछ आदमी तो आपके ऐसे हैं जिन्होंने सूबेदारी सिस्टम कर रखा है। कर्मचारियों को इधर उधर लगाना, प्रोफिट कमाना, यह कुछ करते हैं बाकी सारा माल मंत्रियों के हाथ में है और मंत्रियों की इतनी बड़ी सूची है। यदि हर मंत्री अपना हिस्सा जमा करायें तो फिर किसी विधायक ने बेईमानी की है तो उसको कह देंगे। नहीं कराया तो कहने की जरूरत नहीं है। जिसने समाज की चोरी की है, उससे भी कहेंगे कि हिस्सा जमा कराओ, आप भी ग्रामदानी बनने की चेष्टा करो लेकिन यह होने वाला नहीं है। खाली कानून है, कानून आप इसलिए पास करा रहे हैं कि जनता में असंतोष है वह किसी तरह से न भड़क उठे। विनोबाजी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। लोगों के अन्दर निराशा पैदा की है। इससे मतलब हल नहीं हुआ है क्योंकि देश में क्रांति को और 5-10 साल दूर ले गये। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी असंतोष भड़के और इन लोगों को घेरे और इनकी संपत्ति को लूटे क्योंकि इन मंत्रियों ने समाज की चोरी की है। चोरी करने वाले व्यक्ति को समाज कब तक बख्शेगा ? समाज के असंतोष पर ठंडा छींटा देते हैं तो भी दोषी हैं। गांधीजी के बाद विनोबाजी आए, उनका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ लेकिन क्या हुआ उस प्रचार का ? उस ग्रामदान का क्या नतीजा आया ? कितनी बेरोजगारी देश से मिटी ? न मिटने वाली है। एक तरफ लोग इकट्ठे करते जांय दूसरी तरफ मांग मांग कर ला रहे हैं दूसरी तरफ लूट रहे है। इससे कोई लाभ नहीं। मैं इस विधेयक को अच्छा समझता हूं, विनोबा जी ने जो विचारधारा चलाई उसको यहां के शासकों ने लागू नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया क्योंकि लागू करने के बाद सत्ता एक जगह इकट्ठी नहीं रहती, गांवों में चली जाती तो इतनी ताकत नहीं रहती। पंचायतों को बेअसर कर दिया। पंचायती राज संस्था, जो प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत कर सकती है, का नामो-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

निशान मिटा दिया, उनके पास अधिकार जैसी चीज नहीं छोड़ी। ग्रामदान की बात करते हैं। मैं नहीं समझता, ग्रामदान का विधेयक पास करने के बाद में किस तरह बीच में दखलन्दाजी नहीं करेंगे ? आपने पंचायत राज में दखलंदाजी की है तो ग्रामदान की कमेटी बनेगी उसमें भी करेंगे। यह कानून जो पास कर रहे हैं यह इसका प्रमाण है। यह जो प्रवृत्ति देश में पनप रही है लोगों के अंदर जो असंतोष भड़क रहा है उसको रोकने के लिए कोई ऐसे कदम उठायें जिनसे देश की स्वतन्त्रता कायम रह सके। यदि प्रजातंत्र कायम नहीं रहेगा तो नतीजा क्या निकलेगा ? किसी की इज्जत सुरक्षित रहेगी न आपकी रहेगी न भले आदमियों की रहेगी। भूखा और नंगा ज्यादा दिन इस बात को सहन नहीं करेगा और इनके महलों को तहस नहस करेगी। इसलिए खाली कानून पास नहीं करें। प्रेक्टिकल रूप में सही मायने में कदम उठायें। आपने जो कुछ गलतियां की हैं उनको न दोहरायें। पिछले दिनों में एक इश्तहार पढ़ा था। सदन में इसलिए नहीं पढ़कर सुनाया कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हुई थीं लेकिन जो लोग वहां गए थे श्री जयकृष्ण की लड़की की शादी में उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्य वहां पर हुए। आज हंसराज की लड़की की शादी है। वहां पर मुख्य मन्त्रीजी गये हुए हैं, तमाम जिले के अधिकारी गये हुए हैं और तमाम मन्त्री वहां गये हुए हैं। मैं नहीं समझता कि लड़के या लड़की की शादी में आदमी इतने इकट्ठे हों। शादी लड़के और लड़की की होती है और इकट्ठे बीस हजार आदमी होते हैं। आपको मालूम है कि ये इतने आदमी क्यों इकट्ठे होते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए 100, 200, 500 रुपया उपहार के रूप में और हजार-हजार और दो हजार रुपया इकट्ठा करने के लिए, लाखों रुपया बटोरने के लिए इस प्रकार के उत्सव मनाये जाते हैं,

श्रीमती मदन कौर : आप भी अपनी लड़की की शादी कर लो।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने तो लड़की वाले को कह दिया कि लड़के की शादी में मैं पांच आदमी भेजूंगा बरात में। लड़के और लड़की की शादी में बीस, बीस हजार आदमी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। महज इसलिए इकट्ठा करते हैं कि पैसे इकट्ठे किये जायें उपहार के नाम से, किसी और तरह से रुपया इकट्ठा हो और हमारी शान समाज में ऊंची हो कि मुख्य मन्त्री आये हैं, अधिकारी आये हैं। और इतने मंत्री आये हैं और इतने अधिकारी प्लेट उठाते फिर रहे हैं। चाहिए तो यह कि जो जन प्रतिनिधि हैं, उनको गरीबों के साथ रहना चाहिये अलग से दल बना रहे हैं अलग से समाज खड़ा कर रहे हैं, मंत्रियों और अधिकारियों का अलग से समाज खड़ा कर रहे हैं। क्या इस तरह के कारनामों से गरीबों के मन में आपके प्रति घृणा नहीं हो रही है ? इस प्रकार के उत्सव मनाये जा रहे है इनका पैसा कहां से आता है ?

दिल्ली में एक सिनेमा का उद्घाटन हुआ और गंगानगर जिले से तमाम अधि-

Page No 75

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कारी वहां पर चले गये और उनके साथ उनकी पत्नियां भी गयीं। अब किसलिए गयीं ? तीन दिन तक सारे जिले के अधिकारी गैरहाजिर रहे। क्यों गये ? क्या काम था उनका ? जनता के खजाने से ये तनख्वाह लें और दिल्ली में किसी मन्त्री की औरत के नाम से सिनेमा बने, उसके उद्घाटन में वे शामिल हों। इस प्रकार से चापलूसी की भी हद होती है। राजाओं के जमाने में और जागीरदारों के जमाने में गुलाम होते थे और दरोगे रहा करते थे लेकिन आज के अधिकारी तो उन दरोगे से भी बदतर हैं. इनकी हालत उनसे भी बदतर हो गयी है, आज झूठी प्लेट उठाते हैं। खाली पांच पैसे कमाने के लिए और तबादले रुकवाने के लिए इन लोगों की ये अधिकारीगण चापलूसी करते हैं जिस तरह से पहले दरोगे किया करते थे। वे भी अपनी शान समझते थे लेकिन आज के अधिकारी इतने निकम्मे हो गये हैं कि न तो उनकी हैसियत रह गई है और न कोई अस्तित्व ही समझते हैं। पीछे पीछे फिरते हैं। जिस तरह से कुत्ते झूठन के लिए फिरते हैं उसी तरह से ये अधिकारी मन्त्रियों के पीछे पीछे फिरते हैं। एक मन्त्री की औरत के नाम सिनेमा है और तमाम अधिकारी भागे। किसी की लड़की की शादी है तो तमाम अधिकारी उसकी शादी में जायें। जो आज किसी की शादी में बान भरने जा रहे हैं वे आपके यहां यदि कोई शादी होगी तो कोई बान भरायेंगे—कभी नहीं। यह रिश्वत, यह बेईमानी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक तरफ तो आप इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं दूसरी तरफ ग्रामदान के सम्बन्ध में विधेयक पास करके विनोबा जी की भावनाओं के आधार पर गांवों में कमेटी बना देना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह से इस कानून को आप लागू करेंगे तो इसका कोई फल निकलेगा। लेकिन आप इसको पास करवा लें। विधान सभा में अनेक कानून पास होते हैं यह भी पास हो जावेगा और हम इसका विरोध भी नहीं करेंगे क्योंकि यह कानून अच्छा है। लेकिन इसको लागू करवाने के लिए कितने बुद्धि वाले व्यक्ति हैं और क्या ये सचमुच इसे लागू करना चाहते हैं। यह तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है जो कि इसको कार्य रूप में परिणित करेंगे। पास करना तो विधान सभा के हाथ की बात है लेकिन उसको लागू करना तो उन अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि आप में त्याग की भावना नहीं होगी तो यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक कानून होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक के अन्दर जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाय और दूसरे सदस्यों ने जो संशोधन दिये हैं उनको स्वीकार किया जाये और इस विधेयक को नौकरशाही से मुक्त रखा जाये। पंचायतों पर आपने नौकरशाही को थोप दिया, यदि इसके ऊपर भी नौकरशाही को थोप देंगे तो इसका फल सामने आने वाला नहीं है। यही शब्द कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभानेत्री जी, यह राजस्थान ग्रामदान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विधेयक 1971 जिस मन्शा से लाया गया है और जो भावना इसमें नीहित है मैं समझता हूं कि केवल प्रदेश का ही नहीं देश का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा परन्तु सचमुच में क्या राज्य सरकार इस विधेयक को पारित कराके जैसी व्यवस्थायें इस बिल के अन्दर दी गई हैं क्या ईमानदारी से और नेकनीयति से उनको राजस्थान में लागू करना चाहती है ? दुःख यह है, सभानेत्री जी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार आजकल केवल नारों के पीछे चली जा रही है । नारे हैं लेकिन नारो के पीछे क्रियान्विति नजर नहीं आती । महात्मा गांधी का नाम ये लेंगे, सन्त विनोबा भावे का नाम ये लेंगे और बड़ा दुःख होता है कि राजस्थान के अन्दर जो हमारे तपे हुए नेता हैं जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कुरबानी दी है, त्याग किया है आज उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ करने में राजस्थान की सरकार पीछे नहीं रह रही है । गोकुल भाई भट्ट के लिए यदि मैं कहूं कि वे हमारे राजस्थान के गांधी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी लेकिन यह राजस्थान की सरकार उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं रही । वे भले हैं और उन्होंने जीवन में संघर्ष किया लेकिन संघर्ष के उपरान्त आज स्थिति ऐसी बन गई कि राज्य सरकार की दया पर वे आज अपने आन्दोलन को राजस्थान के अन्दर चला रहे हैं ।

मैं, सभानेत्री जी, आपके माध्यम से जो सन्त विनोबा जी के और महात्मा गांधी के भक्त इस सदन में हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के अन्दर मद्य निषेध के लिये नारा नहीं दिया था ? क्या जिस समय गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में मद्य निषेध का सत्याग्रह चला तो राजस्थान की सरकार ने थोथे आश्वासन नहीं दिये ? क्या हुआ उन आश्वासनों का ? वे सारे ही आश्वासन अपनी ही जगहों पर पड़े हैं । मद्य निषेध तो दूर स्थिति यह है कि कल आपने राजस्थान के वित्त मन्त्री श्री मथुरादास जी माथुर का विधान सभा में भाषण सुना था उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि उन क्षेत्रों में जहां शराबबन्दी नहीं है राज्य सरकार की नीयत है कि अधिक से अधिक आमदनी उन क्षेत्रों से की जाये । तो जिस राज्य सरकार की कहनी और करनी में अन्तर है क्या उससे आशा की जाये कि वह किसी प्रकार से ग्रामदान विधेयक को कार्यान्वित करना चाहती है ? ऐसी स्थिति, सभानेत्री जी, नहीं है ? इसके पूर्व कि मैं और प्रश्नों पर जाऊं मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आन्दोलन इस परिवर्तन की दृष्टि से लाया गया है उसको कितने रूप में पूर्ण किया गया है ? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की नीयत है कि इसको वह ईमानदारी से लागू करना चाहेगी ? इस बिल को आप प्रारम्भ से अन्त तक देखेंगे तो राज्य सरकार यह नहीं चाहती है कि पारित होकर इसका एक्जीक्यूशन हो । ग्राम सभा बने, वह कार्य करे और उसकी एक निधि बने, यह राज्य सरकार नहीं चाहती है । इसके प्रारूप में बहुत जोरों से लिखा गया है । क्लाज 1 में लिखा है "It shall come in

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

to force at once एकदम यह फोर्स में आवेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आप से कहना चाहता हूं कि बिल के पास होते ही क्या सारी धारायें लागू हो जावेंगी? इसमें कोई भी क्लाज ऐसा नहीं रखा गया है जिसमें यह नहीं रखा है कि 'by prescribed rules रूल्स प्रेस्क्राइब होंगे, नियम बनाये जावेंगे। क्लाज 15 कहता है कि एक्जीक्युटिव कमेटी बनेगी। नियमों का पता नहीं, एक्जीक्यूटिव का चुनाव हो जावेगा। उसके बाद अध्यक्ष बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे रूल निर्धारित करेगा। फंक्शन कैसे होगा? जैसे रूल निर्धारित करेगा। बिजिनेस क्या होगा? जैसा रूल निर्धारित करेगा। रूल्स कब से बनेंगे? 72 के चुनाव जब सिर पर मंडरा रहे होंगे विधान सभा बुलाने की फुरसत मिलेगी नहीं, तब नियम बनायें जायेंगे। सभापति महोदया, राजस्थान ग्राम दान एक्ट 60 में बना था और 11 साल हो रहे हैं 71 में। उसको रिपील करने की आवश्यकता थी क्योंकि इस प्रकार का मोडल बिल लाना चाहते हैं। वह एक धोखा है। जो एक्ट बना उसका कितना एक्जीक्यूशन हुआ है? नहीं पता है। एक्ट का फाड रहा है। जो हमारे संत हैं, सेन्टीमेन्टल हैं उनके दिल की बात करके राज्य सरकार उस पर बैठ गयी है, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है और किया जा रहा है। उस एक्ट में और इस बिल में विशेष कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल धोखा है। यह बता दिया जायेगा कि राजस्थान ने सबसे पहले कानून इस प्रकार का बना दिया है, एकमात्र प्रचार कर दिया जावेगा और इस कानून को यहां पर दीमक खा जावेगी और न ही तो रेगुलेशन्स और न ही नियम बनेंगे और न ही इसका किसी प्रकार एक्जीक्यूशन होगा। 72 के चुनाव सिर पर आने वाले हैं और उन चुनावों में कांग्रेस का यह नारा रहेगा इसलिए इसको लाया गया है। इन मध्यावधि चुनावों में विनोबा भावे के जो भक्त हैं वे निष्पक्ष रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है। इसलिये ये लोग फिर इन राजस्थान के नेताओं को धोखा दे रहे हैं। नशाबन्दी का खिलवाड़ किया और जब विधान सभा के चुनाव आने लगे तो विनोबा भावे के आन्दोलन का एक रूप लेकर विधान सभा में यह बिल लेकर आये हैं। इसको ये कार्यान्वित कर सकेंगे इसकी कोई आशा इनसे नहीं की जा सकती है। आज जिस प्रकार का समाज है उससे हम क्या आशा करेंगे जो नफरत और स्वार्थ से भरा हुआ है। पैसे के लिये भाई भाई की गर्दन काटने के लिये खड़ा है उससे हम क्या आशा करेंगे कि वह समाज बिना किसी स्वार्थ के अपनी जमीन का कुछ हिस्सा इस ग्राम सभा को देगा? 19 बटा हिस्सा अपने पास रख कर 1/20 समर्पित करेगा और उसमें से 1/40 निधि के रूप में कान्ट्रीब्यूट करेगा। समाज के प्रवर्तक और नेता कांच में अपना मुंह देखें कि जो त्याग की भावना जनता में लाना चाहते हैं वह स्वयं कहां खड़े हैं। क्या हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति कर अपने घर बनाने की कोशिश नहीं की? क्या लोगों की जमीनों को नहीं हथियाया, शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स और भूमिहीन को जमीन देंगे यह नारा देकर क्या आपने उन सारी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जमीनों को नहीं हथियाया है ? एम.एल.ए., प्रधान, प्रमुख और मंत्री और नेताओं ने जमीनों को अलाट करके अपने फार्म नहीं बनाये और आलीशान महल खड़े नहीं किये ? अपने नाम पर अलाटमेंट करवा कर क्या उन जमीनों को बेचा नहीं। जब इस प्रकार के स्लोगन गरीब और पिछड़ी जाति के नाम पर दिये गये तो सत्ताधारी लोगों ने, सत्ता में बैठे लोगों ने जिसके हाथ में सत्ता की ताकत है, जनता का नारा देकर अपने स्वार्थों की पूर्ति नहीं की ? सहकारिता का आन्दोलन का क्या हुआ ? पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये सहकारी आन्दोलन एक ऐसा आन्दोलन है जिससे विषमताओं को कम करके समाज की जैसी स्थिति है उस पर काबू पा सकते थे। इसमें क्या हुआ ? सहकारिता के नाम पर खेत और प्लाट बनाये गये, धोखे से बनाये गये, एक्सेप्शन छोड़ दीजिये, विधान सभा में रोज प्रश्न आते हैं, लोगों ने जमीनों को बेंचना शुरू कर दिया। सहकारिता का आन्दोलन समाप्त हो गया। फोरेस्ट को-आपरेटिव्ज, वन सहकारी समितियों को ही देखिये। एक व्यक्ति विशेष आदिवासियों, सहरियों के नाम पर बन बैठता है और वह उनका शोषण करता है, वह धन्धा करता है, ठेका लेता है, गोंद, मौम, लकड़ी, कोयला का ठेका लेता है और उसका फायदा मजदूरों को नहीं मिलता है। ब्रह्मदत्त शर्मा कोटा डिविजन में घूम रहा है, सारी शक्ति लेकर घूम रहा है, मजदूरों को एक बोतल शराब पिला दो उनको सब कुछ मिल गया और वह व्यक्ति उनका इस प्रकार शोषण करता है। मुझे इसका अनुभव है। जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वे बोगस हैं और धोखा मात्र हैं। जंगल ले लेती हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करती है। मजदूरों को टुकड़े डाल दिये जाते हैं और सारा लाभ ले लेता है। भूमि पर कब्जा नहीं और बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है, उनके कब्जे में हैं। यही हालत आज मद्य निषेध नीति की है और पंचायती राज की भी स्थिति यही है। लोगों में यह मतभेद हो सकता है पंचायती राज होना चाहिये या नहीं। मेरी मान्यता यह है कि पंचायती राज होना चाहिये। आज इसकी हमारे देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पंचायती राज हर जगह पिछड़ रहा है। पंचायतों के पास पैसा नहीं। आय के साधन सब छीन लिये। पंचायत समिति को पैसा दिया जाता नहीं। प्रधान और बी. डी. ओ. जीप में घूमते फिरते हैं और पैट्रोल जलाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं। जिला प्रमुख के पास इतना ही काम रह गया है कि हैड मास्टर का तबादला इधर से उधर कर दें। और कोई काम नहीं। आपको ताज्जुब यह होगा कि न्याय पंचायत और पंचायत के अंशदान का प्रश्न आया और यह बताया गया, उनके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और सचिवों को आज तक 68 से 71 तक तनख्वाह का चुकारा नहीं हो रहा है। और पंचायत मन्त्रीजी यह कहते हैं कि राज्य सरकार असमर्थ है, हम भार वहन नहीं कर सकते और पंचायत को देना चाहिये। क्या यही व्यवस्था है सरकार की ? जिस पर अंकुश है, पंचायती राज को सफल बनाना है वही पंचायती राज पिछड़ रहा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है और चुनाव भी पांच पांच साल से नहीं कराये जा रहे हैं। राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि पंचायती राज यहां असफल रहा है। सारे समाज की इस प्रकार की स्थिति है उससे आप यह आशा करके चलेंगे कि लोग स्वेच्छा से आवेंगे और ग्रामदान देकर कुछ कर सकेंगे यह आशा मात्र है। इस ग्रामदान विधेयक के अन्दर जो दूसरे क्लाज की आपने व्यवस्था की उसको सुन कर आप ताज्जुब करेंगे। ग्रामदान जब तक रिकोग्नाइज नहीं होगा जब तक कि 51 प्रतिशत भूमि निहित न हो। याने 51 प्रतिशत भूमि जब तक उस ग्राम दान के अन्दर, उसके तहत नहीं आ जायेगी उसको रिकोग्नाइज नहीं किया जायेगा और जब तक 75 पर्सेन्ट गांववासी उसके सदस्य नहीं होंगे। तब तक आप उसको रिकोग्नाइज नहीं करेंगे। क्या इसको आप आसान मानते हैं। क्या किसी ग्रामदान को रिकोग्नाइज करने की बात आप सोच सकते हैं और वह भी कलेक्टर के द्वारा और इसमें 51 प्रतिशत भूमि को इनवेस्ट करना और 75 प्रतिशत ग्रामवासियों का सदस्य बनाना क्या एक सरल काम है ?

सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से एक बात और पूछना चाहता हूं कि सीलिंग को आपने इससे क्यों दूर कर दिया ? अगर आपके दिल के अन्दर ईमानदारी है और राज्य सरकार यह चाहती है कि ग्रामदान विधेयक बने और ग्राम सभाएं सफल बने और सक्षम होकर काम करें तो इस सीलिंग कानून के ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा। जो टिनेन्सी एक्ट की धाराएं हैं क्या यह इससे अछूती रहेंगी और ग्रामदान के जरिये जो ग्राम सभाएं आप बना रहे हैं उनके अधिकार क्या ओवर एण्ड अब सिलिंग कानून से ऊपर रहेंगे और वह जमीन उनमें वेस्ट हो जायेगी ? तो इसके अन्दर आपको कई बातें देखने को मिलती हैं। इसमें आपने कह दिया है कि यह इस पर लागू नहीं होगा। सीलिंग में से जमीन निकल जायेगी और जमीन पेट भरने के लिये रह जायेगी। तो आप क्या आशा करते हैं कि वे त्याग और तपस्या कर लेंगे ? जिस तरह का समाज आज है, वह विषैला समाज क्या आज आपको स्वेच्छा से जमीन दे देगा और विधेयक बनने के बाद यह लागू होगा। सभापति महोदया, अधिक न कहते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार स्वयं यह नहीं चाहती है कि यह कानून बनकर आपरेशन में आये और इस प्रकार से काम हो। केवल विनोबा भावे का जो सिद्धांत है और जो उनके समर्थक गोकुल भाई यहां पर बैठे हैं उनको यह राज्य सरकार लगातार चकमा देती आई है, धोखा देती आ रही है। आज तक यह सरकार उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती आई है। फरवरी के अन्दर चुनाव होने वाले हैं तो इसके रूल्स कब बनेंगे और यह रूल्स कब विधान सभा की टेबुल पर रखे जायेंगे यह पता नहीं है। सुखाड़िया जी विधानसभा को दो, चार दिन के लिये बुलायेंगे और फिर चिड़िया की तरह फुर्र से उड़ जायेंगे और यह कानून की किताब धरी रह जायेगी और अगले सत्र में इसे रिकाल कर के लायेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज की स्थिति के अन्दर हम नारा न दें और सीधे सादे तपस्वी कार्यकर्ता,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिन्होंने इसके लिये अपना जीवन दिया है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। आज इसकी आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम स्वयं त्यागी हों, तपस्वी हों और एक आदर्श समाज के सामने रखें। यह नहीं होगा तो यह सब निरर्थक है। इस भावना के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और राज्य सरकार की भर्त्सना करता हूं। इसलिये करता हूं कि राज्य सरकार इसको पारित करा कर इसको एक्जीक्यूट नहीं कराना चाहती है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री यशवंतसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदया, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ कहा है उससे ऐसा लगा कि शायद धारा सम्बन्धी डिबेट चल रही है। विधान सभा का मूल कर्त्तव्य जनतन्त्र में यह रहता है कि कानून पास करके कानून के प्रति ओपीनियन पैदा करे। मेरे पूर्व वक्ता को शायद निराशा हो गई है कि जितने भी कानून बने हैं उनका पालन नहीं किया जाता है और इसलिये इसका भी पालन नहीं होगा फिर इसको पास करने से क्या फायदा? मैं पूछता हूं आप क्यों इसको सपोर्ट करते हैं? यह अच्छा होगा कि आप यह कहें कि इस कानून की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं जहां केवल एक व्यक्ति का राज हो, उच्छृंखलता हो और जनतन्त्र इसका हामी नहीं है। यदि हमने जनतन्त्र में कानून को प्रतिष्ठा नहीं दी तो एक चीज समझ लेनी है और वह यह कि हम केवल उच्छृंखल हो जायेंगे, विद्रोही होंगे, किसी कानून को मानने वाले नहीं होंगे। इसलिये मेरे से पूर्व जो वक्ता बोले हैं और इधर बैठने वाले, ट्रेजरी बैंच पर बैठने वाले वक्ता बोले हैं उन्हें यह किसी न किसी रूप में समझ लेना होगा। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वे एक ही बात सोचते हैं और वह यह कि जो कांग्रेस में चले गये हैं वे सब के सब पाप से भरे हुए हैं और चारों तरफ अत्याचार और अनाचार का नाम लेकर यह मान कर चलते हैं कि जितने भी कांग्रेसी हैं वे पापी हैं-तो आश्चर्य होता है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे अपनी गरेबां में हाथ डाल कर देखें कि वे कितने पवित्र हैं और क्या वे पवित्रता का उल्लेख करने की क्षमता भी अपने अन्दर रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं इन बातों के साथ जो कुछ हुआ है, एक बात मानकर चलता हूं कि जनतन्त्र का मूलभूत आधार कानून है और कानून के द्वारा ही राज्य चला करता है और कानून के प्रति रेस्पेक्ट पैदा करना हमारे जनतन्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी अवस्था में जो ग्रामदान विधेयक लाया गया है, उसमें उसके उद्देश्यों में यह दिया गया है, इसका मूलभूत आधार है, त्याग, जिसको हम उत्पन्न करना चाहते है। गांव के लोग त्याग के द्वारा अपनी सारी भूमि का, सम्पत्ति को एक साथ करके उसके द्वारा सारे गांव को लाभ पहुंचा सके और त्याग की भावना पैदा हो सके-उसके लिये यह विधेयक लाया गया है। इसके अन्दर यह नहीं है कि कौनसी भूमि को लिया जाये, और जो नहीं दे उसकी जमीन जबरदस्ती ली जाये। इस कानून का मूलभूत जो बेस है उससे प्रेरणा मिलती है और यह सौभाग्य की बात है कि सम्पत्ति के प्रति, अगर हमारा लालच

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

कम होता है और हमारी भावना इतनी पवित्र हो जाती है कि सम्पत्ति को लोग त्यागें तो वास्तव में, मैं यह मानकर चलता हूं कि वह दिन हमारा मंगलमय होगा और यह भारतवर्ष की गरीबी को दूर करने में सहायक होगा। परन्तु यह प्रश्न नहीं हैं। प्रश्न दूसरा है और वह मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं। आज 22 वर्ष हो गये आजादी को और इन 23-24 वर्षों के बाद लैन्ड के बारे में, जिसके ऊपर 90 प्रतिशत हमारी जनता आश्रित है, उसके बारे में हमारी धारणा क्या है ? हमारा सिद्धांत क्या है ? पूज्य बापू ने इस देश को आजाद कराया और बड़े बड़े काम किये। उनके कामों को शायद इस जीवन में तो क्या दस शताब्दी बीत जायें तो भी नहीं कर पायेंगे। लेकिन आज इस युग में बैठे हैं तो निर्णय करना पड़ेगा कि इस भूमि के संबंध में हमारी नीति क्या हो ? हमारी धारणा क्या हो ? हमें यह तय करना पड़ेगा। आखिर लेन्ड किस में वेस्ट होगी इस कानून के द्वारा यह बात सामने आई है। पुराने जमाने में राजा साहब में लेन्ड वेस्ट होती थी। बीच में जागीरदार पैदा हो गये लेकिन वह जमीन उनमें ही वेस्ट रहती थी और उनको अधिकार था। परन्तु यह वालन्टियरी त्याग की भावना बहुत बड़ी है। हमारे टिनेन्सी एक्ट में तीन अधिकार हैं। एक राइट तो है राइट टू इन हैरिट। हमारे बच्चे, पोते उस जमीन, जायदाद के मालिक होंगे। दूसरा है राइट आफ ट्रान्सफर, यह सेल, बाय एक्सचेन्ज, बाय मार्टगेज या बाय बाय लीज चार प्रकार के अधिकार टिनेन्सी एक्ट में दिए गये हैं। मार्टगेज के लिए समय दिया गया है और सेल का अधिकार भी है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को छोड़कर बाकी सबको अधिकार है लेकिन इस कानून के तहत सरेन्डर करते हैं तो यह अधिकार गायब हो जाता है। राइट आफ ट्रान्सफर इन हैरिटेन्स है और ट्रान्सफर का राइट वेस्ट करता है। परन्तु इस विधेयक में यह वालिन्टियरी लिक्विडेशन आफ प्रोपर्टी है। ऐसी अवस्था में एक बात निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ग्रामदान एक्ट को लाई है। उसने इसको छपवाया है और पैसा खर्च किया है और आज उस पर हम यहां पर डिसकशन कर रहे हैं और यह तय करने जा रहे हैं। तो मैं यह नहीं मानता कि राज्य सरकार इसको पास नहीं कराना चाहती। आपका लैन्ड के सम्बन्ध में कोई सिद्धांत है या नहीं है। अगर है तो वालन्टियरी सरेन्डर करना चाहिये। आगे जाकर प्रापर्टी के सम्बन्ध में समस्या पैदा कर रहे हैं। इसलिए इसको आजमाइश करना, परीक्षण करना और सर्वे करना मैं बहुत बड़ा मानता हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह करना चाहता हूं जिस रोज से डिक्लेरेशन होता है उस रोज से प्राप्रटी का ट्रांसफर इल-लीगल है। आज 51 पर्सेन्ट उस प्रापर्टी को ट्रांसफर करने में सब समूह ग्राम सभा तैयार हो जायेगी लेकिन उसमें एक वक्त लगेगा, पांच वर्ष लग सकते हैं, चार वर्ष लग सकते हैं और फिर जाकर ग्राम सभा में न हो राइट ट्रान्सफर। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस तरह को कई

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

कठिनाइयां हैं जिन पर इस समय बहस नहीं करना चाहता लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं दफा 23 के द्वारा बहुत बड़े अधिकार दिये हैं जो राज्य सरकार के कर्तव्य थे वे ग्राम सभा में डाल दिये। यह तो एक भ्रम है कि एक साधु आया और सारा का सारा गांव जोगी बन गया। तो यह कहना कि हम बड़े पवित्र हैं, संयासी हैं गांव के लिए, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप गांव की हालत देखने बैठो तो मैं यह मानता हूं गांव में 100 घर हैं तो एक घर को छोड़कर-वहां भी इसलिए अपवाद स्वरूप मानता हूं जो सारे गांव को चूसकर पीता है-जिनमें जो पर-केपिटा इन्कम है आपकी वह फेल हुई है, आज भी आपको गांव में फटे पुराने चिथड़े देखने को मिलेंगे। खून पसीने में तरबतर होने के बाद भी बदलने को कपड़े नहीं मिलेंगे। उसके पास न रहने का मकान है, न पहनने को कपड़े हैं और न पेट भर खाना है। जो भयावह रूप है वह आज आपके सामने है। कल्याणकारी राज्य का बहुत बड़ा कर्तव्य है। यह नहीं होना चाहिये कि गोकुल भाई ने बता दिया, विनोबा ने बता दिया तो दफा 37 में उनकी परिभाषा कर दी। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सपोर्ट करने का विचार रखा है लेकिन मेरा मानना यह है कि गांवों की गरीबी दूर नहीं होगी। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अनएम्प्लायमेंट दूर करने के बारे में कहा, पता नहीं खादी के द्वारा क्या क्या कर देंगे। आज गांवों की गरीबी की इतनी भयावह स्थिति है और उसको दूर करने का तूफानी वक्त है।

मैं समझता हूं आज की जो भारतवर्ष की अवस्था है इस आज की अवस्था को लेकर 100 वर्ष तक भी भारत की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। मैं भी वही खादी पहनता हूं····

(व्यवधान, अश्रव्य)

माफ करिये 6–6 रुपये रोज कमाने वाले और एक रुपया रोज लेते हैं···

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने तो गांधीजी की बात बताई है। मेरे पास आंकड़े हैं, उस बात के···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं विरोध नहीं कर रहा हूं आपका। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं। यह गरीबी दूर करने के लिये कितने बड़े साधनों की जरूरत है, कितने बड़े एफर्ट्स की जरूरत है। आज ट्रेजरी बेन्चेज और एम. एल. ए. की इसमें जरूरत नहीं है बल्कि ग्राम जनता का सहयोग चाहिये और जब तक हर आदमी सहयोग नहीं करेगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिस जनता को न्याय नहीं मिलता है, जनता को सस्ती चीज नहीं मिलती है, सारी चीजें आज राजनैतिक आधार पर मिलती हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या बता रहे हैं?

श्री देवीदत्त गाडिया : यह केवल थोथे भाषण ही आप देते हो। आप इधर आ जावो तो आपको पता लगेगा ग्राम जनता का दुख दर्द क्या होता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप जितना अधिक बोलते हैं · · ·

श्री देवीदत्त गाडिया : आप अपनी शक्ल तो देखें, पहले अपने गिरहबान को देखें।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : माननीय भाषण कर्ता ! ग्राम दान विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के अवसर पर इतनी उत्तेजना, रोष, आरोप प्रत्यारोप की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये बल्कि सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द्र की भाषा में बोलें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मती सभानेत्री : आप अपने ऊपर भी लागू करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विनोबा ने कानून बनाया, बापू ने हमें शान्ति का रास्ता बताया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जब विपक्षी महोदय ने यह बताया कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं मैं भी अवश्य साथ देता हूं लेकिन देश की जो समस्या है उसको टालिये मत। विरोधी और कांग्रेस वाले दोनों को देश हित में समान हाथ बंटाना है। आज जो कांग्रेसी हैं वे कल उधर भी आकर बैठ सकते हैं और जो विरोधी हैं वे कल इधर भी आकर बैठ सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इन बातों को टालने से कोई काम नहीं चलेगा।

श्री दौलतराम सारण : आप तो हमारे ही साथ हैं हिन्दू महासभा और कांग्रेस में क्या फर्क है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : शक्ति को परखना चाहते हैं तो आप सोच लीजिये इन राजनैतिक दल बन्दियों को नहीं तोड़ेंगे तब तक देश की गरीबी दूर नहीं होगी।

श्री दौलतराम सारण : यह की अब सही बात।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैंने किसी पर आक्षेप नहीं किया है। जब पूर्व वक्ता गालियां दे रहे थे, तो केवल कानूनबाज हैं। मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्या करना चाहते हैं. केवल दोष देने से काम नहीं चलेगा अगर ग्राम दान में विश्वास है तो क्या विरोधी लोग और क्या इधर के लोग लोगों को ग्राम दान के लिये भी तैयार कर सकते हैं। त्याग की भावना होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : एक मिनिट. सभापति महोदया, आप किसी मिनिस्टर को तैयार कर दें कि वह अपनी भूमि का ग्रामदान में दान कर दें तब तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : प्रभावित होकर लोग रास्ता छोड देते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं एक चीज कहना चाहता हूं अगर कानून में विश्वास है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं ग्राम दान बिलसे ग्राम सभा के लिए दफा 33 में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं····

एक माननीय सदस्य - 18 हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : गरीबी को दूर करना, बेकारी दूर करना इन्डस्ट्रीज खोलना आदि बहुत सारी जिम्मेदारी हैं जो ग्राम को दे दीं। सारी भूमियों के अधिकार ग्राम दान को दे दिये। फिर भगवान के नाम पर गांव का आंचल भी ग्राम दान में दे दें। वह नहीं, यह नहीं कौन देगी, ग्राम सभा देगी और ग्राम सभा देने के बाद जिस जमीन को दी है और उसको लेना चाहती हैं तो कोई साधन नहीं है--पंगु है जिसके पास कोई साधन नहीं है मैं भी उसको सपोर्ट करता था जब पन्चायतों का निर्माण किया गया था। अगर इस ग्राम दान में आप कुछ लाना चाहते हैं, कोई चीज इस संकट में पैदा करना चाहते हैं, तो उनके सामने बनाने का तय करिये। वस्तुतः जहां पर ग्राम सभा बनाई जायगी, ग्राम सभा का निर्माण हो जायगा और प्रापर्टी का वेस्टिंग हो जायगा उस दिन से गांव का सारा अंचल उस गांव का हो जायगा। इसमें दफाओं में यह दिया हुआ है लेकिन उनकी भलाई के लिए लैण्ड रेवेन्यू तो उनको देते। यह मैंने इसमें नहीं देखा है किस को खुश करने के लिए कानून बनाना चहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं ग्राम सभा की बात करने वालों से कि राजस्थान की जिनके हाथों में बागडोर रहेगी क्या वे उसको चलायेंगे ? निधि का निर्धारण कैसे करेंगे ? कहां से आयेगा पैसा ? हैड आफ दी फैमिली कैसे देगा ? पहले गांवों में बलाई को दिया करते थे उस तरह से धान इकट्ठा करके देंगे और उससे गांव का भला होगा क्या ? वस्तुतः जो यह चाहते है कि कानून का पारण हो तो इस दफा से वह बात नहीं बैठती है और यह अधिकार दें कि सारे गांव की लैण्ड रेवेन्यू ग्राम सभा को मिल जयगी। अपने एरिया के लिए ग्राम सभा जो योजनाएं बनायगी उन योजनाओं के तहत और कोई झगड़े हो सकते हैं ग्राम सभा, पंचायत और पंचायत के, बाद में क्या परिस्थिति होगी उनमें से निकलना पड़ेगा। यदि हमारा यह विश्वास है कि ग्राम सभा मजबूत हो तो मेरा निवेदन है कि इसमें वह प्रावधान और डालें कि लैण्ड, रैवेन्यू के साथ में गांव के विकास के लिए सरकार अपनी क्षमता के अनुसार सब सिडी दे। सरकार का काम चलाने के लिए पैसा नहीं है, गरीबी दूर करने के लिए पैसा नहीं है और बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है तो ग्राम सभा कैसे चले और सैल्फ-सफिशियैन्ट हो ? उसके द्वारा जनतंत्र का निर्धारण होता है तो कम से कम लैण्ड रैवेन्यू देने की व्यवस्था तो करें और इसमें ऐसा प्रावधान तो करें कि गांव के विकास के लिए आप लैण्ड रैवेन्यू उनको दे सकें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हीरा भाई ! (श्री बाफणा के बोलने के लिए उठने पर) आपका संशोधन आ रहा है तब आप बोलेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना : संशोधन तो अब आयेगा जब कि हम इसको क्लाज बाई क्लाज डिसकस करेंगे। संशोधन

(श्री फूलचन्द बाफना)

देने का मतलब यह नहीं है कि मैं जनरल रीडिंग पर नहीं बोल सकता ?

श्रीमती सभानेत्री : बोल क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन आपको समय मिल जायगा उस समय बोलने का ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभानेत्री जी, आज यह ग्रामदान विधेयक सदन के सामने विचाराधीन है । इसके लिए लोकतन्त्र को मानने वाले लोगो में से किसी की दो राय नहीं है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों और अपनी इच्छा के अनुसार अपना कारोबार चलायें । और किसी के गुलाम न रहें । लेकिन जब तक हम लोगों का मन मजबूत नहीं बना दें तब तक यह नहीं हो सकता है । लेकिन लोगों का मन मजबूत बनाने से पहले हम जो अगुवाई करने वाले लोग हैं हमारा मन मजबूत नहीं हो तब तक यह कानून हमारी प्रवृत्तियों को कई हिस्सों में बांटने वाला है । उसमें कुछ सहकारिता में विश्वास रखते हैं, कुछ पंचायतों में विश्वास रखते हैं और कुछ खादी ग्रामोद्योग में भी विश्वास करते हैं, और कुछ ग्रामदान में विश्वास रखते हैं । उसके मायने यह हो गये, सभानेत्री जी, कि इस कानून का जब प्रचार हो रहा था तो लोगों से मैंने सुना कि यह जो राजनीति में भाग लेते हुए हमारे ग्रुप के लोग हैं अगर हमारी भावनाओं को न मानें तो एक दूसरा मोड़ लेकर एक मीठी भाषा में एसी संस्थाऐं बनाये और ऐसी संस्थाओं में जितने हताश हो गये हैं वे हताश हुए साथी ऐसी-संस्थाओं में भर्ती हो के अपनी कारगुजारी चलायें । यह मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन अनेक लोगों का कहना है । हो सकता है कि मैंने गलत समझा हो लेकिन लोगों की यह आम भावना है, और आम लोगों का कहना ऐसा है ।

मैं विनोबाजी को सबसे बड़ा मानता हूं देश का नेता और उसी तरह मामा बालेश्वर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहा हूं । उन्होंने पार्टीबाजी में बहुत बड़ी हिम्मत की और आजादी के संग्राम में भी लड़ाई लड़ी रियासतों के टाइम में सैनिक की तरह भाग लेने वाले व्यक्ति में से है । हमारी जनता का नेतृत्व करने वाले और जनता को मार्ग बताने लोगों लोगों में और ज्यादा से ज्यादा गंदगी पैदा हो गई और गंदगी दूर करने का किसी तरह से कोई रास्ता न रहा तो वे लोग हताश हो गये, और हताश बनकर उन्होंने यह सहारा लिया । मैं समझता हूं कि अब यह जमाना नहीं है कि ग्राम दान से लोग समझ जायं । आप तो यह कहते हैं लोगों के मनों को मोड़ना चाहिए, लेकिन लोग एक बिजली की तरह से गलत रास्ते पर जा रहे हैं । गलत तरीकों से आमदनी का जरिया पैदा कर रहे हैं, गलत तरीकों से अपने घर बनाने की कोशिश कर रहे है, परन्तु वे इन लोगों को ग्राम दान के नाम से आगे करना चाहते हैं । क्या आपका विश्वास है कि ग्रामदान को सफल बनायेंगे ? सभानेत्रीजी, यह जनता के साथ धोखा है । मैं साफ कह रहा हूं । समाजवादी हूं और ग्रामदान में विश्वास करता हूं । लेकिन आजकल समाजवाद में भी विश्वास

(श्री फूलचन्द बाफना)

करने में मेरे मन में भेद पैदा हो रहा है, लेकिन आत्मा को सन्तोष देने के लिए 'किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठना चाहता हूं। क्योंकि यह क्या तरीका है कि अगर सही मायने में दुनिया नहीं अपनाना चाहती है तो अब तो यही रहा है कि इस बात को लेकर धोखा कैसे दें और अपना उल्लू कैसे सीधा करें। सारे नेताओं में यह हो गया है और फिर कहें कि जनता गलत है। जनता गलत नहीं है लेकिन जनता को चलाने वाले नेताओं की भावनाएं गलत हैं। किसी को कहीं पर चेयरमैन बना दिया जायगा तो उनको सहारा हुआ। लोगों को धोखा हुआ इन लोगों को कोई न कोई सहारा दिया जाना चाहिए। इस देश की सरकार बड़ी चालाक और चतुर है। वह सब की त्याग और तपस्या को घोलकर पीयेगी, और उसी सरकार के सहारे हमारे नेता चलें चाहे वह भट्ट साहब हों चाहे बालेश्वर प्रसाद हों। इनको हम बूढ़े नहीं मानते हैं। ये आज समझते होंगे कि बुढ़ापे में आकर इस तरह से करें तो जनता में कुछ न कुछ अच्छी बात आती रहेगी। यों करने से देश की सरकार नहीं मानने वाली है और न बदलने वाली है।

इस सरकार के लिए हम ऐसी आज्ञा दें और ऐसा रास्ता अपनायें कि इस सरकार को एक दिन में उलट दें। तो जनता को जगाना होगा। तो हम उनकी 24 घन्टा मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे बांसवाड़ा में एक ग्रामदानी गांव है। वहां एक प्रधान है। वह ग्राम सभा का चेयरमैन है। वह पंचायत समिति में भी आता और उसका प्रधान बना। माननीय सभानेत्री महोदया, उस सभापति का इतना गन्दा और अमानवीय कार्य है कि कुछ करने का नहीं। ग्रामदानी संस्थाओं के भी लोग हैं। उनका कोई जवाब नहीं है। वह ग्रामदानी बनकर हजारों रुपये लूटता है। मेला लगाने के नाम से लूटता है। भानगढ़ पहाड़ है। वहां एक बाबा मर गया था, वहां कुछ बनवाने के नाम से लूटता है। हजारों रुपया लूटकर खा गया है। हमें यह मानना चाहिए कि जो सर्वोदय का नेता है, वह राजनीति में भाग नहीं लेगा। वह वहां खुले ग्राम प्रचार कर रहा है। तो मैं माननीय नेताओं से निवेदन करूंगा कि या तो आप एकदम राजनीति में आ जायें, नहीं तो फालतू क्यों ऐसा करते हैं। दोनों मियां बीबी में मुर्गी हलाल। यह तरीका नहीं चलेगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार लोकतन्त्र को मानती है, उसमें हिम्मत है, ग्रामदान को मानने वाली है तो विधान सभा को खत्म करो। इसकी क्या जरूरत है। पंचायत समिति की क्या जरूरत है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अच्छा।

श्री हीराभाई : इस प्रकार ग्राम दान की बात करते हैं। एक तरफ ग्रामदान की बात करते हैं और दूसरी तरफ टैक्सेशन हैं। वह सरकार हड़पे। वह उनके हाथ में रहेगा। कलेक्टर और पुलिस की हुकूमत तुम्हारी रहेगी। यह क्या सफल होगा? यह कभी नहीं होगा। अगर सफल बनाना है तो ग्रामदान के हिसाब से वह जो नारा है, सब को अपने अपने ग्राम की रक्षा करने का अधिकार है, उसके आधार पर आप सारे

(श्री हीराभाई)

अधिकार ग्राम को दे दीजिये। सुखाड़ियाजी को कहो कि इस्तीफा देकर मन्त्रि-मण्डल भंग कर ग्रामदान बना दिया जाये। ग्रामदान से पूरा अधिकार वहां दे दीजिये। कोई भी उनका पिछड़ा हुआ ग्राम है, पिछड़ा हुआ पन है, उसकी सेन्ट्रल से व्यवस्था करवा दीजिये। क्या जरूरत है राज्य सरकार रखने की। जब तक उनको पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंपी राजस्थान में यह कानून लागू नहीं होगा। जब तक यह फालतू कानून बना दिया है। विधान सभा का अमूल्य समय भी नष्ट होता है। होना जाना कुछ नहीं है। आप तो अन्याय के खिलाफ कूद पड़ो। लोगों के जितने अधिकार हैं, यह स्वेच्छा से अधिकार नहीं दे सकते हैं। आप तो अधिकार लो। यहां पर कौन देगा। सहकारी समितियां बनाई हैं। मैं भी विश्वास करता हूं राष्ट्रीकरण में और सहकारी समिति में। लेकिन सभानेत्री महोदया, सहकारी समितियों में, सचिव, चैयरमेन और कोषाध्यक्ष हैं, ये तीनों सहकारी समितियों का पैसा बटोर कर खा रहे हैं। यही हाल ग्राम पंचायतों का है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो या तो राजनीति में आ जाओ और अपना राजनीति वाला प्रोग्राम बनाओ। चुनाव की तरफ मुड़ो और चाहे काम को पूरा करो। ये दोनों ही कुलड़ी में गुड़ घोलोगे तो गवर्नमेन्ट यह मानती है और मैं तो यह मानता हूं कि हमारे माननीय नेता महोदय, उनके विचार अच्छे हैं, लेकिन उनके चेले चांटी क्या करते हैं? वह उनको बदनाम करते हैं। इस तरह से यह सरकार ग्रामदान नहीं चलने देगी। ग्राम सभा नेताओं की भलाई करने के लिए चलेगी। जो काम हम से पूरा नहीं होता है, त्याग तपस्या से पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम जनता के साथ धोका करते हैं। समाजवाद के नाम से चुनाव करवा लिया। पंचायत राज को मजबूत बनाओ। इस तरह से इन्दिराजी ने समाजवाद को मजबूत बनाया। कारों को बनाने के लिए कारखाने का लाइसेंस अपने बेटे के नाम से दे दिया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

तो फिर यह समाजवाद और ग्रामदान को बदनाम करने का तरीका है। मैं तो यह समर्थन करूंगा राजस्थान में आज से ही लागू कर दो। यह बड़ी पंचायत डिजाल्व कर दो। विधान सभा, पंचायत समिति, और जिला परिषदों को भंग करके ग्रामदान की सभा हो। ग्राम सभा के द्वारा काम किया जाये। तभी यह चल सकता है। यह ग्रामदान यह चलने देंगे या नहीं चलने देंगे। इसके लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आप जनता को तैयार करें। सारा बोझा उठाने के काबिल जनता को तैयार कर दो। वर्ना यह कानून बना तो यह इन सर्वोदय के नेताओं को खत्म करने का कानून है। आगे बढ़ाने का कानून नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिए मैं मानता हूं कि यह ग्रामदान पर विचार कर लागू कीजिये। विधान सभा, जिला परिषद् और पंचायत समितियों को भंग कर दीजिये।

श्री दिग्विजयसिंह : सभा नेत्री····

श्रीमती सभा नेत्री : मेहता जी बोल लें, उसके बाद बोल लीजिये।

श्री शंकरलाल : आप की पार्टी के बाफनाजी बोल रहे थे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बाफनाजी बोल लें।

श्री फूलचन्द बाफना : एक ही बात है।

श्री शंकर लाल : आप निर्दलीय हो गये हैं या यह स्वतंत्र पार्टी में आ गये हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अपोजीशन एक है।

श्री फूलचन्द बाफना : जैसी जिसकी भावना होती है, वह वैसा ही देखता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, संत विनोबा के लिए गांधी जी ने एक बार आश्रम में कहा था कि हमारे आश्रम में एक आदमी ऐसा आया है, जो हमसे लेने के लिए नहीं आया, हमको देने के लिए आया है। लेकिन इतना होते हुए भी वह मुझको गुरु मानता है–यह परम सौभाग्य है, गांधी जी के शब्द थे। जब देश आजाद हुआ, तेलंगाना में मार काट हुई, उस समय विनोबा जी वहां गये। सभा हुई। लोगों को कहा, आदमी को क्या मारते काटते हो ? तो कहा, हम उद्योग करना चाहते हैं. लेकिन उद्योग समाप्त हो गये हैं। हम जमीन पर खेती करना चाहते हैं लेकिन जमीन उनके पास है जो हाथ से खेती नहीं करता तो सभा में उन्होंने कहा कि है कोई जो जमीन दे सकता है। उस समय रामचन्द्र रेड्डी नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अपनी जमीन भेट करता हूं। उन्होंने जो जमीन दी, वह जमीन गरीबों को बांट दी गई। उस समय विनोबा जी को रास्ता सूझा भूदान आन्दोलन के लिए उन्होंने पूरे भारत की पैदल परिक्रमा की, तेरह-चौदह मील एक-एक दिन में घूमते रहे और लोगों को समझाते रहे–जो भूमि का दान दे रहे हैं, यह केवल दान नहीं है, यह त्याग है हर एक आदमी में त्याग की भावना होनी चाहिए, वह राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ दें। विनोबा जी ने कहा, पाण्डवों ने यह समझ लिया होता, उनको यह मान हो गया होता कि वह पांच नहीं छः भाई हैं तो वह महाभारत नहीं रचता। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्ण उनका भाई है। इसी कारण से महाभारत हुआ। आज भी उस कर्ण के मानिन्द जो गरीब, दीन, दुःखी भाई हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं इसलिए जगह जगह ताण्डव के रूप में मार-काट सामने आने लगा है। भूदान का काम शुरू हुआ, उसने गति पकड़ी, उसका सीधा सा रास्ता निकाला। आठ दिन पहले ढिंढ़ोरा पीटा जायगा। उसके बाद एक जगह गांव के लोग इकट्ठे होंगे और भू-दान द्वारा जो जमीन मिलेगी, उसका वितरण किस प्रकार होगा ? वह होगा, जो इकट्ठे हों, उनके सामने ही जमीन के बंटवारे का प्रश्न आयेगा। गांव के बैठे हुए लोग हैं वे ही कहेंगे कि यह सबसे गरीब है, सबसे दुःखी है। तो वितरण ऐसे ही व्यक्ति को होता है जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो जिसके पास कुछ नहीं है हाथ

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
से खेती करना चाहता है। तो सर्वसम्मति से जमीन उसको दी जायगी। अगर सरकार ने यह रास्ता अपनाया होता तो बहुत कुछ समस्या सुलझ गयी होती। लेकिन दुर्भाग्य से मीठा जहां होता है तो लोगों का मन ठहरता नहीं है। लोगों ने जमीन ले ली, मंत्रियों ने जमीन ले ली, एम.एल.ए. ने जमीन ले ली, सरपंचों ने जमीन ले ली और भूमिहीन उसी प्रकार रोते रहे। इस कारण से यह ग्राम दान विधेयक लाया गया है। ग्राम दान है, इसको आपको समझना होगा इसमें कोई दान देने का सवाल नहीं है, दान का मतलब यह नहीं है कि जमीन दान में दे दी गई है। इसका मतलब है, जिन्दा रहना है तो हर आदमी में त्याग की भावना होनी चाहिए। वह समाज के लिए कुछ न कुछ अपनी ओर से दें। सबसे पहली बात तो यह है कि जमीन की पानड़ियों में लिखा जायगा, राज्य मालिक के बजाय होगा ग्राम सभा मालिक। जमीन किसके पास रहेगी, प्रथम तो उसके पास रहेगी, जो खेती करता है। उसको समाज के लिए बीसवां हिस्सा निकालना होगा .

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कानून में ग्राम सभा मालिक नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं है तो परिवर्तन आयेगा। ग्राम सभा जमीन की ओनर है। जिन लोगों के पास जमीन है, वही उसके मालिक हैं सर्वप्रथम फिर ग्राम सभा। अगर इस कानून में नहीं है तो परिवर्तन आना चाहिए। जहां यह लिखा होता है कि राज्य मालिक, वहां लिखा होना चाहिए ग्राम सभा मालिक। वह रहेगी जो हाथ से खेती करता है उसके पास दूसरी बात यह है कि गांव का काम करना है...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ग्राम सभा के पास रहेगा, यह इस कानून में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : ग्राम सभा को अधिकार है।

श्री शंकर लाल : अधिकार होगा, कामन लैंड वेस्ट करेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : गांव का काम तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति कुछ न कुछ हिस्सा निकाले, इसलिए चालीसवां हिस्सा गांव कोष के लिए रखा है, ताकि जितने निर्माण के काम हैं, उन्नति के काम हैं, वह उसके जरिये से हो सकें। तीसरे, अभी आपको मजबूर होकर कानून बनाना पड़ता है कि कोई हरिजन या आदिवासी नहीं बेच सकता है। मै जागीरदारों के वक्त की बात बताना चाहता हूं, उस वक्त जमींदारी कच्ची थी, तो उसमें कोई जमीन नहीं बेच सकता था, गिरवी नहीं रख सकता था। खालसा में महाराजा के गांवों में आदमी जमीन बेच सकता था, गिरवी रख सकता था। परिणाम यह हुआ कि खालसा के गांवों में बहुत सारे गरीब और गरीब हो गये और क्योंकि जागीर के गांवों में बेच नहीं सकते थे इसलिए उसका यह परिणाम हुआ कि जमीन रह गयी। इसलिए किसानों के लिए हितकारी प्रावधान भूदान में यह है कि कोई जमीन को बेच नहीं सकेगा।, गिरवी नहीं रख सकेगा और उसका परिणाम यह होगा कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

फिर भी वह संकट में आ जाय तो उसको बेचनी पड़ेगी, और गिरवी रखनी पड़ेगी। इसलिए इसमें रखा है कि वह ग्राम सभा की राय से जमीन बेच सकेगा, ग्राम सभा स्वीकृति दे देगी तब बेच सकेगा। विनोबा ने एक बात कही है, वह क्या कहते हैं, ग्राम दान की बात से वह चाहते हैं कि ग्राम मजबूत हों, उन्होंने इसकी उपमा दी है माला से, गैंदे के फूलों को डोरे में पिरोया जाता है उसको तो उन्होंने किसी प्रान्त की, राज्य की उपमा दी है, डोरे को, एक ग्राम पंचायत की उपमा दी है गैंदे के फूलों की। माला तभी सुशोभित होती है कि फूल तो मुरझा गये हैं और डोरा ही डोरा, यानि केन्द्र नजर आता है। आप ग्राम पंचायत की हालत देख लीजिए। माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त की है उसमें वजन है। आखिर नशाबन्दी को क्या दुर्गति हुई? जो वचन आपने लिखकर दिया, उसका क्या परिणाम निकला? आपने कहा कि 72 तक कम्प्लीट प्राहिबिशन कर देंगे, आप उससे मुकरे। इसी तरह से ग्राम पंचायत की किस वेग के साथ, उत्साह के साथ मशाल जलाई गई थी पंडित नेहरू द्वारा। आज पंचायतें निर्जीव पड़ी हैं, ग्राम पंचायत के पास अधिकार नहीं हैं। इसलिए विनोबा जी चाहते हैं कि इस ग्राम दान के जरिये ग्राम सभा पावरफुल हों, स्वतन्त्र इकाई हो। कौन से उद्योग गांव में रखने हैं, कौनसे नहीं–यह निर्णय करने का उसको अधिकार हो। कौनसी चीज गांव में आनी चाहिए, कौनसी नहीं–यह अधिकार हो। 51 पर्सेन्ट जमीन जो देने वाला हो इन्हें शौ किया जायगा, समझा जायगा। ग्रामदानी हैं, तब जाकर ग्रामदान होगा। किसी को मजबूर नहीं किया जायगा। इसमें शक नहीं है, जो ग्रामदान करने वाला अगुआ है, और उसका कोई फल नहीं ले सकता है। जो ग्रामदानी नहीं है और जो ग्रामदानी हैं उसके अन्दर अन्तर नहीं होगा। आज तेईस वर्ष में देश की क्या हालत हो गई है, सबको अपने स्वार्थ की लगी हुई है. सबको अपनी अपनी फिक्र है। राज्य के कर्णधार और हम यहां बैठ कर कानून बना रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम त्याग की भावना अपनायें। जो ग्राम दान कराने वाला है, जो ग्रामदान करने जाता है, वह अपना कुछ छोड़कर नहीं जाता है तो उसका असर नहीं होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। यह बहुत बड़ा काम है। विनोबा जैसे जितने संत पुरुष होते हैं, वह तो केवल रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते को नहीं मानते हैं तो परिणाम भयंकर होता है। हमने इतने दिनों तक विनोबा जी की ग्रामदान की बात नहीं मानी, इस कारण ही लोग जमीन हड़प गये। भूदान का परिणाम भी कल होने वाला है कि उसके तहत ग्राम सभा पावर फुल होगी, स्वतंत्र इकाई बनेगी, जैसी असेम्बली स्वतंत्र इकाई है, शक्तिशाली है, उसी तरह से गांवों में ग्राम सभा भी शक्तिशाली होनी चाहिये। विधान सभा जैसी शक्तिशाली वह होनी चाहिये, वह एक्जीक्यूटिव कमेटी बना कर काम कर सकती हैं। वह पावरफुल होगी तब जाकर काम होगा यह जो विधेयक है इसका मैं स्वागत करता हूं यह अच्छा विधेयक लाया गया है। यह हो सकता है कि इसमें खराबियां हों। पारित होगा तो बाद में संशोधन होते रहेंगे। विनोबा जी की बात है, आप विधान सभा वाली बात मान

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लीजिये कि 11 पंच हैं. अब छः एक तरफ, पांच एक तरफ तो छः में से पांच निकलने पर एक बाकी बचता है। विनोबा कहते हैं, 1 और 1 इकट्ठे 11 बनें तो शक्ति बनेगी, तब देश का निर्माण होगा। इसलिए कहा कि निर्णय सर्वसम्मति, प्रबल बहुमत से और सर्वानुमति से होंगे। शंकर लाल जी ने शंका व्यक्त की, हालत यह हो गई है, हर बात में लड़ाई, हर बात में झगड़ा। विनोबा जी जोड़ने की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, स्वतंत्र रखने की बात करते हैं। इसलिये कहते हैं कि इससे ही ग्रामदान आंदोलन सफल होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इससे देश को रास्ता दिखा सकेंगे। आखिर हिन्दुस्तान में यह आंदोलन शुरू क्यों किया जा रहा है? वह इसलिए किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान की भूमि में ताकत है, यहां भोग की पूजा नहीं हुई है, यहा त्याग की पूजा हुई है। यहां पर लंगोटी लगाने वाले का नाम अमर रहा है। आज सूर, तुलसी, मीरा को हम याद करते हैं। वैभव तो बहुतों के पास है, लेकिन वैभव वालों की पूजा नहीं हुई।

मोटर बंगला आदि का
सुण ले रे सौकीन।
जग पूजा वी री करै
जां रे ही कोपीन॥

जिनके लंगोटी थी, उनकी पूजा हुई है। इसलिए विनोबा ने कहा है, यह भूमि ऐसी है, जहां इसका बीज पनप सकता है। यह कैसे होगा? बहुत सारे विदेश के लोग, जो भौतिक सुखों से परेशान हो गये हैं, वैभव से परेशान हो गये हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है वह संत विनोबा के पास में मार्गदर्शन के लिए आते हैं। इसलिए मैंने कहा, मुझे खुशी है और इसलिए मैंने इस विधेयक का समर्थन किया है। इसमें खराबियां हैं वह हम बतायेंगे और समय समय पर रास्ता निकालते रहेंगे। यह विधेयक राज्य सरकार ला रही है मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मैं निवेदन करूं कि केवल कानून पास करने से काम नहीं चलेगा। आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपके कार्यकर्त्ताओं को रास्ता अपनाना पड़ेगा और जो ग्रामदान में कार्यकर्त्ता लगे हुए हैं उनका खास तौर से फर्ज है। जैसे सरकार नशाबन्दी से मुकर गई और हम सहन करते रहें तो हम भी उतने ही दोषी हैं। जैसे दुशासन द्रौपदी के चीर-हरण के दोषी हैं तो उससे ज्यादा दोषी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हैं जो चुप चाप देखते रहे। अगर सरकार नशाबन्दी से पीछे हट रही है तो हमारा यह फर्ज नहीं कि हम मौन बैठें। इधर जो लोग बैठे हैं वह सक्रिय रहें और बता दें कि हमें नशाबन्दी करनी होगी। और उधर के लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा ठीक उसी तरह से हमें त्याग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा नहीं तो लोग नक्सलाइट बनेंगे। उद्योग चले जायेंगे, बेकारी फैलेगी, तो फिर क्या होने वाला है? कृपा करके इस विधेयक को पारित करें, सर्वसम्मति से पास करें और बाद में ज्यों ज्यों खराबियां सामने आती जायं उनको दूर करने की चेष्टा करें ताकि काम बहुत अच्छा बने और ऐसी चीज हो राजस्थान में यह शायद हो सकता है क्योंकि राजस्थान की भूमि त्याग तपस्या और बलिदान की है। अगर यह भावना रखेंगे तो आगे जाकर हिन्दुस्तान

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

और विश्व का मार्ग दर्शन कर सकेंगे और राजस्थान के जो अगुआ हैं श्री गोकुल भाई भट्ट और श्री सिद्धराज ड्ढा-सिद्धराज जी ने हजारों रुपए मासिक की नौकरी छोड़कर यह रास्ता अपनाया है। गोकुल भाई भट्ट साधु आदमी हैं और चरित्रवान आदमी हैं, अगुआ हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि राज्य के सहयोग और समर्थन से यह काम आगे बढ़ेगा। प्रवर्त्तकों से कहना चाहता हूँ कि इस बात को छोड़ दें कि सारे राजस्थान का दान कब होगा। एक जिले को ले लीजिए। लेकिन कुछ परिणाम बता सकें तो उसका असर सब जगह होने वाला है, नहीं बता सकेंगे और कागजी ग्रामदान रहा तो परिणाम कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थान सरकार जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकती। अपना बल दें। जिस प्रकार इन्होंने सहयोग दिखाया है, राज्य वाले कानून लाए हैं लेकिन उधर जो बिराजमान हैं वे भी समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : सभानेत्री जी, ग्रामदान के बारे में जो विचार हैं उनमें मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। पहले तीन मार्ग थे राज्य करने के। एक युग था, जब जंगल में लोग रहते थे तो कोई राज नाम की चीज नहीं थी। उसके बाद किसी व्यवस्था की आवश्यकता मालूम हुई। उस व्यवस्था से राज नाम का उदय हुआ। राज सेवा के लिए था परन्तु परम्परा चली आ रही है प्रकृति की कि जब उसमें शिथिलता आती है तो सेवा का साधन भोग का साधन हो जाता है। तो राज्य एक टेक्निक, एक आर्ट बन गया है राज वास्तव में आज की प्रणाली में बराबर लागू नहीं हुआ इसलिए हम लोग कहते हैं कि 23 साल में कुछ नहीं हुआ कि आज किसी का राज नहीं है, जनता का राज है और जिस संसदीय प्रणाली से हम राज करते हैं उस प्रकार से राज चला रहे हैं। पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट होता था। अब कानून से राज चलता है। पहले सर काटे जाते थे उसके बदले में आज सर गिने जाते हैं। जिसका बहुमत है वह कानून से राज चलता है। तो कानून से राज चला नहीं। इसलिए विनोबाजी ने करुणा की आवाज लगाई। कत्ल, कानून और करुणा। विनोबा जी ने लोगों के हृदय को अपील की क्योंकि उन्होंने लोगों के दिल में देवता और दानव भी हैं जिसको जगायेंगे वह जागेगी। उन्होंने देवता जगाना प्रारम्भ किया। उन्होंने भूदान का प्रारम्भ किया। तब से लेकर अब ग्रामदान तक आ गए हैं और तब सारा जोर ग्रामदान पर है। भूदान में लोग पत्थर भी देते थे और रेतीली जमीन भी देते थे। तो विनोबा जी ने हमेशा कहा कि उसने मालिकाना हक तो छोड़ दिया। जो कल तक कहता था कि चीज मेरी है, आज कहता है कि मेरी नहीं है। आज पत्थर और रेतीली जमीन दी है कल उसमें प्रगति होगी, वस्तु देने की आदत तो पड़ी। आदत पड़ना जरूरी है। तो उन्होंने भूदान की आदत डाली। इस तरह से करुणा का मार्ग इसका बेस है। बुनियाद करुणा है, लोगों में करुणा जगाई गांधी जी अहिंसा पर जोर देते थे, सोचते थे कि देश की व्यवस्था अहिंसा से कैसे हो। गांधी जी चले गए और विनोबा जी उस

(श्री फूलचन्द बाफना)

चीज को सामने लाए। उस अहिंसा से इस प्रकार भूदान हो सकता है अहिंसा से ग्रामदान हो सकता है और लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। परन्तु हर वस्तु में अगर बुरे आदमी होते हैं तो वह खराब हो सकती है। दही अच्छी चीज है, स्वास्थ्य वर्धक है परन्तु बिना कलई के बर्तन में रखी जाए तो वह बाहर फेंकने लायक वस्तु बन जाती है।

सारांश यह कि वर्तमान राज्य से जनता को इच्छित लाभ नहीं पहुँचता। हमने व्यक्ति निर्माण का 23 साल में काम नहीं किया, इसलिए पंचायती राज असफल, सारी बातें असफल सहकारी समितियां असफल, क्योंकि सारे पीतल के बर्तन में थे, इसीलिए तो हर चीज खराब हो रही है। अब तो केवल बहुमत का आर्ट है कि राज कैसे करें, कैसे बहुमत प्राप्त करें। इस कला का विकास हो गया लेकिन जो इस कला में सीधे हैं, वे रह गए। इतनी हम तिकडमबाजी करें, ठीक है कभी भी तुक लग जाए; परन्तु यह किसी के हाथ की बात नहीं है। सत्ता है तो राज में घुसना मुश्किल है। यह राज एक प्रकार से षडयन्त्र है उस षडयन्त्र में जो सफल होता है, वह आगे आता है। शुरू शुरू में बाण के हाथ में सत्ता थी, वह जिसको चाहे राजा बना देता था क्योंकि त्याग करते थे। जब उनमें भोग घुस गया तो वह नीचे गये। उसके बाद जिसमें बाहुबल था उसने लोगों की रक्षा की अपने प्राण न्यौछावर कर दिए तो उनका जमाना राज करने का आया। पहले ब्राह्मण के हाथ में सत्ता थी, परन्तु जैसे ही वह भोगी बना, सत्ता चली गई। जिसके हाथ में बाहुबल था सत्ता उनके हाथ चली गई। फिर क्या हुआ अंतिम संघर्ष हुआ ब्राह्मण और बाहुबल में हुआ जैसे परशुराम और राम के बीच में हुआ. परशुराम को आत्म समर्पण करना पड़ा क्षत्रीय वर्ग जीत गया, परशुराम पीछे रह गया। जब क्षत्रीय के हाथ में सत्ता आई···

श्री म नसिंह : सत्ता आज भी ब्राह्मण के हाथ में है, प्रधान मंत्री ब्राह्मण है।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं जाति प्रथा की नहीं कहता, वर्ण व्यवस्था की कहता हूं···

श्री दौलत राम सारण : वह ब्राह्मण नहीं, पारसी हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : जाति व्यवस्था से संबंध नहीं है। क्षत्रीय वर्ग के हाथ में सत्ता आई। ब्राह्मण जो भगवान के निकट रहता था, उसने लिखा कि राजा ही ईश्वर है। आज हम देखते हैं कि जिसके हाथ में राज है। उसी का स्वागत होता है, भला आदमी हो उसके जुलूस निकलते हैं क्या? वहां डिप्टी मिनिस्टर जाए तो जुलूस निकलते हैं तो इन्सानियत की वैल्यूज नहीं पनप पाई। ग्रामदान इसका साधन है मानवता की स्थापना की जाए। इसके लिए ग्रामदान आया है। ग्रामदान के पीछे बैकग्राउंड है इन्सानियत का वर्चस्व बढ़ाया जाए अगर मनुष्यत्व की स्थापना कर सकते हैं तो ग्रामदान सफल होगा अन्यथा नहीं। मनुष्य में इन्सानियत नहीं रहती तो ग्रामदान असफल हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब क्षत्रिय वर्ग भोगी हुआ तो वैश्य वर्ग के पास सत्ता आ गयी और जब

(श्री फूलचन्द बाफना)

उनके पास सत्ता आयी तो उन्होंने अपने भण्डारों को जनता के लिये खोल दिया और बारह बारह साल के अकालों का मुकाबला करके जनता को भूखों नहीं मरने दिया। बादशाहों तक ने कहा कि हम तो बाद में शाह हैं। ये लोग शाह हैं अतः बादशाह हैं। वैश्य लोग जब भोगी बने तो सत्ता उनके हाथ से खिसक गयी। हमारे कान्स्टिट्यूशन में भी इसलिए गारन्टी दी गयी है कि बिना मुआवजा कुछ नहीं लेंगे। वैश्यों में जब भोग घुस गया तो सेवा करने वालों का युग आ गया। इसलिये हर पार्टी ने सेवा एवं श्रम का चिन्ह बनाया। इसका कारण यही है कि जो चीज विचारों में आती है वही झंडे पर आती है और झंडा हवा में फहराता है तो उसके साथ यह चीज भी जमीन पर उतरती है। त्याग और भोग का कहीं मिलन नहीं है। जहां त्याग था वहां भोग घुस गया तो चौपट हो गया मामला। जब से त्याग में भोग घुस गया तो उसकी सत्ता भी लुप्त हो गयी। इसमें आदमी हिंसा में विश्वास करता है। यह तो ला आफ जंगल हुआ। यह इन्सानियत का राज कहां हुआ? इन्सानियत पैदा हो तो ग्राम दान भी आये ग्रामदान असफल हो जाता है तो मैं समझता हूं कि नक्सलाइट प्रवृत्ति बढ़ेगी। उसको कोई रोक नहीं सकता है। आदमी जन्मा है तो भूखों नहीं मर सकता है। पंचवर्षीय योजना बनती है। माने कि एक आदमी ने सौ तोते पाले हैं। एक साल में 20, दूसरे साल में बीस, तीसरे साल में बीस, चौथे साल में फिर 20 और पांचवें साल में फिर 20 को दाना पानी दे दिया क्या ये तोते सभी जिन्दा रहेंगे? सारी योजनाओं को देख लीजिये। लोग भूखों मरते हैं उनकी क्या हालत है? कौमन आदमी तो वास्तव में गली में घूम रहा है जिसके हाथों में हथियार वह तो एक सिपाही है, जिसके हाथ में पैसा है वह साहूकार है और जिसके हाथ में सत्ता है वह सरकार है। इन तीनों के अलावा कौमन आदमी कहां है? साधारण आदमी के हाथ में सत्ता न जाय और वह गांव वालों के हाथ में न हो तो हर मानव को सुख नहीं आ सकता। कौमन आदमी के पास सत्ता नहीं। अतः हजारों प्रश्न पैदा होते हैं। अच्छी व्यवस्था में यह नहीं होते हैं। यह अपने आप में प्रमाण है। अमेरिका में सत्ता वैश्यों के हाथ में है। ग्रामों में भी खुशहाली है लेकिन यह बेरोजगारी और भुखमरी है। दानव के हाथ में यदि ग्रामदान भी आता है तो बंटवारा हो सकता है और वही देवता के हाथ में आयेगा तो उसमें अवश्य सफलता आवेगी। सफलता और असफलता कोई चीज नहीं है। अच्छे आदमी हैं तो सफलता निश्चित है और बुरे आदमी हैं तो असफलता निश्चित है। प्रकृति का यह आधार है। जो आदमी जन्मा है वह जीयेगा और जिन्दा रहने योग्य अधिकार नहीं दिये जावेंगे तो कुछ नहीं कर सकेगा। गावों में खाने पीने की सब चीजें, गुड़ शक्कर, खाद्य तेल आदि सब बाहर से आता है। गांव गुलाम है। आम व्यक्ति अब तक गुलाम है। तीन गुलाम हैं। गांव, गरीब और महिला। इन तीनों की मुक्ति होगी तब ही आजादी आवेगी। ये तीनों ही आजाद नहीं हैं।

(श्री फूलचन्द बाफना)
आप लोग तो आराम करो और जनता को कहा, कि त्याग करो। आप तो फैशन से रहो और दूसरों को उपदेश दो कि त्याग करो, त्याग का उपदेश मात्र दें तो यह मुश्किल है। आप उनको तो कहो कि त्याग करके अपनी भूमि दो और खुद ऐश आराम करो। तो इस प्रकार से ग्रामदान के बाद भी ग्राम गरीब रहेंगे और दौलत शहरों में रहेगी। ग्राम सभा बनेगी तो ग्राम सेना भी बनेगी। वह फिर शांति सेना नहीं बन सकेगी। ग्राम दान एक्ट में लिखा है कि शान्ति सेना बनेगी। जुल्म करेंगे, शोषण करेंगे फिर भी उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। यह तो बड़े देवत्व की चमत्कार जैसी बात है। अच्छे आदमी काम करेंगे तो काम होगा बराबर। मेरा यह मानना है कि सारे काम चलते हैं उनमें आस्था नहीं है। आस्था नहीं है इसी कारण से यह दुःख है। जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने पहले लिबरटी को रखा, स्वतन्त्रता को रखा, फिर समानता को रखा। अर्थात इक्वेलिटी समानता और फिर फेटरनिटी बन्धुत्व को रखा है। लिबरटी, इक्वेलिटी समानता आवेगी और फेटरनिटी, इक्वेलिटी होगी तब ही तो असली लिबरटी होगी, आजादी आवेगी। लेकिन हमने पश्चिमी सभ्यता को पहले पकडा हैं। जो भारत और संसार का गुरु कहलाता था वह आज सब का शिष्य बन गया है। तौर तरीके और प्रगति में ही ले लीजिये। बिलकुल पिछड़ गया हैं। विधान बनाने वालों ने यह गलती की है।

जब राजाओं का राज्य था और जागीरदारी थी तो व्यक्तिगत मालिकाना हक जमीन पर नहीं था लोगों का। लोग इस प्रकार की गांवों में डूंडी पिटवाते थे कि इधर की तरफ खेती करेंगे और उधर की छोड़ देंगे। ऐसा तरीका था। सारे गांवों की जमीन सेटलमेन्ट में आयी तो मालिक हो गये। धरती माता है तो हम उसके पुत्र हुए। मालिक कैसे होंगे ? पुत्र मालिक कैसे बन सकता है माता का धरती माता है तो हम पुत्र हो सकते हैं। पति कैसे हो सकते हैं। इस राज्य ने क्या किया है कि पुत्र नहीं उसको धरती माता का पति बना दिया है। इस कारण जब जमीन के लोग मालिक बन गये तो गोचर की समस्या बन गयी। उसको ग्रामदान से दूर करना चाहते हैं। सब कुटुम्बों में क्या होता है ? कोई चीज बाजार से आयी तो उसका बंटवारा करती है मां अगर जितने लड़के हैं, चार, पांच लड़के हैं तो उतने वह हिस्से करती है। बाद में एक बेटा आता है और कहता है कि मुझे और चाहिए तो मां अपना हिस्सा उसको दे देती है। तो हमें मां का शासन चाहिए और वह ग्रामराज ही हो सकता है और इसमें शासन नीचे से होगा। सारी आय गांव में होगी। एक्ट में खामियां है वह ठीक होंगी। परन्तु सारी आय नीचे से हो और नीचे से ऊपर आये। पहले सारी आय गांव में इकट्ठी हो और जितनी जरूरत हो गांव में रखी जाये, जिले की जरूरत हो जिले में रखी जाये और प्रान्त का हिस्सा प्रान्त को दिया जाये और प्रान्त अपना हिस्सा सेन्ट्रल को भेजे। इस तरह से काम होगा तो देश सुदृढ़ होगा। आज आय को लाने और ले जाने में जो खर्चा हो जाता है

(श्री फूलचन्द बाफना)
वह बच जायेगा। अगर नीचे से काम करेंगे तो अच्छा होगा। सारी व्यवस्था नीचे से बनेगी तो अच्छा होगा। सारी गांव की जमीन एक जगह करना चाहते हैं। मैं यह बतलाना चाहता हूँ हमारे संविधान के अन्दर इसका प्रावधान है और यह है कि हिन्दुस्तान में पंचायतें बनें और उनको ऐसे अधिकार हों, अपने आप में स्वतन्त्र एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हों और अगर यह बात संविधान में कही गई है तो ग्रामदान का मतलब भी यही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वर्तमान राज्य के बदले में ग्रामराज से क्या होगा। ग्रामराज का मतलब है गांव का राज, गांवों के लोगों का राज। उसमें कोई मालिक नहीं है। राज्य शब्द तो आज हर चीज में लग गया है इसलिए यह भी ग्रामराज हो गया। इसमें जो राज व्यवस्था है वह मेनेजमेन्ट है। वह मेनेजमेन्ट होगा लेकिन वह गवर्नमेन्ट नहीं होगी। तो राज्य एक चालू शब्द है। इसलिए ग्रामराज हो गया। यह वास्तव में एक मैनेजमेन्ट है, इन्तजाम होगा।

श्री मदनसिंह : इसमें शहरी राज नहीं है। जो कलकत्ता, बम्बई है उनका इसमें कोई मापदण्ड नहीं रखा है।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि जो मौजूदा व्यवस्था है...

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब ग्रामराज ही हो जायेगा तो गांवों में लोग वापिस आयेंगे। आज गांवों की व्यवस्था नष्ट होकर ही शहर फलफूल रहे हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : मैं यह बता रहा था कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। इसको बनाने में कितना ही समय लगेगा। मैं भी मानता हूं कि आज शहरों में क्या हो रहा है। आज सारे गांव की बुद्धि, श्रम, चतुर कारीगर शहर में आकर इकट्ठे हो गये हैं और सारी बुद्धि निर्यात हो रही है शहरों से भी क्योंकि सब शहरों में खप नहीं सकते और अमेरिका जा रहे हैं। इसलिए जब ग्रामराज होगा तो शहरों का धन्धा विकेन्द्रित होगा और गांवों में लोग पहुँच जायेंगे। हमारी व्यवस्था गड़बड़ है और इस वजह से यह सब पैदा हुआ है। इसलिये समाज को बदलने की बात है। इन्सानियत के आधार पर समाज की रचना करना है। ऐसी बात नहीं है कि शहरों का शोषण कायम रह जायेगा। शहरों में बहुत सारे स्कूल हैं और गांवों में स्कूल नहीं हैं। इससे आपकी पढ़ाई का तरीका भी बदल जायेगा। ग्रामराज के पीछे स्पष्ट यह बात है। आज की शिक्षा केवल नौकर पैदा कर रही है। जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी चाहिये। खेती करते हैं तो भी नौकरी चाहिये। हर आदमी नौकरी करना चाहता है और इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या पैदा कर रहे हैं। यह ग्रामदान एक्ट में लिखा हुआ है बेरोजगारी को हटाना। यह वास्तव में नया युग है। जो पुराना है उसको बिगाड़कर, मिटाकर नया लिखना है और उसमें जो श्रम पड़ेगा वह तो होगा। एक दो दिन में ही चमत्कार हो जाये ऐसी बात नहीं है। इस स्वतन्त्रता को 23 साल से ऊपर हो गये तो ग्रामराज

(श्री फूलचन्द बाफणा)
से एकदम कैसे चमत्कार हो जायेगा ? इसमें भी समय लगेगा। यह जो सारी इस तरह से समाज को बदलने की बात है, उसमें क्या होगा, उस समाज में कोई चीज मोल से नहीं मिलेगी। आज क्या व्यवस्था है? जिसकी जेब में पैसा है वह चीज खरीदता है और जिसकी जेब में पैसा नहीं है वह आदमी उस चीज को मोल नहीं ले सकता। तो वह भूखा मरेगा। ग्रामराज में हर आदमी को भोजन मिलेगा और कोई चीज उसे मोल से नहीं लेनी पड़ेगी। वह अपनी शक्ति के अनुसार काम करेगा और आवश्यकतानुसार लेगा, यह मूल वाक्य है। और यही मूल वाक्य समाजवाद का है। ग्रामराज का भी यही आधार होगा। जैसे मधु मक्खी छत्ता बनाती है तो उसमें सारी व्यवस्था होती है। चींटियों की भी अच्छी व्यवस्था होती है तो चींटियों और मधु मक्खियों की जो सामूहिक सामाजिक व्यवस्था है वैसी ही व्यवस्था हम कर सकते हैं। वास्तव में पैसे का मामला वहां पर नहीं होगा। आज हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। खाद, बीज और कई चीजें पैदा कर दी हैं और विज्ञान ने कई सम्भावनाएं हमारे लिए पैदा कर दी हैं और इससे अनाज का ढेर लग जायेगा। और फिर अनाज का ढेर लग जाता है तो क्या समस्या रह जाती है ? समस्या रह जायेगी वितरण की। वितरण की समस्या आज यह है कि जो खरीद सकता है वह अनाज खा सकेगा और जो नहीं खरीद सकता है वह भूखा मरेगा। तो क्या आज की व्यवस्था में उत्पादन होने पर भी तमाम भूखों को अनाज मिल जायेगा ? आज के समाज का पहला नियम है कि खरीदो। खरीदने की व्यवस्था ग्रामराज में नहीं होगी। वहां उत्पादन होगा और उत्पादन के आधार पर एक ग्राम की व्यवस्था होगी और एक परिवार की जैसे व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था होगी जिसमें कोई चीज मोल लेने की बात नहीं होगी। हमारी यह जो व्यवस्था है जिसकी जेब में पैसा है वही ले और जिसकी जेब में पैसा नहीं है वह नहीं ले सके। यह अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। हमारी आज जो सामाजिक व्यवस्था है वह एक भ्रष्टाचारी व्यवस्था है। और परम्परा से यह चली आ रही है। हम भगवान से भी यह कहते हैं कि मेरा खोया गहना मिल जाये तो इतना भोग आपके चढ़ा दूंगा। हमारा जो भगवान है, उस भगवान को हमने अपना नौकर मान रखा है। कोई कहता है, भगवान मुझे लड़का चाहिये और वह मिल गया तो इतने मन लड्डू चढ़ा दूंगा। तो यह एक भ्रम हो गया है। आज अफसर को भी हम कहते हैं कि इतने पैसे ले लो और हमारा काम कर दो। उसी तरह से हमने आज ईश्वर को मान रखा है। वास्तव में हमें उसको सृजनहारी समझना चाहिये, सृजनकर्ता उसको मानना चाहिये। इसलिये ग्रामराज में जो सृजन करेगा उसकी पूजा की जायेगी। आज कोई 40 रुपये का बूंट बनाता है, वह उसका सृजन करता है परन्तु उसका कोई गुणगान नहीं होता है। गुणगान उसका होता है जो उसका भोग करता है। यह जो भावना है वह गलत है। जो सृजन करता है उसका हम आदर करेंगे और आगे बढ़ायेंगे। आज जो पैदा करता है, उत्पादन करता है उसकी हालत क्या है ? वह भूखों मरता है और

(श्री फूलचन्द बाफना)

जो उत्पादन नहीं करता है वह भोग करता है। यह जो आज की व्यवस्था चल रही है उसके कारण ही यह हालत हो रही है (समय समाप्ति सूचक घंटी) इस पर जितना बोला जाय वह थोड़ा है। तो हमें यह सारी व्यवस्था बदलनी होगी। ग्राम राज में यह कमी भी नहीं होगा। हमारी जो यह प्रणाली चल रही है उसमें हमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, तभी उन्नति हो सकती है, क्रान्ति हो सकती है। क्रान्ति कौन करेगा? हम और आप क्रान्ति नहीं कर सकते हैं। यह हमारे बस की बात नहीं है। तीन प्रकार के वर्ग हैं आज के जमाने में। एक वर्ग है श्रमजीवी, दूसरा वर्ग है बुद्धिजीवी और तीसरे वर्ग में हैं बुद्धिमान लोग। श्रमजीवी मेहनत करता है और अपना पेट भरता है। बुद्धिजीवी बुद्धि से अपना पेट भरता है और बुद्धिमान वे लोग हैं जो सेवा करते हैं और सेवा के बदले में कुछ नहीं लेते हैं और लेते हैं तो खाना, कपड़ा। इस श्रेणी में महात्मा गांधी जैसे त्यागी तपस्वी लोग होते हैं और वे साधु सन्यासी होते हैं जो त्यागी हैं और देश और समाज का मार्गदर्शन करते हैं।

(3.30 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

आखिर मैं यह मानता हूं कि हम सब लोग बुद्धिजीवी हैं और यहां पर जो हम सब हैं वे बुद्धिजीवी हैं क्योंकि हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की पैदाइश हैं, उपज हैं। झगड़े न हों तो वकील के कमाई नहीं होती, अतः हम निकम्मे बन चुके हैं इसलिये आप और हम सभी उसमें फंसे हुये हैं। कोई बीमार न पड़े तो डाक्टर क्या कमायें? इसी प्रकार समाज में संकट, समस्यायें न हों तो फिर नेता क्या खावें? समस्या कोई न हो तो नेता के लिये समाज में समस्याओं का पैदा किया जाना भी अत्यन्त जरूरी हो जाता है और इसी प्रकार जो भी आदमी जनता के कष्ट से कमाने वाला है वह लोगों की तकलीफ पर ही जिन्दा है। आज तो धर्म, समाज व राज की सत्ता सारे बुद्धिजीवियों के हाथ में है। हम कई बार देखते हैं फला योजना इस पंचवर्षीय योजना में होगी और इसमें नहीं होगी तो अगली पंचवर्षीय योजना में होगी लेकिन यह तो आगे से आगे जा रहे हैं। गरीब आदमी रास्ते पर खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है तब तक मुश्किल है। ग्रामदान विधेयक को लाना चाहते हैं तो साधारण आदमी की पूछ होगी और बुद्धि से सेवा करने वाले अर्थात् बुद्धिमान ज्यादा पैदा होंगे और उससे सामाजिक क्रान्ति होगी और ग्रामदान में श्रमजीवी और बुद्धिमान दोनों मिलेंगे तो ही मूल्य परिवर्तन होंगे। राष्ट्र की इकाई गांव है। आज शहर गांवों का शोषण करते हैं। शासन विहीन, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था होगी। यह बहुत अच्छी बात होगी इसलिये ग्रामदान एक्ट पास करके, साधारण व्यक्ति के लिए मार्ग खोलें। पर मेरा विश्वास नहीं है कि कोई किसी को सत्ता दे सकता है क्योंकि जिसके कब्जे में सत्ता है वह आसानी से छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि आज तक किसी ने सत्ता आसानी से अपनी इच्छा से दी नहीं है। आज भी शोषण हो तो कोई हटा नहीं सकता है, वह

(श्री फूलचन्द बाफना)

भोगी तो भोग से ही चलेगा क्योंकि वह आदत से लाचार है . . .

श्री उपाध्यक्ष: अपने को इतनी तकलीफ देखने की क्या जरूरत है ?

श्री फूलचन्द बाफना : वह वातावरण बनाना चाहिये। जब एक बार लोगों का मानस परिवर्तन हो जाता है तो वह अपनी शक्ति पहचानते हैं । आदमी यह सोचे, मैं कुछ नहीं हूं यह गलत है । ग्रामदान मानव शक्ति का बोध करायेगा । मैं मानता हूं गांव ठीक हो सके तो देश और राष्ट्र सब ठीक हो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: आदमी अपने आप पर काबू पा लेवें तो सभी कुछ ठीक हो सकता है ।

श्री फूलचन्द बाफणा : इसके लिए मानस परिवर्तन करना पड़ता है और मानस परिवर्तन के लिए विचार करना पड़ता है और विचारों को सक्रिय रूप भी देना चाहिये और सक्रिय रूप देने पर. . .

श्री शंकर लाल : यह स्वतंत्र पार्टी के विचार हैं क्या ?

श्री मदन सिंह : स्वतन्त्र पार्टी के विचार न हों तो क्या ? एक स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य ने विचार रखे हैं – आपकी पार्टी ने तो नहीं रखे ।

श्री दौलत राम सारण : यह ग्राम दान आपके कांग्रेस की विचार धारा है क्या ?

श्री फूलचन्द बाफणा : विचारों का जब दबाव पड़ता है तो सत्ता वालों को करना पड़ता है और नहीं करते हैं तो सत्ता चली जाती है । सत्ता रखने के लिये बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं । इन्होंने अपनी अकल से काम लिया और ग्राम दान बिल लाये । इसपर भी मेरा निवेदन है कि आखिर दो व्यवस्था नहीं चल सकती हैं। राज्य किसी के हाथ में हो और कार्यवाही किसी के हाथ में हो तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चल सकती है । गांव वालों से यह कहें तुम अपनी व्यवस्था करो तुम्हारी मर्जी के अनुसार और हम अपनी मर्जी के अनुसार हमारी व्यवस्था करते हैं तो दोनों की आपस में टक्कर होगी-दोनों आपस में टकरा जायेंगे इसलिये यह आज की राज्य व्यवस्था ठीक नहीं है । मेरा मानना तो ऐसा है गांव में से चुने हुये आदमी जिले को सम्भालें और जिले में से चुने हुये आदमी प्रान्त को सम्भालें और प्रान्त में से चुने हुये आदमी देश को सम्भालें और इसी तरह राष्ट्र को सम्भालें तब तो रास्ता एक होगा । भिन्न भिन्न रास्ते जाकर देश का, प्रान्त का और गांव का कल्याण नहीं कर सकते हैं । यह तो एक उस प्रकार की कहावत है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और वह मुर्गियों को संवैधानिक अधिकार देता है और उनसे यह कहता है कि तुम्हें कच्चा खायें या पका कर खायें मुर्गियां कहती हैं कि हमें खायें ही नहीं तो उत्तर मिला कि यह तो नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें जो मूलभूत अधिकार दिये हैं वह यह दिये हैं कि तुम तय करो कि तुम्हें कच्ची खाया जाय या पका कर खाया जाय तुम्हारा यह मूल अधिकार नहीं है कि ऐसा कर दो कि तुम्हें खाया ही नहीं जाय–ऐसी बात या प्रणाली

(श्री फूलचन्द बाफणा)

ही हमारी सरकार की है। सरकार यदि कहती है कि शोषण हम जरूर करेंगे लेकिन शोषण विहीन समाज और वर्ग विहीन समाज की रचना करेंगे तो व्यर्थ है। कुछ भी हो ग्रामदान तो शोषणविहीन समाज का नाम है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष जी, आज विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। मनुष्य मुक्ति चाहता है–जीवन-मुक्ति नहीं, शोषण–मुक्ति चाहता है, वह शासन से भी मुक्ति चाहता है। शासन के शोषण से, उत्पीड़न से और दखल अन्दाजी से मुक्ति चाहता है इसलिए आज दुनियां में विचार-संघर्ष चल रहा है। आज का जो विधेयक है यह भी हमारे सामने एक इसी तरह की स्थिति पैदा किये हुए है–जैसे आज दुनिया के सामने इन्सान की है। जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, हर एक शोषण मुक्त और वर्गविहीन समाज रचना की बात करता है, साम्यवादी शोषण मुक्त, शासन-मुक्त और वर्गविहीन समाज की बात करते हैं, समाजवादी भी करीब करीब यही बात कहते हैं और भूदानी भी यही बात कहते हैं। इस समय जब राजस्थान ग्रामदान विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो हमारे सामने एक अजीब स्थिति है, उपाध्यक्ष जी। एक तरफ यह सरकार समाजवाद की बात कहती है, योजना बद्ध विकास के आधार पर जीवन स्तर उन्नत बनाना चाहती है, गरीबी को मिटाना चाहती है और ग्राम की सहकारी स्थापित करना चाहती है–ऐसा उद्देश्य व्यवस्था को इस सरकार ने घोषित किया है लेकिन दूसरी तरफ ग्रामदान विधेयक लेकर विनोबा और गांधी की विचारधारा को समर्थन देने का इजहार करती है। मैं नहीं समझता हूं आखिर इस शासन का रास्ता कौनसा है? यह समाजवादी व्यवस्था पर चलना चाहती है या ग्रामदानी रास्ते पर चलना चाहती है? यदि यह ग्रामदानी रास्ता अपनाना चाहती हैं तो यह विधेयक इस रूप में नहीं लाना चाहिए। अगर सरकार की निष्ठा ग्रामदानी व्यवस्था में है और गांधी, विनोबा के चिन्तन के अनुसार समाज को परिवर्तन करना चाहती है तो इस सरकार ने जो पंचायती राज की लड़खड़ाती व्यवस्था कर रखी है उसके एवज में पूर्ण रूप से ग्रामदानी व्यवस्था को स्वीकार करके सम्पूर्ण रूप से विधेयक को लाना चाहिए। आधे मन से करने वाला काम कभी पूरा नहीं होता है। आधे मन से वे ही काम करते हैं जिनका उद्देश्य अस्पष्ट होता है, जो भटके हुये हैं। वे हमेशा इधर भी और उधर भी हाथ मारते हैं, एक रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं। जो विभिन्न रास्ते पर हाथ मारना चाहते हैं यह सरकार यह विधेयक प्रस्तुत करके वैसी ही बात कर रही है। कोई रास्ता इसके सामने स्पष्ट नहीं है। जैसा कोई कहता है उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। अगर सरकार की निष्ठा वास्तविक रूप से ग्राम दान की फिलोसफी में है तो इस सरकार को सारी विचारधारा बदलना चाहिये। ग्राम दान, भूदान आन्दोलन में जो विचार हैं उस भू-दान मूलक, ग्राम दान प्रधान अहिंसात्मक तरीके की, जो विनोबा ने बताया है, उस रास्ते की घोषणा करनी चाहिये।

(श्री दौलतराम सारण)

श्रीर उस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर यह सरकार उस रास्ते पर चलना प्रारम्भ कर देगी तो यह सत्ता का मोह अपने आप बिखर जायगा, फिर यह संग्रह की भावना अपने आप लुप्त हो जायगी, और उसके बाद में यह इस तरह से वातानुकूलित भवनों में बैठने की मनोवृत्ति क्षीण हो जायगी, और त्याग अपने आप रास्ता बना देगा, और उसके बाद में उसका स्वरूप बन जायगा। जो सिनेमा के निर्माण पर उद्घाटन होता है वह उद्घाटन उद्घाटन नहीं होगा, आज जो अपने बच्चे और बच्चियों की शादियों में इस तरह के आलीशान जुलूसों का प्रदर्शन नहीं होगा। उसके बाद में सारी आबोहवा बदल जायगी, सारे चिन्तन का रास्ता बदल जायगा और सारा दृष्टिकोण बदल जायगा। लेकिन मैं देखता हूं कि सरकार ग्रामदान विधेयक भी लाना चाहती है, वह पारण करवाना चाहती है, लागू करना चाहती है और पंचायती राज की संस्थाओं को चलाना चाहती है और सहकारी आन्दोलन को भी चलाना चाहती है, और इसके साथ साथ यह समाजवाद का नारा भी देना चाहती है। आखिर किस प्रकार की शासन व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था और समाज व्यवस्था यहां पर स्थापित करना चाहती है। इस स्टेट के अन्दर, यह आज तक नहीं समझ सका हूं। इस सरकार उस कोई अपना दृष्टिकोण नहीं है। यह उधा लेकर, इधर उधर से विचार लेकर कानून बनाती है। जो शासन समाज की व्यवस्था का नि ण करके समाज का संचालन करना चाहता है उस शासन को अपने दृष्टि कोण, अपने सिद्धान्त, और अपने चिन्तन और विचार धारा के अनुसार निर्माण करना चाहिए। मैं इस शासन से पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का विश्वास ग्रामदान की फिलासफी में है तो फिर उसकी स्पष्ट घोषणा करके ग्रामदान के दृष्टिकोण पर जोर देना चाहिए। लेकिन आप विनोबाजी और गांधीजी का नाम लेने और उनकी त्याग तपस्या का उपभोग करने के लिए करते हैं। इस सरकार के विचार, इसका व्यवहार और कर्म सारे के सारे गांधीजी की तपस्या, विचारधारा और संस्कृति के खिलाफ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं। इसलिए आप दोनों बातों को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर आपका ग्रामदान में विश्वास है, अगर ग्रामदान की फिलासफी में, विचार में, आस्था है तो उस रास्ते पर चलने की घोषणा करना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने, इस कांग्रेसी सरकार ने गांधीजी की विचारधारा के साथ गुनाह किया है, धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आज गांधीजी के देश को 25 साल की आजादी के बाद शराब में सराबोर कर रखा है, घर घर में भट्टियां चालू कर रखी हैं। शासन शराब का व्यापार करता है, शराब का उत्पादन करता है। यह गांधीजी की विचारधारा के साथ दगा है या नहीं ? आज गांधीजी और विनोबाजी के नाम पर चलने वाली यह सरकार, कांग्रेस का नाम लेने वाली यह सरकार है जो बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध चल रही है। इसने संपत्ति संग्रह को प्रश्रय दिया है, इसने पूंजीपतियों का निर्माण किया है। सामन्तवाद और पूंजीवाद को मिटाने की बात करती है और नारा देकर वोट बटोरती है। लेकिन इसने

(श्री दौलतराम सारण)

25 वर्ष के इतिहास में, अपने शासनकाल में पूंजीपतियों का निर्माण किया है, पूंजी पतियों को बढ़ाया है, पूंजी को केन्द्रित किया है, शासन तन्त्र को केन्द्रित किया है। इन्होंने ग्राम राज्य और पंचायती राज को नहीं पनपाया। अपनी शासन सत्ता को केन्द्रित किया है, अर्थ को केन्द्रित किया है। इस तरह से शासन ने पूंजीवादियों को प्रश्रय दिया है, सामन्तवादी मनोवृत्ति को उकसाया है। यह मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मेरा ख़याल है कि जिन पूंजीपतियों की संपत्ति कांग्रेस के शासन से पहले 27 करोड़ के आसपास थी आज वह उससे कहीं ८0 गुना ज्यादा सम्पत्ति के मालिक हैं। आज हिंदुस्तान की सारी संपत्ति केवल चन्द पूंजीपतियों की जेब में इकट्ठी हो गई है। यही योजनाबद्ध विकास का परिणाम निकला है। यह पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामदान विधेयक लाने वाली सरकार की यह विचारधारा के अनुकूल है? यह योजना बद्ध विकास जो आपका है यह सारा गांधीजी की विचारधारा के खिलाफ है, और फिर कहते हैं कि ग्रामदान विधेयक को पारित किया जाय। क्यों लोगों को भ्रम में डालते हैं? एक तरफ तो ग्रामदान बनाते हैं और कहते हैं कि गांवों में ग्राम-सभा होगी और दूसरी तरफ उसी गांव के पास में ग्राम पंचायत होगी पंचायत कानून के अन्दर्गत बनी हुई। एक तरफ पंचायत समिति को सारे अधिकार होंगे पंचायतों के सरपंच बेगारी की तरफ बस्ता लिए हुए घूमते हैं। यह दुसरी व्यवस्था गांव के लोगों में भ्रम पैदा कर रही है।

मै मानता हूं कि ग्रामदान व्यवस्था अच्छी है। मेरा इस विचारधारा में विश्वास है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं इस शासन से, इस विधेयक को लाने वाली सरकार से कि अगर ग्रामदान को अच्छा समझती है तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार उसकी और मन से शासन की शक्तियों को लगाती है? क्यों नहीं भूदान बोर्ड को सारी शक्तियां देती है? अगर आपको विश्वास है तो आपको उस तरह से सारा विधेयक लाना चाहिए और सम्पूर्ण रूप में उस तरह से विधेयक लाकर पूरी तरह से शासन को उसमें सहयोग देना चाहिए। लेकिन आपको विश्वास नहीं है ग्रामदान में। विनोबाजी के आन्दोलन में आपका विश्वास नहीं है। भूदान की फिलासफी में आपका विश्वास नहीं है। ग्रामदान में आपका इसलिए विश्वास नहीं है कि उससे ग्राम शासन मुक्त होता है। विनोबाजी के साम्य योग, जिसको सर्वोदय कहते हैं, में मेरा विश्वास है। उस तरह से सारे शासन को मोड़ देना चाहिए। आपकी आर्थिक योजना उसी हिसाब से बननी चाहिए फिर आपको शासन के सारे स्वरूप को, सारे तन्त्र को सारी इस खर्चीली व्यवस्था को उसी रूप में वदलना चाहिए लेकिन आप उस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो यह दोमुंही बात किस आधार पर लेकर सदन के सामने आये हैं? क्यों अधिकार देना चाहते हैं? क्यों कि गोकुलभाई भट्ट या जयप्रकाश नारायण या विनोबाजी या विनोबाजी जिन्दा हैं– इसलिए कर दिया अगर उनका कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इस लिए आंख बचाने के लिए, उनको राजी करने

(श्री दौलतराम सारण)

के लिए ग्रामदान विधेयक लाये हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। चार्ज लगाना चाहता हूं लेकिन आपका कोई गांधियन फिलासफी में विश्वास नहीं है। मैं गोकुलभाई से भी कहना चाहता हूं कि आप इस भूदान विधेयक को पारित करवा कर इस सड़ी गली एवं गांधी विचारधारा के विरुद्ध चलने वाली सरकार के कानून के सहारे ग्रामदान चलाना चाहते हैं? राजस्थान में और हिन्दुस्तान में इस प्रकार की सड़ी गली सरकार के सहारे ग्रामदान सफल नहीं हो सकेगा, भूदान मूवमेंट सफल नहीं हो सकेगा, अहिंसक क्रान्ति नहीं हो सकेगी। अहिंसक क्रान्ति जनमत निर्माण से होगी, विचार परिवर्तन से पैदा होगी। इस तरह से विधान सभा के माध्यम से नहीं होगी। अगर विधान सभाओं के माध्यम से भूदान मिलेगा, ग्रामोद्योग स्थापित होंगे और अहिंसक क्रान्ति का अस्तित्व बनेगा तो सर्वोदय के विचार समाप्त हो जायेंगे। मेरी यह मान्यता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इस मोह को छोड़ दें। खद्दर देख कर और पुराने साथ को देखकर जरा बहुत आपको मोह है तो वह धोखा है, धोखा है, धोखा है। न ये कांग्रेसी हैं, न खद्दर में इनका विश्वास है, न ये गांधीजी को मानते हैं और न उसी तरह की विचारधारा में इनका विश्वास है. .

श्री रामचन्द्र आर्य : तो कहां जायं?

श्री दौलतराम सारण : कुछ लोग इन के हाथ में हैं। कांग्रेस के जो पुराने थोड़े बहुत हैं वो बेचारे सिसक रहे हैं। जो भी यहां कोई हैं वे सिसकते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन उनको लोभ है, लालच है विधान सभा में आने का इसलिए इनके पीछे पीछे घिसटते जा रहे हैं। वे लोभ का संवरण नहीं कर सके हैं इसलिए व घिसटते जा रहे है? उनका भी मोह भंग होगा समय आयेगा तब, लेकिन अभी नहीं हो सका है . .

एक माननीय सदस्य : आपका हो गया?

श्री दौलतराम सारण : मेरा भी कुछ दिन तक नहीं हुआ था। समय आने पर हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप जल्दी आजाद हो गये।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस सड़ी गली सरकार से क्या आशा करते हैं? इस विधेयक में नियम बनाने की शक्तियां भी हैं। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां मेरे खयाल में शायद 22 धाराओं में दी गई हैं जिसमें कुछ शक्तियां भूदान बोर्ड को हैं .

श्री लालजन वैद : दौलतराम जी अब खद्दर और शराब की छूट मिल गई? कांग्रेस वालों को।

श्री दौलतराम सारण: इसमें 14 धाराएं ऐसी हैं जिनमें सरकार को या सरकारी अधिकारियों को नियम बनाने का या दखल देने का अधिकार दिया है तो यह नियम कब बनेंगे, किस प्रकार से चलायेंगे? शासन का ढांचा है वह आपसे छिपा नहीं है। गवर्नमेंट का आपके काम में दखल होगा और आपके काम में इतनी अड़चनें हो जायेंगी कि बस्ता लिए हुए बोर्ड के लोग कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी के पीछे पीछे फिरेंगे। इस कानून की मन्शा यह लगती है कि भूदान वाले चक्कर लगायें अपना बस्ता लिए हुए,

(श्री दौलतराम सारण)

फार्म दुरुस्त कराते हुए, फैसले की नकल लेते हुए, और घोषणा करते हुए ऐसा मुझे लग रहा है । इधर इसमें ग्राम पंचायत और सहकारी कानून सब के सब आप पर थोप दिये गये हैं । इनकी सीमाएं भी इसमें अन्तर्निहित हैं । इस कानून की भाषा, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जटिल है कि मेरी ही समझ में नहीं आता है । अनुवाद हिन्दी में है कि मेरे जैसे लोगों को अर्थ लगाना कठिन है ।

श्री केशरी सिंह हाड़ा : दौलतरामजी, मूल तो हिन्दी में है, अनुवाद अंग्रेजी में है ।

श्री दौलतराम सारण : मुझे लगता है ग्रामदान विधेयक सहयोग देने के लिए नहीं है, व्यवधान पैदा करने के लिए है।

श्री केशरी सिंह हाड़ा : यही तो कहते हैं कि जटिल हिन्दी है ।

श्री दौलतराम सारण : भाषा के संबंध में कह रहा हूं, उनको पसन्द है तो कोई बात नहीं है । मैं तो सहयोगी मात्र हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामदान की स्थापना केवल नारों से नहीं होगी । व्यवस्था परिवर्तन से होगी । व्यवस्था परिवर्तन छाप लगाने से नहीं होती । फूंक फूंक कर कदम रखने से नहीं होती । व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग आस्था, आदर्श और विवेक लेकर आते हैं । इसी तरह से एक इधर से मिला लिया एक उधर से मिला, इस तरह के लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं । मैं जहां तक जानता हूं, भूदान का जो उद्देश्य है, वह समाज की व्यवस्था में, आमूल चूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने का है । यह व्यवस्था समाज में परिवर्तन लाना चाहती है । व्यक्ति में आस्था रख कर चलती है।

श्री श्रवणलाल : इसमें वोट-दान भी जोड़ दें ।

श्री दौलतराम सारण : आज जो आसुरी शक्तियां हैं, उनको समाप्त करें । लेकिन यह तो सुरा और सुन्दरी का राज्य है । यहां की सारी सत्ता सुरा और लक्ष्मी के आधार पर चलती है । जहां सत्ता प्रमुख हो, लक्ष्मी का बोल बाला हो....

श्री मनोहरसिंह मेहता : लाटरी ।

श्री दौलतराम सारण : लाटरी तो लक्ष्मी में आ गई ।

श्री उपाध्यक्ष : सन्तन को कहा सीकरी सों काम ।

श्री दौलतराम सारण : इसका कोई निश्चित उद्देश्य या कार्यक्रम नहीं है । या यह सरकार सब को राजी रखकर चलना चाहती है । दो में से एक बात है । अगर ये भूदान और ग्रामदान के कार्यक्रम को मानते हैं तो उस प्रकार से अपनी व्यवस्था घोषित करनी चाहिए अगर समाजवाद के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो फिर भूदान की बात नहीं करनी चाहिए । एक भाई ने कहा है कि भूदान और समाजवाद में कोई विरोध नहीं है । समाजवाद की पाश्चात्य व्याख्या तो यह है कि जो व्यवस्था शासन सत्ता के माध्यम से समाज

(श्री दौलतराम सारण)
तो संचालित करना चाहते हैं। लेकिन भूदान और ग्रामदान की फिलासफी तो व्यक्ति को वैयक्तिक स्वतन्त्रता को मानती है उसे बन्धन मुक्त कर एक इकाई के रूपमें मान कर विकसित मानव बनाती चलती है। मैं शायद ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी समझ गये हैं। अर्थ को।

श्री शंकरलाल : समाजवाद एक रास्ता है भूदान का।

श्री दौलतराम सारण : वहां तो समूहगत भावना है। बन्धुत्व है। इसलिए इस फिलासफी में और कानून में अन्तर है। मुझे आश्चर्य है कि यह सरकार क्यों इस कानून को लेकर सदन में आई है? तो मैं यही अर्थ लेकर चलता हूं कि यह सारी भावनाओं को लेकर ऐसी इरादे से आई होगी। शायद गोकुल भाई से कहा होगा कि हम अपना रूप बदल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं है इनका-तौर तरीका बदलेगा। ये गांधी विचारधारा के लोग नहीं हैं। और कोई हो सकता है। ये तो आपाधापी के लोग हैं।

श्री शंकरलाल : यह आपाधापी शब्द कहां से लिया है?

दौलतराम सारण : ये तो भटक रहे हैं। लोगों को भटकाने की तरकीब है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक को लाने वाली सरकार का विरोध करता हूं, और इस विचारधारा का समर्थन करता हूं।

यह सरकार के देखने का काम है कि एक जगह पंचायत का चुनाव होगा बहुमत के आधार पर, एक जगह सर्वानुमति से होगा। एक जगह बड़ी पंचायत बनाने का सवाल है,पहले नारा दिया वन पंचायत वन, कोपरेटिव, वन टीचर। अब यह नारा पुराना पड़ गया। फिर छोटी पंचायत बनाने का सवाल आया। अब पंचायत कैसी बने -- इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की है। यह सरकार दिशाहीन है, भ्रान्त है अस्पष्ट है। मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें आप उस पर महरबानी करें। कभी पंचायतों को छोटा बनाया जाता है, कभी बड़ा बनाया जाता है। कभी कोआपरेटिव का नारा देकर बड़ी बना देते हैं, कभी एक पंचायत, एक कोऑपरेटिव का नारा देते हैं। पहले बड़ी बनाई अब छोटी बनायेंगे। पहले थ्री टायर सिस्टम बनाया, अब टू टायर ही रह गया। पहले कहा कि पंचायत समिति को मजबूत बनायेंगे ...

श्री दिग्विजय सिंह : एक टायर पंचर हो गया।

श्री दौलतराम सारण . अब कहते हैं कि जिला परिषद् को ज्यादा पावर दे दो। पंचायत समिति को कमजोर कर दो, उसको हटा दो। अब पंचायत समिति को हटाने की बात चल रही है। इस प्रकार सरकार की नीति अस्पष्ट है और अदूरदर्शी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह ग्रामदान विधेयक एक अस्पष्टता राजस्थान

(श्री दौलतराम सारण)

के ग्रामीण क्षेत्र में पैदा करेगा। मेरा कहना है कि यदि आपका विश्वास इस ग्राम दान आन्दोलन में है? इसमें निष्ठा पूरी है जो कि कानून को लाकर आप साबित कर रहे है तो आपको सम्पूर्ण राजस्थान में वर्तमान पंचायती राज के ढांचे को सहकारी समितियों के ढांचे को-सारे को बदल कर यह ग्रामदान व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिए। मुझे लगता यह है कि आपका इरादा नहीं है। आपको तो पटवारी से बड़ा मोह है तहसीलदार से बड़ा मोह है। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी कीमत पर। अगर इस मोह को छोड़ दें तो फिर वोट के लिए तैयारी कौन करेगा? चन्दा कौन इकट्ठा करेगा? आज कांग्रेस के कार्यकर्त्ता तो हैं नहीं चन्दा सरकारी ऑफिसर संग्रह करते हैं। इसलिए आपका विश्वास इन बातों में नहीं है। यदि विश्वास है तो हौंसला करके हिम्मत करके, व्यवस्था को सारे राजस्थान मे लागू कीजिये और सारी सम्पत्ति का अधिकार ग्राम सभा को दीजिए, भूमि का अधिकार ग्राम सभा को दीजिए, लगान वसूल करने का अधिकार ग्राम सभा को दीजिए। आप क्यों लगान लेते हैं? क्यों लगान की वसूली में खर्च करते हैं? इससे प्रशासनिक व्यय होता है - इससे क्या लाभ? सारा लगान वसूली का खर्चा है-उससे बचने के लिए ग्राम सभा को दे दीजिए। ग्राम सभा सब जगह गांव गांव में कानूनी तौर पर स्थापित कर दीजिए। यह व्यवस्था आप बना दीजिये। हम उससे सहमत हैं। लेकिन आपका इरादा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आप दो मुंही बात करना छोड़ दें। इससे अविश्वास फैलता है लोगों में अश्रद्धा होती है। निष्ठा जमती नहीं है। अखण्ड विश्वास यहां जमता है। इसलिए मेरा निवेदन है इस पर चिन्तन की आवश्यकता है। इस विधेयक की जटिलताओं के अतिरिक्त इसकी जो भावना है। इसके अन्दर जो विचार हैं और सारी बातें हैं-वह श्रेयस्कर है, उपयोगी है और आवश्यक भी मैं मानता हूं। लेकिन आपका इरादा नहीं है कि आप इस व्यवस्था के हामी हैं। आप इस बात के हामी नहीं हैं। अगर हामी हैं तो इसमें यह परिवर्तन करिये जैसा मैंने कहा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विपक्ष के नेता महोदय!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक को एक हद तक मैं महत्वपूर्ण विधेयक मानता हूं। मेरा कभी भी इरादा नहीं है कि विरोध की खातिर एक विधेयक का विरोध किया जाय, किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह कर्तव्य है कि दलगत सिद्धान्तों को छोड़कर के, पार्टी बाजी को छोड़ कर के छोटी-मोटी राजनीतिक समस्याओं से ऊपर उठ करके जो चीजें नान कन्ट्रोवसियेल हैं उनके सम्बन्ध में हम अपने विचार व्यक्त करें कि जिनके द्वारा देश और समाज का अधिक से अधिक हित हो। सबसे पहले तो टेक्निकल आपत्ति के रूप में इतना ही निवेदन करूंगा सरकार को कि इस विधेयक को अध्यादेश के द्वारा 20-2-71 को बनाने की क्या आवश्यकता थी? यह परम्परा ठीक नहीं है। जनतन्त्र

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के सिद्धान्तों के विपरीत है। और ऐसी जल्दी भी थी तो सरकार ने इस विधान सभा के सामने इस विधेयक को वैधानिक दृष्टिकोण से लाना उचित नहीं समझा। इसका भी कोई कारण मन्त्री महोदय को, मैं आशा करता हूं, व्यक्त करना चाहिए। ग्यारह वर्ष हो गये यह ग्राम दान विधेयक को पारित किये हुए। उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह भी देखना चाहिऐ कि इस ग्राम दान विधेयक को पारित करने के पश्चात् ग्रामदान योजना के अन्तर्गत हमारी उपलब्धियां क्या हैं? आखिरकार सरकार का लक्ष्य है और देश के सब नागरिकों का लक्ष्य यह है कि समाज में खुशहाली आवे, समाज में संतुलन आवे, समाज में इन्सानियत आवे, समाज में नियन्त्रण आवे। हम आज तेईस वर्ष की आजादी के पश्चात् क्या देखते हैं? खास करके सरकार के आचरण के सम्बन्ध में मैं लम्बी-चौड़ी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार ने कई कानून महत्वपूर्ण पास किये–सीलिंग लो कानून पास किया, कोऑपरेटिव, सहकारिता का कानून पास किया और मेरे पूर्व वक्ता ने भी प्रकाश डाला, नशाबन्दी का भी कानून पास किया। क्या यह कानून भी इसी तरह से विण्डो ड्रेसिंग के तौर पर, थोथा कानून जनता के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कायम किया है? अगर कायम किया है तो इसका समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है, और इसका विरोध करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सरकार का आज स्पष्ट बहुमत है, सरकार जो चाहे वह कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी दृष्टि कोण से भी यह विधेयक जिस शक्ल में लाया गया है, जिस शेप में लाया गया है और जिस फार्म में लाया गया है–यह भी खामियों से भरपूर है। सरकार को यह अधिकार है, रूल मेकिंग ऑथोरिटी के अन्तर्गत, 90 पर्सेंट अधिकार सरकार हस्तगत करे तो इस विधेयक को विधान सभा के समक्ष लाकर पारित कराना एक औपचारिकता मात्र है, अन्यथा क्या है? जगह जगह सरकार की रूल मेकिंग ऑथोरिटी का यहां पर जिक्र किया गया है। आप कोई रूल, यानि और कुछ नहीं तो पचास रूल बनाकर लाते तब भी यह कहा जा सकता था कि सरकार का ध्येय पवित्र है, और सरकार एक कानून को बनाना चाहती है। विपक्षी दलों को भी समर्थन प्राप्त करके। वैधानिक दृष्टिकोण से, जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं के अनुसार प्राप्त करके इस विधेयक को पारित कराना चाहती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर सकती है कि इसका क्या कारण है? मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सरकार किंकर्तव्यविमूढ़ है। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार क्या करना चाहती है--यह स्वयं सरकार भी नहीं जानती। अगर सरकार का लक्ष्य खुशहाली लाना है तो तेईस वर्ष के पश्चात् आज जो धनी है वह तो और धनी बने हैं और गरीब है वह और गरीब बने हैं। गरीब, आप देखें, गांवों के अन्दर जो गरीब हैं उनकी गरीबी बढ़ी है या घटी है? यह आप देखिये। शहर के अन्दर कच्ची बस्तियां बढ़ी हैं या घटी हैं–वह देखिये। बड़े बड़े शहरों के अन्दर हजारों आदमी पेवमेंट के ऊपर सो रहे हैं, उनके मकान तक नहीं हैं। यह आज परिस्थिति है। विनोबा जी की विचारधारा के प्रति

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं आदर की भावना रखता हूं और कई वर्षों पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्रीगोकुल भाई को भी यह कहा था कि मैं ग्रामदान विधेयक का विरोध करने के नाते विरोध नहीं करूंगा, लेकिन ग्रामदान विधेयक में अगर खामियां हैं, अगर कमियां हैं, उसकी क्रियान्विति ठीक नहीं है तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उस सम्बन्ध में रचनात्मक रूप से सरकार के सामने सुझाव रखे। मेरा सबसे पहला तो यह निवेदन है कि मेरी समझ के बाहर इस वक्त यह बात है कि पंचायती राज और ग्रामदानसमानान्तर रूपसे किस प्रकार से चलायेंगे ? दोयम, मेरे जिले के अन्दर जो ग्रामदानी गांव हैं, अगर स्वेच्छा, वालन्टियेरिली आप करें, तो मैं उसका स्वागत करता हूं।

आज की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मैं यह अनुभव कर सकता हूं कि सरकार किसी हद तक बल का प्रयोग करे तो मैं भी बुरा नहीं कहूंगा। मैं यह भी साथ साथ कहना चाहता हूं कि इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हैं। हमारे जैसे लोग ग्रामदान लेना चाहते हैं तो उसके लिए ना कहिए। कह सकते हैं आपको विश्वास हम में नहीं है। अगर आपका विश्श्वास हम में नहीं है तो नहीं हो, लेकिन कम से कम आपको अगर इस आंदोलन को सामने रखते हुए विस्तार देना है तो एक आदिवासियों पर ही इसे लागू किया जाए ? मेरे एक मित्र थे कांग्रेसी, पुराने मित्र थे उनसे मैं कई बार चुनाव लड़ चुका हूं। उन्होंने मुझे भी हराया और मैंने भी उनको हराया है, वह हमारे जिले के प्रमुख थे। तो मैंने कहा कि प्रमुख साहब, अगर आप ग्रामदान की पहल करते हैं तो इसका संरक्षण सबसे पहले मैं करने के लिए तैयार हूं लेकिन चैरिटी बिगन्स एट होम के नाते थोड़ा बहुत दूसरी जाति के अलावा आदिवासियों के भी एक दो ग्रामों को ग्रामदान में लेना चाहिए। और ग्रामदान की योजना वहां पर लागू करनी चाहिए। मैं सदन का विशेष समय नही लूंगा। इतना ही कहूंगा कि उसका क्या हुआ ? यह भी पता नहीं। इसके साथ साथ हजारों रुपये जहां खर्च हो और गरीब आदिवासियों की हालत बुरी बहतर होती चली जाए तो क्या सरकार को फाल्स सेंस आफ प्रेस्टीज पर कायम रहकर, अगर कोई जांच की मांग करे तो निष्पक्ष जांच भी नहीं करानी चाहिये ?

अकाल सहायता कार्यों के सम्बंध में करोड़ों रुपये के घोटाले हुए, उनकी जांच की मांग की गई। मैं समझता हूं वह सर्वथा उचित मांग थी। एक भी जगह ऐसी मांग को स्वीकार नहीं किया। यह तो एक तरह से हिटलराइट नीति है। बहुमत के बल पर सरकार जो चाहे कर सकती है। मैं स्पष्टतया निवेदन करना चाहता हूं कि दो या तीन ग्रामदानी गांव डूंगरपुर जिले में हैं वहां सरकार के द्वारा हजारों रुपये खर्च किए गए हैं आखिरकार उस सरकार ने जो हजारों रुपये खर्च किए हैं उन गावों में वह कहां गया ? कितने कुए खुदे, कितनी मेड़बन्दी हुई, कितने चावल के खेत बने और कितने गन्ने के खेत बने और कितने आदिवासियों के मकान अच्छे बने–सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई ? अगर

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार जांच नहीं कराना चाहती तो अकाल राहत कार्यों और सहकारिता में 22-23 करोड़ बिल्कुल गए । कितने कोआपरेटिव भेनुयन हैं कितने फ्रॉड है धोखाधड़ी हैं । क्या सरकार का पुनीत कर्त्तव्य नहीं है ? आखिर सरकार को शासन की व्यवस्था करनी हैं तरह से करे पर चुनाव जीतने का षड़यन्त्र करे । जीते लेकिन सरकार का लक्ष्य हो कि चुनाव जीतने के पश्चात् जनता जाए जहन्नुम में और हमारी कुर्सी बहाल रहे और गूद लगाकर कुर्सी पर चिपककर बैठे रहे तो यह सरकार का कर्तव्य नहीं है मैं सरकार से स्पष्टतया निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में कहां के चुनाव के सम्बन्ध में क्या होगा ? एक तरफ आप ग्राम पंचायतें कर रहे हैं दूसरी तरफ ग्रामदान के तहत गांवो में चुनाव करायेंगें । इसमें थोड़ी बहुत दिलचस्पी मैंने भी व्यक्त की । वहां ग्रामदानी गांवो के चुनाव में पहले से सुबह जाकर बैठी हुई और कह रही है कि फलां फलां आदमी को अगर वोट नहीं देगें तो यह हो गायगा वह हो जायगा । यह तो विशुद्ध ग्रामदान नहीं है । ग्रामदान का सिद्धान्त है कि गांव को ईकाई मान कर गांवों को मजबूत बनाये और गांव स्वावलंबी नहीं बनते हैं तो ग्रामदान का क्या अर्थ हुआ ? ग्राम सभा को पैसा दिया जाए वहां पर ईमानदार आदमी को आप रखें लेकिन मेरे देश के आप सगे मेरे भाई हैं । हम एक ही देश के नागरिक हैं । खेद से कहना पड़ता है कि हमारे में इन्सानियत नहीं है । 23 वर्ष की आजादी के बाद भी सैंस ऑफ प्रोपोशन, ईमानदारी बिलकुल खतम हो गई । आज ईमानदारी के नाते देखा तो 99 आदमी 100 में से ब्लेकशीप हो गए और केवल 10 मात्र व्हाइट शीप रह गये है । एक भूतपूर्व कांग्रेसी मिनिस्टर थे उन्होंने कहा--

"It is a question of few whities, The whole lot has turned black."

ऐसी स्थिति में यहा पर आपका मैटिरियल फेल हो चुका है, जहां पर इन्सानियत नहीं हैं, जहा मानवता समाप्त हो गई है, वहां हर ग्रामदान जैसी पवित्र चीज को सफल बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको मुबारकवाद देने में मैं पीछे नहीं पड़ूंगा । यह भावना विनोबाजी की उत्तम है और योजना भी अच्छी है लेकिन अगर इसकी क्रियान्विति नहीं करेंगे, इसको पंचायतों के साथ साथ नहीं निभा सकते है तो भगवान भी मालिक नहीं है । देश में जो होने वाला है वह सर्वाइवल आफ दी फिटेस्ट का प्रश्न है. जिसको जीना होगा जिएगा लेकिन फिर कानून व्यवस्था और लोकतंत्र समाप्त हो जातेगा ।

इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको मैजेस्टी आफ ला रखनी है, कानून का पालन करवाना है, जो आपको तीन टायर व्यवस्थायें ग्राम पंचायत, स्टेट लेजिस्लेचर और सावरन पार्लियामेंट आफ इंडिया-रखनी हैं, तो आपको सबसे पहले आप जो कानून बनायें उनकी ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करें और ग्रामदान के साथ ग्राम सभाओं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पर आपका कम्पलशन लग सकता है तो आप उनसे कह सकते हैं, मैं आपको सहयोग सबसे पहले देने के लिए तैयार हूं। ईमानदारी से, ठीक तरीके से आपको प्रशासन करना चाहिए। जैसे नशाबंदी के घोटाले हो रहे हैं कि आज तो घर घर में शराब की भट्टियां चल रही हैं और डूंगरपुर में जहां प्रोहिबिशन है, इससे बढ़कर दुःख की बात क्या हो सकती है?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : स्वावलम्बी हो रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो एक मात्रा में पीता हूं। मैं पीता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं लेकिन जो आदिवासी कसीदकर पीते हैं वह जहर है और आप प्रोहिबिशन के नाम पर उनको बिल्कुल अकाल की मृत्यु से मार रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से सहकारी आंदोलन हुआ, जिस तरह सीलिंग कानून लागू करने की व्यवस्था की उसी तरह से अगर ग्रामदान और सीलिंग नोन अर्बन प्रापर्टी के कानून लायेंगे तो इसका परिणाम और खमियाजा आपको नहीं भोगना पड़ेगा। आप तो डूबेंगे लेकिन देश को भी भुगतना पड़ेगा।

राज्य मंत्री महोदया बैठी हुई हैं। देश के लिए ग्रामदान भी उतना ही आवश्यक है जितना परिवार नियोजन। परिवार नियोजन भी इन ग्राम सभाओं और पंचायतों पर आप रखिए और उनसे कहिए कि परिवार नियोजन के संबंध में वे कहें। मैंने परिवार नियोजन का कभी भी खड़े होकर विरोध नहीं किया है। मैंने यह कहा है कि सरकार के कृत्यों से ही यह साबित होगा कि सरकार ईमानदार है या बेईमान है। फ्रॉड ही फ्रांड करना है तो फ्रॉड किया जावेगा। विधान सभा में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। विनोबाजी की भावना की क्रियान्विति लाना है, तो पंचायतों के साथ साथ ग्राम सभाओं को कैसे रखा है, एक तरफ छोटी सी ग्राम सभा का प्रधान और दूसरी तरफ पंचायत समिति का प्रधान, विधान सभाई क्षेत्र के बराबर उसका क्षेत्र होता है, ये समानान्तर किस प्रकार चल सकते हैं। इस बारे में मन्त्री महोदय कोई न कोई स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे।

मुझे विशेष निवेदन नहीं करना है। एक ही बात निवेदन करनी है। सरकार के ऐसे पवित्र कामों में रचनात्मक रूप से कमियां बताई जायं तो आपको उन कमियों को मानना चाहिये और निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिये और, आज जांच करायेंगे तो आचरण के द्वारा जनता जनार्दन के सामने सिद्ध करेंगे कि आपकी स्तर ऊंचा है और लोगों में विश्वास पैदा होगा। एक तरफ कितने ही मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं के यहां शादियां होती हैं वे एन्टी सोशियल महाराजाधिराज से भी बढ़ गयी हैं। हजारों आदमियों की शादियों में व्यवस्था रही है और दूसरी तरफ इस कोटा-परमिट-लाइसेन्स राज में यह सब चल रहा है जहां सब घोटाले हो घोटाले सामने हैं। आज तो 20, 25, 30 आदमी बन गये ..

श्री मदनसिंह : समाजवाद यही है कि आर्डिनरी आदमी भी महाराजा के अनुसार शादी करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : महाजनो एत गतःस पंथा। मन्त्रियों और जिला प्रमुखों के यह ध्यान में आना चाहिये। हम तो बिल्कुल निकम्मे है। हम तो शोषण करने वाले हैं। ग्रामदान क्या करेंगे ? करना चाहते हैं तो हमारी भूमियों को जल्दी से जल्दी लेकर निष्पक्ष रूप से आदिवासियों और हरिजनों को वितरित करें। खेती नहीं करते हैं तो गुनाहगार हैं। इतना ही निवेदन करना है।

आपको फाल्स प्रेस्टीज पर नहीं चलना चाहिये।

राजस्थान सरकार से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आपकी कमी है, जहां देश के हित के लिये कोई सुझाव रखते हैं तो आपको यह अनुभव हो कि यहां पर गल्ती है तो उस बारे में आपको निष्पक्ष जांच करनी चाहिये। तब ही ग्राम दान कुछ न कुछ आगे बढ़ेगा वरना कागजों पर रहेगा और केवल पेपर वर्क के रूप से रह कर चाहे दस कानून बनायें उसका कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं निकल सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मुझे दो बात निवेदन करनी है। यह जो कानून है यह डिस्क्रिमिनेट्री है। लागू होना चाहिए तो सब आदमियों पर लागू होना चाहिये। केवल ग्रामों के ऊपर लागू होने का मतलब है ग्रामों में स्वेच्छाचार चले और शहरों में बदमाशी हो। सम्पत्ति पर यह नहीं है इसलिये यह वोटिंग के ऊपर तय होने जैसी चीज नहीं है। केवल पांच हजार आदमी इकट्ठे हो गये और सारे का सारा राजस्थान हमारे हाथ में आ जाय यह चीज गल्त है। जैसा महारावल साहब ने फरमाया पार्लियामेंट असेम्बली, 95 प्रतिशत हाथ उठा लेने से हो तो यह तो एक धांधली है जो कि पुराने जमाने में होती थी। कोई विधान सभा में कानून बने तो एक साथ सब पर लागू होना चाहिये केवल वोटिंग पर तय नहीं होना चाहिये। जो चीज प्रजातन्त्र की है वह प्रजातन्त्र के तरीके से होनी चाहिये, भेड़तन्त्र से नहीं। पंचायत, पंचायत समिति और न्याय पंचायत तीनों के सरपंच और प्रमुख हमारे ग्राम के मालिक रहेंगे। तीनों के क्या क्या विचार रहेंगे ? हमारे इलाके में पंचायत और ग्राम सभाओं को आज भी हक है। गवर्नमेंट ने महसूस किया कि ज्यादा हक थे ग्राम सभाओं को। अब पंचायतों को हक होगा वैसा इनको होगा। यह अपने हाथ में ले लिया। वोटिंग सिस्टम वैसा होना चाहिये जिसका पता नहीं लगे। यह तो हुल्लड़बाजी है। 95 प्रतिशत हुल्लड़ करके आदमियों को कन्विन्स न कर सकें और इस प्रकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में ग्रामदान जैसे विधेयक पर विचार हुआ। आधारभूत विधेयक है। उसके सिद्धान्तों का तो आम तौर पर लोगों ने समर्थन किया है। कुछ और बातें भी बतायी हैं। विरोध भी किया काफी लोगों ने।

विरोधी दल के नेता ने बात कही उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं और

(श्री रामकिशोर व्यास)
इत्मिनान भी दिलाना चाहता हूं कि हमारा दिमाग इस मामले में बिलकुल खुला हुआ है। जितने भी रचनात्मक सुझाव इस सदन के समक्ष आयेंगे उसको क्रियान्वित करने की चेष्टा करेंगे। मैं दिली यकीन दिलाना चाहता हूं कि ग्राम दान जैसी चीज में अपवित्रता न आवे और इसकी पवित्रता बनी रहे यह प्रयत्न किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अब तक जो ग्राम दान हुए हैं उनका आपका अब तक क्या अनुभव है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : पूरी बात आप सुन लीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जितना उसके लिये प्रयत्न किया गया है, सारे देश में 1।। लाख गांव ग्रामदान में आये हैं, और राजस्थान में 143 ग्राम ग्रामदान में आये हैं, सारे राजस्थान में तो ग्रामदान नहीं हुआ, ग्रामदान की संख्या यहां कम है ...

श्री भैरोंसिंह : 143 गांवों में क्या व्यवस्था है ? आपका क्या अनुभव है ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत तो मेरे सामने आयी नहीं।

श्री शंकरलाल : पूरा बोलने दीजिये। प्रश्न फिर बाद से पूछ लिये जायें।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारा देश बहुत बड़ा देश है। अधिकांश निवासी ग्रामों में बसते हैं। गांवों में सुख-समृद्धि हो तो देश की समृद्धि मानी जावेगी। हमारे देश की ईकाई है तो गांव है। देश की समृद्धि के लिये कोई योजना बनाई जाय तो पहले गांव की योजना को बनाया जायेगा तब ही तमाम योजनाओं पर उसका असर हो सकेगा। ग्रामदान की योजना उसी का एक अंग है। वसुधैव कुटुम्बकम् इसका सिद्धान्त है।

हमारी बहुत सी जटिल समस्यायें हैं। सामाजिक और आर्थिक यह उनका अंग है। इसके द्वारा एकदम उसको हल करने के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुभव से मालूम पड़ेगा कि कितने आगे बढ़ते हैं और कोई लाभ मिलता है ? जहां तक विचारधारा का ताल्लुक है आज की परिस्थिति में वह अनुकरणीय है और उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिये और प्रेजुडिस होकर उसको तिरस्कृत नहीं करना चाहिये। इस मामले में मेरा ऐसा कहना है।

गांधीजी का ग्रामराज का एक स्वप्न था और गांवों को एक ईकाई मानकर समृद्धि चाहते थे। ऐसी व्यवस्था भी चाहते थे कि जिसमें अपनी व्यवस्था अपने आप कर सकें, अपने लिये इन्तजाम भी कर सकें, और संतुलित भी कर सकें, और सेल्फ सपोर्टेड हो सकें, अपने आप करें ...

श्री मदनसिंह : जागीरदारों के वक्त में भी ऐसा ही होता था।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जागीरदारों की बात नहीं कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये सभी तो गान्धीजी के चेले हैं, लेकिन गान्धीजी की विचारधारा को इन्होंने नहीं माना है। उन्होंने तो कहा था कि सत्ता के नजदीक नहीं रहना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : चेले तो हम हैं ही, और जो नहीं थे वे भी अब गान्धीजी के नाम की और गान्धीजी की विचारधारा की दुहाई देते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : वो खाली दुहाई ही देते हैं, लेकिन आपको तो अपने जीवन चरित्र में सिद्धान्तों के रूप में उतारना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपकी राय से सहमत हूं कि हमें गान्धीजी के सिद्धान्तों पर अमल करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री रामचन्द्र आर्य से) : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री रामकिशोर व्यास : इनकी बीच में बोलने की आदत पड़ गई है। जाने कब लड़कपन छोड़ेंगे ।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूज्य विनोबाजी ने अपनी विचारधारा को देश के सामने रखा। उनकी विचारधारा से देश के लोगों में नया उत्साह पैदा हुआ। लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामदान की विचारधारा का जो मुख्य उद्देश्य अथवा मुख्य आधार है, वह है भूमि के स्वामित्व का किस प्रकार विसर्जन हो। लैण्ड की ओनरशिप को छोड़ने का सवाल है और जो जमीन मिले उसे गरीबों में बांट दी जाय, भूमिहीनों में बांट दी जाय।

श्री मदनसिंह : बिड़लाजी के पास बहुत सी जमीन है। उनकी ओनरशिप को खत्म करके वह जमीन गरीबों को बांट दी जाय तो ठीक रहे। वह तो आप कर नहीं रहे हैं...

श्री रामकिशोर व्यास : बिड़लाजी को अभी चुनावों में एक छोटा सा करिश्मा तो दिखाया है...

श्री मदनसिंह : वह तो वोटों से हराया है। वोटों से बिड़ला खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको रुपयों से खतम करो तब है। उसकी सम्पत्ति को गरीबों में और छोटे लोगों में बांट दो तब है।

श्री शंकरलाल : आप देखते रहिये। सब कुछ कर दिया जायेगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि आज वोट से जमीन नहीं बल्कि सब कुछ हो सकता है। वोटों के बल पर राजाओं के राज भी चले गये। वोट से रुपया भी खतम हो सकता है। वोटों के बल पर तो सरकार भी बदली जा सकती है..

श्री मदनसिंह : मैं डिस्क्रीमिनेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि विनोबाजी के सिद्धान्तों और उनकी विचारधारा के अनुसार जो गरीबों से जमीन ली जावेगी वह छोटे लोगों की जमीन होगी और अमीरों से इसमें कुछ न मिलने वाला है। यह सरकार का गरीबों के साथ धोखा होगा, यह फ्रॉड है, और

(श्री मदनसिंह)
गरीबों के साथ अन्याय है। मैं कह रहा हूं कि यह सरकार गरीबों से, बेचारे छोटे लोगों से जमीन ले लेगी और बाद में वह जमीन किसी संस्था को दे दी जायेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनका कहना ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शायद माननीय सदस्य आप इसका जो मूल सिद्धान्त है वह नहीं समझ पाये हैं। ग्रामदान का तो अर्थ स्पष्ट है कि कोई भी राजी खुशी से, अपनी मर्जी से, वालन्टियेरिली विदआउट एनी कन्सीड्रेशन, अपनी जमीन को दान में दे दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : कौन देता है? वालन्टियेरिली कोई नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष ; आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय, वालन्टियेरिली और विदआउट एनी कन्सीड्रेशन जो आपने बताया है वह तो ठीक है मैं जानता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ये गांवों में इस तरह से अपने प्रतिनिधियों से छोटे छोटे लोगों की जमीन को ले लेंगे ...

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यहां इसमें कोई जोर जबर्दस्ती से जमीन नहीं ली जायेगी, जो भी जमीन देना चाहे वह चाहे जितनी जमीन दे सकता है।

एक माननीय सदस्य : इसमें कितना ही भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो शुरु हुआ है। भ्रष्टाचार कहां से हुआ है।

श्री मोहनलाल मोदी : मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि लोगों से झूठे दस्तखत करा कर धोखेबाजी से जमीन ग्रामदान में ले ली गयी। इसका नतीजा यह हुआ कि जब उन्हें पता पड़ा तो लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमे हाईकोर्ट में दायर किये और अभी तक हाईकोर्ट में रिटें चल रही हैं। इसके अलावा मैं एक बात और आपको निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि ग्रामदान...

श्री उपाध्यक्ष : इस वक्त भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : भाषण नहीं दे रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपको जब बोलने का मौका दिया गया तब आप उपस्थित नहीं थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। यह बिलकुल फर्जी कार्यवाही हुई है। बीका-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नेर जिले के सारे के सारे गांव भूदान में डिक्लेयर किये हुए बताये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपको अपने जवाब में खास तौर से अर्ज करना चाहता हूं इस बिल में जो मुख्य मुद्दे की बात है उसके बारे में। मैं निवेदन करूंगा आपको कि यह बिल कोई नया नहीं है। यह बिल इस सदन में सन् 1960 में आया, और एक्ट बन गया था। यह सारा इस सदन में स्वीकार किया गया था। उसके बाद में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने कहा कि इस तरह का एक बिल पहले में कुछ संशोधन कर बनाया जाय। उसके थोड़े अर्से बाद में रैवेन्यू लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें कुछ संशोधन करने की सिफारिश की। उसने ग्रामदान के बारे में सजेस्ट किया कि ग्रामदान बिल दुबारा पेश किया जावे। उन्हीं सजेशन्स के अन्दर थोड़ा चेन्ज करके इस पर एक मॉडल बिल पेश किया गया है। ग्रामदान की विचारधारा श्री विनोबाजी की थी। उन्ही की वजह से यह सब कुछ हुआ, पर मैं समझता हूं कि इसकी कार्य-प्रणाली के बारे में जब विनोबाजी को कुछ कठिनाई आई तो उन्होंने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं, उन्होंने कुछ बातें बतायी हैं। वह बातें 4—5 बाते हैं। उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप भी उस पर विचार करें। इसमें सबसे पहली बात उन्होंने जो कही वह यह कि इस बिल में, जो एक्ट में था उसके अनुसार उसमें पहले अगर कोई आदमी जमीन ग्रामदान में दे देता था तो उसे अपनी सारी की सारी जमीन ग्रामदान में देनी पड़ती थी। चूंकि ग्राम लोग अपनी सारी की सारी जमीन ग्रामदान में देना नहीं चाहते हैं, तो अब इसमें यह संशोधन किया है कि अगर कोई जमीन अब ग्रामदान में देना चाहे तो वह चाहे जितनी जमीन ग्रामदान में दे सकता है। वह अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के सारे के सारे गांव ग्रामदान में डिक्लेयर कर दिये गये हैं···

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनिये। दूसरी बात इस विधेयक में की गयी है वह यह कि जो मनुष्य जितनी जमीन ग्रामदान में देगा उसका 19—20 भाग उसी को एलट किया जायगा। इसके अलावा जो 1/20 भाग बचेगा वह ग्राम सभा के पास रहेगा। इस में यह भी किया गया है कि जिसने ग्रामदान में जो जमीन दी और जो उसमें 19/20 भूमि एलॉट होगी वह अपनी उस जमीन को अपने परिवार वालों को भी दे सकता है। वह भूमि उसकी आल-औलाद को भी मिल सकती है। पहले एक्ट में यह प्रोवीजन नहीं था। इसलिए पहले वह गम्भीरता से सोचता था कि जो जमीन ग्रामदान में दे रहा है वह उसके बच्चों को मिलेगी या नहीं अब इस विधेयक के अनुसार उसके बाल-बच्चों को भी वह जमीन एलॉट हो सकती है।

श्री मोहनलाल मोदी : 19/20 भूमि आप उसको एलाट कर देंगे··

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुनिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं था कि ग्रामदान में दी हुई जमीन को कहीं रहन रखा जा सके। इसलिए उनको बड़ी दिक्कत होती थी। उनको डेवलपमेन्ट के लिए लोन नहीं मिल सकता था। लेकिन अब वह जमीन को बैंक के पास रहन रखकर लोन ले सकते हैं, अपना डेवलपमेन्ट कर सकते हैं। अब इसके अनुसार आज कोई ग्रामदान की जमीन में डेवलपमेन्ट कराना चाहें तो उसको बैंक के पास मोरगेज करके लोन ले सकता है। ये बातें पहले जो ग्रामदानी विलेजेज थे उसमें यह नहीं थी।

इसलिए इसमें इस बात का प्रोविजन रखा है डेवलपमेन्ट का कि ग्रामदान वाले भी बैंक से इसको रहन रख कर डेवलपमेंट लोन ले सकते है। कोई भी ग्रामदानी भूमिधारक अगर पहले नहीं बेच सकता था तो अब भी नहीं बेच सकता था तो अब भी नहीं बेच सकता हैं, परन्तु अब उसमें कुछ कन्डीशन है और उन कन्डीशन्स के साथ उसको बेच सकता हैं। वह इस शर्त के साथ बेचे कि ग्राम सभा की मन्जूरी हो तभी बेचे और ग्राम सभा के सदस्यों के बीच बेचे और उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग नहीं बेच सकेंगे। वे आपस में इन्तकाल कर लेंगे और दूसरों को नहीं बेच पायेंगे। और सबसे बड़ी बात यह हैं कि 19/20 का एलॉटमेंट हो सकता हैं। एक बात और हैं और वह यह है कि हर भूमि धारक जो सदस्य बनेगा उसको अपनी उपज का एक बटा चालीस हिस्सा ग्राम सभा को देना होगा याने उस उपज का 1/40 हिस्सा ग्राम सभा को देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी उसका सदस्य बनेगा उसको जो भूमिधारक नहीं हैं और सदस्य बनना चाहता है तो उसको भी 1/40 हिस्सा अपनी आय का ग्राम सभा को देना होगा। यह सबसे बड़ी इम्पॉर्टेन्ट बात है और यह जो एक बटा चालीस हिस्सा देने की बात है इसके लिए विनोबाजी का आग्रह था और इसलिए वह इसमें है। एक बात नई और है और पहले से उसमें फर्क है। पहले यह था कि डिक्लेरेशन होता था और वह एक प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी को दिया जाता था। वह तहसीलदार होता था और आम तौर से यह शिकायत थी कि वह ग्रामदान की विचारधारा से वाकिफ नहीं हैं और उसमें हमदर्दी नहीं रखता है। और इससे काम में डिले होती है। और उसका उपाय किया जाना चाहिये यह एतराज किया गया था। यह ठीक मालूम हुआ और यह जो प्रोसीजर वाला काम है, डिक्लेरेशन वाला काम है उसको दो टुकड़ों में विभाजित किया है एक तो ग्रामदान बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको इस बात का अधिकार है कि वे…

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज तहसीलदार, पटवारी जिस तरह से आपाधापी कर रहे हैं उससे काम में रुकावट हो रही है। इसको रोकना जारी हैं। बाड़ ही खेत को खा रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : तो यह जो पटवारी का सवाल है वह अधिकार बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया है। वे डिक्लेरेशन को रिसीव करेंगे और डिक्लेरेशन को स्क्रूटिनाइज भी करेंगे कि वह इन-आर्डर भी है या नहीं है और फिर कलेक्टर को भेज देंगे और कलेक्टर उसको डिक्लेअर करेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो वहां पर एम. एल. ए. का चुनाव नहीं होगा। ग्राम सभा ही विधान सभा का सदस्य नियुक्त कर के भेज देगी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा था कि पहले प्रेसक्राइब्ड आथोरिटी तहसीलदार था, उसको ही स्क्रूटिनाइज करने का अधिकार था। वह अधिकार अब चेयरमैन आफ दी बोर्ड को दे दिया गया है। वे ही स्क्रूटिनाइज करेंगे और कलेक्टर को भेजेंगे और कलेक्टर के द्वारा उसका नोटिफिकेशन होगा और कोई उससे डिस्सेटिस्फाइड होगा तो वह गवर्नमेन्ट को अपील कर सकता है। इस तरह की जो नई बातें थीं वे नई बातें इस विधेयक में और जोड़ी गई हैं और जिसकी वजह से इसको लाया गया है।

माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में कुछ बातें कही हैं उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : इसको भंग करने का कोई अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है वह उसे भंग कर सके ?

श्री रामकिशोर व्यास : दिया हुआ है।

श्री मदनसिंह : दो किसान रहेंगे, एक गवर्नमेन्ट का और एक उनका।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात कही है यहां पर पंचायतों के बारे में और ग्राम सभाओं के बारे में। मैं इस पर निवेदन करूं कि पंचायतों और ग्राम सभाओं के सम्बन्ध में नये बिल में कोई बात नहीं है, जो पहले थी वही है, और उस को वैसे का वैसे ही रखा गया है, और कोई नया अधिकार ग्राम सभाओं को पंचायतो से लेकर दिया गया हो ऐसी बात नहीं है। जैसा पहले एक्ट था वही एक्ट रखा गया है और कोई बात नहीं है। जहां जहां ग्रामसभाएं बनेंगी उस क्षेत्र के अन्दर उसको फंक्शन करने का अधिकार होगा और यह पहले वाले एक्ट में भी था। हमारी तरफ से कोई नहीं दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : इससे कन्फ्यूजन कितना होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिल पहले ही हाउस स्वीकार कर चुका है और आपने ही स्पष्ट बताया है। एक बात यह भी आई थी कि इसको एक जिले में लागू करें और फिर सब जगह पर ट्राई करें। एक जिले में लागू करें और उस में नहीं करें तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह कही गई कि किस की सलाह से यह लाया गया है। यह रेवेन्यू लॉज कमीशन की सलाह से लाया गया है और राज्यों के अंदर यह बन चुका है। उन तीन, चार आधारों पर यह बनाया गया है। एक बात यह भी कही गई कि इसकी भाषा क्लिष्ट, कठिन है। मैं इसको मानता हूं परन्तु इसका कोई उपाय नहीं है। हिन्दी क्लिष्ट होती है।

श्री दौलतराम सारण : यह हिन्दी नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : भाषा कठिन है।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी हिन्दी लीगल फ्रेजोलॉजी के लिहाज से सम्पन्न नहीं हुई है। वह होने जा रही है और हो रही है। हिन्दी की फ्रेजोलॉजी और वाक्यूबुलेरी तैयार हो रही है और वह आयेगी धीरे-धीरे। मोस्टली ज्यादा कानून अंग्रेजी में ही बनते आये हैं और उसमें कोई यह कहे कि राजस्थानी भाषा में विधेयक आना चाहिये तो यह सम्भव नहीं है। यह जो भाषा है यह सरल होनी चाहिये। इसके लिये कोई रास्ता निकाला जावेगा। विधेयक की भाषा को लूज नहीं रखा जा सकता। वह एग्जेक्ट भाषा में होना चाहिये। और उसका एक ही सही अर्थ निकलना चाहिये और जरा सा भी शब्द इधर उधर हो जाये तो उसका ऊट पटांग अर्थ निकल सकता है और बहुत बड़ी गलत फहमी हो सकती है। इसका तो कोई उपाय नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : हमारा अधिनियम और अध्यादेश प्रभावी रखेगा। यह क्या हिन्दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं मानता हूँ कि इसके सरलीकरण के लिये कहा जा सकता है। पार्लियामेन्ट में आप देखेंगे वहां पर भी इस तरह से ही कानून बनाया जाता है।

श्री शंकरलाल : यह तो कानून ग्रामदान का हिन्दी में छपा है, इसका अनुवाद राजस्थानी भाषा में कराया जाकर गांवों में वितरित कराया जायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो करते हैं।

श्री विजयसिंह : इसको सिलेक्ट कमेटी को देकर खत्म क्यों नहीं कर देते ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

एक बात यह भी आई है कि इसमें कोई धोखा–धड़ी की बात तो नहीं है। विण्डो ड्रेसिंग की बात तो नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें कोई धोखा–धड़ी की बात नहीं है। हम इसको ईमानदारी के साथ लाये हैं और ईमानदारी के साथ ही इस पर अमल करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दस साल पहले तय करते तो पहले ले आते।

श्री मदनसिंह : यह जनता नहीं चाहती है। आपके कांग्रेसी इसको चाहते हैं। It is your Congressmen.

श्री रामकिशोर व्यास : जनता चाहती है वही हम करते हैं।

श्री हीराभाई : जनता तो यह चाहती है कि सब अधिकार उसको मिलें और विधान सभा को भंग कर दिया जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : यह हाउस इस बात का प्रस्ताव पास कर दे।

श्री हीराभाई : एक सम्पूर्ण कानून बना कर आप जनता को अधिकार देदें और उसी दिन विधान सभा को भंग कर दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप इसके लिये प्रस्ताव लावें।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके वोटिंग के बारे में कहा गया है ····

श्री विजयसिंह : विधान सभा को भंग करवाने के लिये वोटिंग करालें, मालूम हो जायेगा कि आप कितने त्यागी हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह कह रहा था कि इसके अन्दर इलेक्शन का भी रखा गया है जैसे ग्राम सभा का चुनाव होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, एक्जीक्यूटिव का चुनाव होगा। 90 प्रतिशत की जो बात है वह बिजनेस रूल्स की है, मीटिंग को कन्डक्ट करने के लिये है, उसके बारे में है। रूल के मेकिंग की पॉवर गवर्नमेन्ट मे भी है, ग्राम सभा में भी है। यह एक जगह नहीं है। बोर्ड को भी दी हुई है और कुछ गवर्नमेन्ट के करने की बात होती है।

श्री हीराभाई : गवर्नमेन्ट को कहां मानते हैं ? गवर्नमेन्ट तो ग्राम राज कायम करना चाहती है .....

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय से मैं एक जानकारी चाहता हूं। जो ग्रामदान फर्जी हो गये हैं और ग्राम के लोगों को उसकी जानकारी नहीं है उनके गलत दस्तखत करा लिये गये हैं। जो भूमिहीन उनको यह कहते हैं हम तुमको भूमि देंगे और जो भूमि रखते हैं उनके दस्तखत नहीं कराये गये हैं। इस प्रकार कई फर्जी ग्रामदान हो गये हैं। वे लोग ग्रामदान को हटाना चाहें तो किस तरह हटा सकते हैं। यह बता दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : रूल्स कब तक बना दिये जायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स तैयार रखे हैं। जैसे ही यह पास होगा रूल्स लागू हो जावेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मेरा व्यक्तिगत 10 साल का अनुभव है, जहां पर ग्रामदान वासियों ने यह अनुभव किया कि यह ग्रामदान रद्द किया जाय, तो केन्सिलेशन में बड़ी दिक्कत आती है। केन्सिलेशन साधारणतया नहीं हो पायें तो सहानुभूति है लेकिन खुला प्रावधान कानून में होना चाहिये-जैसे अमुक अमुक तरीके से फॉलो करके केन्सिलेशन कराना। सरकार की रूल मेकिंग ऑथोरिटी में सब कुछ व्यवस्था है।

श्री रामकिशन : मैं जानकारी के लिये निवेदन कर दूं सेक्शन 32 है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या आपने मुटेटिस-मुटेन्डिस एडॉप्ट कर लिया है ? प्रावधानों के अन्तर्गत व्यवस्था की है और अगर की है तो क्या सन्तोषजनक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रावधान है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह मॉडल बिल के अन्दर भी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह ओरिजनल 1961 में जो बिल लागू किया है और मॉडल बिल दोनों में है।

श्री शंकरलाल : इसमें तो है ही।

श्री मोहनलाल मोदी : आप कहते हैं यह प्रावधान है। मैं कहता हूं आज तक ग्राम सभा का गठन ही नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : यह तो सिलेक्ट कमेटी को दे दें।

श्री मोहनलाल मोदी : ग्राम दान के लिये शिकायत किसको पेश करें ? सी. एम. को शिकायत पेश की थी और सैकड़ों लोग मिले हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज। माननीय शंकरलाल जी आपने जो जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है, वापिस लेंगे ?

श्री शंकरलाल : मैं यह प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या यह सदन की आज्ञा है कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

(वापिस लेने की अनुमति दी गई)

श्री शंकरलाल : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : प्रस्ताव वापिस लिया गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आप खण्ड दो पर बोलेंगे।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : सभानेत्रीजी, विचारार्थ का प्रश्न नहीं है··

एक माननीय सदस्य : सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की आज्ञा से जब तक विधेयक पारित न हो तब तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

श्री फूलचन्द बाफना : जो संशोधन रखा है उसके लिये भी जरूर 1-2 मिनिट लूंगा। 21 साल का जो प्रावधान रखा है वह 18 साल की उम्र का होना चाहिये और अगर मात्र एक परिवार की बात है तो 10 साल की उम्र रहनी चाहिये। गांवों में उम्र कम होनी चाहिये। गांवों में 18 साल होनी चाहिये। अब तो कई जगह लोकतंत्र में भी 18-18 साल की उम्र हो गई है। गांव के लड़के गांव की बात समझ सकते हैं।

दूसरा यह है कि भूमिहीनों की जो परिभाषा है उसमें मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार की हो कि भूमिहीन केवल भूमिहीन ही नहीं हों, वही नहीं हो। जैसे मेरे पास दस लाख रुपया है लेकिन भूमि नहीं तो मैं भूमिहीन हो गया। यह गलत है। 10 लाख तो हैं फिर भी ले सकता हूं। मैंने देखा है भूमि आवंटन में कई बड़े बड़े आदमी भूमि ले लेते हैं। बहुत से लोग वकालत करते हैं और जिनके कई प्रकार के कारखाने-धन्धे वगैरह हैं फिर भी भूमि लेते हैं। क्यों ले लेते हैं ? क्योंकि उनके पास भूमि नहीं है। यह गलत है। उनको भूमि की क्या जरूरत है ? उसके पास तो वैसे ही कमाने के बहुत सारे साधन हैं। इसलिये मैं ऐसा मानता हूं कि आपको भूमिहीनों की परिभाषा इस तरह करनी चाहिये, जिसके पास आजीविका के लिये कोई धन्धा या नौकरी, उसके तथा उसके आश्रित के जीवन-निर्वाह योग्य पर्याप्त रूप में (जो एतन्निमित्त विहित किया जाय) नहीं है तथा वह व्यक्ति, यानि ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पास कोई धन्धा न हो, नौकरी न हो गुजारे के लिये, कारखाने में भी हिस्सा रखता है फिर भी भूमि चाहता है—हर तरह से उसको

(श्री फूलचन्द बाफणा)

कमाने का अधिकार ही नहीं वह दूसरों का हक छीनता है। इसलिये मेरा ख्याल है कि इस तरह से भूमिहीनों की परिभाषा होनी चाहिये और 21 साल के बजाय 18 साल होना चाहिये मतदान की उम्र का नियम।

श्री भैरोंसिंह : सभानेत्री जी, जो संशोधन पेश किया है मैं भी उसका समर्थन करता हूं। सभानेत्री जी, मैं चाहता भी यह था कि इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जाय और जो कई मुद्दे यहां ऐसे है इन पर विचार-विमर्श करने के बाद उपयुक्त संशोधन उनमें किये जाय। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि इस बिल को पास कराने के सम्बन्ध में, सरकार सम्भवतः उतावली न हो लेकिन सरकार पर दबाव अवश्य है कि वह इस कानून को जल्दी से जल्दी पास करवा ले। इसी आधार पर अगर माननीय मंत्रीजी सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजें तो कम से कम कई धारायें ऐसी हैं जिन धाराओं पर हमें अपने विचार इस सदन में व्यक्त करने पडेंगे इसी आधार पर जैसे लैन्डलैस पर्सन की डेफिनेशन दी है:—

"Landless Person means a Person holding no land or land less than the area which may be prescribed in this behalf."

सभापति महोदया, आपने भी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट और पिछले सत्र में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट सीलिंग कानून से सम्बन्धित जो एक संशोधन विधेयक आया था और उसमें से जो लैन्डलेस की परिभाषा नियत की है उस परिभाषा और इस लैन्डलैस की परिभाषा में बहुत अन्तर है। सीलिंग कानून में यह व्यवस्था की है, भूमिहीन किसान वही होगा जो अपना स्वयं उत्पादन में किसी न किसी प्रकार कन्ट्रीब्यूट करता हो सीलिंग से सम्बन्धित जो संशोधन विधेयक पेश किया है। सीलिंग का अलग कानून नहीं है उसी में आपने यह संशोधन किया है। अब एक तरफ तो राज्य सरकार लैन्डलैस की परिभाषा इस प्रकार लेकर चल रही है अब दुर्भाग्य से लैन्डलेस की दो प्रकार की परिभाषा है एक तो मूल परिभाषा है वह, और दूसरी सीलिंग कानून को डिफीट करने की गरज से या किसी कारण से जो भूमि का ट्रान्सफर हुआ है तो किन लोगों को ट्रान्सफर होने से होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों ने लैण्डलेस की एक अलग से डेफिनिशन दी। तो इसकी दो डेफिनिशन टेनेन्सी एक्ट में हैं। और यदि कोलोनाइजेशन एक्ट को हम ले तो उसमें लैण्डलेस की डेफिनिशन अलग और भूदान के अन्दर लैण्डलेस की डेफिनिशन अलग। तो इस प्रकार से लैण्डलेस की परिभाषा सरकारी कानून में अलग अलग चल रही है यहां पर लैण्डलेस की परिभाषा का मतलब है, जिस आदमी के पास भूमि नहीं हैं। बहुत आदमी ऐसे बैठे हैं जिनके पास भूमि नहीं है उनको लैण्डलेस मानकर हमने भूमि का स्थानान्तरण करना शुरू कर दिया तो आप यह मानकर चलिए कि अपन लोगों को इस संदेश से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं कि इस भूमि का बंटवारा वास्तव में जो भूमिहीन किसान, उनमें ही होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में विनोबाजी चाहते हैं, विनोबाजी ने यह संशोधन रखाया है और विनोबाजी की यह राय थी तो क्या

(श्री भैरोंसिंह)

यह विनोबाजी की राय थी कि भूमिहीन किसान की परिभाषा ऐसी रखदी जाय कि जिसमें हर प्रकार का व्यक्ति, जिसके पास भूमि नहीं हैं, भूमिहीन मान लिया जाय या इसका आशय यह था कि भूमि के अन्दर अपना श्रम किसी न किसी रूप में करें, जो हाथ से खेती करता है, जो हल चलाता है या जिसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है उस प्रकार के व्यक्ति को भूमिहीन माना जाय। विनोभाजी श्रम को प्रोत्साहन देना चाहते हैं या उस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं? वे किसी भी दशा में यह स्वीकार करने वाले नहीं हो सकते कि किसी भी व्यक्ति को लैण्डलेस मान लिया जाय और इस कानून के अंदर उसको राहत दिला दी जाय जो कि लैण्डलेस है। मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे पास भूमि नहीं है तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं लैण्डलेस हूं। आपके सामने कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यह आदमी हरिजन हैं इनको जमीन मिलेगी, यह महाजन है इस को जमीन नहीं मिलेगी, या राजपूत है उस को जमीन नहीं मिलेगी। जमीन के एलाटमेंट के प्रश्न पर आप भेद–भाव नहीं कर सकते हैं। इस कानून की व्यवस्था के लिए रूल्स बनेंगे और रजिस्टर मेनटेन करने पड़ेंगे और एप्लीकेशन्स रजिस्टर में एन्टर होंगी और उनको आप प्रायोरेटी के बेसिस पर डिसपोज आफ करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिसने पहले एन्टर करा ली चाहे वह आदमी सेठ हो, चाहे जागीरदार हो, बड़ा काश्तकार हो उसका रिश्तेदार हो जिसका कि खातेदारी में नाम सम्मिलित नहीं है वह व्यक्ति लैण्डलेस की परिभाषा में आयेगा। इस कारण, सभापति महोदय, लैण्डलेस का परपज डिफीट हो जायगा, लेकिन इसी लैण्डलेस की परिभाषा को लेकर यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि विनोबाजी ने इसके लिए कहा है, और राजस्व मन्त्री ने कहा है कि राजस्थान के लेण्ड रेवेन्यू कमीशन ने इसकी सिफारिश की है और भारत के अन्य भागों में इस प्रकार के कानून बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जो लेण्डलेस की परिभाषा दी जा रही है वह परिभाषा ज्यादा उचित है, ज्यादा वास्तविक है, इस कारण से इस परिभाषा को बाकी के कानून में भी लागू किया जाय। तो इसका मतलब यह होगा कि जमीन के बंटवारे में किसी गरीब को जमीन नहीं मिलेगी जो कि इस बिल की भावनाओं के विपरीत हो जायगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा...

श्री रामचन्द्र आर्य : सर्वोदयी होंगे उन सभी को जमीने मिल जायगी।

श्री भैरोंसिंह : यह संशोधन इस प्रकार का नहीं है कि लेण्डलेस की डेफिनिशन को बदला जा सके।

साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई धाराएं रखी हैं उनमें इस प्रकार की खामियां रखी हैं। और बहुमत के आधार पर इनको पास करें तो कह नहीं सकता लेकिन 3–4 दिन की सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग में सारे कानून पर विचार करें तो स्वयं ही उसमें कई खामियां मिल जायंगी। उदाहरण के रूप में कहना चाहता

(श्री भैरोंसिंह)

हूं, सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय को स्वयं ही मालूम होगा कि राजस्थान में एक कानून बनाया गया है प्रिवेन्शन ग्राफ फ्रेगमेन्टेशन एण्ड कन्सोलिडेशन ग्राफ होल्डिंग्स एक्ट, यह कानून ग्रापने बनाया है ग्रौर यहां पर इस कानून में लिखा है कि एक ग्रादमी 20 बीघा जमीन देता है तो उसमें से 19 बीघा जमीन उसको एलाट करेंगे ग्रौर 1 बीघा जमीन दूसरे को एलाट की जायगी। यह ग्राधारभूत फ्रेगमेन्टेशन है जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है तो ग्राप किस तरह से लैण्ड का एलाटमेंट करेंगे ग्रौर इस तरह से लैण्ड ट्रान्सफर करेंगे। एक तरफ तो ग्राप कहते हैं कि फ्रेगमेन्टेशन ज्यादा न हो एक कानून के ग्रन्दर ग्रौर दूसरे कानून के ग्रन्दर फ्रेगमेन्टेशन की इजाजत दी जाती है। तो इस प्रकार की कई खामियां हैं। इन खामियों का नुकसान न तो सरकार को उठाना पड़ेगा, न भूदान का जो बोर्ड है उसको उठाना पड़ेगा, न ग्रामसभा को उठाना पड़ेगा, लेकिन काश्तकार को उठाना पड़ेगा, उन व्यक्तियों को उठाना पड़ेगा जिनके हित में यह कानून बनाया जा रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप कानून को जल्दी की स्थिति में पारित करने की स्थिति में नहीं हैं। इस कानून में कई खामियां हैं उनको दुरुस्त करें ग्रौर यदि दुरुस्त नहीं करेंगे तो जैसा कि मोहनलाल जी मोदी, नीम के थाने से ग्राने वाले सदस्य ने ग्रभी कहा है कि ग्रामदान के रूप को हमने देख लिया है। न तो वह सफल होगा ग्रौर न वह जनता के लिए व्यवहारिक पहलू है। मैं भी मानता हूं कि यह बात सही है। ग्राप किसी भी गांव में जाकर गांव वालों से यह कह दें कि इस कानून का मतलब यह है कि तुम्हारा टाइटल खत्म होता है ग्रौर ग्रापने जो एलाटमेंट की व्यवस्था की है उसमें टाइटल तो खत्म हो रहा है ग्रौर जमीन उसके ग्रन्दर वेस्ट करती है ग्रौर केवल उसको एलाट करते हैं उस स्थिति में यदि कानून पेश करने वाले मिनिस्टर साहब चुनौती स्वीकार करें ग्रौर गोकुलभाई भट्ट राजस्थान में कोई भी ऐसा गांव बता दें जिसमें वह भी चलें ग्रौर जाकर एक मंच पर खड़े होकर कहें कि ग्रामदान में टाइटल ग्रामसभा में वेस्ट होगा ग्रौर हैरिडिटेरी जमीन पर काश्त करने का उनका ग्रधिकार रहेगा लेकिन जमीन ग्रामसभा में वेस्ट करेगी। इस स्थिति को गोकुलभाई भट्ट या राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जाकर कह दे तो राजस्थान का कोई भी काश्तकार जमीन को ट्रान्सफर करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वास्तविकता तो यह है कि यदि वालियंटरी ट्रान्सफर, या वालियंटेरिली लोग ग्रापको जमीन दें तो उसके लिए ग्रापको दूसरी बातें पैदा करनी होंगी। कानून में इन चीजों की कमियां हैं। इस ग्राधार पर मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दें, वरना हर धारा पर इसका विरोध होगा ग्रौर इस सदन में इस पर चर्चा होगी।

श्री राम किशोर व्यास: इसमें माननीय बाफणा साहब की दो ग्रमेन्डमेन्ट्स हैं। एक तो यह है कि बजाय 21 वर्ष के डेफिनिशन में 18 कर दिए जायं, ग्रौर

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूसरा उनका यह है कि लैण्डलेस की जो डेफिनिशन है उसमें वह शब्द बढ़ा दिये जायें जो कि उन्होंने बढ़ाने के लिए कहे हैं जिसके पास उसकी आजीविका के लिए कोई धन्धा या नौकरी, उसके तथा उसके आश्रितों के जीवन-निर्वाह योग्य पर्याप्त रूप में नहीं हो। जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर भाव रखे हैं कि यह भूमि जो है वह भूमिहीन को दी जाय जो उसमें खुद काश्त करे, और जो डेफिनिशन के लिए उन्होंने कहा, यह उन भावों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता है। इसी के सेक्शन 2 की क्लाज (2) में यह हमने लिखा है–

"Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Rajasthan Tenancy Act.. 1955 (Rajasthan Act, 3 of 1955) as the context may require."

श्री भैरोंसिंह : उसमें फर्क नहीं पड़ता है।

श्री राम किशोर व्यास : तो राजस्थान टेनेन्सी के अन्दर जो भूमिहीन की डेफिनिशन है।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं आयेगा साहब।

श्री राम किशोर व्यास : आप आगे से पढ़ेंगे तो मालूम होगा। वह इसमें लिखा है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजस्थान के टेनेन्सी एक्ट के अन्दर जो भूमिहीन की डेफिनिशन है वही इसके लिए समझी जाय।

अब मैं आप को दफा 19 और 26 के बारे में बता दूं जिसमें अलाटमेण्ट के बारे में कहा है, भूमि अलाटमेण्ट की जाएगी, सेक्शन 26–

"Out of the land in the land-pool, the Gram Sabha shall allot 19/20th portion of the lands donated to the donors thereof as specified in the declaration made under sec. 8 unless such donors have signified their consent to accept a lesser portion of the land for thier personal cultivation."

इससे बात बहुत स्पष्ट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : कोई फर्क नहीं पड़ता है इसे बदल कर ही तो हमने सीलिंग कानून में रखा है।

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं है, इसका मतलब।

श्री भैरोंसिंह : सीलिंग में रखा है। इसमें दुनियां भर के रास्ते हैं। सीलिंग कानून में कई प्रकार के प्राविजन्स हैं। नौकर रख कर भी करा सकते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभानेत्री महोदया, अलाटमेंट में गलती हुई है। इस लिए इसमें ब्रेकिट में दें कि "हाथ से खेती करने वाला हो।"

श्री भैरोंसिंह : एग्रीड।

श्री मदनसिंह : और दूसरा कोई व्यापार नहीं हो।

Page No 125

श्री केदार नाथ : Landless means a person who is a resident of Rajastban since before April 55....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता : सुनो, सुनो।

श्री केदार नाथ :
Since before April 55...

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह होना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : इसको मैं साफ कर दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप मानेंगे नहीं। कई धाराओं में आप को संशोधन करना पड़ेगा। आप बनायें। मैं इस कानून का विरोध करता हूं। लेकिन कानून में बड़े डिफेक्ट हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके कोई अमेण्डमेण्ट नहीं आये हैं?

श्री भैरोंसिंह : मैं सोच रहा था कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। ऐसा आम तौर पर हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : इतना सीधा सादा बिल है।

श्री भैरोंसिंह : सीधे सादे की बात नहीं है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : शायद दो चार गांव हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : दो चार नहीं 156 गांव हैं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी कहा है, पर्सनल या उसके परिवार के लोग हाथों से करें–

It may be personal, Unless the person himself or any other member of the family puts in such labour on it....

हमारी यह भी मंशा है कि लेण्डलेस को मिलनी चाहिए। जो खुद मेहनत करता हो, उसको दी जानी चाहिए। और कोई बात हो, सुझाव हो आप दें।

श्री भैरोंसिंह : सुझाव देने का मतलब क्या है। आप की बातों का विरोध करने का जिद का सवाल नहीं है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जो पेचीदा हैं। जैसे मैं बताता हूं, पहला तो यह कि आपने ग्राम सभाओं को कर्जा लेने का अधिकार दिया है। ग्राम सभा भंग करने का अधिकार आप का है। ग्राम सभा की लायबिलिटीज किसकी होगी। आपने 4 परपज बताये हैं। कर्जा बैंक से ग्राम सभा ले सकती है। लिया जा सकता है। जो जमीन काश्तकार ने डोनेट कर दी है वह बैंक से कर्जा नहीं ले सकता है–यह पाबन्दी लगा दी है। अब कर्जा लेना है तो वह ग्राम सभा की परमीशन से ले सकता है। ग्राम सभा पर 10 हजार का कर्जा हो गया। ग्राम सभा आपने भंग कर दी। तो यह कर्जे की लायबिलिटी देने वाला कौन होगा?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बता दूं। जैसे मैं ग्राम दानी हूं। मैंने जो हमें जमीन

Page No 126

(श्री रामकिशोर व्यास)
अलाट हुई है, उस पर कर्जा लिया। उसकी अदायगी की जिम्मेदारी मेरी होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं ने 20 बीघा जमीन ली। और आप को भी 20 बीघा या 19 बीघा जमीन काश्त करने के लिए अलाट हुई। लेकिन टाइटिल ग्राम सभा के पास हो गया है। आप को केवल अलाट की है। सर्टेन कण्डीशन लगाकर। लेकिन टाइटिल ग्राम सभा में है। अब ग्राम सभा में टाइटिल है। काश्त करने वाला काश्तकार है। तो क्या वह बैंक से कर्जा ले सकता है?

दूसरे ग्राम सभा ने पैसा कर्ज कर लिया तालाब, स्कूल, मेडिकल फेसिलिटीज आदि के लिए काम कराया। टाइटिल ग्राम सभा के पास है, लोन लेंगे, डवलपमेण्ट स्कीम में पैसा खर्च हुआ। कोई गड़बड़ हुई। गवर्नमेंट के सामने सैटिस्फैक्ट्री रीजन आये और गवर्नमेंट ने ग्राम सेवा को भंग कर दिया तो ग्राम सभा की लायबिलिटीज किसकी होंगी?

श्री रामकिशोर व्यास : पहली बात आपने कही है कि वह कानून में प्रावधान नहीं है। लेकिन स्वामित्व ग्राम सभा का है। जमीन काश्तकार की है। आपने यह कहा है कि यह प्रावधान रख दिया जाये कि वह डवलपमेंट लोन ले सकता है। मगर वह प्रावधान तो इसके अन्दर है।

श्री मदनसिंह : इसका मतलब है कि दो प्रकार के काश्तकार रख सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अपन, पहले यह फैसला कर चुके हैं। बैंक तो यह भी करती है कि खातेदारी राइट नहीं मिल जाता है तब तक बैंक कर्जा नहीं देती है। मगर अब खातेदार भी ले सकता है। ऐसा ला बना दिया है। इसमें भी बना दिया है कि ग्रामदानी बैंक से कर्जा ले सकता है। अपना डेवलपमेण्ट कर सकता है।

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : मैं ग्रामदानी हूं। मैंने ऋण लिया है। मैं चुका नहीं सकता हूं। तो वह कौन देगा?

श्री रामकिशोर व्यास : आप चुकायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : टाइटिल हमारे पास नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : कर्जा ग्राम सभा की परमीशन से ले लिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे तो काश्त करने का अधिकार है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसमें कोई झगड़ा नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी बात यह कही है, जब गवर्नमेण्ट भंग करेगी तो जो प्रोपर्टी और असेट्स हैं, लायबीलिटीज है, वह भी वहां आयेंगी।

श्री भैरोंसिंह : यही तो झगड़ा है। कर्जा लेने का अधिकार उनको मिला। यह कानून चाहे विनोबा जी ने बनाया हो या रैवेन्यू सेक्रेटरी ने बनाया हो। इसमें केवल इतना ही है कि बैंक से पैसा ग्राम सभा को मिला। फिर काश्तकार को

(श्री भैरोंसिह)
मिला। मुझे डर है कि आपने ग्राम सभा भंग कर दी तो पैसा कौन देगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : ग्राम सभा कैसे लेगी ?

श्री भैरोंसिह : ग्राम सभा को पैसा मिलेगा ?

श्री राम किशोर व्यास : नहीं मिलेगा यह इंडिविजूअल कल्टीवेटर को देने की बात है। मैं बता दूं।

श्री शंकर लाल : इसमें कुछ गलत-फहमी हो रही है। इसमें डिसोल्युशन का प्रश्न नहीं है। सेक्शन 47 है बिल का उसके अन्दर ग्राम सभा के डिसोल्युशन का सवाल नहीं है एक्जीक्यूटिव के डिसोल्युशन का प्रावधान है। इसमें लिखा हुआ है :

"If the Gramdan Board at any time is satisfied that the Executive Committee of a Gram Sabha has failed, without reasonable cause, to discharge the duties or perform the functions imposed on or assigned to it by or under this Act...."

यह उन्होंने रीजन बताय हैं। वह ग्राम दान बोर्डों को कन्सल्ट करके भंग होगी। जो लाइबिलिटी का प्रश्न है वह इसके सब सेक्शन पांच में दिया हुआ है :

"On the dissolution of the Executive Committee of a Gram Sabha and pending the constitution of another Executive Committee under sub-section (4) State Govt. may, by order appoint any person or authority to exercise the powers and discharge the duties and functions of the Executive Committee under this Act, subject to such restrictions as may be specified in the order."

मेरा तात्पर्य यह है, मैंने यह बताया है कि इसमें ग्राम सभा के डिजोल्यूशन का कौनसा प्रावधान है ? एक्जीक्यूटिव के डिजोल्यूशन का है। इसका मतलब है ग्राम सभा डिजोल्व नहीं होगी। इसका प्रावधान नहीं है।

श्री मदनसिंह : रुपया खा जाय कोई ...

श्री शंकरलाल : बात सुनिये आप। ग्राम सभा है, वह डिजोल्व नहीं कर सकते हैं, एक्जीक्यूटिव का है, वह डिजोल्व होगी। अगर गलती होगी तो उसके डिजोल्व होने का सब-सेक्शन 5 में प्रावधान है, और गवर्नमेंट किसी आथोरिटी को अपाइन्ट वहां कर दे और उसको वह पावर दे दे यह है :

श्री भैरोंसिह : मैं बता दूं। यह सेक्शन 32 है :

"Divesting Gram Sabha of management of lands vested under sec. 31."

इसमें लिखा है : "Notwithstanding any thing contained in sub-sec.(1) of sec. 31, the State Govern-

(श्री शंकरलाल)
ment may, at any time, if it considers necessary, divest the Gram Sabha of the management of the whole or any part of the lands mentioned in the said sub-section, by notification in the Official Gazette, and thereafter all rights of the Gram Sabha in such lands shall cease."

श्री शंकरलाल : इसका मतलब है वह डिजोल्व नहीं हुई ग्राम सभा ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूं, ऐसी स्थिति में ग्राम सभा ने कर्जा कर लिया तो कौन भरेगा ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : ग्राम सभा के कर्ज का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह है। यह कर्ज का कानून है। ग्राम दान न कह कर इसको बैंक से कर्ज लेने का कानून कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शंकरलाल : वह कौनसा हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यहां हो रहा है, यह कर्ज ले सके। यह निधि का है, वह सेक्शन निकाल लें।

श्री रामकिशोर व्यास : और क्या पाइन्ट है, वह अर्ज कर दूं।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि 1960 में यह कानून पास हो गया था, अब दस साल हो गये, ग्यारह साल हो गये, तो जैसा मंत्री महोदय ने फर्माया, केवल दो तीन सेक्शन्स में चेंज की गई है। इसमें और दिक्कत आयेगी तो सब्सीक्यूएन्टली अमेंडमेंट ले आयेंगे। राजस्थान में कुछ गांवों का ग्रामदान हो गया है, 156 का ग्रामदान हो गया है, इसलिए कानून की जरूरत है, कानून तो होना ही चाहिए।

श्री मोहनलाल मोदी : जितने ग्रामों का ग्रामदान हो गया है, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं।

श्री शंकरलाल : सुन लीजिये। जब अध्यादेश जारी किया राज्य सरकार ने तो उसको कानून का रूप देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : मोदीजी कह रहे हैं, एक भी नहीं हो रहा है।

श्री शंकरलाल : वह ठीक है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत सी खामियां हैं, इसलिए ही जनमत जानने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन स्थिति यह है, मौजूदा हालत में राजस्थान के अन्दर 156 गांवों का ग्राम दान हो चुका है। और इस सम्बन्ध में आर्डिनेंस जारी हुआ है तो उसको कानून बनाने की जरूरत है। इसके लिए रेवेन्यू लाज कमीशन ने भी सिफारिश की थी। सेन्टर गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार एक मोडल ला रखा है। इसलिए इसको स्वीकार कर लें। इसके बाद में किसी अमेंडमेंट की जरूरत हो और उसको महसूस करें, तो उसको बाद में ले आयें यह कानून है इसकी जरूरत है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह नहीं है कि यह कानून पास करें। दो तीन दिन में विचार करलें। मेरा मतलब यह नहीं

(श्री भैरोंसिंह)
है कि यह सेशन निकालें, दो तीन दिन में बैठ जायें और विचार कर लें। जैसा मैं कह रहा था, ग्राम निधि के बारे में, वह मैं बता दूं।

'There shall be in each Gramdan village a fund, which shall be called the Gram Nidhi.

The following shall be paid into and from part of the Gram Nidhi, namely:—

(a) all sums and moneys received by the Gram Sabha including the profits of any cultivation or any enterprise undertaken by it, and the rent, fee or other charges charged or imposed on persons to whom lands are leased under this Act,

(b) all sums received by way of loans from any person, institution or Government,

(c) all sums received by way of grants, donations, gifts, bequests or contribution."

तो कर्ज ले सकती है न ग्राम सभा। आगे फिर दिया है, "Power to borrow."

श्री शंकरलाल : 35 है।

श्री भैरोंसिंह :
"(1) Subject to rules made in this behalf, a Gram Sabha may raise money for carrying out the purposes for which it is established on the security of the Gram Nidhi or any property vested in or belonging to it."

श्री शंकर लाल : ग्राम निधि भी तो हुई।

श्री भैरोंसिंह : ग्राम निधि एक पार्ट है। Gram Nidhi is one port. मेजर पार्ट है

"A Gram Sabha may for any of such purposes also obtain a loan from any person, institution of Government."

मेरा कहने का मतलब यह है, ग्राम सभा अपनी प्रोपर्टी को मोर्टगेज करके, प्रापर्टी के बेसिस पर कर्ज ले सकती है। ग्राम सभा को पावर डाइरेक्ट कर दी हैं, सर्टेन रीजन्स से। उसके बाद जो लाइबिलिटीज हैं वह ग्राम सभा के किसके ऊपर ट्रान्सफर होंगी।

श्री शंकरलाल : यह देखा होगा, ग्राम निधि के अलावा और कामन लैंड होगा वह वेस्ट करेगा ग्राम सभा में वेस्ट करेगी, वह प्रापर्टी है। राज्य सरकार की जितनी जमीन रेवेन्यू की है वह वेस्ट करेगी। यह ग्राम निधि होगी। उस पर लाइबिलिटी . . .

श्री भरोंसिंह : यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री शंकरलाल : बाकी का कर्ज तो . . .

Page No 130

श्री भैरोंसिंह : आप कर दीजिये, बाकी के कर्ज का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कर्ज हो गया, उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी। आपका कहना है, रेवेन्यू की जमीन है वह उसमें ट्रान्सफर होगी, दूसरे जिनकी जमीन है, डानेटर्स को वह उसमें ट्रान्सफर होगी।

श्री शंकरलाल : कामन लैंड उसमें है।

श्री भैरोंसिंह : वह है कहां ?

श्री शंकरलाल : कामन लैंड वेस्ट होगी इसका प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट लैंड होगी-यह प्रावधान है, लेकिन जो कर्जा कर लिया, उसकी पावर ले ली है, उसके बाद उसकी लाइबिलिटी कहां जायगी, यह कौन शेयर करेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा, किसी पर्सन को अपाइन्ट करेंगे, जब तक एक्जीक्यूटिव अपाइन्ट नहीं होगी। जो असैट्स हैं, मैंने कहा कि एक तो गवर्नमेंट लैंड हैं, दूसरा जो लैंड है, उसका 1/20 आयेगा हिस्सा, वह ग्राम निधि में 1/40 आयेगा। गवर्नमेंट का लैंड है, वह हिस्सा होगा।

श्री भैरोंसिंह : आप फिर मुगालता दे रहे हैं। जिस आदमी को अपाइन्ट करने की बात है, वह एक्जीक्यूटिव कमेटी के डिजोल्व करने की स्थिति में है। अब ग्राम सभा ने कर्ज की पावर ले ली है, उसकी लाइबिलिटी किस पर होगी-यह बताइये।

श्री दौलतराम सारण : पावर बिना फंक्शन है।

श्री रामकिशोर : फंक्शन एक्जीक्यूटिव बाकी के हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह 32 है, यह क्या है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह है बोरो करने का, वह है...

श्री भैरोंसिंह : बताइये।

श्री विजयसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि मेरा घर तो खराब हुआ, और का भी हो। 156 तो आलरेडी रो रहे हैं, दूसरों को क्यों देकर इन निकम्मे लोगों को बदनामी करा रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह 32 है।

श्री भैरोंसिंह : 32 की बात कह रहे हैं। उसमें लैंड का राइट सीज हो जायगा, गवर्नमेंट लैंड का राइट सीज होगा, अब आप 32 पढ़िये, उसमें लिखा है :

"32. Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 31. ....

31 के अन्दर ग्राम सभा का जो राइट वेस्ट होगा, वह राइट गवर्नमेंट ले सकती है, दूसरों का नहीं ले सकती। 31 यह है :

"Subject to any general or special order of the State Govt. where the whole of a village entered as such in the revenue record has b n declare as a Gramdan Village the management , the unoccupied land of the State Government in the said village shall vest in the Gram Sabha and the Gram Sabha shall

(श्री भैरोंसिंह)
have the power to improve such land without obtaining any permission from any authority....

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : आपका मतलब केवल एक है, एक ही आदमी को कुर्सी पर बिठाना है, उसको कुर्सी पर बिठाने के लिए...

श्री शंकरलाल : गलत बात है। गोकल भाई को कुर्सी का मोह नहीं है।

श्री विजयसिंह : आप चापलूसी कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)।

श्री मदनसिंह : आप जैसे आदमी गलत कानून बनवा कर...

(शोरगुल)

श्री मनोहरसिंह मेहता : गोकल भाई जैसे आदमी पर किसी तरह से इलजाम लगाना शोभा नहीं देता।

श्री मोहनलाल मोदी : जो 50 हजार ग्रामदान के लिए दिए हैं, अध्यक्ष खा गए। आपने लाखों रुपए ग्राम सभाओं को दिए लेकिन एक पैसा ग्रामदानी गांवों के लिए नहीं लगाया। जितने अध्यक्ष थे...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें जो पैसे खा गए, उन्होंने ग्रामदान के काज को कमजोर किया।

श्री अवगलाल : जिस समय माणिक्य-लालजी को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे चोरों का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसी तरह से गोकलभाई में जो लोगों की आस्था है उसको खोने के लिए आप षड्यन्त्र रच रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन 31 का क्लाज 2 है :

'Nothing contained in the sub-section (1) shall be construed as conferring any power on Gram Sabha to transfer by way of sale, gift, mortgage or exchange any such land or to lease it for a longer period than prescribed or to utilise it without the previous permission of the Collector for a non-agricultural purposed or in any way to cause damage to it so as to diminish permanently its value.

श्री भैरोंसिंह : तो क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके बाद लैंड्स ट्रांसफर नहीं कर पायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्ट कमेटी के बाद तो 5 मिनट में पास हो जाएगा, दिक्कत क्या है ? आप कल बोल लें, परसों बोल लें।

श्री बालसिंह सोढा : शंकरलाल मानते हैं कि डिफेक्ट है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप बतायें कि फलां खराबी है तो मैं मानने को तैयार हूं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह ग्रामदान का काम है, ऊंचा उद्देश्य है। जल्दी में मत करें, कमी है तो क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं?

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्यों की शिकायतें हैं··

(अश्रव्य-शोरगुल)

श्री मोहनलाल मोदी : जो डिफेक्ट्स हैं···

श्री रामकिशोर व्यास : आपका कहना है कि मिसयूस हुआ है।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा कहना है कि गलत ग्रामदान कर दिया, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान तो होना चाहिए था।

श्री रामकिशोर व्यास : सेट राइट हो सकता है।

श्री मदनसिंह : 95 पर्सेंट जैसे वोट से नहीं हटा सकते, यह होना चाहिए। अगर सीरेट-वोटिंग नहीं होती है। अच्छी चीजें रखें ताकि ताकत आए।

श्री शंकरलाल : विधान सभा में चुने जाने के बाद आपको हटा सकते, उसी प्रकार ग्राम सभा · · ·

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल मोदी : विधान सभा की दूसरी बात है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज !

श्री मदनसिंह : स्विजरटअरलैंड में कायदा है · · ·

श्री मोहनलाल मोदी : जिस तरह विधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसी तरह ग्राम सभा के सदस्यों का करायें।

श्री बालसिंह रोढा : विधान सभा के सदस्यों को रीकाल न करने के कारण तो भ्रष्टाचार और डिफेक्शन्स हो रहे हैं, यह उसका परिणाम है। 5 वर्ष तक आप मनमानी करते रहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : री काल करने का प्रावधान डाल दें।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा हो कि आप सिलेक्ट कमेटी में न भेजें। पोस्टपोन कर दें मंत्री महोदय और बाकी सदस्य बैठ जायं, जितने संशोधन करने हैं, करदें क्या दिक्कत है ? बिल्कुल ही कसम खाकर आए हैं तो कह नहीं सकते।

श्री रामकिशोर व्यास : जो कोई मुद्दे की बात हो तो बतायें मैं मानने को तैयार हूं। इस मामले में मेरी ना नहीं है। नाराज हों तो अलग बात है। आपने लैंड-लेस की बात कही, मान ली। हम ना नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपकी कृपा है। कृपापूर्वक एक बात और मान लें। इसको यदि सिलेक्ट कमेटी में न भेजें तो भी समझ में आता है। एक दो दिन के लिए पोस्टपोन

(श्री भैरोंसिंह)
कर दें। कल सुबह जो 4-5 सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं उनकी मीटिंग बुला लें। इसके बाद अगर उपयुक्त समझते हैं तो संशोधन स्वीकार करना वरना थर्ड रीडिंग में बिल पास हो जाएगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे एतराज नहीं है। कल पर रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : परसों रखें।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : 48 घंटे के लिए डेफर कर दें।

श्री शंकरलाल : परसों रखें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : परसों डिमांड है। कल ही रखना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें बहस की बात नहीं है। आपस में बैठना है। आपस में बैठ कर चर्चा करेंगे। कल दिन के समय निकाल देंगे। परसों रखें कोई बहस नहीं होगी। दो मिनट में पास हो जायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : परसों डिमांड है।

श्री भैरोंसिंह : परसों डिमांड नहीं है, अमृतलाल यादव हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अमृतलाल यादव भी हैं, डिमांड भी है।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : वैसे भी हम रात को 9-10 तक बैठ सकते हैं, ज्यादा बैठेंगे, परसों रखें।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारी लाल व्यास : आगे रखना चाहें तो स्पीकर महोदय से कन्फर्म करना पड़ेगा।

श्रीमती सभानेत्री : इसको आगे के लिए जैसा अध्यक्ष महोदय ठीक समझेंगे, समय दे देंगे।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5-38 बजे, बुधवार दिनांक 12 मई, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 722)

भीलवाड़ा जिले में पंचायत समितियों द्वारा चलाये जा रहे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची।

क्रम सं.	नाम विद्यालय	पंचायत समिति	विद्यालय कब से चल रहा है	आदेश संख्या जिसके अनुसार विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर चलाया जा रहा है।
1.	उ. प्रा. वि., जामोली	जहाजपुर	68-69	राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ. 10 (14) ह. डी. यू.।सैल-1167 दिनांक 1-8-61 एवं निदेशक (प्रा. एवं मा.) शिक्षा बीकानेर के आदेश क्र. शिविरा।योजना।3। 23725।36।69-70 दि. 3-9-69
2.	उ. प्रा. वि., सवाईपुर	कोटड़ी	68-69	"
3.	उ. प्रा. वि., समेलिया	सुवाणा	68-69	"
4.	उ. प्रा. वि., सोडार	हुरड़ा	69-70	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 10 (17) एज्यू।।169 दिनांक 12-9-69
5.	उ. प्रा. वि., आमल्दा	जहाजपुर	69-70	"
6.	उ. प्रा. वि., वन का खेड़ा	कोटड़ी	69-70	"
7.	उ. प्रा. वि., लेसवा	मांडल	69-70	"
8.	उ. प्रा. वि., सोनियाना	सहाड़ा	69-70	"
9.	उ. प्रा. वि., दान्थल	सुवाणा	69-70	"
10.	उ. प्रा. वि., कटार	आसीन्द	69-70	"
11.	उ. प्रा. वि., मानपुरा	मांडलगढ़	69-70	"

12. उ. प्रा. वि., सिगोली	मांडलगढ़	69–70	राज्य सरकार के आदेश क्र. एफ. 10 (19) शि. प्र.–1170 दिनांक 15-7-70
13. उ. प्रा. वि., जोजवा	मांडलगढ़	69–70	,,
14. उ. प्रा. वि., लाखोला	सहाड़ा	66-67	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7 (ए) (32) शिक्षा (प्र-1) 66, दिनांक 2-1-1967

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. स. 727 की सूची)

सार प्रतिलिपि कार्यवाही बैठक जिला अकाल सहायता सलाहकार कमेटी

दिनांक 1-4-69

जिलाधीश ने सभी स्वीकृति राहत कार्य के खर्चे के विस्तृत अनुमान एवं तकनीकी स्वीकृत प्रतियों में शीघ्र भेजने के लिये अधिकारियों को कहा एवं जितने भी नये राहत कार्य स्वीकृत हुए उनको अविलम्ब चालू करने के लिए सबंधित अधिकारियों को कहा।

सहायक अभियन्ता, सामुदायिक विकास, कोटा ने बताया कि उन्होंने दौलतपुरा, पालखण्डा, ढाबला एवं पिडावा एनीकट के कार्य के स्थानों को देख लिया है और उनके खर्चे के अनुमान वे शीघ्र पेश करें।

दौलतपुरा, दीत्याखेड़ी, वानिया खेड़ी एवं कोटडा घाटा तालाव और भागिया देह के कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि यह बड़े कार्य हैं। अतः इनको सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग झालावाड़ के द्वारा कराया जाना चाहिए इस पर जिलाधीश महोदय ने इन कार्यों को सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग झालावाड़ को अविलम्ब चालू करने के लिए कहा।

परिशिष्ट 13

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित—प्रश्नोत्तर)

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरसर के अध्यापकों की बकाया

729. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमरसर, जिला जयपुर द्वारा सन् 1969 में अध्यापकों के वेतन बिल के सम्बन्ध में लगभग 20 हजार रुपये की राशि सरकारी खजाने से उठाई गई ? अगर हां, तो क्या यह सही है कि मामला फर्जी भुगतान प्राप्त करने के सिलसिले में पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है ?

उत्तर

राजकीय उच्च माध्यमिक शाला, अमरसर, जिला जयपुर के स्टाफ का वेतन बिल माह सितम्बर, 1969 तादाद रुपये 8796-74 पैसा का प्रधानाध्यापक ने अपने पत्र क्रमांक 50 दिनांक 24-9-69 द्वारा ट्रेजरी आफिसर, जयपुर को भेजा था। इसके बाद प्रधानाध्यापक द्वारा लगातार बिल प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाती रही किन्तु बिल प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 15-10-69 को ज्ञात हुआ कि कथित बिल कोष कार्यालय से गायब हो गया है और विद्यालय निरीक्षक, जयपुर श्री नेहपालसिंह के जाली हस्ताक्षर कर जाली मोहर बनाकर जाली व्यक्ति ने बिल का भुगतान गलत ढंग से 30-10-69 को प्राप्त कर लिया। मामला थाना कोतवाली छोटी चौपड़ जयपुर में रिपोर्ट सं0 425 दिनांक 18-10-69 को दर्ज करा दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की तफतीश जारी है।

ग्राम पंचायत नगर द्वारा आयोजित पशु मेला

730. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली, जिला टौंक द्वारा प्रति वर्ष कार्तिक मास में एक पशु मेले का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह स्थान मेला मैदान के नाम से घोषित है ?

(2) जो रकबा मेला मैदान के नाम से घोषित है उसके खसरा नम्बर क्या हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि नगर पंचायत द्वारा जहां मेला आयोजित किया जाता है वह स्थान ग्राम नगर से करीब एक मील दूरी पर है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि यह मेला राजस्व विभाग व खातेदार की भूमि में आयोजित होता है ? यदि हां, तो सवाई चक रकबा कितना है और खातेदार का कितना है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(5) क्या यह सत्य है कि करीब 4 वर्ष से मेले के समय खातेदार के व ग्राम पंचायत नगर के बीच तनाव हो जाता है, जिससे ग्राम पंचायत नगर के मेले में बाधा पहुंचती है।

(6) क्या ग्राम पंचायत नगर ने जिलाधीश टोंक या राज्य सरकार को निवेदन किया है कि उक्त स्थान को मेला मैदान घोषित कर दिया जावे? यदि हां, तो कब? यदि हां, तो राज्य सरकार ने कौन कौन से खसरा नम्बर घोषित किये हैं?

(7) क्या यह सही है कि उक्त तनाव के कारण पंचायत को काफी हानि होती है? यदि हां, तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

1. जी हां। मेले का स्थान मेला मैदान के नाम से विख्यात है।

2. जिस भूमि में मेला आयोजित किया जाता है उसके खसरा संख्या व रकबा निम्न प्रकार है:–

खसरा संख्या	279	रकबा 1)	बीघा
,,	,, 284	रकबा 2)	बीघा
,,	,, 285	रकबा 1।।)	,,
	286)	रकबा 9)1	
	से)		
	341)		
,,	,, 343	रकबा 6)	बीघा में है
,,	,, 664।।	रकबा ।।)	बीघा
,,	,, 330।।	रकबा ।।)	बीघा

3. जी हां। ग्राम नगर की आबादी से मेला स्थल लगभग एक मील दूर है।

4. जी हां। रकबे का विवरण निम्न है:–

सिवाय चक	2।। बीघा
काश्तकारान	15।। 1 ,,
गैर मुमकिन रास्ता	।।
गैर मुमकिन पाल	2 ,,

5. उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत 3 वर्षों से पंचायत नगर एवं खातेदार के बीच मेले की भूमि एवं उसकी आय के विषय में तनाव अवश्य है परन्तु मेले के आयोजन में इससे कोई विशेष बाधा नहीं पहुंची है।

6. जी नहीं।

7. जी नहीं कोई हानि नहीं हुई है तहसील द्वारा खातेदारी भूमि में पत्थर गढ़ी की कार्यवाही की जा रही है।

रानी स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के बिजली के बिलों का भुगतान

731. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल, कार्यालय फालना, के अन्तर्गत और रानी स्टेशन कार्यालय के अन्तर्गत क्षेत्र में 875 विद्युत बिलों में से अधिकतर बिल गलत बना कर वितरण किये गये?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(2) क्या यह सही है कि इन गलत बिलों में से 169 गलत बिल सहायक अभियन्ता, फालना को ता. 29-3-71 को वापस दिये गये ?

(3) क्या यह सही है कि बिलों में प्रत्येक मद में लिखी गई धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया कि किस दर से बिलों में धनराशि प्राप्त की जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि जिन बिलों पर भुगतान की तारीख 28-2-71 को रविवार था और ता. 1-3-71 को सार्वजनिक अवकाश पाली जिलाधीश के द्वारा घोषित किया गया था ?

(5) क्या यह सही है कि उपयुक्त बिलों के भुगतान की नियमानुसार तारीख 2-3-71 पड़ती थी ? यदि हां, तो इन बिलों (जो 2-3-71 को चुकाये जाने थे) की रकमें भरने को रानी स्टेशन वालों को रानी से नौ मील दूर फालना कार्यालय में रकम भरने बुलाने की आज्ञा क्यों निकाली गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल फालना के कार्यालय से रानी स्टेशन के अन्तर्गत क्षेत्र में 875 विद्युत् उपभोक्ताओं में से कुछ बिलों में पिछले मास की बकाया रकम जो उपभोक्ताओं द्वारा बिल बनाने व वितरण करने की तिथि के पूर्व जमा कराई गई थी उस बकाया को इन बिलों में गलती से शामिल कर लिया गया था।

(2) यह सही है कि 169 बिल सहायक अभियन्ता, फालना को दिनांक 29-3-71 को रानी में वापिस दिये गये थे जिनमें से 91 बिल गलत थे एवं शेष 78 बिल सही थे।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां। नियमानुसार बिलों का भुगतान जहां बिल तैयार किया जाता है, वहीं किया जाता है किन्तु उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिलों की रकम प्राप्त करने के लिये निश्चित तिथि को उस ग्राम में एक लिपिक को भेजने की व्यवस्था है। चूंकि रानी गांव में यह व्यवस्था माह की 25 से 30 तारीख की है ऐसी अवस्था में 2-3-71 को बिलों को राशि फालना में जमा कराने के लिये उपभोक्ताओं को आना पड़ा। जिन जिन उपभोक्ताओं ने 2-3-71 तक राशि जमा कराई है उनको रिबेट की सुविधा दी गई है। दिनांक 28-2-71 को अवकाश था फिर भी उपभोक्ताओं को सुविधा हेतु केशियर को कलेक्शन करने हेतु भेजा गया था।

झुंझनू में कालेज खोलने की मांग

732. श्री रामनारायण चौधरी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनू जिले में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है ? और क्या यह भी सही है कि झुन्झुनू ही एक ऐसा जिला है जहां जिला केन्द्र और जिलों के किसी भी स्थान पर राजकीय कालेज नहीं है जबकि राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर तथा जिलों में अनेक

Page No 140

(श्री रामनारायण चौधरी)
कालेज हैं तथा इस वर्ष खोलने की घोषणा कर दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं में भी कालेज खोलने की मांग विधान सभा में बारबार की जाती रही है और राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है ?

(3) क्या सरकार झुन्झुनूं की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव पर अगले सत्र से चालू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर:

(1) यह सही है।

(2) जी, हां।

(3) जी नहीं।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

List of the Government Colleges, Rajasthan.

S.No.	Name of the College	
	Post-Graduate Colleges	
1.	Government College, Ajmer.	Dr. P.N. Mathur.
2.	Raj Rishi College, Alwar.	Shri B. Sinha.
3.	S.D. Govt. College Beawar.	Dr. R.N. Choudhary.
4.	M.S.J. College, Bharatpur.	Shri P. Sinha.
5.	Shri MLV Govt. College, Bhilwara.	Shri N.M. Kothari.
6.	Dungar College, Bikaner.	Shri R.S.Tripathi.
7.	Government College, Kota.	Dr. D.K. Mathur.
8.	Government College, Shri-Ganganagar	Shri S.C. Tela.
	Degree Colleges (Men)	
9.	Government College, Banswara.	Dr. G.C. Verma.
10.	Government College, Baran.	Shri P.K. Bansal.
11.	Government College, Barmer.	Shri G. Anand.
12.	Government College, Bhinmal.	Shri D.L. Sharma.
13.	Government College, Bundi	Shri B.L. Mathur.
14.	Government College, Chittorgarh.	Shri S.N. Dube.
15.	Lohia College, Churu.	Shri R.S. Bhatnagar.
16.	Government College, Dausa.	Shri K.S. Saxena.
17.	Bangur College, Didwana.	Shri G.K. Vyas.
18.	Government College, Dholpur.	Shri B.S. Srivastava.
19.	Government College, Dungarpur.	Shri S.L. Doshi'
20.	Government College, Jalore.	Shri G.R. Parihar.
21.	Government College, Jhalawar.	Shri H.S. Saxena.
22.	Government College, Jaisalmer.	Shri K.C. Jain.
23.	R.L.Saharia College, Kaladera.	Shri M.L. Solanki.
24.	Government College, Karauli.	Shri G.D. Solanki
25.	Government College, Kishangarh	Shri K.L. Gupta.
26.	Government College, Kotputli.	Shri G.L.Jain.
27.	Moti Lal Bengani College of Science, Ladnun (Nagaur)	Shri G.S. Bhandari.
28.	Government College, Nagaur	Dr. P.N. Mathur.
29.	S M.B. Government College, Nathd vara	Shri N.P. Vadhera.
30.	SNKP Government College, Neem ka Thana.	Shri G.N. Mathur.
31.	Government College, Nasirabad.	Shri O.P. Bhargava.
32.	Bangur College, Pali.	Shri R.K. Kaushik
33.	Government College, Pratapgarh.	Shri K.B.L. Sharma.
34.	Govt. Ruia College, Ramganjh.	Shri Ashvani Kumar.
35.	Govt. College, Rajgarh (Alwar)	Shri M.N. Mathur.

36.	S.B.D. Govt. College Sardarshar.	Shri K.L. Goswami.
37.	Government College, Shahpura(Bhilwara)	Shri M.K. Bhargawa.
38.	Government College, Sirohi.	Shri R.M. Bhandari
39.	SK. Govt. College, Sikar.	Shri I.C. Gaur.
40.	Government College, Sambher.	Shri M.P. Garg.
41.	Gyani Ram Harakh Chand Sarawagi College (Arts & Commerce), Sujangarh (Churu).	Dr. R.C. Mahendra.
42.	Government College, Tonk.	Shri R.B. Nigam.

Degree Colleges (Women).

43.	G.D. Govt. Girl's College, Alwar.	Mrs. B. Kohli.
44.	M.S. College for Women, Bikaner.	Dr. (Mrs) Kamla Bhandari.
45.	JDB. Govt. Girl's College. Kota.	Mrs. Indra Shekhar.
46.	CH.B.R.G.Govt. Girl's College, Shri-Ganganagar.	Mrs. Rama Kochar.
47.	Meera Govt. Girl's College, Udaipur.	Mrs. Sarla Rani Vadhera.

बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट को बिजली

733. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बिड़ला एज्यूकेशन ट्रस्ट को सरकार द्वारा एक बल्क रूप में बिजली कन्सेशन रेट पर दी जाती है और वह संस्था वहां से अपने लिये तथा पिलानी कस्बे को बिजली सप्लाई करती है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राडिट ने बड़ी गम्भीर निम्नांकित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया था :—

(क) मीटर रीडिंग के कागजात गायब हैं ?

(ख) बकाया की वसूली नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि कन्सेशन रेट पर बिजली लेकर यह संस्था चौदह आने यूनिट पर कस्बे को बिजली देकर लाभ कमाती है ?

(4) कितना कन्सेशन सरकार उक्त संस्था को दे रही है तथा बकाया कितनी बाकी है ?

उत्तर

(1) विद्युत् मण्डल बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट को 11 के. वी. पर बिजली देता है जिसका उपयोग केवल संस्था के लिए एवं बिड़ला विद्युत बिहार में ही किया जाता है। उक्त कनेक्शन से कस्बे को विद्युत सप्लाई नहीं की जाती है। यह सप्लाई राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशानुसार आज भी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, के मुख्य अभियन्ता एवं ट्रस्ट के मध्य 19-8-58 में हुई मीटिंग में तय शुदा टेरिफ के अनुसार दी जा रही है।

(2) (क) आडिट ने बताया था कि मीटर रीडिंग सहायक अभियन्ता की डायरी में लिखे गये थे जो उस समय आडिट को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

(ख) जी हां, बकाया राशि की वसूली राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशानुसार स्टे कर दी गई है।

(3) कस्बे को उक्त कनेक्शन से बिजली नहीं दी जा रही है।

(4) क्योंकि टेरिफ का मामला हाई-कोर्ट में विचाराधीन है इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि कन्सेशन दे रखा है। 1.3.71. को कुल बकाया रकम रुपये 92,049.30 हैं

कूप कत्था करौली के ठेके की निलामी

734. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कूप कत्था करौली (बहरदा-तीनपांडा) का ठेका सन् 70 में किस के नाम, कब व कितनी राशि में निलाम हुआ था ?

(2) उपरोक्त ठेके की राशि इकरारनामे के अनुसार कब कब कितनी कितनी राशि किश्तों में राज्य सरकार को देय थी ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(3) अभी तक ठेकेदार के द्वारा कितना भु ान किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ. 7 (294) रेवेन्यू ए/70/9–2–71 द्वारा ठेके की किश्तों को स्थगित किया है ? अगर हां, तो कब तक के लिए व क्यों ? कृपया आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि डी. एफ. ओ. भरतपुर तथा रेंजर करौली ने स्थगन आदेश पर आपत्ति की है ? कृपया आपत्ति की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1. कत्था कूप करौली बहरदा तीन पोखर का ठेका सन् 1960 में नहीं होकर 1970–71 में श्री राम दयाल पुत्र खंची राम सा. सरमपुरा के नाम 1,71,551 रु. में 4–9–70 को नीलाम हुआ।

2. पहली किश्त दखल के समय		42888
दूसरी किश्त	15–2–71	42888
तीसरी किश्त	15–2–71	42888
चौथी किस्त	15–3–71	42887

3. 42888 रु.

4. राज्य सरकार ने यह आदेश दिए थे कि यदि सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी की सहमति हो तो किश्तों का निम्न प्रकार भुगतान किया जावे।

दूसरी किश्त	15–5–71
तीसरी किश्त	30–5–71
चौथी किश्त	15–6–71

आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

5. जी हां। आपत्ति की प्रतिलिपि संलग्न है और इस आपत्ति के कारण राज्य सरकार ने किश्त की तारीख परिवर्तन नहीं करने के आदेश दिए हैं।

राजस्थान सरकार
राजस्व (क) विभाग

निमित्त :—

मण्डल वन अधिकारी,
भरतपुर ।

एफ, 7 [294] रा. क0170 दिनांक 9–2–71

विषय : कस्वा कूप वहरवा 3 पोम्रर रेन्ज करोली
सन् 1970–71

महोदय,

उपरोक्त कूप के ठेकेदार श्री रामदयाल के प्रार्थना पत्र दिनांक 13–1–71 को एक प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त ठेके में किश्त जमा कराने के लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी, 15 फरवरी, व 15 मार्च की वजाय 15 मई, 30 मई व 15 जून निर्धारित की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि इसमें कोई आपत्ति हो तो इस विभाग को सूचित करें।

भवदीय,
ह.
सहायक सचिव. राजस्थान।

प्रतिलिपी – मुख्य वन संरक्षक. राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

ह0
सहायक सचिव, राजस्थान

प्रतिलिपि–प्रार्थना पत्र दिनांक 13-1-71 ओर से राम दयाल पुत्र सीताराम ठेकेदार कस्वा, मार्फत अशोक स्टोन कम्पनी, वास्ते आदरणीय वन मन्त्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय किश्त तब्दोल कूप कस्वा वहरदा तीन पोमर वहरदा
रेन्ज करोली सन् 1970–71

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी ने उक्त कूप का ठेका आपके विभाग से लिया था। चूंकि ठेका को स्वीकृति देर से मिली और बुण्डेलाखण्ड से लेबर यूनियन वनने की वजह से लेवर बहुत देर से आई और अभी तक कटाई जंगल शुरू नहीं हो पामा है। एग्रीमेंट की धारा के अनुसार किश्ते 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च में जमा होती है। करधा बिक्री विलकुल नहीं होने की वजह से रुपया जमा कराने में असमर्थ हूं।

अतः उक्त तीनों किश्ते 15 मार्च, 30 मई, 15 जून सन् 1971 करदी जावे जिसते की तब्दीली मय ब्याज के करने की कृपा करें।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

ओर से,

मण्डल वन अधिकारी
भरतपुर

निमित्त,

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय,
राजस्थान, जयपुर।

संख्या ठेका : 2023 दिनांक 16–2–71

विषय : कत्था कूप बहरदा तीन पोकर रेन्ज करौली 1970–71

प्रसंग––श्री सहायक सचिव राजस्व (क) विभाग पत्र संख्या
एफ. 7(293) रा. व. । 170 दिनांक 9–2–71।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस प्रकार ठेकेदार को किश्त जमा कराने की अनुमति देने से इस वर्ष की आय पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं इस प्रकार से ठेकेदार को रकम जमा कराने की आज्ञा देने से सहमत नहीं हूं।

ह.
मण्डल वन अधिकारी,
भरतपुर

संख्या प्रस्था 2024 दिनांक 16–2–71

प्रतिलिपि श्री वन संरक्षक महोदय कार्य आयोजना वृत्त, जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

ह.
मण्डल वन अधिकारी,
भरतपुर

स्थगित प्रश्न
(4–5–71)

ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर द्वारा नीलाम की गई भूमि

619. बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खेड़ा रसूलपुर द्वारा जाल खेड़ा के पास प्लाट नीलाम किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो इनके नीलामी के नोटिस कब जारी किये और नोटिस के कितने दिन पश्चात् नीलाम किये गये ?

(3) कितने प्लाट काटे गये थे और किस किस को यह प्लाट नीलाम में दिये गये ? खरीददारों की सूची मय सकूनत और वल्दियत के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उस कालोनी को मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा लोन अथवा अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि लोन को दिये काफी समय हो जाने पर भी मकान निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि लोन का उपयोग न होने से पंचायत समिति द्वारा वसूली करने का विचार किया गया था लेकिन वसूल नहीं किया गया ?

(7) उक्त व्यक्तियों में अनुसूचित जाति के कौन-कौन हैं तथा सरकारी मुलाजिम कौन कौन हैं ?

(8) क्या उक्त व्यक्ति पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं ?

उत्तर

1. जी हां।

2. सूचना सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

3. कुल 64 प्लाट काटे गये। नीलाम द्वारा जिन व्यक्तियों को प्लाट दिए गए उनका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूचना में दे दिया गया है।

4. ग्रामीण गृह योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति को वर्ष 1967–68 में 20,000–00 रु. की राशि ऋण के रूप में दी गई थी।

5. जी हां।

6. रकम वसूली के लिए नोटिस दिये गये हैं किन्तु अभी तक किसी ऋणी द्वारा रकम जमा नहीं कराई गई है।

7. सूचना सदन की मेज पर रख दी है।

8. 23 व्यक्ति पंचायत क्षेत्र के निवासी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 668 की सूची)

पंचायत समिति सवाई माधोपुर में वर्ष 1970–71 में शालाओं के लिए खरीदे गये गेम्स के सामान का विवरण

क्रमांक	फर्म का नाम	सामान जो खरीदा गया	खरीद की दर	कुल कीमत
1.	भरतपुरिया ट्रेडिंग कम्पनी, बापूबाजार जयपुर	1. नेट वालीबाल 30 फुट	19-00	190-90
		2. केरम बोर्ड	36-50	182-50
		3. गेंद बल्ला (एंगल)	7-90	790-00
		4. स्टोव प्रभात	38-00	570-00
		5. रिंगबाल	4-50	67-50
2.	मै. जयभारत ट्रेडिंग कं. किशनपोल बाजार, जयपुर, राज.।	1. घड़ी	45.00	3600-00
3.	मै. खण्डेवाल ट्रेडिंग कं0, भरतपुर।	1. फुटबाल कवर नहरू ब्रांड	15.91	1591.00
		2. वालीवाल (इंटरनेशनल)	14.25	1425.00
		3. ब्लेडर कोहीनूर	4-90	980.00
		4. नेट रिंगबाल	5-25	36.75

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 670 की सूची)

APPENDIX 'A'

List of Wells Energised on various villages of District Sawai Madhopur upto 31-3-1971 Tehsilwise.

S. No.	Name of locality.	Wells connected as 31-3-1971
1	2	3
	TEHSIL KARAULI.	
1.	Karauli	79
2.	Gurla	—
3.	Pahari	...
4.	Agri	6
5.	Birwas	2
	TEHSIL HINDAUN.	
6.	Hindaun	69
7.	Kanchroli	16
8.	Phulwara	3
9.	Mahavirji	11
10.	Patonda	20
11.	Hingot	6
12.	Danarpur	28
13.	Khera	10
14.	Kandroli	12
15.	Gadi Bandha	2
16.	Ratholi	6
17.	Jamalpur	6
18.	Sikrodameena	5
19.	Chandan Gaon	5
20.	Saneth	9
21.	Gunsar (Phelikapura)	4
22.	Akbarpur	4
23.	Banwaripur	3
	TEHSIL GANGAPUR	
24.	Gangapur	34
25.	Mirzapur	19

1	2	3
26.	Lalpur	3
27.	Umari	14
28.	Chabba	..
29.	Salempur	6
30.	Vazirpur	12
31.	Mahukalan	3
32.	Habibpur	19
33.	Salarpur	10
	TEHSIL KARAULI	
34.	Parita	...
	THESIL BAMANWAS.	
35.	Bamanwas	10
36.	Liwali	10
37.	Kakrala	10
38.	Meenakuleta	7
39.	Gudla	4
40.	Nawad	4
41.	Gujarkuleta	4
42	Piplai	16
43	Phitoli	4
44	Gothra	3
45	N anetha	1
46	Jagrampura	1
	TEHSIL SAWAI MADHOPUR	
47	Sawai madhopur	26
48	Montown	51
49	Alanpur	52
50	Ajnotal	11
51	Soorwal	8
52	Lorwara	8
53	Bhatwatgarh	32
54	Chauth-ka-Barwara	18
55	Jatwara Kalan	5
66	Jatwara Khurd	1
57	Kherda	1

1	2	3
58	Thingla	2
59	Panchpala	5
60	Chakchainpura	---
61	Mainpura	2
62	Bandha	7
63	Dhanoti	—
	TEHSIL MALARNA DUNGAR	
64	Bonli	26
65	Khiroi	18
66	Bhadoti	—
67	Chandroli	---
68	Aluda	3
	THESIL MAHUWA	
69	Mahuwa	20
70	Thekdea	7
71	Dhantoon	4
72	Birana	4
73	Samaspur	4
74	Khori	3
75	Churkhera	6
76	Saipur	6
77	Bironda	1
78	Khonchpuri	6
79	Ramgarh	3
80	Samleti	12
81	Khora Nand Singh	3
82	Rant	6
83	Handiya	15
	TEHSIL TODABHIM	
84	Todabhim	59
85	Ranglalpura	38
86	Mahendwara	4
87	Nandipura	8
88	Trisul	4
89	Padla Jagir	40
90	Sarsena Chark No. 1	24
91	Sakarwada	14
92	Asro	2
93	Patali	5
94	Balakpura	1
95	Budha	9
96	Bhanakpura	---
97	Manoj	1
98	Bhaiseena.	4

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 675 की सूची)

क्रम संख्या	नाम नहर	नाम ग्राम	बकाया काश्तकारों की संख्या जिनका भुगतान बाकी है	रकम
1	2	3	4	5
1. गुड गांव नहर चैन 500 से 825	1.	नगला मोमरा	6	2508
	2.	नगला चाहरा	13	9150.63
	3.	नगला जालिम	3	4070
	4.	सेहरा	2	1782
	5.	नगला ईश्वरी सिंह	10	8910
	6.	नगला दानसहाय	8	15917
	7.	सतवास	24	26834.50
	8.	नगला सीताराम	6	8750.50
	9.	श्रासूका	1	946
	10.	सन्देरा	57	21939.50
	11.	कलोवटा	14	16758.50
			योग ..	117466.63
2. गुडगांव नहर चैन 0 से 500	1.	जुरहरा	1	82.50
	2.	नौ गांवों	1	562
	3.	बम्बाली	1	242
			योग ..	886.50
3. पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी चैन 0 से 665	1.	जुरहरा	2	550
	2.	कचनेर	2	572
	3.	कुकरपुरी	1	352
	4.	[illegible]	1	44
	5.	[illegible]	2	[illegible]

Page No 153

1	2	3	4	5
		6. भौरी	1	264
		7. चौमरी	1	154
		8. कस्बा पहाड़ी	1	275
			योग :	2827
4.	सतपुड़ा माईनर	1. सेडली नानू	16	3526
		2. बुलवाना	6	814
		3. हुस्की	18	7150
		4. बमनवाड़ी	1	484
		5. महलवाड़ी	16	7920
			योग :	20196
5.	महलवाड़ी माईनर	1. सेडली नानू	3	792
		2. सतपुड़ा	9	2266
			योग :	3058
6.	बामनवाड़ी माईनर	1. बमनवाड़ी	25	7535
7.	सेईसन माईनर	1. सेइसन	27	12627
8.	भौरी माईनर	1. भुजाका	9	3149
		2. भौंरी	23	4668.12
9.	गोरीगा माईनर	1. सेडली नानू	15	5016
		2. गोरीया	19	7172
			योग :	12266
10.	रावत का माईनर	1. भौरी	1	638
		2. बतूका	9	2882
		3. फतेहपुर	16	5203
		4. कनवाडी	6	957
			योग :	9600

1 2		3	4	5
11. कटोल माईनर	1.	कटोल	15	481.25
12. कन्वनेर माईनर	1.	कुकरपुरी	9	2508
	2.	कन्वनेर	17	4224
	3.	सेडली जमीमुद्दीन	5	2943
	4.	यतग्राना	25	7837.50
	5.	कटोल	16	37951
			योग :	21812.50
13. पाई माईनर	1.	जुरहरी	8	3124
	2.	बामनी	6	4928
	3.	नगला बुधोकर	13	7458
	4.	बाई	18	5366
	5.	खेड़ली गुमानु	8	2772
	6.	भरेरी	14	3830
	7.	पचेरा	21	2058
	8.	नगला भरकी	11	2926
	9.	बादीपुर	9	3596
	10	कोटका	9	4235
			योग :	43295
14. रसूलपुर माईनर	1.	नगला बुधोकर	2	528
	2.	खेडली गुमानी	13	4022
	3.	रसूलपुर	13	4620
	4.	पाई	33	6996
	5.	पथवारी	15	4356
	6.	नगला बलदेव	4	1518
			योग :	22110
15. बहुकली माईनर	1.	बाई	13	3874
	2.	सनोखर	26	7744
	3.	गुरगुनिया	22	5145
	4.	दादरी	9	2948
	5.	बादीपुर	19	2023

1	2	3	4	5
		6. बंगला बादीपुर	5	5228
			योग :	26955.50
16.	नोगांवामाईनर	1. नौगांवा	29	7935.22
17.	मानेरा माईनर	1. नौनेरा	32	1164350
		2. नोगावां	7	1100
			योग :	1274350
18.	मावड़ी माईनर	1. खेचातन	4	1320
		2. गांवडी	1	154
		3. समघाडा	13	3674
		4. नौगांवा	19	3806
			योग :	8954
19.	किरावला माईनर	1. किरावता	17	5324
		2. नगता कुम्ब	1	682
		3. पबवारी	2	638
		4. मोमेरा	7	1430
			योग :	8074

परिशिष्ट 7

(अ.प्र.सं. 676 की सूची)

DISTRICT CHURU

Sl. No.	Code No. as per 1961 Census Report	Name of the Village	Population	Tehsil	Source of supply	Proposed length of line in K.M.			No. of working wells	Proposed No. of Service connections				Proposed Trans. Capacity in K.V.	Total cost in lacs of Rs.	Total Revenue	Productivity %	REMARKS
						11 K.V.	L.T. 3-Ph. 4-Wire	L.T. L.T. Single Ph.		Agr.	Ind.	Dom.	St. light					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	3/3/167	Ranasar Bikem	803	Sardar sahar	Fohrasar 33/11 KV S/s	6.4	1.6	0.4	2	1	2	15	—	1× 25	0.8383	0.475	3.2%	Non-Remunerative.

परिशिष्ट 8

(ता. प्र. सं. 677 की सूची)

शिक्षा मद में वर्षवार व्यय का वितरण निम्न प्रकार हैं :–

वित्तीय वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
50–51	2.02
51–52	2.38
52–53	2.59
53–54	2.90
54–55	3.22
55–56	3.82
56–57	4.29
57–58	6.07
58–59	7.38
59–60	8.63
60–61	10.51
61–62	11.56
62–63	12.83
63–64	13.84
64–65	15.85
65–66	19.08
66–67	21.42
67–68	27.87
68–69	32.11
69–70	33.75
70–71	——

नोट:–उक्त व्यय में शिक्षा हेतु कालेज शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, प्रादेशिक शिक्षा, पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण आदि मुख्य उल्लेख हैं।

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 681 की सूची)

रजिस्टर्ड ए. डी.

नगर सुधार समिति झुंझुनू (राजस्थान)

क्रमांक 809/102/71/72 दिनांक 4-4-71

श्री वाई. एल. माथुर

डिस्ट्रिक्ट मेडीकल एण्ड हैल्थ आफीसर, सीकर।

विषय:-श्री भगवानदास खेतान अस्पताल, झुंझुनू में चल रही अव्यवस्था।

प्रिय महोदय,

मैं इस नगर के नागरिकों की ओर से श्री भगवान दास खेतान अस्पताल में चल रही अव्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिसके शिकार रोगी होते हैं और उन्हें इस अव्यवस्था से भारी नुकसान हो रहा है।

1. वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इन्डोर में चिकित्सकों द्वारा रोगियों की देख भाल इस प्रकार से की जाती है।

	मेल बेड	फीमेल बेड
डा. एम. जे. गुप्ता एम. बी., बी. एस.	2	1
डा. (श्रीमती) कुन्दनबाला जैन	-	11
डा. एम. के. गुप्ता, एम. डी.	11	2

वर्तमान व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें आपसे निम्न निवेदन है कि-

श्रीमती कुन्दन बाला जैन की नियुक्ति फेमिली प्लानिंग में है किन्तु उन्हें अस्पताल में फीमेल 11 बेड निश्चित किये गये हैं। वर्तमान में अस्पताल में एक लेडी डाक्टर एवं एम. डी. मौजूद हैं। हमारी शिकायत है कि जब अस्पताल में एम. डी. मौजूद हैं तो उनकी सेवाओं का पूर्ण उपयोग क्यों नहीं किया जाता। सिद्धान्त रूप में मेडिकल के केस एम. डी. को ही दिये जाने चाहिये।

दिनांक 18-3-71 को एक स्त्री की बच्चा दानी का आपरेशन किया गया। आपरेशन के समय बीजली कुछ समय के लिये चली गई-खेद है कि इतने बड़े चिकित्सालय में इसका दूसरा कोई प्रबन्ध नहीं था। यहां तक कि स्टोर में टार्च के सेल तक भी नहीं थे

मालूम हुआ है कि सामान कोग्रापरेटिव स्टोर से खरीदा जाता है और कोआपरेटिव स्टोर में सेल नहीं है। क्या अस्पताल इन्द्राज इसका क्रय स्थायी दूकानदारों से नहीं कर सकता बात कुछ छोटी है लेकिन यह व्यवस्था परिचायक है ।

मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सत्य है। किन्तु ऐसा सुना जाता है कि आपरेशन थियेटर की चाबी एम. ओ. इन्चार्ज महोदय अपने साथ रखते हैं। क्या बात उचित है ? न जाने किस समय कैसा मरीज अस्पताल में आजावे–वे चाबियां क्यों न अस्पताल में ही रखी जावें।

हम महसूस करते हैं कि इस व्यवस्था का उत्तरदायित्व अस्पताल के वर्तमान इंचार्ज डा. एम. जे. गुप्ता पर है। अतः उनका यहां से स्थानान्तरण किया जावे और किसी सुयोग्य डाक्टर को यह कार्य भार सौंपा जावे।

आशा है आप उपरोक्त तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर इस प्रकार का आदेश देंगे जिससे इस अस्पताल में संपूर्ण व्यवस्था ठीक ढंग से आ सके। एवं वहां के निवासियों को परेशानी न उठानी पड़े।

दा वी. एल. तुलतस्यान
मंत्री

शुद्धि-पत्र
(मंगलवार, दिनांक 11 मई, 1971)

स्कम्भ सं. 1		पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1		6	को	वजे
4		15	टैंकस	टैंकर्स
12	अन्तिम से	11	कायन	कायम
13		9	न्यूनतम	न्यूनतम
16	अन्तिम से	10	वसान	वसाने
21		1	में	मैं
,,		11	जमीनो	जमीनों
,,	अन्तिम से	1	श्री उपाध्क्षय	श्री उपाध्यक्ष
25	,,	2	उपाध्मक्ष	उपाध्यक्ष
26		10	tents	tenants
30		4	तीन साल जो	तीन साल से जो
31		10	सर्दे	सर्वे
,,	अन्तिम से	7	कसना	करना
32		7	सन्वन्ध	सम्बन्ध
,,	अन्तिम से 6 व	8	या	क्या
51		18	श्री उपाध्याय	श्री उपाध्यक्ष
53		13	श्री समरथ लाल	श्री समरथलाल
66		5	यह	वह
67		1	द्वरा	द्वारा
69		3	रीति	नीति
71		11	निश्चिय	निश्चय
,,	अन्तिम से	1	अग	अगर
75	,,	1	सम्भावना	सम्भावना है।
76		11	श्री दौलतराल सारण	श्री दौलतराम सारण
,,	,,	12	वताने यह	यह वताने
82		6	अनुपलब्धी	अनुपलब्धि
84	अन्तिम से	10	च्या	क्या
89	,,	8	------	अधिसूचना संबंधी व्यवस्था का प्रश्न
,,	,,	2	फिक्सेशन	फिक्सेशन
89 से 94 शीर्षक			सदन पटल पर—11 मई 1971—रखे जाने वाले पत्र	अधिसूचनायें संबंधी—11 मई 1971—व्यवस्था का प्रश्न
90		1	रखे	रखी
,,		3	उपाध्क्ष	उपाध्यक्ष
110		1	चुकावें	चुकानें

Page No 161

1	2		3	4
111	अन्तिम से	16	पचोंयतों	पंचायतों
,,	,,	9	उपाध्क्ष	उपाध्यक्ष
113		17	बिगढ़	बिगड
116		2	सदस्न	सदस्य
,,		14	उपाध्यक्ष : यह है	श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है
119	शीर्ष		(श्री शंकलाल)	(श्री शंकरलाल)
,,		5	अन्नर	अन्दर
125	अन्तिम से	8	An Prson ag ieved	A person aggrieved
129		19	आथिक	आर्थिक
167		1	श्री चशवन्तसिंह नाहर	श्री यशवन्तसिंह नाहर
171	शीर्ष		(श्री फूलचन्द बाफणा)	(श्री हीराभाई)
186		7	श्री मनसिंह	श्री मदनसिंह
201	अन्तिम से	6	इस सरकार उस कोई अपना	इस सरकार का कोई अपना
,,	,,	5	उधा	उधार
,,	,,	3	नि िण	निर्माण
204	,,	9	व्ययस्था	व्यवस्था
210	,,	11	मजदूत	मजबूत
212		4	यहीं	नहीं
213		14	दे	देश
217	अन्तिम से	11	गायगा	जायेगा
,,	,,	6	अर्प	अर्थ
231		14	———	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)
231	अन्तिम से	17	अब भी नही बेच सकता था तो	———
243		15	व्यवित	व्यक्ति
251		13	सेवा	सभा
,,	अन्तिम से	4	राख	रह
253		7	port	part
250	अन्तिम से	5	declar e	declared
,,	,,	4	management the	management of the
264		2	स्जिरटजरलैंड	स्विजरलैंड
273		3	———	(4) राजस्थान में कुल कितने सरकारी महाविद्यालय हैं ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें ।